उत्तर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक परिवेश एवं कारावास का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(जिला कारागार-झाँसी के विशेष सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी
की
पी-एच०डी० (समाजशास्त्र) उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

2008

शोध निर्देशक
डॉ० आनन्द कुमार खरे
विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
डी० वी० (पी०जी०) कॉलेज,
उरई (उ० प्र०)

शोधकर्ती
मोना तिवारी
एम० ए० (समाजशास्त्र)

शोध केन्द्र
आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
झाँसी

डॉ. आनन्द कुमार खरे
विभागाध्यक्ष

समाजशास्त्र विभाग
डी० वी० (पी०जी०) कॉलेज,
उरई (उ० प्र०)

शोध निर्देशक प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोना तिवारी शोध छात्रा ने मेरे निर्देशन में ''उत्तर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक परिवेश एवं कारावास का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' विषय पर शोधकार्य सम्पन्न किया है।

१. शोध छात्रा ने यह कार्य २०० दिन से अधिक समय तक मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है।

२. यह शोध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध अध्यादेश में विहित प्राविधानों की पूर्ति करता है।

३. शोध छात्रा का यह कार्य मौलिक विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक तथ्यों पर आधारित है जो उसने स्वयं अन्वेषणात्मक अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया है।

शोध निर्देशक

दिनांक : 22.09.08.

डॉ. आनन्द कुमार खरे
विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
डी० वी० (पी०जी०) कॉलेज,
उरई (उ० प्र०)

प्रमाण-पत्र

मैं, मोना तिवारी पी-एच०डी० शोध छात्रा प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा किया गया शोधकार्य ''उत्तर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक परिवेश एवं कारावास का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' पूर्ण रूपेण मौलिक विषय है तथा इसका सम्पूर्ण कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत शोधकार्य को डॉ० आनन्द कुमार खरे, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, डी० वी० (पी० जी०) कॉलेज, उरई द्वारा मार्गदर्शित एवं निर्देशित किया गया है।

दिनांक : 22.09.08

शोधकर्ती

मोना तिवारी

आभार

शोधकर्ती के इस अध्ययन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में एवं पूर्ण कराने के लिये शोध निर्देशक डॉ० आनन्द कुमार खरे के यथार्थपरक एवं सारगर्भित सफल मार्गदर्शन एवं उनके अपेक्षित सहयोग के लिये मैं विशेष कृतज्ञ हूँ।

महानिदेशक ''कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें'', उपमहानिरीक्षक कारागार परिक्षेत्र, आगरा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने विभिन्न आँकड़े एवं शोध सामग्री उपलब्ध कराने में मेरी मदद की।

सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रभारी एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना अपना कर्तव्य समझती हूँ जिन्होंने मुझे महत्वपूर्ण शोध सामग्री उपलब्ध करायी।

उपमहानिरीक्षक पुलिस, झाँसी परिक्षेत्र के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे महत्वपूर्ण शोध सामग्री उपलब्ध कराने हेतु मार्गदर्शन किया।

जिला कारागार, झाँसी के समस्त विचाराधीन बन्दियों का आभार करने के लिये मेरे पास सचमुच शब्दों का अभाव है। यह न केवल इस अध्ययन के उत्तरदाता थे वरन् उनकी स्थिति ने मुझे इस विषय पर बहुत कुछ जानने का अवसर दिया।

मैं अपनी पुत्री तान्या तिवारी, पिता श्री श्यामबाबू तिवारी, माताजी श्रीमती शशि तिवारी एवं श्री संजय बंसल जी की भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे उक्त शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने हेतु समय दिया।

अन्त में मैं डॉ० एन० डी० समाधिया (प्राचार्य) एवं डॉ० रामलखन विश्वकर्मा (रीडर), बी.एड. विभाग, डी० वी० (पी०जी०) कॉलेज, उरई के विशेष सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती हूँ।

दिनांक : 22.09.08

मोना तिवारी
(शोधकर्ती)

प्राक्कथन

मानव समाज का एक शाश्वत सत्य है। मानव स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी है। व्यक्ति इस मानव समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है और उसने स्वयं अपने को तथा अपने चारों तरफ के वातावरण को समझने में इसकी आधारभूत शक्ति को पहचानने में तथा इसके रहस्य के उद्‌घाटन करने का प्रयास किया है।

वैज्ञानिक खोजों ने मानव सुख के लिये अनेक साधन जुटाने में अवश्य सहायता की है, लेकिन वह परम सुख जिससे मनुष्य को आत्मा की अनुभूति हो, अभी भी प्राप्ति से बहुत दूर है। इसका परिणाम यह है कि मनुष्य अभी भी अज्ञान एवम् असत्यता के वातावरण से घिरा है। और स्पष्ट है कि समाज में वैज्ञानिक प्रगति के साथ–साथ व्याधि भी बढ़ती जा रही हैं। समाज में बढ़ती हुई व्याधि के कारणों को ढूढनें तथा उनका हल मालूम करने के लिये सतत् प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक ओर कारणों तथा हलों की सूची बढ़ती जा रहीं है तथा दूसरी ओर सामाजिक व्याधि की सीमाएं।

आम धारणा है कि समाज में व्यक्ति भाग लेता है इसीलिए व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध को कृत्रिम रूप से समझने का प्रयास करते हैं जबकि वास्तव में समाज में व्यक्ति नहीं अपितु उसका व्यक्तित्व भाग

लेता है। अतः व्याधि को समझने के लिए समाज तथा व्यक्ति को इनके वृहत् परिभाषाओं के आधार पर समझना होगा।

सामाजिक व्याधि का महत्वपूर्ण स्वरूप सामाजिक विघटन है तथा वैयक्तिक विघटन भी इनका संक्षिप्त रूप है। वैयक्तिक विघटन जीवन प्रतिमान की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की जैविक और मानसिक शक्तियाँ एवं क्षमताएं किसी विशिष्ट सामाजिक संरचना में निर्धारित पद भूमिकाओं के अनुरूप कार्य नहीं करतीं।

कारागार एक प्रकार से समाज का संक्षिप्त रूप है जो असामाजिक व्यवहार की विभिन्न प्रवृत्तियों को सघन रूप से प्रतिबिम्बित करते हैं। देश में विगत दशकों से एक के बाद दूसरी आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप हमारी सामाजिक संस्थायें जैसे परिवार में भी आधार भूत परिवर्तन आये हैं। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। औद्योगिक संघर्ष, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक आन्दोलनों की संख्या के आकार में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इसके साथ–साथ जातियों, अल्पसंख्यकों एवं इसी प्रकार के अन्य आधारों पर होने वाले तनाव ने भी गम्भीर और विपत्ति का रूप धारण कर लिया है।

समाज में नयी आकांक्षायें और नयी मूल व्यवस्थायें सामने उभरकर आयी हैं। आर्थिक, सामाजिक बदलाव के ऐसे युग में जिसमें हम

हैं मनुष्य के आचार–व्यवहार में वैज्ञानिक परिवर्तन आना स्वभाविक ही है। जीवन मूल्यों में होने वाले संघर्ष और मनुष्य की सामान्य व्यवहार प्रणाली में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों की एक झलक कारागारों में बन्द अपराधियों के प्रकार और उनके द्वारा किये गये अपराध और विभिन्नता में देखी जा सकती है। जब अपराधी को दण्डित किया जाता है तब उसमें प्रायश्चित की भावना उसे दण्ड को चुपचाप सहन करने की शक्ति प्रदान करता है तथा अपराधी के व्यक्तित्व को विकृत होने से बचा लेता है, परन्तु जब कोई निर्दोष व्यक्ति विचाराधीन बन्दी के रूप में असीमित समय तक कारागार में बन्द रहता है तो उसके व्यक्तित्व का भी खण्डन स्वाभाविक ही है। हमारी कारागार व्यवस्था में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो विचाराधीन एवम् सिद्धदोष बन्दियों के लिए अलग–अलग वातावरण अथवा परिस्थिति पैदा करता हो। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पहेली होती है। जिसका भिन्न–भिन्न निदान होता है, लेकिन जब दोनों ही प्रकार के बन्दियों को एक ही दृष्टि से देखा जाता है तथा एक प्रकार के उपायों द्वारा बिना उनकी मानसिकता एवम् कर्मो का परिशीलन करते हुए उन्हें आंककर उनके साथ व्यवहार किया जाता है तो व्यक्ति के साथ–साथ समाज का भी अहित होता है। क्योंकि व्यक्ति के अपराध करने में समाज का भी समान उत्तरदायित्व होता है। जिसका प्रतिबिम्ब व्यक्ति के मन में अंकित देखा जा सकता है। इसलिए हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में मन एवम् आत्मा को पहचानने पर बल दिया गया है। मन ही मनुष्य के जीवन में सुख–दुःख तथा मोक्ष्य–बन्धन का कारण होता है। अतः यदि विचाराधीन बन्दी को भी

मनुष्य समझते हुए मानवीय व्यवहार करने की अच्छी परम्परा डाली जायेगी, तब वैयक्तिक विघटन के साथ–साथ सामाजिक विघटन को भी रोका जा सकता है।

विचाराधीन बन्दी की स्थिति त्रिशंकु की तरह है, कारागार के सुधार कार्यक्रम न उसे जोड़ पाते हैं न स्वयं वह उससे जुड़ पाता है दूसरी तरफ कारागार में आने के बाद समाज में वह कलंकित हो जाता है और यदि वह वाद में निर्दोष सिद्ध भी हो जाये तो भी समाज, परिवारजनों एवम् स्वयं अपनी नजरों में वह पुनः सामान्य व्यक्ति बनकर जीवन यापन नहीं कर पाता है। इसी गम्भीर समस्या को समझने का प्रयास यह अध्ययन है। न्यायालयों में बढ़ती हुई लम्बित वादों की संख्या इस समस्या को दिन प्रतिदिन गम्भीर बनाती जा रही है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह एक विकराल रूप धारण कर सकती है। अन्त में कवि श्री दुष्यन्त कुमार के शब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी –

हो गयी है पीर पर्वत–सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

दिनांक : 22·09·08

शोधकर्ती
(मोना तिवारी)

अनुक्रमणिका

अध्याय-१

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारतीय समाज गतिशील जटिल एवं परम्परागत विशेषताओं से मिला–जुला माना जाता है। एक ओर दैवीय गुणों से युक्त स्वर्गतुल्य समाज और दूसरी ओर राक्षसी (अमानवीय) व्यवहारों से ओतप्रोत नर्कतुल्य समाज लक्षित होता है। शायद इन दोनों स्थितियों के मध्य की स्थिति ही मानव समाज है। यही कारण है कि मानव पर इन दोनों स्थितियों का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति, समाज सम्मत एवं समाज विरोधी कार्य करता रहता है। अतः सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्तियों का आचरण दो प्रकार का हो सकता है– एक तो वे व्यवहार जो समाज एवं कानून द्वारा मान्य होते हैं तथा दूसरे वे व्यवहार जो समाज एवं कानून द्वारा अमान्य/निषिद्ध हैं। दूसरे प्रकार के व्यवहारों को ही अपराध एवं सम्बन्धित व्यक्ति को अपराधी कहा जाता है।

समाजशास्त्री अपराध को विचलनकारी व्यवहार का विशिष्ट स्वरूप मानते हैं यह ऐसा विचलनकारी व्यवहार है जो सामूहिक हित के लिये हानिप्रद है। इसीलिये समाज ने इसे अमान्य एवं दण्डनीय घोषित कर रखा है। अर्थात अपराध सामाजिक रूप से अस्वीकृत या ऐसा असामाजिक व्यवहार है जो समाज द्वारा निर्धारित आचरण प्रतिमानों के प्रतिकूल है। इस प्रकार अपराध समाजशास्त्रीय रूप में सामाजिक प्रमापों का उल्लंघन है।

गिलिन ने अपनी कृति "क्रिमिनोलॉजी एण्ड पेनोलॉजी" में लिखा है कि "अपराध ऐसा कार्य है जो समाज के लिये हानिप्रद सिद्ध हो चुका है तथा समाज ऐसे व्यवहार को सकारात्मक दण्ड विधानों के अन्तर्गत निषिद्ध करता है।"

आज अपराधशास्त्री यह निष्कर्ष देते हैं कि अपराधी व्यवहार भी अन्य व्यवहारों की तरह सीखा हुआ व्यवहार व समाज की देन है। कुछ विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ही व्यक्ति को अपराधी व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं। इस परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण आज अपराधी को उपेक्षा, घृणा या उपहास की दृष्टि से न देखने पर बल दिया जाता है और कठोरतम दण्ड देने की अपेक्षा अपराधी व्यवहार का अध्ययन कर सुधारात्मक कार्यक्रम को उपयोगी माना जाने लगा है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें सद्गुणों की एक भी किरण न हो। केवल दण्ड के सहारे अपराधियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। अतः सहानुभूतिपूर्वक उपचार और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से बुरा आदमी भी अच्छा इन्सान बन सकता है। सामाजिक जीवन में किसी भी ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें उन व्यक्तियों के व्यवहार नियंत्रण की विधियों का नितान्त अभाव हो जो सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, मर्यादाओं, आदर्श नियमों रीति–रिवाजों तथा वैधानिक नियमों का सर्वथा उल्लंघन करते हों। व्यक्ति एवं समाज की बढ़ती हुई जटिलताओं से उद्भूत अपराधों एवं अपराधियों का

अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। यही कारण है कि अनेक शोधछात्र–छात्रा अपराधी जगत् से सम्बद्ध विविध पक्षों का समाजशास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं। यह शोध भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है।

(१) **<u>विषय का चयन :</u>**

समाज का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि समाज के अन्तर्गत अनेक प्रकार के व्यक्ति, व्यक्ति समूह, समुदाय आदि विद्यमान हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसके हितों/स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति हो। परिणामतः वह दूसरे के हितों व स्वार्थों की उपेक्षा करते हुए आक्रमण भी कर बैठता है। यदि ऐसे व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार मनमाने ढंग से कार्य करने दिया जाये तो समाज में अस्वस्थ वातावरण पैदा हो जायेगा। अतः ऐसे समाजों में व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से की जाती है। प्रत्येक सदस्य से यह उपेक्षा भी की जाती है कि वह समाज द्वारा बनाये गये नियमों एवं कानूनों का पालन करते हुए व्यवहार प्रदर्शन करेगा। वास्तविकता यह है कि जैविकीय दुर्बलताओं या प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अस्वस्थ दबाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते हैं और जाने–अनजाने अपराध कर बैठते हैं। इस प्रकार अपराध एक सामाजिक घटना है तथा वास्तविक सामाजिक समस्या भी।

किसी भी अपराधी को सामान्य मनुष्यों की दुनिया से अलग रखने की सजा लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी कि मनुष्य की सभ्यतायें। वैदिक काल में अर्थात् मनु से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व जेल या कारावास जैसी कोई संस्था नहीं थी, तब न्याय प्रशासन भी राज्य के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं बना था। ऋग्वेदकाल में राजा के बजाय सभा या ग्रामसभा मध्यस्थता करती थीं और अभियुक्त का घर ही जेल का काम करता था। अभियुक्त तब तक अपने घर में कारावास भुगतता था, जब तक कि वह अपने किये का मुआवजा न प्रस्तुत कर दे।

वैदिक काल के बाद धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों में पूरी तरह विकसित न्याय व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सामाजिक रीति–रिवाजों में बदलाव के साथ धर्म में भी परिवर्तन आया और तब ये राजा का दायित्व बन गया कि वह गलत काम करने वालों को दण्डित करे और अगर वह ऐसा करने में विफल रहा तो नर्क का भागी होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अभियुक्तों की सजाओं में भी फर्क होता था, लेकिन बाद में मनु, कात्यायन और कौटिल्य ने विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के अभियुक्तों के साथ के पक्षपात को उलटते हुए नये सुधार–सुझाव दिये।

ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के काल में कैदियों को तहखानों या कोठरियों में सड़ने के लिये छोड़ दिया जाता था। अर्थशास्त्र में

कारागृह और कारावास का उल्लेख बहुत मिलता है। राज्य की खदानों एवं अन्य स्थानों पर काम करना सजा होती थी। यह कारावास को बहुत सख्त बना देता था। जेल निर्माण का कोई व्यवस्थित विवरण नहीं मिलता है।

प्राचीन साहित्य में जेल सुधार की खासी जानकारियां मिलती हैं, सम्राट अशोक के प्रारम्भिक समय में जेल यातना का आलम यह था कि कोई भी कैदी जेल से जिन्दा बाहर नहीं निकल सकता था लेकिन बुद्ध के प्रभाव में आने के बाद जब उसका नैतिक कायाकल्प होता है तो जेल सुधार के लिये कई कदम उठाये जाते हैं। अशोक ने यह नियम बना दिया था कि सम्बन्धित अधिकारियों को दिन में एक बार या पाँच दिन में एक बार कैदियों से मिलकर उनके काम, स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछ–ताछ करनी चाहिये।

जेल अधिकारियों के लिए कठोर नियम थे। कैदियों से दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाता था। राशन, बिस्तर के बारे में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, बगैर उचित कारण के कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानान्तरित करना और महिला कैदियों के साथ यौनाचार जैसे अपराधों के लिए अधिकारियों को कहीं ज्यादा कठोर सजाएं दी जाती थीं।

मुगलकाल में कानून कुरान पर आधारित था। मुगल कानून में कारावास, दंड का एक प्रकार जरूर रहा लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जेलें बहुत उपेक्षित थीं और कैदियों को यातनाएं भुगतनी पड़ती थीं ताकि उनके पाप यहीं धुल जायें और जन्नत में उन्हें चैन मिले।

ब्रिटिश शासन के दौरान जेल सुधार के लिए काफी काम हुए। भारत में दण्ड प्रशासन के इतिहास में पहला बड़ा कदम हुआ। १८३६ में, एक जेल जाँच समिति का गठन हुआ जिसमें लार्ड मैकाले भी एक सदस्य थे। इस समिति ने कैदियों के स्वास्थ्य, भोजन, कपड़ों और जेल में मृत्यु दर आदि पहलुओं पर अपने निष्कर्ष दिये। फिर कमेटियों और सुधार–सिफारिशों का सिलसिला १८४८ तक पहुँचा जब केन्द्रीय कारागारों की श्रृंखला की पहली जेल आगरा में बनी, फिर बरेली में केन्द्रीय कारागार बनी। १८५४ में बनारस, मेरठ व जबलपुर में और उसके बाद लखनऊ में केन्द्रीय कारागार बनी।

परिवर्तित जनदृष्टिकोण के कारण धीरे–धीरे भारतवर्ष में अपराधों की रोकथाम के लिये कारागार प्रणाली का विकास सन् १५६७ में इस आशय से किया गया कि अपराधियों के मन में इतना भय पैदा कर दिया जाये कि वे भविष्य में अपराध न करें तथा जो भी उनके विषय में सुने वह भी अपराधी कार्यों की ओर अग्रसर न हों। परन्तु मानव व्यवहार

की जटिलता से एक समस्या यह पैदा हुयी की कभी–कभी वास्तविक अपराधी कानून, समाज एवं पुलिस की नज़र से बच जाते रहे और निर्दोष सीधे–सज्जन व्यक्ति अपराधी के रूप में पकड़े गये। अतः यह स्थिति अत्यन्त भयानक हो गई, जिसने अपराध निवारण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाना प्रारम्भ कर दिया।

मानव व्यवहार की जटिलता के दुष्परिणाम से जो व्यक्ति कारागारों में बंदी बनाये गये वे दो प्रकार के बंदी थे– सिद्धदोष एवं विचाराधीन। सिद्धदोष बन्दी वह व्यक्ति हैं जिसके द्वारा किया गया अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे विशिष्ट प्रकार से दण्डित किया है। जबकि विचाराधीन बन्दी वे व्यक्ति हैं जो विधिक दृष्टि से अपराध (दोष) सिद्ध होने तक निर्दोष माना गया है अर्थात् एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस द्वारा अपने असीम अधिकारों का प्रयोग किये जाने के कारण मात्र शंका के आधार पर ही अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया हो। न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेशों के परिपालनार्थ कारागार में बन्द कर दिया गया हो। अतः जो व्यक्ति अपराधी है उसे कारागार की सजा मिलना कहीं तक औचित्यपूर्ण समझ में आता है किन्तु इसके विपरीत जो व्यक्ति मात्र शंका के आधार पर कारागार में बन्दी के रूप में जकड़ दिया जाय; अवश्य ही चिन्ता का विषय है।

भारतवर्ष में विचाराधीन बंदियों के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की प्रारम्भिक जाँच से यह ज्ञात होता है कि इनसे सम्बद्ध समस्यायें गम्भीर प्रकृति की हैं। आलस्य, भीड़–भाड़, मानवीय संसाधनों की कमी, कारागारों में बढ़ती हुयी कैदियों की संख्या आदि के समन्वित दुष्परिणामों से विचाराधीन कैदियों की समस्या और बढ़ती जा रही है। बन्दीगृहों में चलाये जा रहे विभिन्न सुधारवादी प्रयास विचाराधीन बन्दियों की अत्यधिक संख्या के कारण अपने लक्ष्य को पाने में पंगु होते जा रहे हैं। मात्र उत्तर प्रदेश के विभिन्न बन्दीगृहों में पिछले दशकों से ही विचाराधीन एवं सिद्धदोष कैदियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

समाजशास्त्र की छात्रा होने के कारण मैंने इसी पक्ष को अपने अध्ययन का विषय चुना।

(२) <u>विषय की आवश्यकता एवं उपयोगिता :</u>

वर्तमान समय में बदलते हुये जनदृष्टिकोंण के कारण अपराधी एवं अपराध की रोकथाम के लिये जहाँ नये–नये प्रयोग किये जा रहे हैं; यह आवश्यक हो जाता है कि विचाराधीन बन्दियों के सन्दर्भ में अध्ययन करके किसी ऐसे पड़ाव पर पहुंचा जाए जिससे इन बन्दियों की वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक क्षति न हो और वे किसी भी प्रताड़ना से मुक्त रहकर सामान्य जीवनयापन कर सकें।

वह व्यक्ति जो विचाराधीन बन्दी के रूप में कारागार में बन्द है अपराधी हो सकता है या नहीं भी। जब ऐसा व्यक्ति कारागार में उचित मानवीय व्यवहार नहीं पाता और साथ ही उसे अन्य पेशेवर या जघन्य अपराधियों के साथ घुटन भरे वातावरण में रखकर, उन वास्तविक अपराधियों जैसा ही बरताव किया जाता है, तब बहुत कुछ सम्भावित है कि वह विचाराधीन अपराधी अपनी ऐसी प्रक्रिया व्यक्त करे जो कारागार के अधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धी कर्मचारीतंत्र से लेकर स्वयं के परिवारजनों, नाते–रिश्तेदारों एवं समाज के विरूद्ध हो सकती है। अतः ऐसी आक्रामक एवं प्रतिशोधात्मक परिस्थिति के परिणामस्वरूप विचाराधीन बन्दी द्वारा समाज एवं विधि द्वारा प्रस्थापित मूल्यों, मर्यादाओं, मानदण्डों, रीति–रिवाजों, प्रथाओं, परम्पराओं, धार्मिक विश्वासों एवं सामाजिक नियन्त्रण के बंधनों को तोड़ने की सम्भावनाएं बलवती हो सकती हैं। ऐसी स्थिति वैयक्तिक एवं सामाजिक विघटन का कारण बनकर सामान्य व्यक्ति को खुलकर अपराध करने को प्रेरित कर सकती है। यह एक चिन्ता का विषय है।

अतः स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जिसे अपराधी होने के शकमात्र से विचाराधीन बन्दी के रूप में कारागार में रखा गया हो; के साथ अत्यन्त सावधानी, विवेकपूर्ण, मनोवैज्ञानिक एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक प्रतीत होता है अन्यथा विचाराधीन बन्दी कारागार में रहने के दुष्परिणामों से सामान्य व्यक्ति से विखण्डित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप

में परिवर्तित हो जाएगा, जो कानून एवं सामाजिक नियमों की परवाह किये बिना अपराधी व्यवहार ही करेगा। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि कारागार व्यवस्था एवं संगठन का सूक्ष्म एवं गहन बहुपक्षीय अध्ययन किया जाए और इसके प्रकार्यों (कार्य पद्धति) के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जाये। क्या कारागार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में ही कार्य कर रहे हैं या कुछ ऐसी स्थितियों को जन्म दे रहे हैं जो कारागार के उद्देश्यों के प्रतिकूल हैं। कारागार से सम्बद्ध नौकरशाही तंत्र की प्रस्थिति एवं भूमिका का क्या स्वरूप है? क्या ऐसे विचाराधीन बन्दियों के साथ सामान्य व्यवहार करके वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जा रहा है या इनके साथ भी अपराधियों जैसा ही व्यवहार करके इन्हें अपराधी बनाने की साजिश की जा रही है? यदि सम्पूर्ण प्रक्रिया में कुछ दोष हैं तो किस स्तर पर और उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है आदि प्रश्न प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता एवं उपयोगिता को स्पष्ट करने का प्रयास है।

प्रस्तुत अध्ययन की उपयोगिता इस तथ्य पर आधारित है कि विचाराधीन बन्दी से सम्बद्ध सभी पक्ष – कारागार का सरकारी तंत्र, कारागार की कार्यपद्धति, न्यायालय प्रक्रिया, पुलिस कर्मचारियों की अहं भूमिका, समाज की प्रक्रिया, जनदृष्टिकोण, अपराधियों की प्रक्रियाओं आदि का विज्ञान सम्मत दृष्टि से अध्ययन करके कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किये जायें जो न केवल नीतिनिर्मायकों, समाजवैज्ञानिकों, विधि निर्माताओं एवं कारागार तंत्र के लिये उपयोगी हों वरन् किसी विचाराधीन बन्दी को निर्दोष होने की स्थिति में अपराधी जगत् की ओर पदार्पण करने को मजबूर न होने दें।

(३) सम्बन्धित ज्ञान की वर्तमान दशा :

प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में सम्बन्धित ज्ञान की वर्तमान दशा का उल्लेख करते समय तीन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रथम – अपराध एवं अपराधियों के विषय में किये गये अध्ययन; द्वितीय – अपराध एवं अपराधियों के प्रति पुलिस प्रशासन की भूमिका सम्बन्धी अध्ययन एवं तृतीय – कारागार प्रशासन एवं कारागारों की कार्य प्रणाली पर किये गये अध्ययन ।

जहाँ तक अपराध एवं अपराधियों के सम्बन्ध में किये गये अध्ययनों का प्रश्न है इनमें प्रमुख रूप से बेयर्ड बी.बी. १९३६; पिगन एच. डी.१९४२; लोटर एस.एफ. १९४२; फ्रीड लैण्डर के. १९४४; अब्राहम सेन डेविड १९४५; यंग पी.वी. १९५२; क्लिनार्ड एम.बी. १९५२; श्रीवास्तव एस. पी. १९७०;कोहेन ए.के. १९५५; एलेक्जेण्डर फ्रेंज १९५६; ब्लोच एच.ए. १९५६; ऐलेक्जेण्डर म्राइल ई. १९५७; मोरिस टी. १९५७; आदि आधार अध्ययन हैं जिनमें बाल अपराधी एवं पेशेवर अपराधियों का उल्लेख मिलता है।

अपराधों पर नियन्त्रण पाने एवं अपराधियों को सजा दिलाने के विषय में पुलिस प्रशासन की भूमिका को अहं माना जाता है। लेकिन सामाजिक जटिलता एवं बढ़ती हुयी समस्याओं के कारण भी

पुलिस प्रशासन अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वाह सही तरीके से नहीं कर पाती है। इस सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं जैसे सिंह एम. पी. १९७५; वर्मा परिपूर्णानन्द १९८४; कपूर एच.एल. १९८४; भटनागर एस. सी. १९८५; लवानियां जे. १९८८ व १९९२; आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

समय–समय पर कारागार प्रणाली का मूल्यांकन किए जाने का भी प्रयास किया जाता रहा है जिसकी जानकारी समय–समय पर विभिन्न प्रतिवेदनों एवं समितियों की रिपोर्ट्स के आधार पर प्राप्त होती रहती है इस सन्दर्भ में रोबिन्सन एल.एन. १९३१; आरफील्ड एल.बी. १९४७ : राम आहूजा १९७०; सिंह आई.जे. १९७९; अखिल भारतीय जेल सुधार समिति की रिपोर्ट १९८०–८३; क्राइम इन इण्डिया २००५ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

(४) अध्ययन विषय :

प्रस्तुत अध्ययन का विषय निम्नलिखित है –

"उत्तर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक परिवेश एवं कारावास का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन"।

(५) अन्य प्रारम्भिक जानकारी :

भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश – उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से तीन प्रकार के कारागार स्थापित हैं –

(अ) केन्द्रीय कारागार – इनमें सात वर्ष अथवा उससे लम्बी अवधि के सिद्धदोष बन्दी रखे जाते हैं।

(ब) जिला कारागार – जिनमें विभिन्न श्रेणी, कारागार की औपचारिक क्षमता के आधार पर बनाई गई है। जहाँ अधिकतम सात वर्ष की सजा प्राप्त सिद्धदोष बन्दी एवं जनपद के अन्य सभी विचाराधीन बन्दी रखे जाते हैं।

(स) खुले अथवा शिविर कारागार।

प्रदेश स्तर पर कारागार संगठन का मुख्य अधिकारी कारागार महानिरीक्षक होता है जो अन्य विभिन्न अधिकारियों की सहायता से कार्य करता है। संस्था स्तर पर कारागारों के प्रशासन व प्रबन्ध का प्रमुख अधिकारी अधीक्षक होता है जिसके सहयोग के लिये कारापाल, उपकारापाल, बन्दीरक्षक, शिक्षक, व्यावसायिक अनुदेशक आदि कर्मचारी नियुक्त रहते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में ६ केन्द्रीय कारागार, ५५ जिला कारागार तथा मात्र एक खुला कारागार हैं।

विगत लगभग चार दशकों से कारागार पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, अपराधियों की संख्या में वृद्धि की अपेक्षा बहुत ही कम रही है। कारागारों में उपलब्ध विभिन्न कैदियों की औसत संख्या भी कारागारों की क्षमता से बहुत अधिक है। शायद यही कारण है कि कारागार कर्मियों की सम्पूर्ण ऊर्जा बन्दियों पर नज़र रखने अर्थात् बन्दियों को पलायन न करने देने पर खर्च हो जाती है तथा बन्दियों से जुड़े अन्य सुधारात्मक कार्यों पर पर्याप्त समय नहीं दिया जा पाता है।

जिला कारागार झाँसी, प्रदेश के प्रथम श्रेणी का कारागार है जिसमें वर्ष २००५ में कुल ४२८५ विचाराधीन बन्दी निरूद्ध हुये। बुन्देलखण्ड का यह जनपद काफी पिछड़ा हुआ है। गरीबी एवं बेरोजगारी भी अधिक है तथा अपराध की दर भी अधिक है। और उ० प्र० के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रथम दस अधिक अपराध होने वाले जनपदों में से एक है। इसीलिये इसे अध्ययन के लिये चयन किया गया है।

(६) अध्ययन के उद्‌देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता का उद्‌देश्य विचाराधीन बन्दियों का सामाजिक सर्वेक्षण कर यह जानकारी प्राप्त करना है कि विचाराधीन बन्दी का सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिवेश क्या है? यदि वे दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध हो जाते हैं, तो उनके व्यक्तित्व पर

कारावास का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या समाज एवं परिवार उनको उसी तरह वापस स्वीकार कर लेते हैं। जैसे वे दोषारोपण से पूर्व थे? अथवा इन पर सामाजिक कलंक लग जाता है? साथ ही साथ विधायिका, न्यायपालिका, पुलिस एवं कारागार प्रशासन की भूमिका तथा कर्मियों की जानकारी करना भी इस अनुसंधान का उद्देश्य है।

यह सर्वविदित है कि जैसे जैसे स्वतन्त्र भारतवर्ष में शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक आदि क्षेत्रों में प्रगति होती जा रही है। वैसे वैसे पुलिस प्रशासन, न्यायालय, कारागार आदि की कार्य प्रणाली की जटिलता भी बढ़ती जा रही है। इसके मूल में यद्यपि जनसंख्या वृद्धि को ही उत्तरदायी ठहराता जा रहा है फिर भी अन्य बहुत से संदर्भ/ कारण है किसी न किसी रूप में (प्रत्यक्ष या परोक्ष) सामाजिक दबाव एवं जटिलता के लिये समन्वित रूप से उत्तरदायी हैं। जैसे जैसे अपराधों में वृद्धि होती जा रही है। ऐसा लगने लगा है कि वैसे–वैसे भारतीय गणराज्य अपने आपको इन अपराधों पर नियन्त्रण पाने में असमर्थ पाता जा रहा है। कारण यह है कि अपराध नियन्त्रण एवं निराकरण में न तो कोई गुणात्मक रूप में उल्लेखनीय प्रगति हुयी है और न ही मात्रात्मक रूप में, वरन् दिनों दिन स्थिति भयावह ही होती जा रही है। यही कारण है कि कार्याधिक्य के परिणामस्वरूप न तो पुलिस ही सही ढंग से अपराधों की विवेचना कर पा रही है और न ही न्यायालय अपेक्षित समय सीमा के अन्दर उचित निर्णय कर पाने में सक्षम सिद्ध हो पा रही है।

पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय तंत्र की निराशाजनक कार्यपद्यति के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न कारागारों में विचाराधीन बन्दियों की संख्या में दिन प्रतिदिन तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। अधिकांश व्यक्ति पुलिस द्वारा मात्र इस शंका से अपराधी के रूप में पकड़ लिये जाते हैं कि उन्होंने निश्चय ही अपराध किया है और न्यायालय में असंख्य वादों के लम्बित होने के दुष्परिणाम से जमानत न हो पाने के कारण या अन्य किसी न किसी कारणवश एक लम्बे समय तक कारागार के दूषित वातावरण में विचाराधीन बन्दियों के रूप में पड़े यातनाऐं भोगते रहते हैं। उपरोक्त विचाराधीन बन्दी अन्ततः यदि न्यायालयों द्वारा पूर्णतः दोषी सिद्ध पाये जाते हैं तब तो कारागारों में उन निरूद्ध किये गये बन्दियों का व्यतीत किया गया समय सजा में काटकर (समायोजित) एक प्रकार से क्षतिपूर्ति की जा सकती है किन्तु यदि वे न्यायालयों द्वारा वास्तविक रूप से दोषमुक्त सिद्ध हो जाते हैं तब बहुत से विचाराधीन प्रश्न उठते हैं जिनमें कतिपय प्रश्न निम्नलिखित हैं –

जिनका समाधान खोजने का प्रयास करना प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है –

१. कारागार में विचाराधीन कैदी के रूप में व्यतीत किये गये समय के लिये कौन उत्तरदायी है?

२. अनावश्यक रूप से राज्य के ऊपर पड़ने वाले प्रत्यक्ष आर्थिक भार जो कि कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के ऊपर लादा गया है, के लिये कौन उत्तरदायी होगा और इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी?

३. कारागार में विचाराधीन कैदी के रूप में व्यतीत किये गये समय की क्षतिपूर्ति कौन करेगा? एवं कैसे करेगा?

४. विचाराधीन बन्दियों को कारागार में निरूद्ध किये गये समय में उनके परिवार, रिश्ते–नातेदारों, मित्रों तथा अन्य सम्बन्धियों/सहयोगियों द्वारा आर्थिक, सामाजिक, नैतिक प्रतिष्ठा एवं भावनाओं से सम्बन्धित जो हानियाँ उठायी गयी हैं, उन सबका जिम्मेदार कौन होगा? इन सबकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी तथा कौन वहन करेगा?

५. विचाराधीन बन्दी के मन, मस्तिष्क एवं शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक दुष्प्रभाव क्या हैं? तथा इनके लिये उत्तरदायी कौन होगा साथ ही इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी।

६. दोषमुक्त होने की सम्भावना पर विचाराधीन बन्दी द्वारा पुनः अपने पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में वापस जाने पर उसके एवं उसके परिवारजनों के समक्ष क्या क्या परिस्थिति होती हैं?

७. कारागार में दोषी अपराधियों के मध्य व्यतीत किये गये समय में विचाराधीन बन्दी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं?

उपरोक्त उद्देश्यों के साथ–साथ प्रयुक्त अध्ययन इस तर्क की सत्यता/असत्यता की भी खोजबीन करने का प्रयास है कि कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी जो स्पष्ट रूप से ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश के हैं उन पर पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न अपराधों के संदर्भ में पकड़े जाने हेतु ग्रामीण परिवेश में –

(क) क्या कोई पारिवारिक स्वरूप एवं परम्परा का प्रभाव पड़ता है?

(ख) क्या वे व्यक्ति अधिकांशतः गिरफ्तार किये जाते हैं जो अशिक्षित एवं सरल स्वभाव के होते हैं?

(ग) क्या परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी व्यक्तियों को पुलिस की गिरफ्त में आने को मजबूर करती हैं?

(घ) क्या राजनैतिक विद्वेष के कारण शक्तिशाली लोगों एवं वर्गों के द्वारा पुलिस पर गिरफ्तार करने हेतु दबाव डाला जाता है?

नगरीय परिवेश के जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनके विषय में प्रायः निम्नलिखित तर्क चर्चा में रहते हैं –

अ – क्या निरूद्ध विचाराधीन बन्दी प्रायः वे व्यक्ति होते हैं जो सामान्यतः अपनी आर्थिक एवं जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं?

ब – क्या नगरों में रहने वाले अधिकांशतः वे व्यक्ति पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाते हैं जो प्रायः एकांकी या विखण्डित परिवारों के सदस्य होते हैं और निम्न एवं निम्नमध्यम वर्ग में आते हैं?

स – क्या नगरों के निवासी विभिन्न दुष्प्रवृत्यिों के आदी होते हैं जिसके कारण उन्हें पुलिस द्वारा मात्र शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है?

उपकल्पना :

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित उपकल्पनाओं का समापन करना है –

(१) जेल में रहने के कारण पड़ने वाले आर्थिक भार से निरूद्ध विचाराधीन बन्दी के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(२) जेल के दौरान अन्य दोषसिद्ध अपराधियों का कुप्रभाव इतना सशक्त होता है कि परिवार एवं समाज में वापस लौटने पर ये व्यक्ति या तो स्वयं अपराध करने के लिये प्रेरित होते हैं अथवा समाज एवं परिवार द्वारा पूर्व की भाँति स्वीकृत न किये जाने के परिणामस्वरूप अपराधों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं।

(३) नगरीय परिवेश के एकांकी एवं टूटे हुए परिवारों के कम या बिना पढ़े लिखे व्यक्ति जो सामान्यतः निम्न या निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं जिनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तथा जो नगरीय दुष्प्रवृत्तियों के आदी भी हो जाते हैं। अधिकांशतः पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में शक के कारण गिरफ्तार कर लिये जाते हैं।

(४) ग्रामीण परिवेश के संयुक्त परिवार, अशिक्षा, गरीबी आदि परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति धन राजनीति आदि की दृष्टि से शक्तिशाली लोगों के विरोधी दृष्टिकोण के कारण पुलिस द्वारा किसी भी हुए अपराध में शंका के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिये जाते हैं।

(५) कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं एवं दोषमुक्त होने पर वे शीघ्र ही अपराधियों द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के कारण एवं परिवार व समाज द्वारा स्वीकृत न किये जाने पर वे अपराध करने को प्रेरित हो सकते हैं।

उपर्युक्त उद्‌देश्यों पर आधारित प्रस्तुत अध्ययन हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय, प्रदेशीय एवं जनपद स्तर पर पंजीकृत होने वाले अपराधों एवं अपराधियों की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाए। न्यायालयों की वर्तमान दशा की जानकारी प्राप्त करना भी

अध्ययन की सफलता हेतु आवश्यक है। कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों को मिलने वाली सुविधाओं एवं विभिन्न कारागार सुधार समितियों द्वारा समय–समय पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट्स का भी मूल्यांकन किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इसी आशय से अग्रिम अध्याय में जनपद झाँसी का संक्षिप्त परिचय, बन्दियों का वर्गीकरण, अपराधों की संख्या, कारागारों का कार्मिक ढाँचा, बन्दियों को प्रदत्त सुविधाएं, कारागार सुधार समितियों की आख्याएं, न्यायालयों की स्थिति आदि पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

१. एस. एल. पाण्डेय – टीटमेन्ट ऑफ प्रिजन्स इन एनसिएन्ट इण्डिया, जनरल आफ दी यू०पी० हिस्टीलिकल सोसायटी, लखनऊ १६५८। पृष्ठ ३४

२. कौटिल्य – ५/८४/६

३. जायसवाल – मनु एण्ड याज्ञवल्क्य।

४. अशोक स्तम्भ लेख ५.

५. त्रिपाठी – प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका।

६. बेयर्ड, बी. बी. – जुवेनाइल प्रोवेशन अमेरिकन बुक, न्यूयार्क, १६३६.

७. पिगन, हेलेन डी. – प्रोवेशन एण्ड पैरोल इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, नेशनल प्रोवेशन एसोसिएशन, न्यूयार्क, १६४२.

८. लोटर, एस. एफ. – टेन्सन थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहैवियर, अमेरिकन सोसियोलोजिकल रिव्यू ७, १६४२.

६. फ्रीड लैडर, के. – द साइको – एनालिटिक एप्रोच टू जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी, इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, १६४४.

१०. अब्राहमसेन, डेविड – क्राइम एड द ह्यूमन माइल्ड कोलम्बिया, यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क १६४५.

११. यंग पी. वी. – सोसल टीटमेन्ट इन प्रोवेशन एण्ड डेलिक्वेन्सी एम. सी. ग्रा. हिल बुक, न्यूयार्क, १६५२.

१२. क्लिनार्ड, मार्शल बी. – द ब्लैक मार्केट, रिन हार्ट, न्यूयार्क, १६५२.

१३. श्रीवास्तवा एस. पी. – भारत में अपराध, दण्ड एवं सुधार।

१४. कोहेन, एडबर्ट के. – डेलिक्वेन्ट ब्यायज़ : द कल्चर ऑफ द गैंग द फ्री प्रेस ग्लेन्को, १६५५.

१५. अलेक्जेण्डर, फ्रेंज – द क्रिमिनल, द जज एण्ड द पब्लिक, द फ्री प्रेस, ग्लेन्को, १६५६.

१६. ब्लोच, हरबर्ट ए. – डेलिक्वेन्सी, रेण्डम हाउस, न्यूयार्क, १६५६.

१७. मोरिस टेरेन्स – द क्रिमिनल एरिया, केगनपाल लन्दन, १६५७.

१८. सिंह, एम. पी. – पुलिस प्रोब्लम्स एण्ड डालिमास इन इण्डिया, डी. के. प्रकाशन, दिल्ली।

१६. शर्मा पी. डी. – इण्डियन पुलिस – रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोसल साइन्सेस, न्यू देहली, १६७७.

२०. चतुर्वेदी, एस. के. – पुलिस एण्ड इमर्जिन्ग चैलेनजेज़, डी. के. प्रकाशन, दिल्ली।

२१. वर्मा परिपूर्णानन्द – भारतीय पुलिस, विश्व विद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, १६८४.

२२. कपूर एच. एल. – पुलिस क्राइम एण्ड सोसाइटी, डी. के. प्रकाशन, दिल्ली।

२३. भटनागर एस. सी. – 'आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका और संगठन', द लॉयर्स होम, इन्दौर, १६८४.

२४. लवानिया जे. – भारतीय पुलिस : संगठन एवं प्रशिक्षण, प्रगल्भ प्रकाशन, हाथरस, उ० प्र०, १६८८.

२५. लवानिया जे. – भारतीय पुलिस – अतीत एवं सम्प्रति समाज, प्रगल्भ प्रकाशन, हाथरस (उ०प्र०) १६६२.

२६. रोबिन्सन एल. एन. – शुड प्रिजनर्स वर्क? विन्टन फिलेडेल्फिया, १६३१.

२७. आरफील्ड लेस्टर बी. – क्रिमिनल प्रोसीज़र फ्रॉम अरेस्ट टू टायल, न्यूयार्क यूनीवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, १६४७.

२८. राम अहूजा – द प्रिज़न सिस्टम, मीनाक्षी प्रकाशन, नयी दिल्ली, १६७०.

२६. चढ्ढा कुमकुम – द इण्डियन जेल : ए कन्टेम्पोरिली डाकूमेन्ट

३०. सिंह आई. जे. – इण्डियन प्रिज़न : ए सोसियोलोजिकल इन्क्वायरी कन्सेप्ट, पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली, १६७६.

अध्याय-२

परिचय

अध्ययन क्षेत्र

(१) जनपद झाँसी (संक्षिप्त भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिचय) :

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपद झाँसी का प्रमुख स्थान है। जनपद झाँसी उत्तर प्रदेश के दक्षिण–पश्चिम कोने में २५.३ और २४.५७ उत्तरांश एवं ७८.४० और ७६.२५ देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्र उत्तर में जालौन जनपद, पूर्व में महोबा, पूर्व–दक्षिण में टीकमगढ़, दक्षिण में ललितपुर तथा पश्चिम में दतिया जनपद से आवृत है। वर्तमान का झाँसी जिला १७३० के बाद सामरिक दृष्टि से निर्मित एक राजनैतिक भूखण्ड के रूप में अस्तित्व में आया, जिसे झाँसी रियासत का नाम दिया गया।

इस रियासत को बनाने वालों में सर्वप्रथम नाम श्री मंत पेशवा बालाजी राव का आता है। उन्होंने अपने सूबेदार श्री नारू शंकर को झाँसी रियासत का प्रथम प्रशासक नियुक्त किया। बाद में आतिया राव, लक्ष्मण राव विश्वास एवं श्री रघुनाथ हरि नेवालकर यहाँ के सूबेदार बनकर आये। श्री मंत बाई साहब महारानी लक्ष्मीबाई जिनकी यश गाथा से झाँसी का नाम सारी दुनिया में फैला, वह भी इन्हीं रघुनाथ हरि नेवालकर के वंशवृक्ष की सदस्या रहीं।

झाँसी रियासत की नदियों में बेतवा, पहूज और धसान इसकी सीमाओं का निर्धारण करती है। वर्तमान में झाँसी जनपद को पाँच तहसीलों में बाँटा गया है – झाँसी सदर, मोंठ, मऊ, गरौठा एवं टहरौली। जनपद का ही नहीं अपितु झाँसी विभाग का मुख्यालय भी झाँसी में है। जहाँ से प्रशासनिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन होता है। झाँसी में रेलवे का प्रमुख रेल मुख्यालय भी है। शिक्षा के क्षेत्र में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी मैडीकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि अनुसंधान केन्द्र (ग्रासलैण्ड) आदि संस्थानों की सुविधा झाँसी को प्राप्त है।

प्राकृतिक संरचना के अनुसार जनपद दो सम्भागों में विभाजित है प्रथम सम्भाग जिसका अधिकांश भाग मैदानी है उसमें काँवर एवं पडुवा मिट्टी पायी जाती है। कृषि के दृष्टिकोण से यह मिट्टी उपजाऊ है। जिसमें मुख्यतः गेहूँ, चना, मटर व ज्वार मुख्य फसलें होती हैं। द्वितीय सम्भाग में विकास खण्ड, बंगला, बड़ा गाँव तथा बबीना है यहाँ की भूमि पठारी है यहाँ पर पीले तथा भूरे प्रकार की मिट्टी है।

जनपद झाँसी का लगभग ७ प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। जंगलों में बबूल, महुआ तथा ढाक अच्छी मात्रा में पायी जाती है।

खनिज सम्पदा के रूप में जनपद में ग्रेनाइट, पायरोपलाइट तथा मोरम विशेष रूप से पायी जाती है।

जनपद झाँसी का भौतिक क्षेत्रफल ५०२४ वर्ग कि०मी० है जिसमें ३३३१४ हैक्टेयर कृषि योग्य है जनपद में नहरों की लम्बाई ११६६ कि०मी० है। मुख्य फसलों में गन्ना ६००० मी० टन, तिलहन ३३००० मी० टन तथा आलू ६००० मी० टन में उत्पादित होता है।

प्रशासनिक दृष्टि से यह जनपद ५ तहसीलों में विभक्त है जिसमें झाँसी, मोंठ, मऊरानी, गरौण तथा टहरौली है। इन पाँच तहसीलों में ८ ब्लॉक तथा शेष पंचायतें आती हैं जिनके नाम बवीना, बड़ागाँव, चिरगाँव, मोंठ, बंगरा, मऊरानी, गुरसराय तथा बामौर हैं। सम्पूर्ण जनपद में ६५ न्याय पंचायतें, ३१२ ग्राम सभायें, ७६० आबाद ग्राम, ७ नगर परिषद, ७ नगर पंचायतें, ४ विधानसभा क्षेत्र, १६५ अम्बेडकर ग्राम तथा ८ गाँधी ग्राम हैं।

शैक्षिक दृष्टि से यह जनपद काफी प्रगति पर है। जनपद के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर उत्तम है। विशेषकर यहाँ व्यावसायिक अध्ययन हेतु आई०टी०आई, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैडीकल कॉलेज की विशेष सुविधा उपलब्ध है। इण्टर तथा डिग्री कॉलेजों में विज्ञान, कला, वाणिज्य विषयों के अध्ययन की समुचित व्यवस्था है। इस जनपद में कुल ११०६ प्राइमरी स्कूल, २७३

जू०हाईस्कूल, ७२ हाईस्कूल तथा इण्टरकॉलेज, ५ डिग्री कॉलेज, २ औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान (१ पुरूष, १ महिला), २ पॉलीटैक्निक कॉलेज (१ पुरूष, १ महिला), १ इंजीनियरिंग कॉलेज, १ मैडीकल कॉलेज व २ अन्य प्रबन्धकीय संस्थायें हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के दृष्टिकोण से इस जनपद में ८ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , ५१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ५ होम्योपैथिक हॉस्पीटल, २८ आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। जिला चिकित्सालय व मैडीकल कॉलेज में एक्सरे मशीन, कॉर्डियोलॉजी से संबन्धित यंत्र तथा समस्त सुविधायुक्त ऑपरेशन थियेटर है। मैडीकल कॉलेज में इन्टेंसिव केयर यूनिट की भी सुविधा उपलब्ध है तथा आयुर्वेदिक कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उपचार की पूरी व्यवस्था है।

जनपद में सुरक्षा की दृष्टि हेतु २६ पुलिस स्टेशन, ४३ पुलिस चौकी तथा६ फायर स्टेशन भी हैं।

जनपद के विद्युतीकरण विकास भी काफी अच्छी प्रगति पर है। यहाँ ५३३ विद्युतीकृत ग्राम, ३७ विद्युतीकृत नगर तथा ५६० विद्युतीकृत हरिजन बस्ती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली विद्यृत १७०८ किलोवाट/घण्टा है।

जनपद में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर १६ सिनेमाघर, ४ क्लब, ६ मनोरंजन पार्क, २३ होटल, ४ नाट्यशाला एवं ४ खेलकूद स्टेडियम जिनमें ध्यानचन्द्र स्टेडियम में क्रीड़ा की सभी सुविधायें तथा तरणताल की भी सुविधा उपलब्ध हैं।

जनपद का औद्योगिक स्वरूप :

जनपद झाँसी की ऐतिहासिक महत्ता सर्वविदित है। लेकिन इसके साथ झाँसी ने औद्योगिक विकास की यात्रा में भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। गृह उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर एवं भारी उद्योग के क्षेत्र में इसका एक विशिष्ट स्थान है। हथकरघा, हस्तशिल्प से अपनी यात्रा शुरू करने वाले जनपद में आज उद्यागों की लम्बी श्रृंखला विद्यमान है। जिनमें रेल कारखाना, सूती मिल, पारीक्षा थर्मल पावर, डायमंड सीमेन्ट, श्रीनिवास फर्टिलाइजर, एवं खनन उद्योग एवं बी०एच०ई०एल० आदि हैं।

(२) **बन्दियों का वर्गीकरण :**

भारतीय दण्ड संहिता में संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिनके होने की दशा में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। इस प्रकार के अपराध होने की दशा में पुलिस अधिकारी घटना स्थल का निरीक्षण कर, तथ्यों की जाँच कर एवं सूचना

प्राप्त कर अपराध के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही कर अपराधी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करते हैं। संज्ञेय अपराध के अन्तर्गत दो श्रेणी के अपराध आते हैं। एक तो भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आने वाले अपराध एवं दूसरे स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराध। वर्ष २००५ में भारतवर्ष में कुल ५०,२६,३३७ अपराध हुए जिसमें भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कुल १८,२२,६०२ अपराध हुए जबकि स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत कुल ३२,०३,७३५ अपराध पंजीकृत किये गये।

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वर्ष २००५ में पंजीकृत किये गये कुल अपराधों को विभिन्न अपराधों की श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध तालिका २.१ में किया गया है। जिसमें विभिन्न गम्भीर श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये अपराधों की संख्या दर्शायी गयी है –

तालिका संख्या २.१

भारतवर्ष में २००५ में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज किये गये अपराधों की संख्या –

क्र०सं०	अपराध	संख्या
१.	हत्या	३२७१६
२.	हत्या का प्रयास	२८०३१
३.	मानव वध	३५७८
४.	बलात्कार	१८३५६
५.	अपहरण	२२८३२

६.	डकैती	५१४१
७.	डकैती की योजना	२८३४
८.	लूट	१७६७३
६.	सेंधमारी	६०१०८
१०.	चोरी	२७३१११
११.	दंगा	५६२३५
१२.	शान्ति भंग	१३५७२
१३.	धोखाधड़ी	५३६२५
१४.	जालसाजी	२३८३
१५.	घर या खेत खलियानों में आग लगाना	८४५१
१६.	चोट लगाना या घायल करना	२७०८६१
१७.	दहेज सम्बन्धी मृत्यु	६७८७
१८.	उत्पीड़न या छेड़खानी	३४१७५
१६.	सैक्स उत्पीड़न	६६८४
२०.	पति या रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न	५८३१६
२१.	लड़कियों का आयात	१४६
२२.	लापरवाही के कारण होने वाली मृत्यु	७१६६८
२३.	भा० द० सं० के अन्तर्गत अन्य अपराध	७४१६७७
	योग –	१८,२२,६०२

तालिका २.२ में विभिन्न राज्यों में कुल संज्ञेय अपराधों की संख्या दर्शायी गयी है। जिससे स्पष्ट है कि संपूर्ण भारत के राज्यों में अपराधों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भी एक अग्रणी राज्य है। जहाँ संपूर्ण वर्ष २००५ में कुल १,२२,१०८ विभिन्न कोटि के संज्ञेय अपराध पंजीकृत किये गये।

तालिका संख्या - २.२

वर्ष २००५ में विभिन्न राज्यों में पंजीकृत हुए संज्ञेय अपराधों की कुल संख्या –

क्र० सं०	राज्य	कुल पंजीकृत संज्ञेय अपराधों की संख्या
१.	आन्ध्र प्रदेश	१५७१२३
२.	अरूणांचल प्रदेश	२३०४
३.	असम	४२००६
४.	बिहार	६७८५०
५.	छत्तीसगढ़	४३६३३
६.	गोवा	२११६
७.	गुजरात	११३४१४
८.	हरियाणा	४२६६४
६.	हिमांचल प्रदेश	१२३४५
१०.	जम्मू कश्मीर	२०११५

११.	झारखण्ड	३५१७५
१२.	कर्नाटक	११७५८०
१३.	केरल	१०४३५०
१४.	मध्य प्रदेश	१८६१७२
१५.	महाराष्ट्र	१८७०२७
१६.	मणिपुर	२६१३
१७.	मेघालय	१८८०
१८.	मिजोरम	२१५६
१९.	नागालैण्ड	१०४६
२०.	उड़ीसा	५१६८५
२१.	पंजाब	२७१३६
२२.	राजस्थान	१४०६१७
२३.	सिक्किम	५५२
२४.	तमिलनाडू	१६२३६०
२५.	त्रिपुरा	३३५६
२६.	उत्तरांचल	८०३३
२७.	उत्तर प्रदेश	१२२१०८
२८.	पश्चिम बंगाल	६६४०६

उत्तर प्रदेश में वर्ष २००४–०५ में विभिन्न गम्भीर श्रेणी के अपराधों के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये अपराधों की संख्या का विवरण तालिका संख्या २.३ में अवलोकन हेतु दर्शाया गया है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पंजीकृत अपराधों की संख्या में कमी हुई है।

तालिका संख्या - २.३

उत्तर प्रदेश में वर्ष २००४ एवं २००५ में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों का विवरण –

क्र० सं०	अपराध	२००४	२००५
१.	हत्या	६१२६	५७११
२.	हत्या का प्रयास	५५८०	५६३७
३.	मानव वध	१४३६	१५२०
४.	बलात्कार	१३६७	१२१७
५.	अपहरण	३३३७	२६५५
६.	डकैती	३७८	२८६
७.	डकैती की योजना	६८	८६
८.	लूट	२६०६	२०४६
६.	सेंधमारी	५२६६	४५५६
१०.	चोरी	२२५२४	२०६६५
११.	दंगा	३६१५	३६२६
१२.	शान्ति भंग	२३७७	२५२४
१३.	धोखाधड़ी	४१८४	४५५६
१४.	जालसाजी	१८८	२६१
१५.	घर या खेत खलियानों में आग लगाना	३८१	३६८
१६.	चोट लगाना या घायल करना	११२६५	१०३७६

१७.	दहेज सम्बन्धी मृत्यु	१७०८	१५६८
१८.	उत्पीड़न या छेड़खानी	१६००	१८३५
१६.	सैक्स उत्पीड़न	२६८२	२८८१
२०.	पति या रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न	४६५०	४५०५
२१.	लड़कियों का आयात	०३	००
२२.	लापरवाही के कारण होने वाली मृत्यु	७१३६	७४०६
२३.	भा० द० सं० के अन्तर्गत अन्य अपराध	४०७११	३७१५८
	कुल योग –	१३०१८१	१२२१०८

उत्तर प्रदेश के दस विभिन्न जनपदों में वर्ष २००५ में पंजीकृत हुए संज्ञेय अपराधों की सूची तालिका संख्या २.४ में दर्शायी गयी है। इस सूची में दस विभिन्न जिलों के पंजीकृत अपराधों की संख्या दर्शायी गयी है –

तालिका संख्या - २.४

उत्तर प्रदेश के दस जनपदों में वर्ष २००५ में पंजीकृत अपराधों का विवरण –

क्र० सं०	जनपद	कुल पंजीकृत अपराध
१.	आगरा	४७६६
२.	इटावा	१६०४
३.	मैनपुरी	१४३७
४.	झाँसी	८७०
५.	मऊ	७८४
६.	महोबा	३६६
७.	जालौन	१५५२
८.	हमीरपुर	६३१
६.	चित्रकूट धाम	४०६
१०.	ललितपुर	२८७

अगर हम जनपद झाँसी में अपराधों की प्रकृति का ज्ञान करें तो तालिका संख्या २.५ का आश्रय लेना होगा। तालिका संख्या २.५ में जनपद झाँसी में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वर्ष २००५ में विभिन्न श्रेणी के कुल संज्ञेय अपराधों की संख्या दर्शायी गयी है। तालिका से स्पष्ट है कि जनपद झाँसी में सबसे अधिक चोरी से सम्बन्धित अपराध हुए हैं। इसके बाद हत्या, धोखाधड़ी, मानव वध आदि अपराध आते हैं।

तालिका संख्या - २.५

जनपद झाँसी में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वर्ष २००५ में पंजीकृत अपराधों का विवरण –

क्र० सं०	अपराध की प्रकृति	अपराधों की संख्या
१.	हत्या	५०
२.	हत्या का प्रयास	१६
३.	मानव वध	२७
४.	बलात्कार	०३
५.	अपहरण	११
६.	डकैती	००
७.	डकैती की तैयारी	०३
८.	लूट	१५
९.	सेंधमारी	२७
१०.	चोरी	१२६
११.	दंगा	१६
१२.	शान्तिभंग	१३
१३.	धोखाधड़ी	४४
१४ .	जालसाजी	०७
१५.	अन्य	५०६
	योग –	८७०

(३) कारागारों का कार्मिक ढाँचा एवं वर्तमान स्थिति :

कारागारों की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य अपराधियों से समाज की सुरक्षा करना, अपराधियों की मानसिकता एवं मनोवृत्ति में समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल सुधार करना और उन्हें पुनर्वासन के लिये तैयार कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही है। इसी आशय से प्रदेश के कारागार विभाग की कुछ प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की गयी है जिनमें आदर्श कारागार लखनऊ, शिविर, केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, उपकारागार, किशोर सदन बरेली, नारी बन्दी निकेतन लखनऊ, सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, जेल डिपो अमीनाबाद, लखनऊ प्रमुख हैं। इनकी संख्या लगभग ६२ है जिनमें जिलाकारागारों की संख्या ५५ है।

शासन स्तर पर कारागार विभाग का कार्य गृह विभाग के अन्तर्गत है। विभाग का अध्यक्ष कारागार महानिरीक्षक होता है। इनकी सहायता हेतु मुख्यालय पर २ अपर कारागार महानिरीक्षक, एक उप कारागार महानिरीक्षक, एक कारागार उद्योग निदेशक, एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, एक सहायक लेखाधिकारी, एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता, एक सहायक निदेशक एवं अन्य तकनीकी और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कार्यरत है।

कारागार प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कारागार विभाग को ६ परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है जैसे आगरा, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ। बन्दी रक्षक सम्वर्ग एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों एवं इस संवर्ग के कर्मचारियों की प्रशासनिक व्यवस्था देखने के उद्देश्य से कारागारों को १६ मण्डलों में विभक्त किया गया है – आगरा कारागार मण्डल, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, झाँसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, चित्रकूट, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा मण्डल एवं गोरखपुर कारागार मण्डल।

प्रत्येक मण्डल की अधीनस्थ कारागारों के बन्दी रक्षकों /चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थापना नियंत्रण का कार्य सम्बन्धित केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार के अधीक्षक श्रेणी १ द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मण्डल के अन्तर्गत बन्दी रक्षकों की तैनाती सम्बन्धित मण्डल की अधीनस्थ जेलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती हे। कारागार का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अधीक्षक होता है। उप कारागार का यह दायित्व वहाँ के परगना अधिकारी को सौंपा गया है। अन्य सभी कारागारों में विभागीय अधिकारी पूर्ण कालिक अधीक्षक होते हैं। उनकी सहायता हेतु अपर अधीक्षक, उप अधीक्षक, कारापाल, उप कारापाल, बंदीरक्षक, शैक्षिक, प्राविधिक तथा लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी होते हैं।

उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार विभाग के बन्दीरक्षक, उप कारापालों, अपर अधीक्षकों, जिला कारागार अधीक्षकों के स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष १९४० से सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ कार्यरत हैं। यहाँ बन्दी रक्षकों को ४ मासीय अवर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम तथा उच्चतर अधिकारियों को नौ मासीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कारागार प्रबन्ध तथा सुधार कार्य में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदत्त किया जाता है।

(४) **कारागार पर उपलब्ध कर्मचारी :**

कारागार का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कारागार अधीक्षक होता है, जिसके सहयोग के लिये कारापाल, उप कारापाल होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था आदि की देखभाल बन्दीरक्षकों व प्रधान बन्दी रक्षकों के द्वारा की जाती है। कार्यालय आदि में कार्य हेतु मंत्रालयिक कर्मचारी होते हैं। जिला कारागार झाँसी पर एक अधीक्षक के अतिरिक्त दो कारापाल एवं ४ उप कारापाल के पद हैं। ६ प्रधान बन्दी रक्षक, ५५ बंदीरक्षक, ४ महिला बन्दी रक्षक, १७ रिजर्व बन्दी रक्षक तथा लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी एवं अन्य चतुर्थ श्रेणी के कुल ११० स्वीकृत पद हैं। जिला कारागार, झाँसी में २ कारापालों के पदों में से १ अथवा ५५ बन्दी रक्षकों में से ४ बन्दी रक्षकों के पद रिक्त हैं। कारागार में बन्दियों की

चिकित्सा व्यवस्था की देखभाल हेतु एक चिकित्सा अधिकारी एवम् दो फार्मेसिस्ट भी उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त बन्दियों को अम्बर चर्खे आदि में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक भी उपलब्ध हैं। कारागार कर्मचारियों की संख्या में विगत साठ–सत्तर वर्षो में हुई वृद्धि नगण्य है जबकि दण्ड प्रक्रिया एवं न्याय प्रशासन की श्रृंखला की अन्य कड़ियाँ अर्थात पुलिस एवं न्यायपालिका विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, साथ–ही–साथ जनसंख्या बढ़ने के साथ–साथ अपराध एवम् अपराधियों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है।

विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों से हुई वार्ता के दौरान यह स्थिति आयी कि कर्मचारियों द्वारा विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों की अत्यधिक कमी बतायी गयी। यथा वर्तमान में एक बन्दीरक्षक के प्रभारी में लगभग १०० से १२० बन्दी तक होते हैं। उन पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखना एक कर्मचारी के लिए सम्भव नहीं है। अतः एक बैरिक पर एक समय में कम–से–कम तीन बन्दीरक्षकों की तैनाती आवश्यक है, तद्नुसार बन्दीरक्षकों की संख्या में वृद्धि अपेक्षित है।

चिकित्सकीय स्टाफ में भी मात्र एक चिकित्साधिकारी व दो फार्मेसिस्ट हैं जबकि बन्दियों की विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं को देखते हुए एक पूर्णकालिक अथवा कम से कम एक अंशकालिक

मनोचिकित्सक की आवश्यकता महसूस की गयी। इसी प्रकार आकस्मिकता एवं रात्रि में बन्दियों की छोटी –मोटी चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नर्सिंग अर्दली की भी अत्यधिक आवश्यकता है जो कि लम्बी सजा प्राप्त बन्दियों में से ही हो सकती है। क्योंकि जिला कारागार में बहुत अधिक संख्या में विचाराधीन बन्दी निरूद्ध रहते हैं, अतः उनकी कानूनी समस्याओं के निराकरण एवं कारागार से उनको सही विधिक सहायता के लिए विधि अधिकारी का होना भी अपेक्षित है।

(५) विभिन्न कारागार सुधार समितियों की रिपोर्ट्स :

कारागार में निरूद्ध कैदियों के प्रति दण्डात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समय समय पर विभिन्न समितियों ने अपनी आख्याएं प्रस्तुत की हैं। भारतवर्ष में बन्दीगृह का सुधार का कार्य १६वी. सदी में प्रारम्भ हुआ। सन १८३५ में लार्ड मैकाले ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। सन् १८३६ में भारतीय कारागार समिति का गठन किया गया जिसने सन् १८३८ में अपने प्रतिवेदन में जेल सुधार के लिये कई सुझाव दिये। इसने कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनुशासन हीनता का उल्लेख किया गया तथा केन्द्रीय कारागार स्थापित करने पर बल दिया जिसके फलस्वरूप १८४८ में आगरा में प्रथम केन्द्रीय कारागार स्थापित किया गया। इसके पश्चात सन् १८६४ में दूसरी बन्दीगृह सुधार समिति गठित की गयी जिसके

सुझाावों को क्रियात्मक रूप देने के लिये सन् १८७० में सरकार ने कारागार अधिनियम पारित किया जिसमें कारागार अधीक्षक, जेलर, डॉक्टर एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, अनुशासन, श्रम, दण्ड तथा व्यय आदि के नियमों का उल्लेख किया गया। इस अधिनियम में पुरूष एवं महिला, वयस्क एवं बाल अपराधियों, दीवानी एवं फौजदारी से सम्बन्धित अपराधियों को एक साथ न रखकर पृथक रखने की सिफारिश की गयी थी।

इसके पश्चात सन् १८७७ में तीसरी, १८८६ में चौथी, १८६२ में पाँचवीं कारागार समितियों का गठन किया गया। सन् १६२० में अलेक्जेण्डर कारड्यू की अध्यक्षता में भारतीय बन्दीगृह समिति की नियुक्ति की गयी। इस समिति ने जेल की दण्ड व्यवस्था को या जेल के 'दण्ड स्थल' को 'सुधार स्थल' में बदलने का सुझाव दिया। समिति ने अपराधियों का वर्गीकरण करने एवं पृथक्करण करने के सुझाव दिये साथ ही दण्ड की अवधि कम करने, अपराधियों को मित्रों एवं रिश्तेदारों से मिलने देने, उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने, नैतिक एवं धार्मिक उपदेशों की व्यवस्था करने, आर्थिक सहायता देने, परिवीक्षा आदि विभिन्न पक्षों पर अपने अमूल्य सुझाव दिये। इसी वर्ष कारागार विभाग प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया गया। कई प्रान्तीय सरकारों ने भी जेल सुधार समितियाँ गठित कीं। सन् १६४६ में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कारागार सुधार समिति, सन् १६६२ में राजस्थान में कारागार

सुधार समिति तथा सन् १९७२ में बिहार में कारागृह सुधार समिति गठित की गयी।

सन् १९५१ में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेषज्ञ डॉक्टर वाल्टर रेकलेस ने जेल सुधार सम्बन्धी कई सुझाव प्रस्तुत किये जिनकी सिफारिश पर कारागार अधिनियम में सुधार लाने हेतु समिति का गठन किया गया। जिसने सन् १९५६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, सन् १९६१ में भारतीय सामाजिक प्रतिरक्षा ब्यूरो की स्थापना भी की गयी। भारत सरकार ने सन् १९८० में जेल प्रशासन में सुधार, वर्तमान कानूनों का परीक्षण एवं कैदियों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं प्रदत्त करने के उद्देश्य से न्यायाधीश ए. एन. मुल्ला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसमें कुल ६ सदस्य थे जिसने सन् १९८४ में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कारागारों की स्थितियों का गहराई से मूल्यांकन कर अमूल्य सुझाव भी प्रस्तुत किये।

(६) <u>न्यायालयों की स्थिति :</u>

जैसा कि न्यायालय शब्द से ही स्पष्ट होता है कि न्यायालय = न्याय का आलय (घर)। अतः न्यायालय का आशय एक ऐसे स्थल या घर से है जहाँ विभिन्न वादों के संदर्भ में वादी एवं प्रतिवादी को सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा न्याय प्रदत्त किया जाय। प्राचीनकाल में यह

कार्य क्षेत्र विशेष के राजागणों द्वारा किया जाता था। जिनकी मदद के लिये कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति रहते थे जो स्वविवेक से सत्य का उद्घाटन करते थे धीरे–धीरे यह पंचपरमेश्वर के नाम से सम्बोधित किये गये। इस समय के नियम एवं कानून समाज विशेष की प्रथाएं एवं परम्पराएं ही थीं जिनका उल्लंघन करने पर सर्वसम्मति से दण्ड का भी निर्धारण किया जाता था। धीरे–धीरे यह न्याय व्यवस्था जाति पंचायतों के रूप में परिवर्तित कर दी गयी जो क्रमशः ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, लोक अदालत एवं सरकारी न्यायालयों का स्वरूप ग्रहण करती चली गयी। आज तहसील, जनपद, मण्डल स्तर से लेकर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय इस दिशा में अपनी अहं भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं।

न्यायालय न्याय करने के साथ–साथ इस तथ्य पर भी विचार करता है कि अपराधी को कब, कितना और क्यों दण्ड दिया जाय। ऐसा करते समय अपराध के समय की परिस्थिति, अपराधी का अपराध विशेष करने के प्रति उद्देश्य, उसकी प्रतिष्ठा, आयु एवं सामर्थ्य को भी कानूनी दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है। दण्ड का भय व्यक्ति को समाज में अपराध करने की पुनरावृत्ति रोकने में एक सबल साधन है। यदि समाज में अपराध करने पर अपराधी को दण्ड की सजा न दी जाये तो समाज की व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जाएगी और प्रायः अधिकांश लोग उच्छृंखल हो जायेंगे। फलतः समाज का जो स्वरूप

आज हमारे सम्मुख विद्यमान है वह समाप्तप्राय हो जायेगा। न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश, वादी एंव प्रतिवादी की ओर से तैनात अधिवक्ताओं की वैध एवं कानून सम्मत प्रस्तुत साक्ष्यों, तर्कों एवं सम्बन्धित गवाहों द्वारा प्रदत्त बयानों के आधार पर वस्तुनिष्ठ स्थिति में रहकर निर्णय प्रदान करता है। इस प्रकार न्यायाधीश का कार्य केवल दोषी व्यक्ति को नियमों एवं कानून के आधार पर दण्ड देना मात्र नहीं है बल्कि कानून एवं सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं व परम्पराओं आदि की रक्षा करते हुए ऐसे निर्णय भी देना है जो मानवीय दृष्टिकोण के अप्रतिम आदर्श हों। इसी आधार पर उन सभी स्थितियों का गहन परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाता है। जिससे दोषियों को सजा मिले एवं निर्दोष व्यक्ति दण्डमुक्त हो सकें। (सरला दुबे, १९८५)

अतः यह कहा जा सकता है कि न्यायालय, अपराध निरोध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में न्यायालय तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद आदि के कारण न्यायालय की प्रतिष्ठा दूषित होने लगी है फिर भी आम जनता आज भी अत्याचार एवं उत्पीड़न से मुक्ति पाने हेतु न्यायालय की शरण में आती है और दिये गये निर्णयों पर विश्वास करती है।

इस संदर्भ में श्री पी. एन. भगवती मुख्य न्यायाधीश पटना ने ८ फरवरी १९८६ को स्पष्ट किया था कि – "देश की न्याय व्यवस्था

त्रुटिपूर्ण हो गयी हैं न्याय में विलम्ब एवं इसके खर्चीले होने के कारण इसकी साख भी प्रभावित हुयी हैं। न्याय के खर्चीले तथा इसमें देरी होने से न्याय व्यवस्था के प्रति आम लोगों की आस्था घटती जा रही है, जो घातक है। निचली अदालतों की दशा सुधारना बहुत जरूरी है क्योंकि वे न्याय व्यवस्था के आधार हैं और जब आधार ही लड़खड़ा जायेगा तो पूरा ढाँचा कैसे सुरक्षित रह सकता है'' ।

(७) **लम्बित वादों की संख्या :**

प्रसिद्ध लेखक अरूण शौरी ने अपने सम्पादकीय लेख 'नजरिया' में स्पष्ट किया है कि 'मेरे पिताजी ने जब याचिका तैयार कर दायर की थी तब वह ७४ वर्ष के थे आज वह ८० वर्ष से ऊपर के हैं उस समय देशभर की अदालतों में तकरीबन एक करोड़ मुकद्मे लम्बित थे आज इनकी संख्या डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा है। लम्बित मुकद्मों की संख्या कम करने की कोशिश करने वाली याचिका भी लम्बित मुकद्मों की श्रेणी में शामिल हो गयी है' (अमर उजाला १९९२)।

अतः सम्पूर्ण देश के सभी न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या एवं प्रतिवर्ष निर्णीत वादों की संख्या की जानकारी देना अत्यन्त कठिन है

उच्च न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या का निरन्तर बढ़ना एक चिन्ता का विषय है। न्यायालयों की इस उदासीन एवं जटिल प्रक्रिया से विचाराधीन बन्दियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिये जिस पद्धतिशास्त्र का प्रयोग किया गया है उसके विशिष्ट पक्षों का एवं आवश्यक प्रत्ययों का विवरण अग्रिम अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके आधार पर समग्र में से ३०० विचाराधीन बन्दियों का प्रतिचयन कर उनसे आवश्यक तथ्य एकत्र किये गये हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

१. झाँसी : भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एंव सांस्कृतिक परिशीलन, जिला सूचना एवं सम्पर्क कार्यालय, जिला ग्राम्य अभिकरण झाँसी २००५.

२. क्राइम इन इण्डिया २००५ : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो : भारत सरकार, नई दिल्ली।

३. कारागार विभाग के कार्यो का प्रतिवेदन : १६६१ : उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

४. गृह कारागार विभाग की वार्षिक प्रशासन व प्रबन्ध रिपोर्ट : १६८५, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

५. अखिल भारतीय जेल सुधार समिति रिपोर्ट (१६८०–१६८३)।

६. दुबे सरला – अपराधशास्त्र एवं अपराध का समाजशास्त्र सरल प्रकाशन बरेली – १६८५.

अध्याय-३

पद्धति शास्त्र

पद्धति शास्त्र

किसी भी अनुसंधान की सफलता का आधार उसमें प्रयुक्त उपयुक्त पद्यति शास्त्र है। एक अनुसंधानकर्ता को समस्या निरूपण से लेकर सामान्यीकरण तक एक निश्चित, विशिष्ट एवं विज्ञानसम्मत अध्ययन योजना के सहारे अग्रसर होना पड़ता है। समस्या–निरूपण, अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन, अध्ययन–इकाईयों का चुनाव, चुनाव के पश्चात् प्रतिचयित अध्ययन ईकाईयों से वांछित सूचनाओं, तथ्यों एवं समंकों की प्राप्ति, समकों को बोधगम्य बनाने के लिए सारणीयन एवं विश्लेषण आदि बिन्दु वे आधार हैं जिन पर समस्त अनुसंधान आधारित होता है।

अध्ययन का समग्र :

इस अध्ययन का समग्र कारागार है। कारागार व्यवस्था, पुलिस व न्यायालय ही की भाँति आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न व समन्वित अंग है। उत्तर प्रदेश में कारागार इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतीय कारागार प्रणाली। प्रदेश की वर्तमान कारागार प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य न केवल कारागारों में अपराधी व असामाजिक तत्वों को समाज से पृथक कर कारागार की ऊँची चहारदीवारियों में सुरक्षित रखरखाव है, अपितु उनके व्यक्तित्व को परिमार्जित कर इसे योग्य बनाना है कि वह सजोपरान्त समाज की मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक धारा से जुड़ सकें तथा अपना स्वावलम्बी सामाजिक–आर्थिक जीवनयापन कर सकें और अपराध पथ पर पुनः अग्रसर न हों। फलतः कारागारों में अपराधियों के सुधार व पुनर्वासन हेतु संचालित

व्यवहार संशोधन की तकनीकें, मनोपचार विधायें, समाजीकरण की प्रक्रियायें, साक्षरता व शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण व उद्यम एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलाप आदि मानव विकास संसाधन व समाज कल्याण जैसे विकास कार्यों से सम्बद्ध हैं।

अध्ययन का क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का अध्ययन क्षेत्र जिला कारागार, झाँसी है। इस कारागार की औपचारिक क्षमता ३८६ बन्दियों की है। वर्ष २००५ के अन्त तक कुल ७७७ बन्दी कारागार में शेष थे, जिसमें ७२१ विचाराधीन बन्दी थे।

अध्ययन की इकाई तय करने का उद्देश्य :

जिला कारागार, झाँसी को अध्ययन के लिये चुने जाने के निम्न कारण हैं –

१. वर्तमान दण्ड व्यवस्था के सुधारात्मक उपायों में कारागार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, परन्तु क्या कारागार इस भूमिका का निर्वहन भली–भाँति कर रहे हैं?
२. उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अपराधग्रस्त जिलों में से झाँसी को भी एक स्थान प्राप्त है। (क्राइम इन इण्डिया, २००५)
३. झाँसी का जिला कारागार प्रथम श्रेणी का कारागार है। यहाँ लगभग ७०० विचाराधीन बन्दी हमेशा निरूद्ध रहते हैं।
४. अपराध शास्त्र के अन्तर्गत विचाराधीन बन्दी अध्ययन के दृष्टिकोण से उपेक्षित रहे हैं। सिद्धदोष बन्दी, मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित बन्दी, महिला सिद्धदोष बन्दी एवं बाल अपराधी तथा बन्दियों पर एक ओर जहाँ अनेकों समाजशास्त्रियों, अपराध शास्त्रियों ने कार्य किया वहीं

विचाराधीन बन्दियों पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः निम्नलिखित प्रश्नों के हल खोजने पर आधृत है –

१. विचाराधीन बन्दी के रूप में कारागार में बिताये गये समय के लिये कौन उत्तरदायी है तथा इसकी क्षतिपूर्ति कौन एवं कैसे करेगा?

२. जेल जीवन में रहने के कारण विचाराधीन बन्दी के मन, मस्तिष्क एवं शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की प्रकृति कैसी है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा। साथ ही इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी?

३. विचाराधीन बन्दियों के निरूद्ध होने के कारण राज्य के ऊपर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक भार के लिए कौन उत्तरदायी है एवं इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जायेगी?

४. दोषमुक्त होने की स्थिति में विचाराधीन बन्दी को पुनः अपने पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में जाने एवं समायोजित होने में किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका निदान कैसे सम्भव है?

५. विचाराधीन बन्दियों के कारागार में निरूद्ध होने से उनके परिवारजनों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि की प्रतिष्ठा पर जो आँच आती है उसका जिम्मेदार कौन है तथा इसकी क्षतिपूर्ति कैसे सम्भव है?

प्रयुक्त प्राक्कल्पना :

प्रस्तुत अध्ययन प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्राक्कलपण के सत्यापन (जाँच) पर आधृत है –

"अशिक्षित, निर्धन व विखण्डित परिवारों के ग्रामीणजन क्षेत्र विशेष के सबल (प्रतिष्ठित) व्यक्तियों एवं पुलिस के उपेक्षित दृष्टिकोण के कारण निर्दोष होते हुए भी कारागार में निरूद्ध कर दिये जाते हैं जहाँ सिद्धदोष बन्दियों के साथ रहते हुए एवं जेल जीवन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण या तो अपराधी हो जाते हैं या पुनः पूर्व की तरह अपने पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते हैं परिणामतः अनेक यातनाओं का शिकार हो जाते हैं।"

शोध प्ररचना :

सामाजिक शोध एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने तथा इसे सही दिशा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित प्रारूप का निर्माण करना अत्यधिक आवश्यक होता है। यह प्रारूप सदैव शोध से सम्बद्ध समस्या की प्रकृति, उद्देश्यों एवं परिकल्पना के अनुरूप होता है। इस दृष्टिकोण से शोध प्रारूप एक ऐसी प्ररचना अथवा रूपरेखा है जो न केवल अध्ययन को व्यवस्थित बनाकर उसे सही दिशा प्रदान करती है (गुडे और हाट, १९५२) वरन् प्रस्तावित अध्ययन के उद्देश्यों को तथा उसके परिकल्पनाओं का ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन की शोध प्ररचना एक अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित प्रयोगसिद्ध अध्ययन है। शोध प्ररचना,

अन्वेषण पर आधारित है। जिसमें विचाराधीन बन्दियों के विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामाजिक तथा अन्य कारणों को जानने का एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। जिनके अन्तर्गत विभिन्न विचाराधीन बन्दियों ने अपराध किये या करने के प्रयास किये। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित साहित्य पर पुनर्विचार किया गया।

(१) उचित निर्देशन के द्वारा उत्तरदाताओं का चयन किया गया तथा
(२) समस्या से सम्बन्धित विभिन्न लोगों से मिलकर उनके विचार जानने के प्रयास किये गये।
(३) प्रश्नावली के माध्यम से उपयुक्त प्रश्नों द्वारा उत्तरदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन की पद्धतिशास्त्र को तीन भागों में विभक्त किया गया– (१) वर्तमान अध्ययन हेतु एक सैद्धान्तिक उप कल्पना का विकास किया गया। (२) यह अध्ययन विभिन्न चरों के अध्ययन, उनके प्रभावों एवं उनके आंकलन से सम्बन्धित है तथा (३) अन्तिम भाग तथ्य संग्रहण की प्रविधियों एवं निर्देशन के चुनाव पद्धतियों से सम्बन्धित है। इस शोध प्रबन्ध में विचाराधीन बन्दियों पर कारावास में पड़ने वाले प्रभावों के वर्णन के साथ–साथ इसके सम्बन्ध में सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेगें।

निदर्शन :

निदर्शन एक ऐसी पद्धति होती है जिसके द्वारा हम समस्त इकाईयों में से कुछ इकाईयों का चयन अनेक स्वीकृत कार्यविधियों की सहायता से इस प्रकार करते हैं जिसमें चुनी गयी इकाईयाँ सम्पूर्ण समग्र की

विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। जूडे तथा हाट ने निदर्शन को किसी विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि माना है (जूडे तथा हाट, १९५२)। प्रस्तुत अध्ययन का समग्र झाँसी का जिला कारागार है, जिसमें वर्ष २००५ के अन्त में ७२१ विचाराधीन बन्दी हैं। इनमें से ३४३ व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर गम्भीर प्रकृति के अपराध करने का आरोप है तथा इनको बन्दी के रूप में रहते हुए कम से कम तीन माह हो चुके हैं। अध्ययनकर्ती द्वारा इन्हीं ३४३ विचाराधीन बन्दियों में से निदर्शन द्वारा ३०० नाम ले लिये गये। इनका चुनाव लॉटरी प्रणाली से किया गया, चूंकि दैव निदर्शन प्रणाली में पक्षपात की सम्भावना नहीं रहती। अतः इसका चयन किया गया।

तथ्य संकलन की प्रविधि :

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दानों प्रकार के तथ्यों को प्रयोग में लाया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिये विचाराधीन बन्दियों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार के लिये साक्षात्कार–अनुसूची का सहारा लिया गया। उपकल्पना के समस्त बिन्दुओं को साक्षात्कार अनुसूची में समाहित करने के लिये विचाराधीन बन्दियों में से २५ बन्दियों के साथ प्रारम्भिक साक्षात्कार किये गये। साक्षात्कार अनुसूची का अन्तिम स्वरूप शोध प्रबन्ध के अन्त में परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

साक्षात्कार से यह भी लाभ हुआ कि लगभग प्रत्येक उत्तरदाता से कुछ नये तथ्य भी मालूम हुए जो कि अनुसूची में आ नहीं पाये थे। उपकल्पना की जाँच करने के लिये उत्तरदाताओं से उनके कारावास के दौरान जेल प्रशासन के उनके साथ व्यवहार के सम्बन्ध से प्रश्न पूछे गये। यह

भी जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी है या नहीं। जेल से रिहा होने के पश्चात् पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में भी जानकारी की गयी। कुछ सामान्य प्रश्न भी थे। उदाहरणतः उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी जाति एवं धर्म, उनके आय का स्तर, शिक्षा का स्तर इत्यादि। यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन मूलतः प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है, फिर भी द्वितीयक तथ्यों का संग्रहण महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों को कारागार में उपलब्ध विभिन्न अभिलेखों, रिपोर्ट्स, पुस्तकालयों में उपलब्ध विभिन्न सम्बन्धित कृतियों, पत्र पत्रिकाओं, जनगणना विभाग से प्राप्त सूचनाओं, न्यायालय से प्राप्त अभिलेखों आदि के आधार पर संग्रह किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ :

प्रस्तुत शोध में यद्यपि शोधकर्ता ने इस बात का ध्यान रखा है कि वास्तविक तथ्यों का संग्रहण हो सके, परन्तु यह सर्वविदित है कि प्रत्येक शोध–प्रबन्ध में कुछ कमियों की सम्भावनाएँ हमेशा रहती हैं, इस शोध–प्रबन्ध में भी निम्न कमियाँ हैं –

१. किसी भी विचाराधीन बन्दी से कुछ भी सूचनाएँ प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसका प्रमुख कारण था कि उनके वाद न्यायालय में विचाराधीन थे। फलतः उनको यह आशंका रहती थी कि उनके द्वारा दी गई सूचना से उनके वाद प्रभावित होंगे।

२. कुछ बन्दियों के जमानत पर रिहा हो जाने के कारण उनसे पूरी सूचना नहीं मिल पायी।

३. उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि के लिये कोई अन्य माध्यम नहीं था।

सन्दर्भ ग्रन्थ

१. सैल्टिज़ : सी०एम०एव० जहोढ़ा एम०डी (१६६५) रिसर्च मैथे इज़ इन सोशल रिलेशन्स। यू०एस०

२. चैंपिन स्टुअर्ट (१६४७) : एक्सपेरीमेंटल डिजाइन्स इन सोसियोजोलिकल रिसर्च, न्यूयार्क।

३. यंग पी०वी० (१६४६) : साईन्टिफिक सोशल सर्वेस एण्ड रिसर्च, न्यूयार्क।

४. मुड, डब्लू०जी० एवं हाट पी०के० (१६५२) : मैथड्स इन सोशल रिसर्च, न्यूयार्क।

५. उत्तर प्रदेश सरकार : कारागार विभाग के कार्यों का प्रतिवेदन १६६४–६५।

६. क्राइम इन इण्डिया : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो २००५।

अध्याय-४

विचाराधीन बन्दियों का वर्गीकरण

विचाराधीन बन्दियों का वर्गीकरण

प्रस्तुत अध्याय मूलतः प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों की परिचयात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर किये गये वर्गीकरण से सम्बन्धित है। अध्ययन को बोधगम्य बनाने हेतु अपराधियों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है – व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रकृति (पारिवारिक प्रकृति) के आधार पर, कारागार में व्यतीत किये गये समय के आधार पर एवं अपराध की प्रकृति के आधार पर। जिनका विवरण निम्नलिखित है –

(१) बन्दियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रकृति :

कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने हेतु कतिपय चरों को आधार माना गया है जैसे लिंग, जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति, विवाह की अवधि, बच्चों की संख्या, पारिवारिक स्थिति, परिवारजनों की संख्या, आवासीय स्थिति, शैक्षिक योग्यता, परिवारजनों की शैक्षिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति आदि प्रमुख हैं। प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बन्दियों से अनुसूची के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त की गयीं , जिनका विवरण निम्नांकित है –

१. **लिंग** - समस्त सूचनादाता पुरूष वर्ग के हैं इनमें कोई भी महिला विचाराधीन बन्दी नहीं है।

२. **धर्म-** जनसंख्या की दृष्टि से राष्ट्र, राज्य एवं जनपद में हिन्दू धर्मावलम्बियों की संख्या सर्वाधिक है लेकिन विचाराधीन बन्दियों की
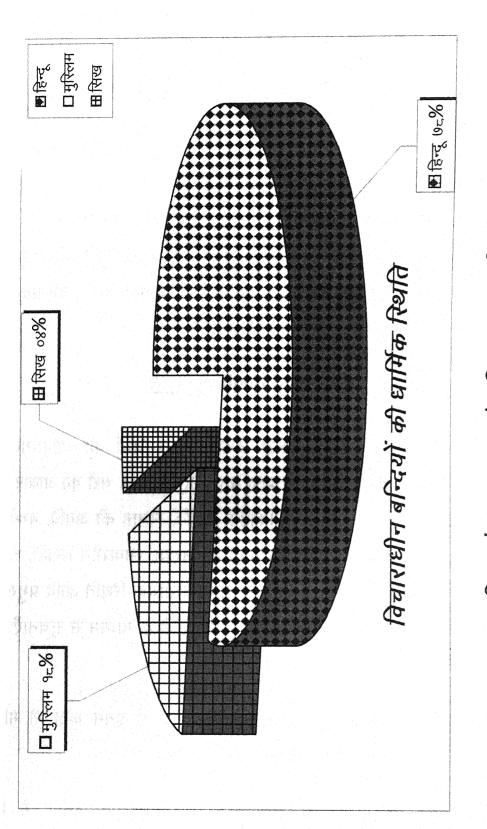
तालिका संख्या - ४.१ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

स्थिति के विषय में जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें तालिका सं० ४.१ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.१

विचाराधीन बन्दियों की धार्मिक स्थिति

क्र० सं०	धर्म का नाम	कुल संख्या	प्रतिशत
१.	हिन्दू	२३४	७८%
२.	मुस्लिम	५४	१८%
३.	सिख	१२	०४%
	योग–	३००	१००%

तालिका संख्या ४.१ के अवलोकन से विदित होता है कि विचाराधीन ३०० बन्दियों में सबसे अधिक ७८ प्रतिशत हिन्दू तथा १८ प्रतिशत इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। मात्र ०४ प्रतिशत सिख धर्मावलम्बी हैं। अतः हिन्दू अधिक हैं।

३. जाति - यह अनुमान लगाना कठिन है कि किस जाति के व्यक्ति अधिक अपराध करते हैं अतः इस जटिलता को स्पष्ट करने के लिये सूचनादाताओं से उनकी जातीय स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी जो तालिका सं० ४.२ में अंकित है –

तालिका संख्या - ४.२

विचाराधीन बन्दियों की जातीय स्थिति

क्र० सं०	जातीय समूह	जातीय प्रस्थिति	सूचनादाता	प्रतिशत
१.	हिन्दू	उच्च जाति	१३८	४६%
		पिछड़ी जाति	७२	२४%
		निम्न जाति	२४	०८%
२.	मुस्लिम	राजपूत	०६	०२%
		पठान	१८	०६%
		मेवाती	१८	०६%
		शेख अव्वाली	१२	०४%
३.	सिख	सरदार	०६	०२%
		पंजाबी	०६	०२%
		योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ४.२ से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन बन्दियों में उच्च जाति के व्यक्ति अधिक हैं। उसमें भी क्षत्रिय एवं ब्राह्मण। इसके पश्चात् पिछड़ी जाति के व्यक्ति आते हैं जिनका प्रतिशत २४ है शेष में निम्न जाति के लोग हैं जिनकी संख्या २४ है। मुस्लिम जातीय समूह में पठान एवं मेवाती लोग ही अधिक माने जायेंगे जिन दोनों का प्रतिशत ६ है।

४. आयु - आयु ज्ञात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आखिर में ये अपराधी किस स्तर के हैं अर्थात युवा, प्रौढ़ या वृद्ध हैं। अतः विचाराधीन बन्दियों से
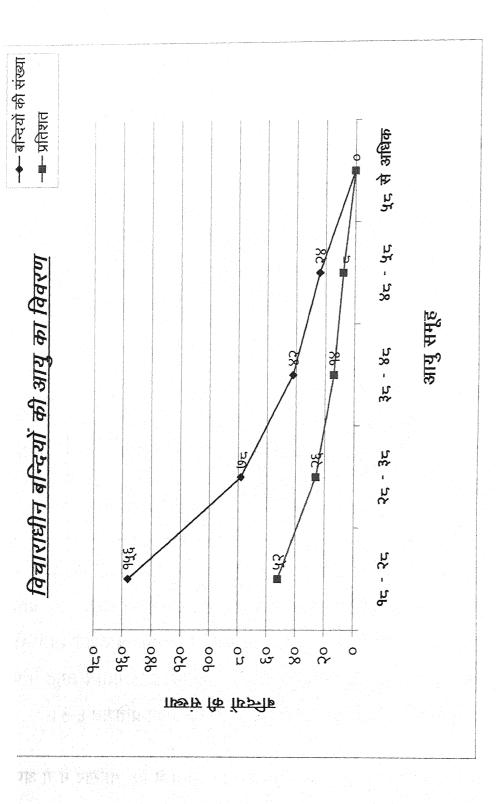
तालिका संख्या - ४.३ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

उनकी आयु सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गयी जिसे आयु समूह के अनुसार तालिका सं० ४.३ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ४.३

विचाराधीन बन्दियों की आयु का विवरण

क्र० सं०	आयु समूह	बन्दियों की संख्या	प्रतिशत
१.	१८ – २८	१५६	५२%
२.	२८ – ३८	७८	२६%
३.	३८ – ४८	४२	१४%
४.	४८ – ५८	२४	०८%
५.	५८ से अधिक	००	००%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ४.३ का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ५२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी युवक ही हैं, २६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी अधेड़ उम्र के गृहस्थ प्रतीत होते हैं जबकि ३८ वर्ष की आयु सीमा में आने वाले विचाराधीन बन्दी मात्र १४ प्रतिशत ही हैं, वृद्ध बन्दियों का प्रतिशत आठ है और ५८ वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी विचाराधीन बन्दी कारागार में निरूद्ध नहीं किया गया है। अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी युवावस्था के ही हैं।

५. वैवाहिक स्थिति - आमतौर पर यह कहा जाता है कि यदि युवक का विवाह कर दिया जाय तो गृहस्थी के उत्तरदायित्व के कारण वह अपराध जगत की ओर आकर्षित नहीं होता है किन्तु यह मान्यता भी है कि गृहस्थी का भार न वहन कर पाने के कारण भी प्रायः व्यक्ति अपराधी तरीकों से धनार्जन करने में विश्वास रखते हैं अतः व्यक्ति के अपराधी जीवन एवं गृहस्थ जीवन के सहसम्बन्ध का जानने की दृष्टि से प्रतिचयित उत्तरदाताओं से उनकी वैवाहिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। इस सन्दर्भ में जो सूचनाएँ प्राप्त हुयीं उन्हें अवलोकन हेतु तालिका सं० ४.४ में रखा गया है–

तालिका संख्या - ४.४

विचाराधीन बन्दियों की वैवाहिक स्थिति

क्र० सं०	वैवाहिक स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	विवाहित	१६८	५६%
२.	अविवाहित	११४	३८%
३.	विधुर	१८	०६%
४.	तलाकशुदा	००	००%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ४.४ से विदित है कि कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों में ५६ प्रतिशत विवाहित हैं और ३८ प्रतिशत अविवाहित हैं, शेष मात्र ०६ प्रतिशत बन्दी ऐसे हैं जो अपना जीवनसाथी खो चुके हैं एवं कोई भी बन्दी तलाकशुदा नहीं हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अविवाहित व्यक्तियों की तुलना में विवाहित कैदियों की संख्या अधिक है।
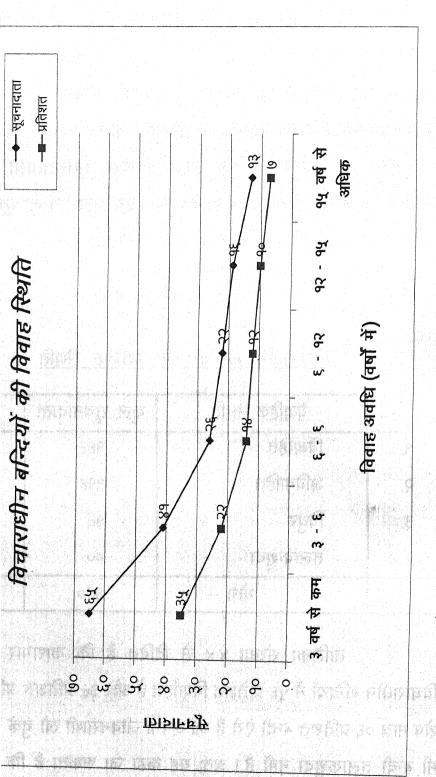
तालिका संख्या - ४.५ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

६. विवाह की अवधि - जिन विचाराधीन बन्दियों ने यह स्पष्ट किया कि उनका विवाह हो चुका है तो उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि विवाह हुए कितने वर्ष हो गये। इनमें कुल १८६ विवाहित हैं (विधुर सहित) विचाराधीन बन्दियों में ३५ प्रतिशत बन्दी यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी शादी ३ वर्ष के अन्तराल में ही हुई है जबकि २२ प्रतिशत सूचनादाता यह अवधि ३–६ वर्ष बताते हैं। विवाहित सूचनादाताओं में १४ प्रतिशत के विवाह की अवधि ६–९ वर्ष के मध्य है जबकि १२ प्रतिशत ९–१२ वर्ष की समयावधि के हैं। शेष १७ प्रतिशत १२ वर्ष से अधिक समयान्तराल से शादीशुदा हैं। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी (जो विवाहित हैं) नवविवाहित ही हैं इन आँकड़ों को तालिका संख्या ४.५ में अवलोकन हेतु दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ४.५

<u>विचाराधीन बन्दियों की विवाह स्थिति</u>

क्र० सं०	विवाह अवधि (वर्षो में)	सूचनादाता	प्रतिशत
१.	३ वर्ष से कम	६५	३५%
२.	३–६ वर्ष	४१	२२%
३.	६–९ वर्ष	२६	१४%
४.	९–१२ वर्ष	२२	१२%
५.	१२–१५ वर्ष	१९	१०%
६.	१५ वर्ष से अधिक	१३	०७%
	योग –	१८६	१००%

७. **विवाहित कैदियों के बच्चों की संख्या** - विचाराधीन बन्दियों की सबसे खराब हालत उस समय होती है जब उनके छोटे–छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उन बच्चों की देख–रेख समुचित तरीके से नहीं हो पाती है, साथ ही उनके कोमल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है और उनके भी अपराधी बनने की सम्भावनाएं उत्पन्न हो जाया करती हैं। अतः इस तथ्य को जानने के लिये विवाहित सूचनादाताओं से पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं, इस सन्दर्भ में जो भी सूचनाएं मिलीं उन्हें तालिका सं० ४.६ में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका संख्या - ४.६

विचाराधीन विवाहित बन्दियों के बच्चों की संख्या का विवरण

क्र० सं०	बच्चों की सख्या	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	निःसन्तान	०७	०४%
२.	१ – २ बच्चे	७५	४०%
३.	२ – ४ बच्चे	५६	३०%
४.	४ – ६ बच्चे	३३	१८%
५.	६ – ८ बच्चे	१५	०८%
६.	८ से अधिक	००	००%
	योग –	१८६	१००%

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ७ बन्दी ऐसे हैं जिनके कोई सन्तान नहीं हैं, ४० प्रतिशत विचाराधीन कैदी राष्ट्रीय जनसंख्या लक्ष्य के अन्दर ही हैं क्योंकि उनके दो सन्तानें तक ही हैं। ३० प्रतिशत बन्दियों के २–४ बच्चे हैं १८ प्रतिशत बन्दियों के ४–६ तक बच्चों की संख्या है। ज्ञातव्य हो कि आठ से अधिक बच्चे किसी के नहीं हैं अतः स्पष्ट है कि अधिकांश कैदियां के १–४ बच्चे ही हैं। अधिक बच्चे वाले व्यक्ति आपराधिक कृत्यों की ओर कम आकर्षित होते हैं।

८. **पारिवारिक स्थिति** – प्रायः यह माना जाता है कि यदि व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य है और मुखिया है तो पारिवारिक उत्तरदायित्व के कारण वह बहुत ही संयमित एवं अनुशासित जीवनयापन करता है, यही स्थिति एकांकी परिवार के विषय में कही जाती है लेकिन जो सदस्य संयुक्त परिवार के होते हैं और उन पर परिवार का विशेष उत्तरदायित्व नहीं होता है वे ही अपराधों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अतः अध्ययन की सरलता के लिये यह जानना आवश्यक है कि विचाराधीन बन्दियों की पारिवारिक स्थिति क्या है इस सन्दर्भ में जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें तालिका सं० ४.७ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.७

विचाराधीन बन्दियों की पारिवारिक स्थिति

क्र० सं०	परिवार की प्रकृति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	संयुक्त परिवार	२५२	८४%
२.	एकांकी परिवार	४८	१६%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिचयित विचाराधीन बन्दी अधिकांशतः संयुक्त परिवारों के सदस्य हैं जिनका प्रतिशत ८४ हैं शेष बन्दी एकांकी परिवारों से है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी संयुक्त परिवारों के हैं।

६. **पारिवारिक सदस्यों की संख्या** – मान्यता है कि ज्यों–ज्यों परिवार का आकार बढ़ता जाता है नियंत्रण एवं अनुशासन की स्थिति दिनोंदिन शिथिल होती जाती है अतः परिवार के सदस्यों एवं अपराध में एक विशिष्ट सह सम्बन्ध पाया जाता है। अतः इस तथ्य को उजागर करने की दृष्टि से ही प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से उनके परिवार के सदस्यों की संख्या सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी जिसे तालिका सं० ४.८ में प्रस्तुत किया गया है –
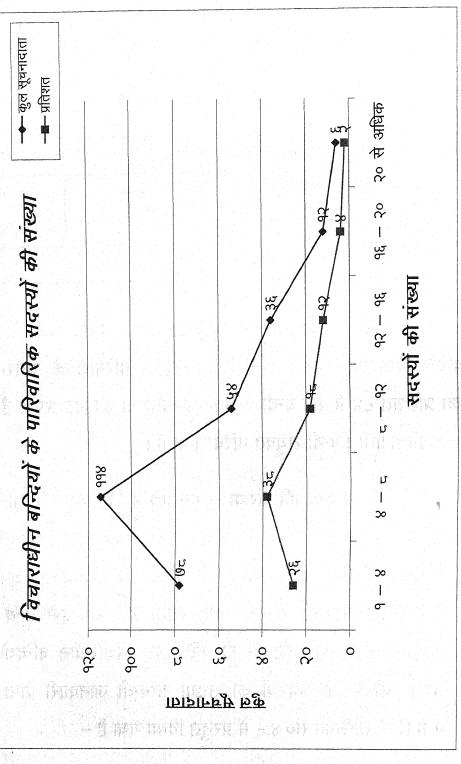
तालिका संख्या - ४.८ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका सं० - ४.८

विचाराधीन बन्दियों के पारिवारिक सदस्यों की संख्या

क्र० सं०	सदस्यों की संख्या	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	१ – ४ सदस्य	७८	२६%
२.	४ – ८	११४	३८%
३.	८ – १२	५४	१८%
४.	१२ – १६	३६	१२%
५.	१६ –२०	१२	०४%
६.	२० से अधिक	०६	०२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि २६ प्रतिशत परिवारों की सदस्य संख्या ४ सदस्य तक हैं, ३८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी ऐसे परिवारों के हैं जिनकी सदस्य संख्या ४–८ हैं इसके साथ–साथ १८ प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि उनके परिवार में ८–१२ सदस्य एक साथ रहते हैं। शेष मात्र १८ प्रतिशत परिवारों का आकार बड़ा प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश परिवारों का आकार (१–८ सदस्य) सामान्य संयुक्त परिवार जैसा है। ७४ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी बडे परिवारों से आये हैं, शेष छोटे से।

१०. आवास की स्थिति – प्रायः यह मान्यता है कि शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक अपराधी होते हैं क्योंकि वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम होता है एवं पुलिस की पकड़ उतनी शक्तिशाली नहीं होती है। जितनी अपेक्षाकृत शहरी क्षेत्रों में। अतः विचाराधीन बन्दियों के विषय में यह जानने का प्रयास किया गया कि वे किन क्षेत्रों के निवासी हैं इसके लिए उनके समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किये गये – नगर, कस्बा, ग्राम। इनमें से जो तथ्य मिले उन्हें तालिका संख्या ४.६ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ४.६

विचाराधीन बन्दियों की आवासीय स्थिति

क्र० सं०	आवास का क्षेत्र	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	नगर	६६	२२%
२.	कस्बा	२४	०८%
३.	ग्राम	२१०	७०%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, यह प्रतिशत ७० है जबकि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले कैदियों का प्रतिशत केवल २२ है, शेष ८ प्रतिशत बन्दी अपने को कस्बों का निवासी मानते हैं। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि विचाराधीन बन्दी सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं।

११. **शैक्षिक स्थिति** – पहले यह माना जाता था कि अशिक्षित लोग अधिक अपराध करते हैं किन्तु सफेदपोश जैसे अपराध की अवधारणा ने इस मान्यता को धूमिल कर दिया है। अब यह माना जाने लगा है कि अशिक्षित की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति बड़े ही नियोजित तरीके से अपराध करता है। अतः इस समस्या का हल खोजने के लिये विचाराधीन बन्दियों की शैक्षिक योग्यता की जानकारी प्राप्त की गयी है। इस सन्दर्भ में जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें तालिका संख्या ४.१० में अंकित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.१०

विचाराधीन बन्दियों की शैक्षिक योग्यताओं का विवरण

क्र० सं०	शैक्षिक योग्यता	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	अशिक्षित	६६	२२%
२.	प्राथमिक स्तर	३०	१०%
३.	जूनियर हाईस्कूल	५४	१८%
४.	हाईस्कूल	४२	१४%
५.	इण्टरमीडिएट	३६	१२%
६.	स्नातक	१८	०६%
७.	परास्नातक	५४	१८%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ४.१० के अवलोकन से विदित होता है कि २२ प्रतिशत बन्दी निरक्षर (अनपढ़) हैं जो सर्वाधिक हैं, १८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी जूनियर हाईस्कूल स्तर तक शिक्षित हैं। साथ ही १८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी ऐसे हैं जो परास्नातक स्तर तक शिक्षित हैं जिनमें एम० एस० सी० भी हैं जो स्वयं में आश्चर्यजनक हैं ये लोग मूलतः बेरोजगार हैं। मात्र १४ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी हाईस्कूल उत्तीर्ण है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। कि अशिक्षित एवं पूर्ण शिक्षित विचाराधीन बन्दियों की संख्या सर्वाधिक है।

१२. **पारिवारिक सदस्यों की शैक्षिक स्थिति** – प्रतिचयित विचाराधीन बन्दी किस प्रकार के शैक्षिक स्तर वाले परिवारों के हैं यह जानना भी आवश्यक है कि परिवार का शैक्षिक वातावरण भी अपनी अहं भूमिका का निर्वाह करता है। अतः पारिवारिक सदस्यों की शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये कैदियों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किये गये तथा किसी एक के पक्ष में अपना विचार प्रस्तुत करने का आग्रह किया। प्राप्त विचारों को तालिका संख्या ४.११ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.११

विचाराधीन बन्दियों के परिवारों की शैक्षिक स्थिति

क्र० सं०	शैक्षिक स्तर	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	अशिक्षित	३६	१२%
२.	शिक्षित	१२०	४०%
३.	मिश्रित	१४४	४८%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ४८ प्रतिशत विचाराधीन कैदियों के परिवारों की शैक्षिक स्थिति मिश्रित प्रकृति की है जिसका आशय है कि कुछ सदस्य शिक्षित हैं एवं कुछ सदस्य अशिक्षित हैं। ४० प्रतिशत सूचनादाता यह स्पष्ट करते हैं कि वे शिक्षित परिवारों के सदस्य हैं क्योंकि उनके परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं शेष मात्र १२ प्रतिशत कैदियों के परिवारजन आज भी अशिक्षित हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि मिश्रित प्रकृति के परिवार अधिक हैं।

१३. **व्यावसायिक स्थिति** – किसी भी परिवार या व्यक्ति की आय का स्रोत उसका व्यवसाय ही माना जाता है अतः सूचनादाताओ से उनकी आय के मुख्य स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तथा इस संदर्भ में जो तथ्य एकत्र किये गये उन्हें विश्लेषण योग्य बनाने हेतु तालिका सं० ४.१२ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ४.१२

विचाराधीन बन्दियों के परिवारों की व्यावसायिक स्थिति

क्र० सं०	व्यवसाय की प्रकृति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	कृषि	१५०	५०%
२.	निजी कार्य	६०	३०%
३.	सर्विस	७२	२४%
४.	मजदूरी	६६	२२%
५.	व्यापार	३०	१०%

तालिका से यह संकेत मिलता है कि ५० प्रतिशत परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है जबकि ३० प्रतिशत परिवारों में कुछ सदस्य निजी कार्यों में संलग्न हैं इनमे मालीगिरी, ड्राइवरी, डॉक्टरी, टेलरिंग आदि प्रमुख कार्य हैं। २४ प्रतिशत लोग सर्विस भी करते हैं जो बहुत छोटे स्तर की हैं। २२ प्रतिशत परिवारों में लोग मजदूरी करते हैं तथा १० प्रतिशत लोग व्यापार भी करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि एक ही परिवार में कई प्रकार के व्यवसाय किये गये हैं। अतः स्पष्ट है कि विचाराधीन बन्दियों के परिवारों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है।

१४. मासिक आय – विचाराधीन बन्दियों के आय के प्रमुख स्रोत जान लेने के पश्चात् यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन लोगों की मासिक आय क्या होगी? बन्दियों से उनकी मासिक आय के सन्दर्भ में पूछ–ताछ की गयी तथा जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें तालिका संख्या ४.१३ में रखा गया है–
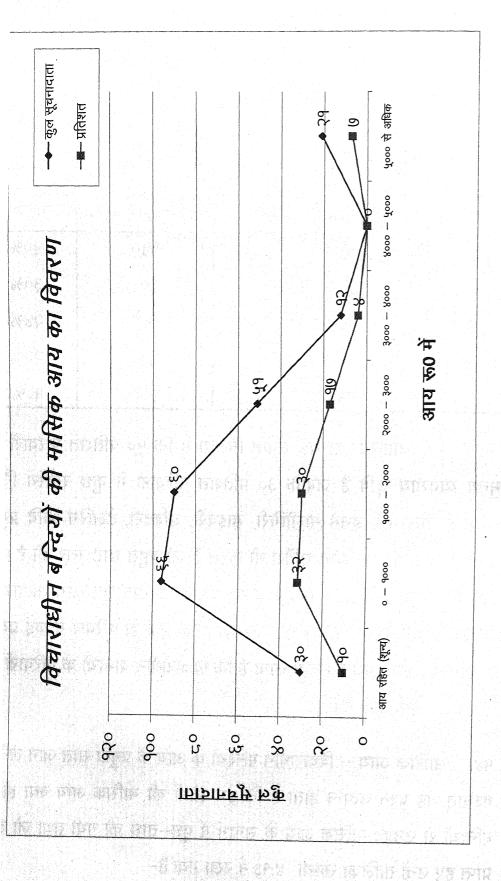
तालिका संख्या - ४.१३ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ४.१३

विचाराधीन बन्दियों की मासिक आय का विवरण

क्र० सं०	आय रू० में	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	आय रहित (शून्य)	३०	१०%
२.	०–१०००	६६	३२%
३.	१०००–२०००	६०	३०%
४.	२०००–३०००	५१	१७%
५.	३०००–४०००	१२	०४%
६.	४०००–५०००	००	००%
७.	५००० से अधिक	२१	०७%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ४.१३ के अवलोकन से विदित होता है कि ३२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी एक हजार से कम अर्जित करते हैं जबकि ३० प्रतिशत कैदियों की मासिक आमदनी दो हजार रू० है। इसके साथ साथ १७ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी प्रतिमाह २०००–३००० रू० के मध्य कमा लेते हैं। तीन हजार मासिक से अधिक आमदनी करने वाले सूचनादाता संचयी रूप से मात्र ११ प्रतिशत ही हैं। ज्ञातव्य हो कि १० प्रतिशत बन्दी यह स्पष्ट करते हैं कि आज भी उनकी कोई आमदनी नहीं हैं वे अपने दैनिक व्यय हेतु अन्य लोगों पर ही निर्भर हैं।

१५. पारिवारिक आय - व्यक्तिगत आय के साथ–साथ पारिवारिक आय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अतः बन्दियों से उनकी पारिवारिक मासिक आय के विषय में तथ्य संकलित किये गये तथा प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण योग्य बनाने के लिये तालिका सं० ४.१४ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.१४

<u>विचाराधीन बन्दियों की पारिवारिक आय का विवरण</u>

क्र० सं०	मासिक आय (रू० में)	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	०–२०००	५४	१८%
२.	२०००–४०००	९०	३०%
३.	४०००–६०००	८४	२८%
४.	६०००–८०००	३०	१०%
५.	८०००–१००००	२४	०८%
६.	१०००० से अधिक	१८	०६%
	योग –	३००	१००%

तालिका से स्पष्ट होता है कि ३० प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों के परिवारों की मासिक आय २०००–४००० रू० के मध्य है, २८ प्रतिशत विचाराधीन कैदियों की पारिवारिक मासिक आय ४०००–६००० रू० के मध्य है, इससे अधिक मासिक आय वाले परिवार तुलनात्मक रूप से बहुत कम हैं।

१६. **आवासीय प्रकृति** – सामान्यतः मकान तीन प्रकृति के होते हैं – कच्चे, पक्के एवं मिश्रित। अतः कैदियों की आवासीय प्रकृति से भी उनकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में कैदियों द्वारा जो तथ्य स्पष्ट किये गये उन्हें तालिका सं० ४.१५ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.१५

<u>विचाराधीन बन्दियों की आवासीय प्रकृति का विवरण</u>

क्र० सं०	आवास की प्रकृति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	कच्चा आवास	३६	१२%
२.	पक्का आवास	१७४	५८%
३.	मिश्रित आवास	९०	३०%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि ५८ प्रतिशत सूचनादाताओं के मकान, जिनमें वे रहते हैं, पक्के हैं, जबकि ३० प्रतिशत मकान कच्चे एवं पक्के अर्थात मिश्रित प्रकृति के हैं। मात्र १२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी कच्चे घरों में रहते हैं। अतः निषकर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दियों की आवासीय प्रकृति पक्का घर है।

१७. मकान मालिकत्व की स्थिति - विचाराधीन बन्दियों की आवासीय प्रकृति की जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त यह महत्वपूर्ण है कि उनके मकान पर उनकी मालकियत की स्थिति का भी ज्ञान किया जाय। इसके लिए प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किये गये – मकान पैतृक हैं, मकान स्वयं बनवाया है तथा दूसरों का है तथा यह आग्रह किया गया कि मकान पर अधिकार सम्बन्धी सूचना इन्हीं तीनों विकल्पों के अन्तर्गत दें। इस संदर्भ में जो तथ्य संकलित किये गये उन्हें तालिका संख्या ४.१६ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ४.१६

<u>विचाराधीन बन्दियों के आवास–स्वामित्व की स्थिति</u>

क्र० सं०	स्वामित्व की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	मकान पैतृक है	१५०	५०%
२.	मकान स्वयं बनवाया है	१०५	३५%
३.	मकान दूसरों का है	४५	१५%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ५० प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि जिन मकानों में वे रहते हैं वे पैतृक आवास हैं जबकि ३५ प्रतिशत बन्दियों ने मकान स्वयं बनवाया है। शेष १५ प्रतिशत कैदी दूसरों के मकान में रहते हैं। अतः पैतृक आवासों की संख्या सर्वाधिक है।

१८. **आवास में रहने की प्रकृति** – विचाराधीन बन्दियों से पुनः यह जानकारी प्राप्त की गयी कि वे किस हैसियत से आवास में रहते हैं। इसके लिये उनके समक्ष तीन विकल्प भी प्रस्तुत किये गये तथा किसी एक विकल्प पर अपनी सहमति व्यक्त करने को कहा गया। इस संदर्भ में जो सूचनाएँ मिलीं उन्हें तालिका संख्या ४.१७ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ४.१७

<u>विचाराधीन बन्दियों के आवास में रहने की प्रकृति</u>

क्र० सं०	आवास में रहने की प्रकृति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	मकान मालिक के रूप में	१५६	५२%
२.	किरायेदार के रूप में	४८	१६%
३.	परिवारजन के रूप में	९६	३२%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ५२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी मकान मालिक की हैसियत से रहते हैं जबकि ३२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी अपने परिवारजनों के साथ परिवार के सदस्य के रूप में ही रहते हैं। मात्र १६ प्रतिशत कैदी किसी दूसरे के मकान में किरायेदार के रूप में रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि अधिक से अधिक बन्दी मकान मालिक के रूप में हैं।

(२) <u>**कारागार में व्यतीत किये समय के आधार पर :**</u>

विचाराधीन बन्दियों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्थिति मालूम कर लेने के उपरान्त उनके द्वारा कारागार में व्यतीय किया गया समय भी एक ऐसा सबल आधार है जिसके आधार पर विचाराधीन कैदियों का वर्गीकरण किया जाना अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसके लिये कारागार में ठहरने की अवधि, कारागार में आने की आवृत्ति तथा पूर्व में कारागार में आने पर बन्दियों की स्थिति मुख्य केन्द्र बिन्दु है –
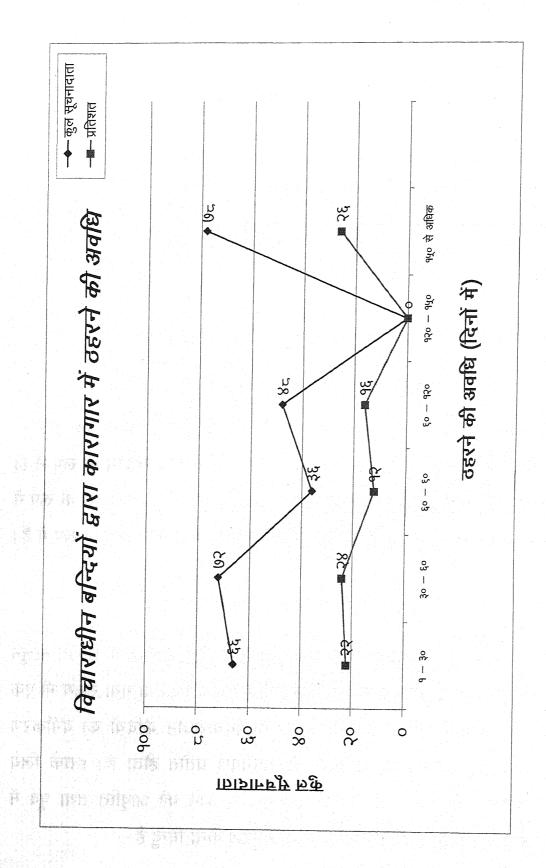
तालिका संख्या - ४.१८ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

(अ) कारागार में व्यतीत किया समय - सामान्यतया विचाराधीन बन्दियों को अधिक समय तक कारागार में नहीं रखा जाना चाहिए लेकिन वस्तुस्थिति का पता लगाने में यदि जल्दबाजी/लापरवाही की जाय तो भी भयंकर स्थिति उत्पन्न होगी एवं न्यायपालिका का उद्देश्य भी पूरा न हो पायेगा। अतः विचाराधीन बन्दियों को अधिक समय तक कारागार में ठहरना भी पड़ सकता है। प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों द्वारा कारागार में बिताये गये समय का ज्ञान साक्षात्कार द्वारा प्राप्त किया गया और तालिका संख्या ४.१८ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.१८

विचाराधीन बन्दियों द्वारा कारागार में ठहरने की अवधि

क्र० सं०	ठहरने की अवधि (दिनों में)	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	१–३० दिन	६६	२२%
२.	३०–६० दिन	७२	२४%
३.	६०–६० दिन	३६	१२%
४.	६०–१२० दिन	४८	१६%
५.	१२०–१५० दिन	००	००%
६.	१५० से अधिक दिन	७८	२६%
	योग –	३००	१००%

तालिका से स्पष्ट है कि ४६ प्रतिशत (संचयी) विचाराधीन बन्दी साक्षात्कार के समय दो माह से कम की अवधि तक रहे, तथा २६ प्रतिशत बन्दी कारागार में ५ माह से निरूद्ध हैं कोई–कोई बन्दी २ वर्ष ६ माह ४ दिन तक की

सजा विचाराधीन कैदी के रूप में ही भुगत चुके हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेष २८ प्रतिशत कैदी २–४ माह की अवधि के हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सामान्य प्रकृति वाले कैदी दो माह से कम की अवधि के हैं एवं संगीन अपराधी ५ माह से अधिक समयावधि से कारागार में अवरूद्ध हैं।

(ब) **कारागार में आने की आवृति** – कुछ अपराधी बार–बार शंका के आधार पर पकड़ लिये जाने पर कई बार जेल की हवा खाते रहते हैं किन्तु कुछ अपराधी पहली बार ही पुलिस की गिरफ्त में फंसकर यहाँ तक आ जाते हैं। अतः विचाराधीन बन्दियों की कारागार में आने की आवृत्ति की जानकारी प्राप्त करने हेतु उनसे पूछ–ताछ की गयी। जिन्हें तालिका सं० ४.१६ में अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ४.१६

विचाराधीन बन्दियों के कारागार में आने की आवृत्ति

क्र० सं०	प्रथम बार आने की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	हाँ	१८६	६२%
२.	नहीं	११४	३८%
	योग –	३००	१००%

तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम बार कारागार में आने वाले विचाराधीन बन्दियों की संख्या ६२ प्रतिशत है। जबकि ३८ प्रतिशत (११४) बन्दी इससे पहले भी कारागार में आ चुके हैं। अतः तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी प्रथम बार ही कारागार में निरूद्ध किये गये हैं।

(स) पूर्व में कारागार में आने की स्थिति - ३८ प्रतिशत बन्दियों ने जब यह स्वीकार किया कि प्रथम बार जेल में नहीं आये अर्थात कई बार आ चुके हैं। तब इन कैदियों से यह पूछा गया कि वे इससे पूर्व कितनी बार जेल में निरूद्ध किये गये। इस विषय में जो तथ्य मिले उन्हें तालिका संख्या ४.२० में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ४.२०

प्रतिचयित बन्दियों द्वारा पूर्व में कारागार में आने की आवृत्ति

क्र० सं०	पूर्व में जेल में आने की प्रवृत्ति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	एक बार	४१	३६%
२.	दो बार	३३	२९%
३.	तीन बार	१७	१५%
४.	तीन से अधिक बार	२३	२०%
	योग –	११४	१००%

तालिका संख्या ४.२० के अवलोकन से स्पष्ट होता है २९ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों ने इसके पहले दो बार आना स्वीकार किया है, शेष ३५ प्रतिशत बन्दी अभ्यस्त अपराधी प्रकृति के प्रतीत होते हैं क्योंकि वे तीन अथवा तीन से अधिक बार जेल में आ चुके हैं। शेष ३६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी इससे पूर्व एक बार जेल में आ चुके हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि (लगभग ६४ प्रतिशत) अधिकांश विचाराधीन कैदी कई बार जेल आ चुके हैं।

(द) पूर्व में आने वाले बन्दियों की स्थिति – अध्ययन के दौरान जो ११४ विचाराधीन बन्दी एक से अधिक बार जेल में आये हैं उनसे पुनः यह जानने का प्रयास किया गया है कि इससे पूर्व की उनकी क्या स्थिति रही अर्थात् वे सिद्धदोष बन्दी थे या विचाराधीन बन्दी। इस संदर्भ में जो सूचनाएं प्राप्त हुयीं उन्हें तालिका सं० ४.२१ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ४.२१

पूर्व में आये विचाराधीन बन्दियों की कारागारीय स्थिति

क्र० सं०	कारागार में स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	विचाराधीन बन्दी	३४	३०%
२.	सिद्धदोष बन्दी	८०	७०%
	योग –	११४	१००%

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि इससे पहले जितने विचाराधीन बन्दी कारागार में निरूद्ध किये गये थे उनमें ७० प्रतिशत बन्दी सिद्धदोष अपराधी थे। मात्र ३० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी थे। अतः कहा जा सकता है कि जो बन्दी बार–बार कारागार में आते हैं वे अधिकांश अभ्यस्त अपराधी ही होते हैं।

(३) **अपराधी की प्रकृति के आधार पर :**

यह विचाराधीन बन्दियों के वर्गीकरण का तृतीय आधार है जो कारागार में आने वाले बन्दियों के कारणों, अपराध में सम्बद्धता एवं उन धाराओं से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत इन बन्दियों को निरूद्ध किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है –

(अ) **बन्दियों के जेल में आने के कारण** – आमतौर पर व्यक्ति रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है किन्तु कभी–कभी मात्र सन्देह के आधार पर अथवा कानूनी खानापूरी के लिये भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके साथ–साथ घटना या अपराध विशेष से सम्बन्धित साक्ष्य (सबूत) मिल जाने पर भी व्यक्ति कानून की पकड़ में आ जाते हैं। अतः समस्त विचाराधीन बन्दियों से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि वे उपरोक्त में से किस कारण से कारागार में निरूद्ध किये गये हैं। बन्दियों द्वारा इस संदर्भ में जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें तालिका संख्या ४.२२ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.२२

विचाराधीन बन्दियों के कारागार में आने के कारण

क्र० सं०	कारागार में आने के कारण	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	पुलिस शंका के आधार पर	७२	२४%
२.	प्राप्त सबूत के आधार पर	१८	०६%
३.	विपक्ष द्वारा दर्ज रिपोर्ट के आधार पर	२१०	७०%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि सर्वाधिक ७० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी प्रतिपक्ष द्वारा दर्ज की गयी रिपोर्ट के आधार पर कारागार में निरूद्ध किये गये हैं जबकि २४ प्रतिशत बन्दी पुलिस द्वारा शक के आधार पर ही पकड़े गये हैं। शेष मात्र ०६ प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि अपराधी घटना से सम्बन्धित किसी न किसी प्रकार का सबूत मिल जाने पर ही उनको पकड़ा गया है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकाधिक विचाराधीन बन्दी प्रतिपक्ष द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट के आधार पर कारागार में निरूद्ध किये गये हैं।

(ब) **बन्दियों द्वारा अपराध करने की स्थिति** - जितने भी विचाराधीन बन्दी कारागार में निरूद्ध किये जाते हैं आवश्यक नहीं हैं कि वे सभी अपराध करते ही हैं अर्थात् कुछ बन्दी तो निरपराध होने पर भी शक या रिपोर्ट के आधार पर कारागार में निरूद्ध हो जाते हैं। अतः प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि क्या वे अपनी दृष्टि में अपराधी है या वे निर्दोष हैं। इस संदर्भ में जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें विश्लेषण योग्य बनाने के लिए तालिका सं० ४.२३ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ४.२३

विचाराधीन बन्दियों द्वारा किये गये अपराध की स्थिति

क्र० सं०	अपराध की स्वीकृति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	हाँ	६३	३१%
२.	नहीं	२०७	६६%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ३१ प्रतिशत सूचनादाता यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वास्तव में अपराध किया है अर्थात् वे सही रूप में कारागार में निरूद्ध किये गये हैं जबकि ६६ प्रतिशत सूचनादाता यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अपराध नहीं किया है उन्हें गलत ही फँसाया गया है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी निर्दोष ही कारागार में निरूद्ध किये गये हैं।

(स) अपराध की प्रकृति – इन विचाराधीन बन्दियों को जिन अपराधों के अन्तर्गत निरूद्ध किया गया है उन अपराधों की प्रकृति क्या है अर्थात् किन–किन धाराओं के अन्तर्गत कैदी निरूद्ध हैं इस संदर्भ में कारागार अभिलेखों से जो तथ्य मिले उन्हें पुनः सूचनादाताओं द्वारा दिये गये उत्तरों से पुष्ट किया गया और यह पाया गया कि एक एक अपराधी (बन्दी) कई–कई अपराधों (धाराओं) के अन्तर्गत निरूद्ध हैं। इसका विवरण तालिका संख्या ४.२४ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ४.२४

विचाराधीन बन्दियों के कारागार में निरूद्ध होने के अपराध

क्र० सं०	अपराध का नाम	धारा	कुल अपराधी	प्रतिशत
१.	मादक पदार्थ व्यापार सम्बन्धी	२०एन.डी. पी.एस.	३०	१०%
२.	अवैध शस्त्र संबन्धी अपराध	२५ आर्म्स एक्ट	१५	०५%
३.	अपराधिक षडयंत्र	१२० वी.	२४	०८%
४.	बलवा संबंधी अपराध	१४७	१०८	३६%
५.		१४८	७५	२५%
६.		१४६	६०	३०%
७.	अपराध के साक्ष्य का विलोप	२०१	१८	०६%
८.	हत्या	३०२	१५६	५२%
६.	उपेक्षा द्वारा मृत्यु करना	३०४वी.	१८	०६%
१०.	हत्या का प्रयास करना	३०७	११४	३८%
११.	गर्भपात कारित करना	३१२	०६	०२%
१२.		३१४	१८	०६%
१३.	झगड़ा, मारपीट करना	३२३	२४	०८%
१४.		३२४	१८	०६%
१५.	अपहरण संबन्धी अपराध	३६३	०६	०२%

क्र० सं०	अपराध का नाम	धारा	कुल अपराधी	प्रतिशत
१६.	अपहरण संबन्धी	३६४	१५	०५%
१७.	अपराध	३६६	१२	०४%
१८.	बलात्कार	३७६	१२	०४%
१६.	चोरी	३७६	०६	०२%
२०.	चोरी के दौरान हत्या	३८२	१२	०४%
२१.	लूट एवं डकैती संबन्धी	३८४	१८	०६%
२२.	अपराध	३६२	१८	०६%
२३.		३६५	४५	१५%
२४.		३६७	३०	१०%
२५.		३६६	१५	०५%
२६.		४०२	१२	०६%
२७.	चोरी की सम्पत्ति रखना	४११	२४	०८%
२८.	सम्पत्ति का नुकसान करना	४३६	०६	०२%
२६.	घर में जबरदस्ती घुसना	४५२	२४	०८%
३०.	दहेज सम्बन्धी अपराध	४६८ ए	३६	१२%
३१.	मानहानि करना	५०८	१२	०४%
३२.	अपराध की तैयारी करना	५०६	०६	०२%

अध्याय-५

विचाराधीन बन्दियों का सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश

विचाराधीन बन्दियों का सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश

आमतौर पर यह कहा जाता है कि व्यक्ति को उसका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश ही अपराध की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। अतः विचाराधीन बन्दियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन इस बात की अपेक्षा करता है कि विचाराधीन बन्दियों का सामजिक एवं आर्थिक परिवेश उजागर किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्तुत अध्ययन में विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में नारी स्वतन्त्रंता, विवाह सम्बन्धी पुरानी एवं आधुनिक मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं एवं विश्वासों जातीय अस्पृश्यता के प्रति विचारों, आवासीय भौतिक सुविधाओं, घरेलू, भौतिक संसाधनों, घर से बाहर नगर या तीर्थो में जाने की स्थितियों, नशीले पदार्थो के सेवन सम्बन्धी आदतों एवं मान्यताओं आदि को आधार बिन्दु माना गया है। इन विविध सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों से सम्बन्धित प्रश्नावली के माध्यम से, विचाराधीन बन्दियों से सूचनायें एकत्र की गयीं तथा उन्हें विश्लेषित करने के आशय से उनका सारणीयन किया गया है। जिसका विवरण एवं विश्लेषण निम्नलिखित है –

(१) विचाराधीन बन्दियों का सामाजिक परिवेश

१. बन्दियों के परिवारों में नारी स्वतन्त्रता की स्थिति :

आधुनिक परिवारों में लोगों के विचारों में खुलापन होता है जिससे वे नारी स्वतन्त्रता से जुड़े पक्ष यथा–नारी शिक्षा, नारी रोजगार आदि के प्रति कट्टरवादी नहीं होते हैं जबकि परम्परावादी या कट्टरवादी परिवारों
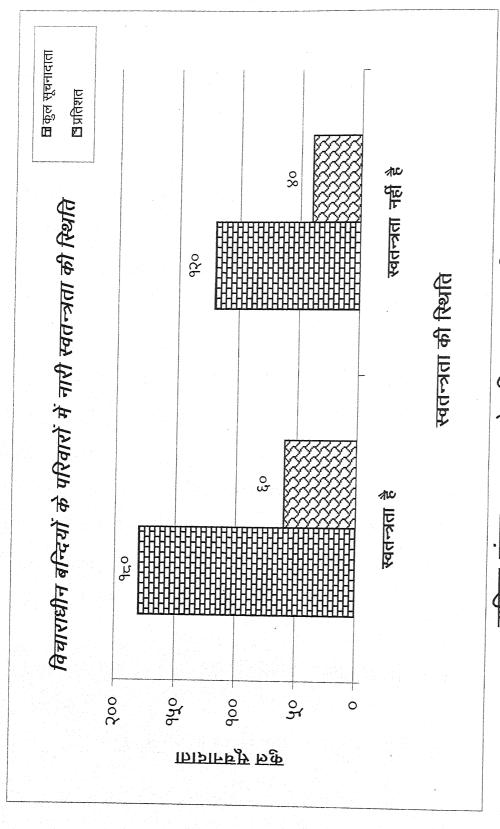
तालिका संख्या - ५.१ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

के लोग आज भी नारी स्वतन्त्रता के विपक्ष में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अतः प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि उनके परिवारों में अविवाहित लड़कियों को नौकरी या व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता है। इस सन्दर्भ में जो तथ्य एकत्र किये गये वह तालिका संख्या ५.१ में प्रस्तुत किये गये हैं –

तालिका संख्या - ५.१

विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में नारी स्वतन्त्रता की स्थिति

क्र० सं०	स्वतन्त्रता की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	स्वतन्त्रता है	१८०	६०%
२.	स्वतन्त्रता नहीं है	१२०	४०%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ५.१ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ६० प्रतिशत सूचनादाता यह संकेत करते हैं कि उनके परिवारों में अविवाहित लड़कियों को नौकरी या व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है जबकि ४० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी इसके विपरीत अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में अब नारी स्वतन्त्रता के प्रति सहमति रहती है।

२. **विवाहित महिलाओं को शिक्षित करने के प्रति विचार :**

सामान्यतः शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति अविवाहित कन्या तक सीमित रहती है। विवाहोपरान्त उसे घर–गृहस्थी का काम–काज देखना अनिवार्य हो

जाता है। ग्रामीण अंचल में शिक्षालयों की अधिक सुविधा न होने के कारण एवं परिवार में नव विवाहिता की एक निश्चित प्रस्थिति होने के कारण लोग इन्हें विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की छूट नहीं देते हैं। अतः इस संदर्भ में बन्दियों से यह प्रश्न किया गया कि क्या आपके परिवार में विवाहित स्त्रियों को कॉलेज/स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की स्वतन्त्रता है? इस विषय में जो विचार एकत्र हुए उन्हें तालिका संख्या ५.२ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ५.२

विवाहित महिलाओं के शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	स्वतन्त्रता है	१३५	४५%
२.	स्वतन्त्रता नहीं है	१६५	५५%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ५.२ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ५५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि विवाहित हो जाने पर नारियों को घर से बाहर कॉलेज अथवा स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने की स्वतन्त्रता नहीं है। शेष ४५ प्रतिशत बन्दी सैद्धान्तिक रूप से यह स्पष्ट करते हैं कि उनके परिवारों में इस प्रकार की स्वतन्त्रता है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी ग्रामीण परिवेश के होने के कारण विवाहोपरान्त नारी शिक्षा को अनुमति नहीं देते हैं।

३. अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति :

विचाराधीन बन्दियों का सामाजिक परिवेश ज्ञात करने के लिए उनसे अन्तर्जातीय विवाहों के विषय में अपनी पारिवारिक स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। बन्दियों ने अपने परिवारजनों के अन्तर्जातीय विवाह के औचित्य के प्रति दृष्टिकोंण को स्पष्ट किया जिसे तालिका संख्या ५.३ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ५.३

अन्तर्जातीय विवाह के प्रति बन्दियों के परिवारों की स्थिति

क्र० सं०	विवाह के प्रति विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	उचित माना जाता है	१७४	५८%
२.	उचित नहीं माना जाता है	१२६	४२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से यह संकेत मिलता है कि ५८ प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवारों मे अन्तर्जातीय विवाह को उचित माना जाता है, जबकि शेष ४२ प्रतिशत बन्दी आज भी यह मानते हैं कि उनके परिवारों में ऐसे विवाहों को उचित नहीं माना जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी ऐसे परिवारों के हैं जहाँ अन्तर्जातीय विवाहों को उचित माना जाता है।

४. अन्तर्जातीय या अन्तर्धर्मीय वधू स्वीकार करने की स्थिति :

जिन सूचनादाताओं ने अर्न्तजातीय या अर्न्तधर्मीय विवाह के औचित्य के पक्ष में विचार दिये थे, उनसे यह पूछा गया कि आपके परिवार में क्या किसी दूसरे धर्म या जाति की कन्या को वधू के रूप में वैसे ही स्वीकार किया गया है जैसे अपनी ही जातीय कन्या को स्वीकार किया जाता है? इस संदर्भ में बन्दियों ने जो सूचनाएँ दीं उन्हें तालिका संख्या ५.४ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ५.४

बन्दियों के परिवारों में अन्तर्जातीय वधू स्वीकारने की स्थिति

क्रम सं०	सूचनादाताओं के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	स्वीकार किया है	१७	१०%
२.	स्वीकार नहीं किया है	१५७	९०%
	योग –	१७४	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि केवल १० प्रतिशत परिवारों में व्यावहारिक रूप से अन्तर्जातीय या अन्तर्धर्मीय विवाहों को स्वीकार किया गया है जबकि ५८ प्रतिशत लोगों ने सैद्धान्तिक रूप से इस प्रकार के विवाहों को उचित माना था। शेष ९० प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवारों में इस प्रकार के विवाह सम्पन्न नहीं हुए हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाना उचित है कि अधिकांश बन्दियों के परिवारों में अन्तर्जातीय या अन्तर्धर्मीय विवाह व्यावहारिक तौर पर सम्पन्न नहीं किये गये हैं।
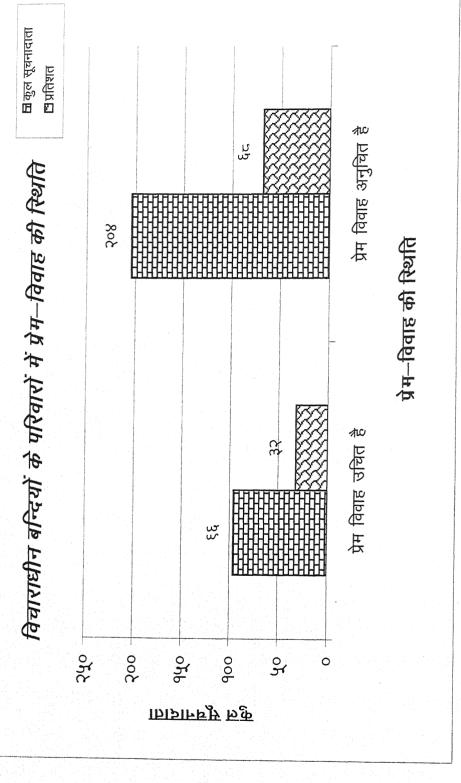
तालिका संख्या - ५.५ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

५. बन्दियों के परिवारों में प्रेम विवाह के प्रति विचार :

विशिष्ट संदर्भ में प्रेम विवाह, विवाह का वह स्वरूप है जिसमें शादी के पहले ही वर व कन्या एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं तथा माता–पिता या अभिभावकों को बिना बताए प्रेम सम्बन्ध भी स्थापित कर लेते हैं। ऐसे विवाह सामान्यतः न्यायालय विवाह के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। इनमें बारात एवं फिजूलखर्ची का कोई औचित्य नहीं है। पश्चिमी देशों से आयातित विवाह का यह तरीका अभी भी भारतीय समाज में अधिक लोकप्रिय नहीं है। फिर भी जटिल परिस्थितियों में कानूनी मान्यता मिल जाने से समाज भी इसे स्वीकार कर लेता है। अतः इस पक्ष से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए विचाराधीन बन्दियों से पूछा गया कि क्या आपके परिवार प्रेम–विवाह को उचित मानते हैं? इस संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं को तालिका ५.५ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ५.५

विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में प्रेम–विवाह की स्थिति

क्र० सं०	प्रेम–विवाह की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	प्रेम विवाह उचित है	६६	३२%
२.	प्रेम विवाह अनुचित है	२०४	६८%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ६८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में प्रेम–विवाह को उचित नहीं माना जाता है

जबकि शेष ३२ प्रतिशत बन्दियों के परिवारजन इसे सैद्धान्तिक रूप से उचित मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश परिवारों में आज भी प्रेम विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं हुयी है। जो परम्परावादी कट्टरता का प्रतीक है।

६. **प्रेम-विवाह सम्पन्न होने की स्थिति :**

जिन ३२ प्रतिशत बन्दियों ने सैद्धान्तिक रूप से यह स्पष्ट किया है कि उनके परिवारों में प्रेम विवाह को उचित माना जाता है। उनके व्यावहारिक परिवेश को जानने के लिए पुनः यह प्रश्न किया गया कि आपके परिवार में इस प्रकार का कोई विवाह हुआ है? इस संदर्भ में जो सूचनाएँ मिलीं उन्हें तालिका संख्या ५.६ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ५.६

विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में प्रेम–विवाह सम्पन्न होने की स्थिति

क्र० सं०	प्रेम विवाह सम्पन्न होने की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	प्रेम विवाह सम्पन्न हुआ है	१०	१०%
२.	प्रेम विवाह सम्पन्न नहीं हुआ है	८६	६०%
	योग –	६६	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मात्र १० प्रतिशत सूचनादाता यह स्वीकार करते हैं कि उनके परिवार में इस प्रकार के विवाह सम्पन्न हुए हैं जबकि ६० प्रतिशत सूचनादाता स्पष्ट रूप से अस्वीकृति प्रकट करते हैं। अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि व्यावहारिक तौर पर बन्दियों के परिवारों का परिवेश प्रेम–विवाह के प्रतिकूल स्थिति का है।

७. विचाराधीन बन्दियों की धार्मिक आस्था सम्बन्धी स्थिति :

भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ के निवासियों का जीवन किसी न किसी रूप में विश्वासों से प्रभावित, संचालित एंव नियंत्रित होता है। धर्म कोई भी हो, अपने अनुयायी को अपराध करने की अनुमति नहीं देता है। फिर भी व्यक्ति अपराध करता है और ईश्वर से क्षमा मांगता रहता है। अतः विचाराधीन बन्दियों से उनकी धार्मिक आस्था सम्बन्धी स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया और उनके समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत कर किसी एक विकल्प पर अपनी सहमति करने को कहा गया । इस संदर्भ में प्राप्त तथ्यों को तालिका सं० ५.७ में अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ५.७

विचाराधीन बन्दियों की धार्मिक आस्था सम्बन्धी स्थिति का विवरण

क्र० सं०	धार्मिक आस्था की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	सामान्य स्थिति	२०४	६८%
२.	कट्टरवादी स्थिति	६३	३१%
३.	नास्तिक	०३	०१%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ६८ प्रतिशत सूचनादाता धार्मिक आस्थाओं के विषय में अपने को सामान्य स्थिति का मानते हैं जबकि ३१ प्रतिशत बन्दी अपने को धार्मिक कट्टरवादी स्थिति को मानते हैं। मात्र एक प्रतिशत बन्दी अपने को नास्तिक मानते हैं। अतः यह निष्कर्ष

निकाला जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी सामान्य स्थिति के धार्मिक परिवेश वाले हैं।

८. **धार्मिक आयोजनों में विचाराधीन बन्दियों की सहभागिता :**

विचाराधीन बन्दियों के धार्मिक विश्वासों को मूल्यांकित करने के लिए एक पक्ष यह भी है कि परिवार में समय समय पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विचाराधीन बन्दियों की सहभागिता का पता लगाया जाये। अधिकांश परिवारों में किसी न किसी रूप में धार्मिक आयोजन संपन्न होते रहते हैं तथा यह उपेक्षा की जाती है कि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक उत्थान व समृद्धि के लिए सभी परिवारीजन पूर्ण मनोयोग से इन आयोजनों में सहभागी होंगे। इस सन्दर्भ में विचाराधीन बंदियों द्वारा जो विचार प्रस्तुत किये गये उन्हें विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ५.८ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ५.८

विचाराधीन बंदियों की धार्मिक आयोजनों में सहभागिता की स्थिति

क्र० सं०	धार्मिक आयोजनों में सहभागिता	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	पूर्ण मनोयोग से सहभागी होते हैं	२७६	९२%
२.	पूर्ण मनोयोग से सहभागी नहीं होते हैं	२४	०८%
योग –		३००	१००%

तालिका संख्या ५.८ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ९२ प्रतिशत विचाराधीन बंदी यह स्वीकार करते हैं कि पारिवारिक स्तर पर आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों में पूर्ण मनोयोग से सहभागी होते हैं

जबकि शेष ०८ प्रतिशत सूचनादाता यह स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि वे ऐसे आयोजनों में पूर्ण मनोयोग से सहभागी नहीं हो पाते हैं। अतः निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी पारिवारिक स्तर पर आयोजित होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों में पूर्ण मनोयोग से सहभागी होते हैं।

६. धार्मिक कार्यों पर किये गये व्यय के प्रति विचाराधीन बंदियों के विचार :

नयी पीढ़ी के कतिपय युवक धर्म–कर्म पर किये जाने वाले व्यय को आडम्बर, अपव्यय या फिजूलखर्च मानने लगे हैं उनकी मान्यता रहती है कि भगवान को श्रद्धा एवं विश्वास से ही वश में किया जा सकता है, अतः विचाराधीन बंदियों से इस पक्ष पर अपने विचार प्रकट करने को कहा गया। उनके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं को तालिका संख्या ५.६ में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका संख्या - ५.६

धार्मिक कार्यों पर होने वाले व्यय के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	व्यय के प्रति बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	धार्मिक क्षेत्र का व्यय उपयोगी है	२६४	८८%
२.	धार्मिक क्षेत्र का व्यय अनुपयोगी है	३६	१२%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ५.६ इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों में ८८ प्रतिशत बन्दी धार्मिक आयोजनों पर

किये जाने वाले व्यय को उपयोगी मानते हैं जबकि शेष १२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी इस प्रकार के खर्च को उपयोगी नहीं मानते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी धार्मिक क्रिया–कलापों पर होने वाले व्यय को उपयोगी मानते हैं। जिससे उनके परिवार के धार्मिक परिवेश की पुष्टि होती है।

१०. सार्वजनिक उत्सवों में बन्दियों की सहभागिता :

विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक परिवेश को जानने के लिये उनसे यह जानकारी प्राप्त की गयी कि सार्वजनिक स्तर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में उनकी सहभागिता कैसी रहती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में समय–समय पर सामाजिक उत्सव मनाये जाते हैं किन्तु इन उत्सवों की सफलता क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा प्रदत्त सहयोग की मात्रा पर निर्भर करती है। यह जन–सहयोग तभी मिलता है जब लोगों में एकता, संगठन एवं भाईचारा हो। इसके लिए लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ की संकीर्ण मान्यताओं को तोड़कर सामूहिक हित के व्यापक दृष्टिकोंण को अपनाना होता है। इसी से व्यक्ति विशेष की सामाजिकता की भावना का अनुमान लगाया जाता है। इस संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं को तालिका संख्या ५.१० में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ५.१०

सामाजिक उत्सवों में सहभागिता के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	विचाराधीन बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	सार्वजनिक उत्सवों में सहभागी होते हैं	२१०	७०%
२.	सार्वजनिक उत्सवों में सहभागी नहीं होते हैं	९०	३०%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि कुल विचाराधीन बन्दियों के ७० प्रतिशत बन्दियों ने यह स्वीकार किया है कि वे सार्वजनिक रूप से होने वाले उत्सवों में सहभागी होते हैं जबकि ३० प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि वे इस स्तर/प्रकृति के उत्सवों में सहभागी नहीं होते हैं। अतः अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के परिवेश, सामाजिक प्रकृति के प्रतीत होते हैं।

११. अस्पृश्यता के प्रयोग के प्रति विचाराधीन बन्दियों की स्थिति :

सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रभावों एवं परिणामों तथा सरकारी प्रयासों से समन्वित प्रभाव से जन दृष्टिकोंण में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। एक ओर परम्परावादी एंव कट्टरवादी विचारधारा के समर्थक आज भी अपने पुरातन स्वरूप को श्रेष्ठ एवं उपयोगी मानकर जीवित रखना चाहते हैं जबकि आधुनिक एवं स्वतन्त्र विचारों के पोषक अनेक कुरीतियों एवं सामाजिक निर्योग्यताओं को समाप्त करने के पक्षधर होते दिखायी दे रहें हैं। इस संक्रमण कालीन स्थिति की वास्तविकता का संज्ञान, विचाराधीन बन्दियों के विशेष संदर्भ में, करने के लिए सूचनादाताओं से विचार एकत्र किय गये जिन्हें तालिका संख्या ५.११ में प्रदर्शित किया गया है –
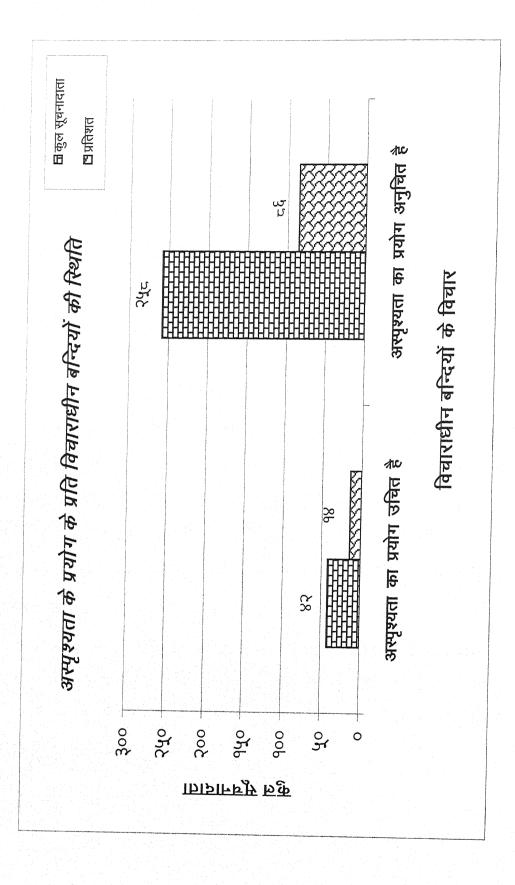
तालिका संख्या - ५.११ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ५.११

अस्पृश्यता के प्रयोग के प्रति विचाराधीन बन्दियों की स्थिति

क्र० सं०	विचाराधीन बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	अस्पृश्यता का प्रयोग उचित है	४२	१४%
२.	अस्पृश्यता का प्रयोग अनुचित है	२५८	८६%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से संकेत मिलता है कि ८६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी सैद्धान्तिक रूप से अस्पृश्यता के प्रयोग को अनुचित मानते हैं अर्थात् उनके विचार से जाति सम्बन्धी ऊँच–नीच मान्यताएं अनुपयोगी हैं लेकिन १४ प्रतिशत आज भी कट्टरवादी दृष्टिकोंण को प्रकट करते हैं। उनके अनुसार अस्पृश्यता का प्रयोग उचित है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि आज के समय में अस्पृश्यता के प्रयोग को अधिकांश बन्दीजन अनुचित मानते हैं।

१२. बन्दियों द्वारा अपने से निम्न जाति के यहाँ भोजन करने की स्थिति :

जिन साहसी विचाराधीन बन्दियों ने अस्पृश्यता के प्रयोग को अनुचित माना है उनसे यह पूछा गया कि क्या आप अपने से निम्न जाति के सदस्य के घर में बेहिचक भोजन करते हैं? इस व्यावहारिक पक्ष पर सूचनादाताओं द्वारा जो सूचनाएं दी गयीं उन्हें विश्लेषण योग्य बनाने के लिए तालिका संख्या ५.१२ में प्रस्तुत किया गया है। तालिका संख्या ५.१२ में प्रस्तुत विवरण से विदित होता है कि ६४ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी अपने से नीची

जाति के सदस्य के घर में बेहिचक भोजन करने से कतराते हैं क्योंकि समाज एवं परिवार की मान्यताओं का भय बना हुआ है किन्तु ६ प्रतिशत साहसी एवं खुले विचारों वाले विचाराधीन बन्दी स्पष्ट करते हैं कि वे जिस सत्य को सैद्धान्तिक स्तर पर उचित मानते हैं उसे व्यावहारिक स्तर पर भी स्वीकार करते हैं अर्थात् वे अपने से नीची जाति के सदस्यों के यहाँ बेहिचक भोजन करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दीजन अपने से निम्न जाति के सदस्य के यहाँ भोजन नहीं करते हैं।

तालिका संख्या - ५.१२

अपने से निम्न जाति में भोजन करने सम्बन्धी बन्दियों के विचार

क्र० सं०	विचाराधीन बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	अपने से नीची जाति में बेहिचक भोजन करते हैं	१५	०६%
२.	अपने से नीची जाति में बेहिचक भोजन नहीं करते हैं	२४३	९४%
	योग –	२५८	१००%

(२) विचाराधीन बन्दियों का आर्थिक परिवेश

किसी भी व्यक्ति के आर्थिक परिवेश को उजागर करने के लिए उसके आवास की भौतिक सुख–सुविधाएं, घरेलू साज–सज्जा, दैनिक व्यय, आदि को ही आधार माना जाता है। अतः विचाराधीन बन्दियों से भी साक्षात्कार प्रश्नावली के माध्यम से कुछ सूचनायें प्राप्त की गयीं जिनका विश्लेषण निम्नलिखित है –

१. बन्दियों के आवासों में स्नानकक्ष एवं शौचालयों की स्थिति :

आधुनिक समय में ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय, आवास में शौचालय एवं स्नान कक्ष की सुविधा को सम्पन्न आर्थिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। अतः इस तथ्य की जानकारी सूचनादाताओं द्वारा प्राप्त की गयी एवं तालिका सख्यां ५.१३ में प्रदर्शित किया गया है। तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ६५ प्रतिशत बन्दी यह मानते हैं कि उनके आवास में शौचालय एवं स्नान कक्ष की सुविधा नहीं है जबकि ३५ प्रतिशत सूचनादाताओं के आवासों में यह सुविधा उपलब्ध है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के आवासों में स्नानकक्ष एवं शौचालय जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

तालिका संख्या - ५.१३

बन्दियों के आवासों में स्नान कक्ष एवं शौचालयों की स्थिति

क्र० सं०	विचाराधीन बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	स्नानकक्ष एवं शौचालय की सुविधा है	१०५	३५%
२.	स्नानकक्ष एवं शौचालय की सुविधा नहीं है	१९५	६५%
	योग –	३००	१००%

२. बन्दियों के आवासों में विद्युत की स्थिति :

आज देश निरन्तर प्रगति पर है जिससे शहर की तरह गाँवों में

भी विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, लेकिन यह सुविधा अभी भी निर्धन परिवारों को नहीं उपलब्ध हो पा रही है। अतः विचाराधीन बन्दियों से इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। जो आंकड़े एकत्र हुए उन्हें विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ५.१४ में प्रदर्शित किया गया –

तालिका संख्या - ५.१४

बन्दियों के आवासों में विद्युत की सुविधा की स्थिति

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	विद्युत की सुविधा है	१२०	४०%
२.	विद्युत की सुविधा नहीं हैं	१८०	६०%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ६० प्रतिशत बंदियों के आवासों में आज भी विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि ४० प्रतिशत यह स्वीकार करते हैं कि उनके यहाँ विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश बंदियों के घरों में विद्युत सुविधा नहीं है।

३. बंदियों के आवासों में पानी की व्यवस्था :

पानी व्यक्ति के जीवन की मूल आवश्यकता है। परन्तु निर्धन व्यक्ति आज भी पानी के लिए दूसरों पर अधीन रहते हैं लेकिन मध्यम वर्गीय आर्थिक स्थिति वाले लोग पीने के पानी की कोई न कोई व्यवस्था कर ही लेते हैं।

तालिका संख्या - ५.१५ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्रामीण अंचल में प्रायः कुएं खुदवाये जाते थे जो सामूहिक होते थे। धीरे–धीरे कुएं भी व्यक्तिगत हो गये। फिर हैण्डपम्प का चलन हुआ। शहरों में चुंगी के नल की सुविधा उपलब्ध है। इस तरह पीने के पानी की व्यवस्था कुँआ, हैण्डपम्प, चुंगी के नल द्वारा सुलभ हुई। इन सारी सुविधाओं को भी लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अतः विचाराधीन बंदियों से इस संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त की गयीं जो तालिका संख्या ५.१५ में अंकित हैं –

तालिका संख्या - ५.१५

<u>बंदियों के आवासों में पीने के पानी की व्यवस्था</u>

क्र० सं०	पानी की व्यवस्था	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	कुएं द्वारा	२८	०.७%
२.	हैण्डपम्प द्वारा	२४०	६०%
३.	चुंगी के नल द्वारा	८८	२२%
४.	दूसरों के यहां से	४४	११%
नोट :– एक से अधिक विकल्प			

तालिका संख्या ५.१५ में अंकित तथ्यों से यह संकेत मिलता है कि ६० प्रतिशत बंदियों कें आवासों में पीने के पानी के लिए हैण्डपम्प की व्यवस्था है। २२ प्रतिशत सूचनादाता चुंगी के नल को पीने के पानी का साधन मानते हैं। ११ प्रतिशत लोग आज भी दूसरों पर आश्रित हैं क्योंकि पानी के लिए उनकी अपनी निजी व्यवस्था नहीं है जबकि ७ प्रतिशत बंदी कुएं को पानी का मुख्य स्रोत मानते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यही का जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बंदियों के यहाँ पानी हेतु हैण्डपम्प की सुविधा उपलब्ध है।

४. <u>बंदियों के घरों में लाइसेंसी शस्त्रों की स्थिति :</u>

लाइसेंसी शस्त्र जहां एक ओर सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी माने जाते हैं वहीं दूसरी ओर सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा के प्रतीक भी। पहले बन्दूक, रिवॉल्वर आदि को उच्च घरानों तक ही सीमित किया गया था किन्तु अब यह सुविधा आम नागरिक के लिए नियमानुसार एवं कुछ निश्चित शर्तों के आधार पर सुलभ है। परन्तु इन लाइसेंसी शस्त्रों की ओट में अवैध रूप से अदधी एवं कट्टे भी रखे जाने लगे हैं जो मुख्यतः अपराधी कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। अतः इस वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिचयित विचाराधीन बंदियों से इस संदर्भ में सूचनाएं देने को कहा गया। एकत्र तथ्यों को विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ५.१६ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ५.१६

<u>बंदियों के घरों में लाइसेंसी शस्त्रों की स्थिति</u>

क्र० सं०	बंदियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	परिवार में लाइसेंसी शस्त्र हैं	१२	०४%
२.	परिवार में लाइसेंसी शस्त्र नहीं हैं	२८८	९६%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मात्र ०४ प्रतिशत विचाराधीन बंदियों के परिवारों में लाइसेंसी शस्त्र हैं जबकि ९६ प्रतिशत सूचनादाता यह स्पष्ट करते हैं कि उनके परिवार में यह सुविधा नहीं है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बंदियों के घरों में लाइसेंसी शस्त्र नहीं हैं।

५. <u>बंदियों के घरों में मनोरंजन के साधनों की स्थिति :</u>

प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन उनके घरों में उपलब्ध मनोरंजन के साधनों यथा – ट्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, टेलीविजन आदि से भी होता है। विचाराधीन बंदियों से इस संदर्भ में तथ्य एकत्र किये गये जिन्हें विश्लेषण के उद्देश्य से तालिका संख्या ५.१७ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ५.१७

<u>विचाराधीन बंदियों के घरों में मनोरंजन के साधनों की स्थिति</u>

क्र० सं०	मनोरंजन के साधन	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	टेलीविजन	१०८	३६%
२.	टेपरिकॉर्डर	१५३	५१%
३.	ट्रांजिस्टर	२६४	८८%

तालिका संख्या ५.१७ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ८८ प्रतिशत विचाराधीन बंदियों के परिवारों में मनोरंजन के साधन के रूप में ट्रांजिस्टर्स हैं। ५१ प्रतिशत विचाराधीन बंदियों के घरों में टेपरिकॉर्डर्स हैं जिनके द्वारा वे अपनी पसन्द के गीत सुनते हैं। साथ ही ३६ प्रतिशत सूचनादाता अपने घरों में टेलीविज़न की मनोरंजन सुविधा की उपलब्धता का संकेत देते हैं। ज्ञात रहे है कि किसी किसी बंदी के यहाँ उपरोक्त तीनों साधनों में सभी साधन, किसी के यहाँ दो साधन और किसी के यहाँ एक ही साधन है।

निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बंदियों के घरों में मात्र ट्रांजिस्टर्स एवं टेप रिकार्ड्स जैसे मनोरंजन के साधनों की ही व्यवस्था है जो निर्बल आर्थिक वर्ग का प्रतीक माना जाता है।

६. <u>बंदियों के घरों में यातायात के साधनों की स्थिति :</u>

आज के भौतिकवादी युग में यातायात के साधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता भी आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन का आधार मानी जाती है। इनमें साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, जीप, ट्रैक्टर, आदि प्रमुख हैं। इस संदर्भ में भी विचाराधीन बंदियों से सूचनाएं एकत्र की गयीं जिन्हें तालिका संख्या ५.१८ में दर्शाया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ६६ प्रतिशत विचाराधीन बंदियों के यहाँ साइकिलें हैं जो आज के युग में सबसे सस्ता यातायात का साधन माना जाता है। १८ प्रतिशत विचाराधीन कैदियों के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल की व्यवस्था है। ०८ प्रतिशत ऐसे भी सूचनादाता हैं जिनके यहाँ ट्रैक्टर हैं। जहाँ तक जीप, कार की सुविधा का प्रश्न है, मात्र १ प्रतिशत लोगों के घरों में ही ये साधन उपलब्ध हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश सूचनादाताओं के घरों में साइकिल की ही सुविधा है।
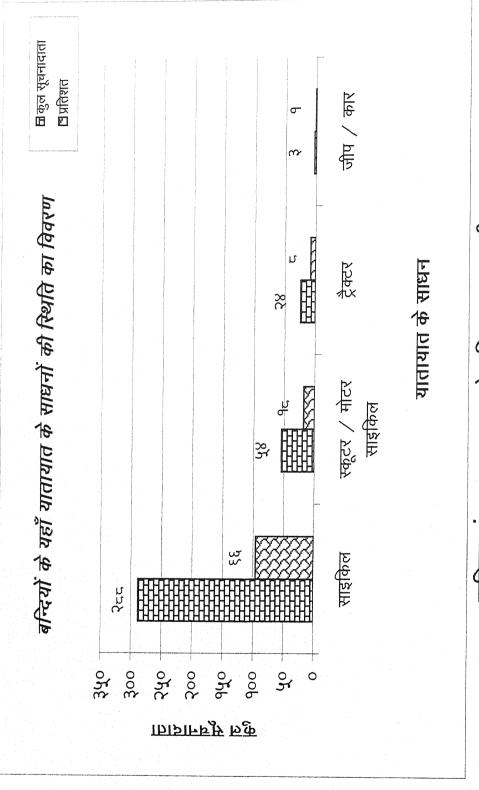
तालिका संख्या - ५.१८ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ५.१८

<u>बंदियों के यहाँ यातायात के साधनों की स्थिति का विवरण</u>

क्र० सं०	यातायात के साधन	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	साइकिल	२८८	६६%
२.	स्कूटर/मोटर साइकिल	५४	१८%
३.	ट्रैक्टर	२४	०८%
४.	जीप/कार	०३	०१%

७. विचाराधीन बंदियों के यहाँ भोजन पकाने संबंधी साधनों की स्थिति :

आधुनिक समय में परम्परागत चूल्हे के स्थान पर स्टोव, हीटर, अंगीठी, गैस आदि की सुविधाओं को भी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि इन साधनों से आधुनिकता की अभिव्यक्ति होती है। अतः प्रतिचयित विचाराधीन बंदियों की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर का मूल्यांकन करने के लिए इन साधनों की उपलब्धता के संदर्भ में सूचनाएं मांगी गयीं तथा प्राप्त तथ्यों को तालिका ५.१९ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ५.१६

विचाराधीन बंदियों के घरों में भोजन पकाने के साधनों की स्थिति का विवरण

क्र० सं०	भोजन पकाने के साधन	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	मिट्टी का चूल्हा	१६५	६५%
२.	अंगीठी	६०	३०%
३.	स्टोव	६६	३२%
४.	हीटर	८४	२८%
५.	गैस चूल्हा	११४	३८%

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ६५ प्रतिशत बंदियों के यहाँ परम्परागत साधन अर्थात् मिट्टी के चूल्हे की व्यवस्था है जबकि ३८ प्रतिशत बंदियों के यहाँ गैस चूल्हे भी उपलब्ध हैं इनमें भी दो प्रकार की गैसों का प्रयोग होता है, सिलिण्डर वाली गैस एवं गोबर गैस। ३० प्रतिशत बंदियों के यहाँ अंगीठियाँ एवं ३२ प्रतिशत सूचनादाताओं के यहाँ स्टोव की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ–साथ २८ प्रतिशत विचाराधीन बंदियों के यहाँ बिजली के हीटर भी प्रयोग में लाये जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश रूप में मिट्टी के चूल्हे ही प्रचलन में है किन्तु गैस चूल्हों का भी प्रचलन बढ़ रहा है।

८. <u>विचाराधीन बंदियों द्वारा पर्यटन में जाने की स्थिति :</u>

अतः जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वे सप्ताह में, महीने में या वर्ष मे कई–कई बार बाहर जाते रहते हैं एवं इसके विपरीत निर्धन परिवार के व्यक्ति बहुत कम ऐसा कर पाते हैं। इसी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिचयित बंदियों से प्रश्न किया गया कि आप एक साल में औसतन कितनी बार नगर, कस्बा एंव तीर्थ स्थल की सैर करते है? इस संदर्भ में जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें तालिका संख्या ५.२० में रखा गया है –

तालिका संख्या - ५.२०

<u>बंदियों द्वारा घर के बाहर जाकर घूमने फिरने की स्थिति</u>

क्र० सं०	पर्यटन की आवृत्ति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	एक से पाँच बार	२४	०८%
२.	पाँच से दस बार	४५	१५%
३.	दस से पन्द्रह बार	१०८	३६%
४.	पन्द्रह से बीस बार	८४	२८%
५.	बीस से अधिक बार	३९	१३%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका को देखने से यह संकेत मिलता है कि ३६ प्रतिशत बंदी एक साल की अवधि में १० से १५ बार घर से बाहर किसी कस्बे नगर या तीर्थस्थल पर घूमने–फिरने जाते हैं, जबकि २८ प्रतिशत लोग १५ से २० बार घूमने फिरने जाते हैं, १५ प्रतिशत बंदी ऐसे हैं जो वर्ष में ५–१०

बार घूमने–फिरने जाते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बंदी कम से कम महीने में एक बार अवश्य ही अपना घर छोड़कर पर्यटन/घूमने–फिरने हेतु किसी कस्बे, नगर या तीर्थ स्थल में जाते रहते हैं।

६. बंदियों के पर्यटन व्यय के स्रोत :

प्रश्न यह है कि इन बंदियों को घूमने–फिरने आदि के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार के अन्तर्गत प्रायः व्यय का भार परिवार के मुखिया पर होता है। अतः विचाराधीन बंदियों को गृहस्थी का सामान लाने, मौजमस्ती करने, घूमने–फिरने आदि के लिए धन कौन देता है यह जानने के लिए बंदियों से जो सूचनाएं एकत्र की गयीं उन्हें तालिका संख्या ५.२१ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ५.२१

बंदियों द्वारा किये गये पर्यटन की आय के स्रोत

क्र० सं०	आय के स्रोत	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	घर के मुखिया से	१६२	६४%
२.	स्वयं से	६६	२२%
३.	पत्नी से	२४	०८%
४.	अन्य स्रोत	१८	०६%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ६४ प्रतिशत सूचनादाता परिवार के मुखिया से जेब खर्च या घूमने–फिरने का खर्च प्राप्त करते हैं। २२ प्रतिशत विचाराधीन बंदी यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अपनी कमाई से ही खर्च करते हैं। जबकि ०८ प्रतिशत अपनी पत्नियों से प्राप्त करते हैं, ०६ प्रतिशत बंदियों को अन्य स्रोतों से व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश बंदी घूमने–फिरने के लिए परिवार के मुखिया से ही धन प्राप्त करते हैं।

१०. विचाराधीन बंदियों के पर्यटन उद्देश्य :

प्रतिचयित विचाराधीन बंदियों के व्यवहार एवं आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उनके द्वारा घर से बाहर नगर, कस्बे या तीर्थस्थल पर जाने के उद्देश्यों का पता लगाना अनिवार्य है। सामान्यतः लोग घर–गृहस्थी का सामान लेने, व्यापार का सामान लाने व ले जाने, धार्मिक दृष्टि से देवालयों के दर्शन करने या पवित्र नदियों में स्नान करने के उद्देश्य से ही जाते हैं, तथा कुछ अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति अपराधी कार्य करने की दृष्टि से भी यदा–कदा या प्रायः घर से बाहर आते–जाते दिखाई देते हैं। अतः इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए बंदियों से उनके पर्यटन के उद्देश्यों के विषय में पूछा गया तथा जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें तालिका संख्या ५.२२ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ५.२२

विचाराधीन बंदियों के पर्यटन के उद्देश्यों का विवरण

क्र० सं०	पर्यटन के उद्देश्य	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	घर गृहस्थी का सामान लाने	१६५	६५%
२.	व्यापारिक दृष्टिकोंण से	१२३	४१%
३.	धर्म–कर्म के उद्देश्य से	७५	२५%
४.	मौजमस्ती करने के लिए	९६	३२%

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ६५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी घर–गृहस्थी का सामान खरीदने के उद्देश्य से ही नगर, कस्बा या अन्य स्थानों को आते जाते रहते हैं। ४१ प्रतिशत सूचनादाता का घर से बाहर जाने का उद्देश्य मात्र व्यापारिक है। इसके साथ–साथ २५ प्रतिशत विचाराधीन बंदी यह बताते हैं कि वे प्रायः किसी देवता के दर्शन करने या पवित्र नदी में स्नान आदि करने के उद्देश्य से ही घूमने–फिरने जाते हैं। ३२ प्रतिशत बंदी ऐसे हैं जो मौज–मस्ती करने (सिनेमा देखना, वैश्यालय गमन, शराब पीना आदि) के उद्देश्य से ही घूमते–फिरते रहते हैं। ज्ञातव्य है कि कई बंदी एक से अधिक उद्देश्यों के कारण बाहर धूमने–फिरने जाते रहते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बंदी घर–गृहस्थी के उपयोग का सामान खरीदने एवं व्यापारिक कार्यो से ही घर के बाहर घूमने–फिरने जाते हैं।

११. विचाराधीन बंदियों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन :

नशा का सेवन भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध माना जाता है। निर्धन वर्ग में बहुत सस्ते मूल्य के नशीले पदार्थों (बीड़ी, तम्बाकू आदि) का सेवन होता है और धनी लोगों में स्तरीय अर्थात महंगे मादक पदार्थों का सेवन होता है। इस तथ्य का मूल्यांकन करने के लिए बंदियों से साक्षात्कार के दौरान पूछा गया कि क्या आप बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, भाँग, गांजा जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं? इस सन्दर्भ मे प्राप्त सूचनाओ को एकत्र कर तालिका संख्या ५.२३ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ५.२३

विचाराधीन बंदियों द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति

क्र० सं०	नशीले पदार्थों के सेवन की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं	२५२	८४%
२.	नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं	४८	१६%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ५.२३ इस सत्य का उद्घाटन करती है कि कुल सूचनादाताओं में ८४ प्रतिशत विचाराधीन बंदी किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तथा शेष १६ प्रतिशत विचाराधीन बंदी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बंदी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं।

१२. बंदियों के नशीले पदार्थों के सेवन की प्रकृति :

नशीले पदार्थों के सेवन में प्रायः दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। प्रथम स्थिति यह है कि प्रारम्भ में व्यक्ति लुक छिपकर नशा करना सीखता है। अतः वह सबके समक्ष सामान्य भाव से नशीली चीजों का सेवन नहीं करता। दूसरी स्थिति यह है कि व्यक्ति जब नशीले पदार्थों का सेवन करते करते इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि वह नशा के बिना रह नही पाता तब वह लोक लाज छोड़कर सबके सामने बेहिचक नशीले पदार्थों का सेवन करता है। इन्हीं दोनों स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए बन्दियों से अपनी–अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया गया। इस संदर्भ में प्राप्त तथ्यों को एकत्र कर तालिका संख्या ५.२४ में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या - ५.२४

बन्दियों के नशीले पदार्थों के सेवन की प्रकृति का विवरण

क्र० सं०	नशा सेवन की प्रकृति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	सबके सामने बेहिचक सेवन करते हैं	१६४	७७%
२.	सबसे छिपकर चोरी से सेवन करते हैं	५८	२३%
	योग –	२५२	१००%

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ७७ प्रतिशत नशा का सेवन करने वाले विचाराधीन बन्दी नशीले पदार्थों का सेवन सबके सामने बेहिचक करते हैं जबकि २३ प्रतिशत सूचनादाता अभी भी सबसे छिपकर अर्थात चोरी से इन पदार्थों का सेवन करना उचित मानते हैं। अतः निष्कर्ष के

तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकाधिक विचाराधीन बन्दी नशीले पदार्थों के सेवन के अभ्यस्त हो गये हैं।

१३. विचाराधीन बन्दियों की मदिरा सेवन के प्रति स्थिति :

आधुनिक समय में मदिरा का सेवन एक सामाजिक समस्या बनता जा रहा है क्योंकि जहां मदिरा सेवन अत्यन्त खर्चीला है वहीं खतरनाक भी। साधारण व्यक्ति शराब पीकर प्रदर्शन करते हैं। और इसके सेवन से अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठता है और हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध करने में ज़रा भी संकोच नहीं करता है। अतः शराब पीने का फैशन एक सामान्य व्यक्ति को बरबादी की ओर ही अग्रसर करता है। इस तथ्य को उजागर करने के लिए समस्त विचाराधीन बन्दियों से यह भी जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या वे शराब का सेवन करते हैं। इस सन्दर्भ में जो भी सूचनाएं एकत्र हुई उन्हें विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ५.२५ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ५.२५

विचाराधीन बन्दियों द्वारा मदिरा सेवन की स्थिति का विवरण

क्र० सं०	मदिरा सेवन की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	मदिरा का सेवन करते हैं	२२८	७६%
२.	मदिरा का सेवन नहीं करते हैं	७२	२४%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ७६ . प्रतिशत विचाराधीन बन्दी किसी न किसी रूप में मदिरा का सेवन करते हैं जबकि शेष २४ प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि वह मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दी शराब का सेवन करते हैं।

१४. विचाराधीन बन्दियों के मदिरा सेवन की प्रकृति :

प्रारम्भ में व्यक्ति शराब का सेवन अपनों से छिपकर करता है लेकिन अभ्यस्त हो जाने की स्थिति में निर्भय होकर सबके सामने शराब पीकर गौरवान्वित होता है। अतः इसी तथ्य को उजागर करने के उद्देश्य से प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से जानकारी प्राप्त की गयी कि वे सबसे छिपकर शराब पीते हैं या सबके सामने निडर होकर पीते हैं। इस संदर्भ में जो भी तथ्य संकलित किये गये उन्हें विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ५.२६ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ५.२६

विचाराधीन बन्दियों के मदिरा सेवन की प्रकृति का विवरण

क्र० सं०	मदिरा सेवन की प्रकृति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	सबसे छिपकर पीते हैं	५७	२५%
२.	सबके सामने पीते हैं	१७१	७५%
	योग –	२२८	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि शराब का सेवन करने वाले विचाराधीन बन्दियों में ७५ प्रतिशत बन्दी निर्भय होकर सभी के समक्ष शराब पीते हैं जबकि २५ प्रतिशत विचाराधीन कैदी सबसे छिपकर शराब का सेवन करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने ही शराब पीते हैं।

१५. विचाराधीन बन्दियों द्वारा मादक पदार्थों के सीखने के कारण :

प्रायः व्यक्ति अपने मित्रों की संगत में पड़कर मौज–मस्ती के लिए ही मादक पदार्थों का सेवन शुरू करने लगता है। धीरे–धीरे इन मादक पदार्थों के सेवन की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वह इनको छोड़ नहीं पाता है और सदा के लिये इनका गुलाम हो जाता है और वह व्यक्ति लोगों की आलोचना से बचने के लिये अधिक से अधिक लोगों को अपने कुकृत्य में सम्मिलित करने का प्रयास करता रहता है जब सभी लोग इनका सेवन करेंगे तो बुराई किसी एक व्यक्ति की नहीं कही जायेगी बल्कि इसे आम प्रचलन मानकर दृष्टि ओझल कर दिया जायेगा और बहुत से ऐसे तर्क हैं जिनके द्वारा इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है। अतः विचाराधीन बंदियों से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि आपने इन मादक पदार्थों को किसकी प्रेरणा से सीखा? इस संदर्भ में प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या ५.२७ में दर्शाया गया है–
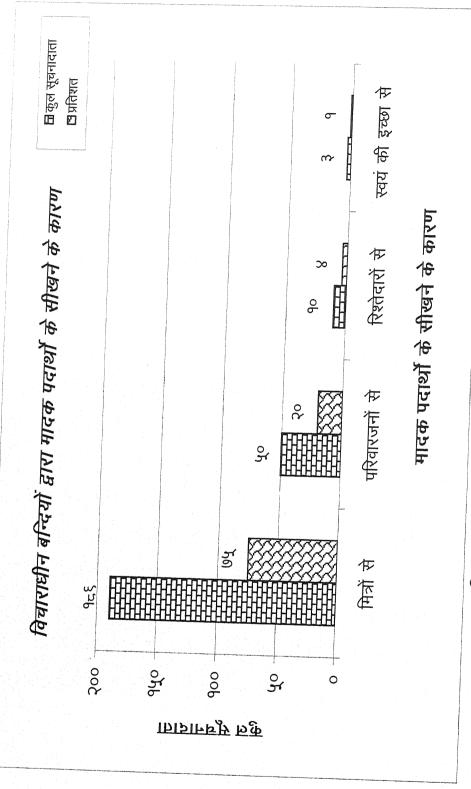
तालिका संख्या - ५.२७ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ५.२७

विचाराधीन बंदियों द्वारा मादक पदार्थों के सीखने के कारण

क्र० सं०	मादक पदार्थों के सीखने के कारण	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	मित्रों से	१८६	७५%
२.	परिवारजनों से	५०	२०%
३.	रिश्तेदारों से	१०	०४%
४.	स्वयं की इच्छा से	०३	०१%
	योग –	२५२	१००%

तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि सभी प्रतिचयित विचाराधीन बंदियों (३००) में मात्र ४८ बंदी ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते है, अर्थात मात्र १६ प्रतिशत विचाराधीन बंदी इन आदतों से मुक्त हैं शेष ८४ प्रतिशत किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन अवश्य ही करते हैं। इन विचाराधीन बंदियों में ७५ प्रतिशत (१८६) ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने इष्ट मित्रों से इन विभिन्न मादक पदार्थों का सेवन करना सीखा है साथ ही २० प्रतिशत विचाराधीन बंदी अपने परिवारजनों के द्वारा ही सीखने का कारण स्वीकार करते हैं। मात्र ४ प्रतिशत विचाराधीन कैदी यह मानते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने ही उन्हें नशा करना सिखाया है शेष १ प्रतिशत लोगों ने स्वयं को दोषी माना है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बंदियों के नशीले पदार्थों के सेवन का कारण उनके इष्ट मित्र एवं परिवारजन ही हैं।

१६. मादक पदार्थों के सेवन के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार :

व्यक्ति की अच्छाई एवं बुराई का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों द्वारा ही हो पाता है साथ ही साथ व्यक्ति स्वयं अनुभव करने लगता है कि उसके द्वारा प्रकट व्यवहार कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। यह बात दूसरी है कि वह अपने अनुचित कार्य को भी अनेकों भ्रान्त तर्कों द्वारा उचित ही सिद्ध करने का प्रयास करता रहता है। जहाँ तक नशीले पदार्थों के सेवन के औचित्य एव अनौचित्य का प्रश्न है यह प्रारम्भिक अवस्था में समझ में नहीं आता, किन्तु कालान्तर में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब नशे का आदी व्यक्ति नशीले पदार्थों के सेवन से न केवल आर्थिक रूप से प्रत्युत शारीरिक एवं सामाजिक रूप से विनष्ट हो जाता है उसकी प्रतिष्ठा एंव विश्वास समाप्तप्राय हो जाते हैं उसका वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामजिक विघटन प्रारम्भ हो जाता है वह अनेकों समस्याओं एवं अपराधी प्रवृत्तियों का केन्द्र माना जाने लगता है। अपना सब कुछ नष्ट होते देखकर नशा करने वाला व्यक्ति फिर दूसरे को ऐसा करने का उपदेश देता है किन्तु लोग विश्वास न करके प्रक्रिया को जीवित रखते रहते हैं।

इसी तथ्य का मूल्यांकन विचाराधीन बन्दियों के शब्दों में करने का प्रयास किया गया तथा तथ्यों को तालिका संख्या ५.२८ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ५.२८

मादक पदार्थों के सेवन के प्रति बंदियों के विचारों का विवरण

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	मादक पदार्थों का सेवन अच्छा है	३०	१०%
२.	मादक पदार्थों का सेवन खराब है	२५८	८६%
३.	पता नहीं कैसा है	१२	०४%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बंदियों में से ८६ प्रतिशत लोग यह स्वीकार करते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन हर स्थिति में हानिकारक है जबकि १० प्रतिशत बंदी इसे अच्छा मानते हैं जो उनकी परिपक्व अपराधी प्रवृत्ति का परिचायक हैं। आज भी ०४ प्रतिशत बंदी ऐसे पाये जाते हैं जो यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि नशीले पदार्थों का सेवन कैसा है? अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विचाराधीन बंदियों के विचार से मादक पदार्थों का सेवन खराब है फिर भी वे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं क्योंकि वे बिना नशा के सामान्य हालत में नहीं रह सकते हैं।

अध्याय-६

अपराध करने अथवा कारागार में आने के सम्भावित कारकों की व्याख्या

अपराध करने अथवा कारागार में आने के सम्भावित कारकों की व्याख्या

आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज में अब तक ऐसा कोई भी समय, स्थान या समाज नहीं पाया गया जिसमें किसी न किसी रूप में अपराध एवं अपराधी न पाये गये हों। अपराध एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक प्रत्यय है। कोई व्यवहार या कोई भी प्रक्रिया किसी समाज विशेष का एक मान्य व्यवहार हो सकता है। जबकि वही प्रक्रिया दूसरे समाज के लिये अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। अतः कौन सा व्यवहार अपराध है और कौन–सा व्यवहार अपराध नहीं है, इस व्यवहार का स्पष्टीकरण समाज विशेष की मान्यताओं एवं नियमों द्वारा ही हो सकता है लेकिन इन सबके ऊपर यह तथ्य है कि व्यक्ति अपराध क्यों करता है? यह प्रश्न आदिकाल से अब तक के विद्वानों के मध्य चर्चा का विषय रहा है। इस प्रश्न का एक समुचित एवं वैज्ञानिक हल प्रस्तुत करने के लिए विविध प्रकार की विधाओं के अधिकारी विद्वानों ने अपने अपने स्तर से अनुसंधान, प्रयोगों आदि द्वारा कुछ ऐसे कारक प्रस्तुत किये जो एक समन्वित रूप से तो समाधान प्रस्तुत करते हैं परन्तु व्यक्तिगत स्तर पर दिये गये कारक सम्पूर्ण व्याख्या हेतु अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं। उदाहणार्थ किसी विद्वान ने प्राकृतिक दशाओं को अपराध का कारण माना है तो किसी ने मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं (दोषों) को, किसी ने आर्थिक अभाव को और किसी ने पारिवारिक असन्तुलन को ही अपराध का कारक स्वीकार किया है।

वास्तविकता यह है कि मानव का व्यवहार इतना भी सरल नहीं है कि उसे किसी एक कारक या उदाहरण के द्वारा सरलता से समझा या समझाया जा सके। अपराध भी मानव के इसी जटिल व्यवहार का प्रकटीकरण है तथा यह मानव व्यवहार एक व्यक्ति पर पड़ने वाली समस्त शक्तियों तथा उसके व्यक्तित्व की समस्त विशेषताओं का परिणाम ही होता है। अतः अपराध करने अथवा कारागार में आने के सम्भावित जिन कारकों की विवेचना प्रस्तुत अध्ययन में की जा रही है उनमें किसी भी कारक का पृथक रूप से अपराधी व्यवहार के संदर्भ में कोई विशेष महत्व नहीं है (इलियट १९५०)।

(१) **भौगोलिक कारक :**

मानव व्यवहार का भौगोलिक दशाओं यथा ऋतु, प्राकृतिक दशा, जलवायु आदि से अटूट सम्बन्ध है जिसके आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि अपराधी व्यवहार किसी भी स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। जैसे प्रसिद्ध विद्वान लाम्ब्रोसो का विश्वास था कि व्यक्ति के विरूद्ध अपराध मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम, पठारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक और पहाड़ी भागों में सबसे अधिक होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिये आपने इटली के उन प्रदेशों का उल्लेख किया जहाँ प्राकृतिक दशाओं के कारण सबसे अधिक मलेरिया होता है वहाँ व्यक्ति के विरूद्ध अपराध की दरें भी अत्यधिक हैं। इसी प्रकार मान्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक "स्पिरिट ऑफ लाज" में इस प्रत्यय को

स्पष्ट किया है कि हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपराध की दर भी बढ़ती जाती हैं और उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों की ओर बढ़ने के साथ–साथ मद्य सेवन अधिक मिलता है।

इसी प्रकार क्वेटलेट का विश्वास था कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में व्यक्ति के प्रति अपराध तथा हिंसात्मक अपराध अधिक होते हैं जबकि ठण्डे जलवायु वाले क्षेत्रों में सम्पत्ति के प्रति अपराधों का आधिक्य होता है। डेक्सर ने अपने अध्ययन में न्यूयार्क शहर मे गर्म महीनों में, बैरोमीटर का पारा गिरने पर कम आर्द्रता के दिनों मे, बदली के दिनों में अपराध की दरों को बढ़ता हुआ पाया।

आधुनिक अपराधशास्त्री भौगोलिक कारकों को अत्यधिक महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि भौगोलिक कारण प्रत्यक्ष कम, अप्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभाव डालते हैं जिससे कभी कभी इस अप्रत्यक्ष प्रभाव को प्रमाणित करना कठिन हो जाता है। विचारणीय तथ्य यह है कि यदि भौगोलिक दशाएं ही अपराध का प्रमुख कारण हैं तो समान भौगोलिक दशा के ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश में अपराध की प्रकृति व संख्या में विशाल अन्तर क्यों पाया जाता है इसके साथ साथ एक ही भौगोलिक स्थिति में विभिन्न समयान्तरालों में अपराध की वृद्धि दर एक जैसी नहीं रहती है जैसे कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में यदि पैदावार अच्छी हो जाती है तो अपराधों की संख्या में कमी आ जाती है

और फसल अच्छी न होने से अपराधों में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार जाड़े के मौसम में मानव–सम्पर्क में कमी आने से व्यक्ति के विरूद्ध होने वाले अपराध भी कम हो जाते है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अपराध एवं अपराधियों का संज्ञान करने में भौगोलिक कारक को भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए।

(२) **<u>प्राणिशास्त्रीय कारक :</u>**

कुछ विद्वानों का विचार है कि अपराध के कारणों को बाहरी अवस्थाओं में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में खोजने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि अधिकतर अपराध कुछ प्राणिशास्त्रीय तथा व्यक्तिगत विलक्षणताओं के कारण ही होते हैं। सामान्यतः विद्वानों के मध्य लम्बे समय से एक विवाद चला आ रहा है कि वंशानुसंक्रमण एंव पर्यावरण में से किसका प्रभाव मानव के व्यवहार पर सबसे अधिक पड़ता है जैसे प्रसिद्ध वंशानुसंक्रमणवादी फ्रांसिस गैल्टन ने अपनी पुस्तक 'हियरडिटी जीनियस' मे वंशानुसंक्रमण के महत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया है तो दूसरी ओर पर्यावरणवादी जॉन वाटसन का दावा था कि उन्हें किसी भी वंशानुसंक्रमण वाले एक दर्जन बच्चों को दे दिया जाय तो वे पर्यावरण के माध्यम से उन्हें जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। वंशानुसंक्रमण अपराध का वास्तविक कारण है इसको प्रमाणित करने के लिये पाँच विभिन्न तरीके अपनाये गये हैं –

१– अपराधियों की तुलना जंगली लोगों से करना ;

२– परिवारों के इतिहास का अध्ययन करना ;

३– वंश में मेन्डेलियन अनुपातों का अध्ययन करना ;

४– माता–पिता तथा बच्चों के अपराधों के बीच सांख्यिकीय सम्बन्धों का अध्ययन करना ; तथा

५– जुड़वां बच्चों का अध्ययन करना।

वंशानुसंक्रमण को अपराध के कारक के रूप में दर्शाने का काम लाम्ब्रासो आदि ने किया था उनका विश्वास था कि अपराधी जन्मजात होते हैं और अपराध के समस्त आधार व तत्व एक व्यक्ति को वंशानुसंक्रमण के आधार पर प्राप्त होते हैं। अतः अपराधियों को गैर अपराधियों से कुछ शारीरिक विशेषताओं के आधार पर पृथक किया जा सकता है। इसके प्रमाण में किये गये डुगडेल (१८७७) एवं इस्ताब्रुक (१६१६) द्वारा अध्ययन पर्याप्त हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि माता–पिता तथा उनके बच्चों के अपराधों के मध्य सांख्यिकीय सम्बन्ध पाया जाता है।

मानव एक प्राणिशास्त्रीय जीव ही नहीं प्रत्युत एक सामाजिक प्राणी भी है। अपराध एक सामाजिक प्रक्रिया है। अतः इसको भी समाज से ही सीखा जाना चाहिए। अतः यह कहना उचित होगा कि मनुष्य की स्थिति वंशानुसार एवं पर्यावरण के मध्य की सन्तुलित अवस्था का परिणाम है और इस सन्तुलन के टूटने पर ही व्यक्ति के जीवन में

विघटन का अंकुरण प्रारम्भ हो जाता है और उसकी अभिव्यक्ति अपराधी व्यवहार के रूप में होती है।

(३) शारीरिक दोष तथा रोग :

लाम्ब्रोसो जैसे विद्वानों ने शारीरिक दोषों को भी अपराध का कारण माना है। उनके अनुसार कुछ शारीरिक विकृतियां व्यक्तित्व को अपराधी बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। चार्ल्स गोरिंग (१६१३) का मानना था कि अपराधियों के शरीर की लम्बाई और वजन गैर अपराधियों की अपेक्षा कम होती है। जबकि हूटन (१६३६) का कहना था कि अपराधियों को गैर अपराधियों से कुछ शारीरिक हीनता या निकृष्टता के आधार पर पृथक किया जा सकता है। यह निष्कर्ष चौदह हजार कैदियों एवं तीन हजार गैर अपराधियों के अध्ययन पर आधारित था।

कुछ विद्वानों का मत है कि मनुष्य के शरीर में जो ग्रन्थियाँ होती हैं उनमें कुछ रसों का स्राव होता रहता है और इन स्रावों में कमी या आधिक्य व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक व्यवस्थाओं या सन्तुलन को उलट–पलट सकती है। जैसे थाइरायड ग्रन्थि के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि गर्दन की जड़ में कंठ की गुठली के ऊपर दोनों ओर यह ग्रन्थि पायी जाती है। इससे थाइरोक्सीन नामक द्रव पदार्थ निकलता है। जब शरीर में रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है तो

व्यक्ति में अधिक जोश या उत्तेजना का उद्भव होता है जिसके परिणामस्वरूप उसमें संवेगात्मक तनाव, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन विकसित होता है। इसके विपरीत जब ये ग्रन्थियां आवश्यकता से कम क्रियाशील रहती हैं तो व्यक्ति शिथिलता, सुस्ती और निष्क्रियता का अनुभव करता है। अतः बचपन से ही जिन बच्चों में यह ग्रन्थि ठीक से काम नहीं करती है उनमें मिक्सेडीमा नाम रोग उत्पन्न हो जाता है। जिनसे उन बच्चों का स्वाभाविक शारीरिक एवं मानसिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। ये शारीरिक एंव मानसिक दोष ही अपराध का कारण बनते हैं। इसी तरह अन्य ग्रन्थियों की अव्यवस्थित क्रियाशीलता से व्यक्ति में अपराधी व्यवहार पनपता है। इस धारणा के समर्थकों में स्क्लैप एवं स्मिथ (१९२८) आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जबकि आधुनिक अपराधशास्त्री इस अध्ययनों एवं निष्कर्षों का सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं करते हैं फिर भी केवल इसी आधार पर अपराधी व्यवहार की वैज्ञानिक व्याख्या सम्भव नहीं है क्योंकि प्रत्येक समाज में ही नहीं अपितु एक ही समाज मे अपराध की परिस्थिति भी अलग–अलग समय में भिन्न–भिन्न हुआ करती है।

(४) <u>मानसिक दुर्बलता एक कारक के रूप में :</u>

प्रख्यात अपराधशास्त्री डॉ० गोंडार्ड (१६२१) ने दृढ़तापूर्वक यह घोषणा की थी कि मानसिक दुर्बलता या मन्द बुद्धि, अपराध एवं बाल अपराध का सर्वप्रमुख एवं एकमात्र कारण है। इस सिद्धान्त पर विश्वास करने वाले विद्वानों के मतानुसार –

१. प्रायः सभी अपराधी व्यक्ति मन्दबुद्धि वाले होते हैं और सभी मन्दबुद्धि वाले अपराधी होते हैं ;
२. मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति अपने कार्यों के दुष्परिणामों और कानूनों के अर्थ को समझने की क्षमता नहीं रखते, परिणामतः वे अपराध कर बैठते हैं ;
३. मन्द बुद्धि, मेंडल के वंशानुसंक्रमण के सिद्धान्तानुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है ;
४. वन्ध्यकरण की नीति या मन्द बुद्धि वाले व्यक्ति का पृथक्करण ही अपराध को रोकने या अपराधियों की समस्या को हल करने की एकमात्र प्रभावपूर्ण पद्धति है।

अपराधी मन्दबुद्धि होते हैं यह धारणा भी अधिक ठोस नहीं है। डॉ० एडलर (१६२५) के अध्ययन के अनुसार अपराधियों का बौद्धिक स्तर अमेरिका के सैनिकों के बौद्धिक स्तर से अधिक है साथ ही अपराधियों एवं साधारण जनता की सामान्य बुद्धि के स्तर में कोई अन्तर नहीं पाया गया। इसी तरह टुलचविन (१६३६) ने भी अपने अध्ययन द्वारा

यह स्पष्ट किया कि निम्न श्रेणी के अपराध बुद्धिहीनता के कारण भी हो सकते हैं। वास्तव में अधिकांश आधुनिक अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं कि कैदी लोग बुद्धि में साधारण जनता की ही तरह हैं। परन्तु यौन अपराधियों का बुद्धि स्तर अपराधियों की तुलना में कुछ कम होता है।

(५) **संवेगात्मक अस्थिरता एक कारक के रूप में :**

विद्वानों ने संवेगात्मक अस्थिरता को भी अपराध का एक महत्वपूर्ण कारक माना है। साधारणतया अपराधी संवेगात्मक दृष्टि से असन्तुष्ट व्यक्ति होते हैं। अगर एक व्यक्ति में हीनता की भावना है तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप वह हिंसात्मक कार्य करके यह अनुभव करने का प्रयत्न कर सकता है कि वह भी किसी से कम नहीं है अर्थात् वह भी साहसी और शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार प्रेम के विषय में असन्तुष्ट व्यक्ति यह सिद्ध करने के लिये कि वह भी इस विषय में किसी से पीछे नहीं है यौन सम्बन्धी अपराध कर सकता है। चोरी भौतिक पदार्थों की इच्छा अथवा प्रतिशोध के कारण भी हो सकती है।

विलियम ह्वाइट (१६३३) ने तीन प्रमुख संवेगों का उल्लेख किया है – प्रेम, घृणा एवं दोष। प्रेम के विषय में प्रायः व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। और केवल दो के स्वार्थ एवं सुख को ही प्रधानता देता है, जिसके कारण अन्य व्यक्तियों के प्रति वह अन्याय भी कर सकता है। प्रेम के क्षेत्र में असफल व्यक्ति भी प्रतिशोध की भावना के वशीभूत होकर

अपराध कर सकता है। घृणा व्यक्ति को स्वभावतः ही अन्यायी एवं कठोर बना देती है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरूपयोग कर बैठता है। यहाँ तक कि दूसरों की हत्या करना भी ऐसे व्यक्ति के लिए कठिन नहीं होता है। घृणा से ही दोष की जागृति होती है। इस प्रकार एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और वह उसे प्राप्त न कर सका जिससे प्रेम घृणा में बदल गया। परिणामतः वह अपने प्रेमी को नष्ट करने या कष्ट पहुंचाने का प्रयास करने लगता है इस प्रकार उसका असन्तुष्ट संवेग उसे अपराधी व्यवहार की ओर क्रियाशील करता है।

प्रायः जीवन में बार–बार नैराश्य की स्थिति आने पर असन्तुष्ट हुआ व्यक्ति दूसरों को परेशान चाहता है ताकि अन्य भी असन्तुष्ट रहें। परन्तु विद्वानों का विचार है कि मात्र संवेगात्मक अस्थिरता ही अपराध का प्रमुख कारण है यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे सभी व्यक्ति अपराधी होते हैं ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका।

(६) समाज एक कारक के रूप में :

समाज वैज्ञानिकों ने अपराधी व्यवहार की व्याख्या विभिन्न सैद्धान्तिक दृष्टिकोंणों से प्रस्तुत की है। सदरलैण्ड (१६६५) ने १६३६ में विभिन्न संपर्क का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। सदरलैण्ड की प्रमुख अभिधारणा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई असंगत और परस्पर

विरोधी सामाजिक प्रभावों का सामना करते हैं और कई व्यक्ति आपराधिक प्रतिमानों के वाहकों के सम्पर्क में आ जाते हैं। जिसके फलस्वरूप वे अपराधी हो जाते हैं। उसने इस प्रक्रिया को "विभिन्न सम्पर्क" के नाम से पुकारा। सिद्धान्त यह बताता है कि आपराधिक व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के सम्पर्क की प्रक्रिया में सीखा जाता है, मुख्य रूप से छोटे, घनिष्ठ समूहों में। इस विधा में अपराध की तकनीकी का सीखना भी सम्मिलित है।

मर्टन (१६६८) ने जैविक व मनश्चिकित्सक सिद्धान्तों के विरूद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विचलित व्यवहार को समाजशास्त्रीय ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया। मर्टन के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं प्रत्येक समाज इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ संस्थागत नियमों को बनाता है। मर्टन के अनुसार लक्ष्य व साधनों में असमंजस होने से एनोमी उत्पन्न होती है। कुछ सामाजिक संरचनाएं कुछ व्यक्तियों पर अनुरूपित व्यवहार के स्थान पर प्रतिकूलित व्यवहार करने के लिए निश्चित दबाव डालती हैं।

मर्टन ने उन पाँच अनुकूलन के ढंगों की पहचान की है जो समाज के लक्ष्यों और साधनों के प्रति प्रतिक्रया व्यक्त करने वालों के लिए उपलब्ध होते हैं – अनुपालन, नवाचार, विधिवाद, पलायनवादिता और विद्रोह।

	सांस्कृतिक लक्ष्य	संस्थागत नियम
अनुपालन	+	+
नवाचार	+	-
विधिवाद	-	+
पलायनवादिता	-	-
विद्रोह	±	±

+ चिन्ह स्वीकृति को, - चिन्ह अस्वीकृति को तथा ± चिन्ह नवीन की स्थापना को इंगित करता है। क्लोवार्ड और ओहलिन (१६६०) ने सदरलैण्ड तथा मर्टन के सिद्धान्तों का समाकलन कर दिया और अपराधी व्यवहार के एक नये सिद्धान्त को विकसित किया जबकि सदरलैण्ड अवैध साधनों के बारे में बात करता है और मर्टन वैध साधनों में विभिन्नताओं की, क्लोवार्ड और ओहलिन सफलता के लक्ष्यों के लिए वैद्य तथा अवैध दोनों साधनों की विभिन्नताओं के बारे में बात करते हैं। इस सिद्धान्त के महत्वपूर्ण तत्व हैं– (१) एक व्यक्ति का वैध तथा अवैध दोनों अवसरों की संरचनाओं में स्थान होता है। (२) अवैध अवसरों की तुलनात्मक उपलब्धता, व्यक्ति के समंजन की समस्याओं के समाधान को प्रभावित करती है और (३) जब उसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैध अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है और अपनी आकांक्षाओं को कम करने में स्वयं को वह अक्षम पाता है, तो उसे तीव्र नैराश्य का अनुभव होता है और इसके फलस्वरूप वह प्रतिकूल विकल्पों को खोजने

लगता है। इस सिद्धान्त को "विभिन्न अवसर" सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है।

हॉवर्ड बेकर (१६६६) ने अन्तःक्रियात्मक दृष्टिकोण से अपना लेबल सिद्धान्त प्रस्तुत किया। यह सिद्धान्त इस प्रश्न पर विचार नहीं करता कि एक व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है, अपितु यह बतलाता है कि समाज कुछ व्यक्तियों को अपराधी अथवा विचलित कहकर क्यों वर्गीकृत करता है। इस सिद्धान्त के अध्ययन में जो महत्वपूर्ण है वह है, समाज दर्शकगण है न कि व्यक्ति। बेकर ने यह भी कहा कि अपराध में जो महत्वपूर्ण है, वह एक व्यक्ति का कार्य नहीं, अपितु समाज के नियमों तथा अनुसमर्थनों के अनुसार प्रतिक्रिया है। यह सिद्धान्त मर्टन, कोहेन, क्लोवार्ड के उपागम से भिन्न था।

(७) परिवार एक कारक के रूप में :

विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी रूप में परिवार का सदस्य न हो क्योंकि परिवार एक वह स्वरूप है जिसमें हम जन्म लेते हैं और एक वह स्वरूप है जिसमें हम सन्तानों को जन्म देते हैं। परिवार में ही बच्चा सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, कानून का महत्व, दूसरों की जिन्दगी एंव सम्पत्ति के प्रति श्रद्धा तथा अन्य अनेक धारणाएं व आदर्श प्राप्त करता है। इतना ही नहीं परिवार में व्यक्ति को माँ की ममता, पिता का संरक्षण, बहिनों एवं भाईयों का प्यार,

पत्नी का प्रेम आदि प्राप्त होता है। परिणामतः व्यक्ति के व्यक्तित्व का सन्तुलित एवं स्वस्थ विकास होता है। जिससे उसे मानसिक शान्ति मिलती है। जिसके कारण व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में अपराध नहीं करता है।

व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य भी परिवार द्वारा ही होता है। जहाँ अनेक मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं एवं परम्पराओं के माध्यम से स्वस्थ पारिवारिक जीवन का अस्तित्व होता है। यही परिवार जब विघटित हो जाता है तब व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति में निहित लालच, प्रतिशोध, ईर्ष्या, आदि की प्रवृत्तियाँ होती हैं जिन्हें परिवार द्वारा मानवीकृत किया जाता है तथा यदि परिवार द्वारा ऐसा न हो पाया तो व्यक्ति इन्ही पाशविक प्रवृत्तियों के कारण अपराध करने लगता है।

परिवार में यदि माता अथवा पिता का आवश्यकता से अधिक आधिपत्य या नियंत्रण होता है तो परिवार में कलह, तनाव, असहयोग, अशान्ति आदि का बाहुल्य होता है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसी प्रभाव के कारण पारिवारिक सदस्यों में अनेक प्रकार के अपराधी व्यवहार पनप सकते हैं। जैसे पत्नी से परेशान रहने वाला व्यक्ति तनावमुक्त होने के लिए शराब का सेवन प्रारम्भ कर दे या पत्नी की हत्या ही करने को उद्यत हो उठे।

कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या विवाह विच्छेद के माध्यम से अलग–अलग रहने लगते हैं। तो इन टूटे हुए परिवारों में सामान्य व्यक्ति का जीवन असन्तुलित हो जाता है। यह मानसिक असन्तुलन भी कभी अपराध की ओर अग्रसर कर बैठता है। इसी तरह विधुर या तलाकशुदा व्यक्ति शराब पीने लगता है यौन अपराध करता है या वैश्यागमन आरम्भ कर सकता है। कैदियों के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में किये गये अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलते हैं कि उनमें से अधिकांश कैदी टूटे परिवारों के ही हैं।

विद्वान सिरिल वर्ट (१९४४) का कथन है कि परिस्थिति के आधार पर अपराधी तथा गैर अपराधी किशोरों में महत्वपूर्ण अन्तर पारिवारिक अनुशासन है। यह अनुशासन परिवारों में निम्न रूप में पाये गये जैसे अनुशासन के प्रति माता–पिता की उदासीनता, माता–पिता की नैतिक, शारीरिक एवं बौद्धिक कमजोरियां, माता–पिता की अनुपस्थिति, अत्यधिक कठोर अनुशासन या अत्यधिक लाड़–प्यार। निर्धनता से अनुशासनहीनता चार गुना अधिक महत्वपूर्ण है। ग्लुएक (१९५०) का विचार है कि यदि परिवार में बच्चों को उचित ढंग से प्रशिक्षण न मिले तो बच्चे अपराधी हो सकते हैं। अन्धविश्वास, खतरनाक ढंग से जीवनयापन की प्रेरणा, यौन शिक्षा देने में लापरवाही, धार्मिक व्यय, वर्ग पक्षपात आदि अवगुणों का पोषण भी सदस्यों को अपराध के रास्ते में खींच ले जा सकते हैं।

विभिन्न कारागारों एवं सुधारगृहों में निरूद्ध बन्दियों के संदर्भ मे जो अध्ययन किये गये उससे यह पता लगा कि अनेक कैदियों के परिवारों मे अन्य सदस्य किसी न किसी रूप में अपराधी अवश्य ही हैं जैसे वर्ट का कथन है कि इंग्लैण्ड में अपराध तथा भ्रष्टाचार गैर अपराधी की तुलना में अपराधी के परिवारों में पाँच गुना अधिक है। परिवार में अन्य सदस्य भी अपराधी हैं तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव उन सदस्यों पर भी पड़ता है जो कि अपराधी नहीं हैं कारण यह है कि व्यक्ति दूसरे अपराधी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर वैसा ही करने लगते हैं और दण्ड का भय उनमें नहीं रहता है।

केवल अपराधी परिवार ही नहीं अनैतिक परिवार भी व्यक्ति को अपराधी बनाने में एक कारक बन सकता है। जिन परिवारों के सदस्यों में शराब पीने, व्यापार में बेईमानी करने, राजनैतिक भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने, घूस लेने, कालाबाजारी करने, अनैतिक कार्यों में हिस्सा लेने आदि की आदतें पायी जाती हैं, उन्हें अनैतिक परिवार की संज्ञा दी जाती है। इनमें सदस्यों के अपराधी होने की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं।

अतः घर या पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न कारक ऐसे हैं कि किसी न किसी रूप मे व्यक्ति को अपराधी बनाने में मदद करते हैं। यदि अविवाहित सदस्य अपराध करते हैं तो उसके अन्य

कारण हैं और यदि विवाहित सदस्य अपराध करते हैं तो उसके अन्य कारण हो सकते हैं। समन्वित कारकों का प्रतिफल ही अपराध है।

(८) **<u>नगरीकरण एक कारक के रूप में :</u>**

विद्वानों ने अपराध एवं नगरीकरण में यह सह सम्बन्ध निकाला है क्योंकि इस प्रतिक्रिया का भी प्रभाव व्यक्ति को अपराधी बनाने में सहायता करता है। नगरीकरण के माध्यम से प्रायः संयुक्त परिवारों का विघटन होता है और एकांकी परिवारों का जन्म होने लगता है, व्यक्ति नौकरी की खोज में गाँव छोड़कर नगरों की ओर पलायन करते हैं। शहर में गाँव की अपेक्षा खर्च भी अधिक होता है। इन कारणों से प्रायः व्यक्ति अकेले ही रहते हैं। अतः उनके बच्चे उनसे अलग रहने के कारण अपराधी हो सकते हैं।

बहुत से अपराधी अपने अपराध को छिपाने एवं पुलिस से बचने के लिये शहरों में विकसित होने वाली मलिन बस्तियों में आकर बस जाते हैं, परिणामतः उनके सम्पर्क में आने वाले अन्य प्रवासी अपराधी कार्यों में लिप्त होने लगते हैं। इन मलिन बस्तियों के बच्चे शहर के भीड़ भरे क्षेत्रों में जाकर चोरी, जेबकतरी जैसे काम करने लगते हैं या कूड़े के ढेरों से कागज, लोहा, कांच, पॉलीथिन आदि एकत्र करने के साथ–साथ कुछ बड़े अपराधियों के इशारे पर कालाबाजारी या स्मगलिंग करने लगते हैं।

नगरों में ऐसे अनेक प्रलोभन होते हैं जो व्यक्ति को सरलता से अपने पंजों में जकड़कर अपराधी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं जैसे सिनेमा, थियेटर, नाइट क्लब, जुए के अड्डे, वैश्यालय, शराब की दुकानें, विलासी जीवन, फैशन, रोमान्स, धन का बहाव आदि। मनोरंजन के साधनों में बढ़ती हुयी अश्लीलता, कामोत्तेजक स्थितियाँ, मारकाट, हत्या आदि अन्य अपराध सम्बन्धी नये–नये तरीके भी व्यक्ति को अपराधी बनाने में सहायक सिद्ध हाते हैं। नगरों की भीड़–भाड़ में इनको पहचानना भी कठिन हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण कुछ ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है जो अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में सहायक होता है।

(६) **<u>औद्योगीकण एक कारक के रूप में :</u>**

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकीय उन्नति के परिणामस्वरूप विकसित औद्योगीकरण की प्रक्रिया एवं अपराध के मध्य भी विद्वानों ने सहसम्बन्ध निकाला है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया सामान्यतया सामुदायिक जीवन में कमी करके वैयक्तिक सम्बन्धों को क्षीण करती है, परिणाम यह हुआ कि समूह के आकार में वृद्धि होने से कोई व्यक्ति किसी को व्यक्तिगत रूप से न जानता है और न पहचानता ही है। अर्थात् व्यवहार नियंत्रण की दृष्टि से किसी पर किसी का कोई प्रभाव नहीं रह पाता है। इससे स्वेच्छाचारिता पनपती है। जिससे उसके अपराधी होने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं।

औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन मात्र धन पर केन्द्रित कर रखा है जिससे व्यक्ति वैध या अवैध तरीकों से अधिकाधिक धनार्जन करना चाहता है। जिससे वह मिलावट, भ्रष्टाचार, घूस, कालाबाजारी, तस्करी जैसे कार्यों में संलग्न हो जाता है जो अन्ततः उसे अपराधी बना देते हैं। इसके साथ–साथ धन का असमान वितरण एवं पूंजीवाद को विकसित करके भी व्यक्ति को अपराध करने को मजबूर किया जाता है।

कुछ विद्वानों का मत है कि आर्थिक समृद्धता भी अपराधों को जन्म देने में सहायक है क्योंकि समृद्ध काल में लोगों के पास अधिक धन होता है और वे उस धन को शराब, जुआ, वैश्यागमन, रात्रि क्लब, सिनेमा आदि में पानी की तरह बहाते हैं। जो व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। औद्योगीकरण ने स्त्रियों को भी काम करने के समान अवसर दिये हैं परिणामतः स्त्रियों भी पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर दिन रात काम करने लगी हैं। इसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक ही संस्थान में काम करने वाले युवक एवं युवतियां धीरे–धीरे प्रेम बन्धन में बंधकर व्यभिचार एवं विवाह पूर्व यौन सम्बन्धों को जन्म देने लगते हैं। जो अपराधी व्यवहार का परिचायक है। अतः औद्योगीकरण भी अपराध का एक कारक है।

(१०) अपराध के आर्थिक कारक :

व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति एवं अपराध में घनिष्ट सम्बन्ध पाया गया है। इस विषय में जो अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर व्यापार चक्र तथा अपराध की दरें, वस्तुओं के दाम तथा अपराध, औद्योगीकरण एवं अपराध आदि के मध्य असंख्य सहसम्बन्ध स्थापित किये गये हैं। डॉ० हेनरी (१९३९) का कथन है कि – "आवश्यकता तथा लालच अधिकतर अपराधों की व्याख्या करते हैं अर्थात् आज की दुनिया में आर्थिक या भौतिक सफलता के आधार पर ही सामाजिक स्थिति या प्रतिष्ठा निर्भर करती है। यही कारण है कि प्रायः लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की धुन में इतना मस्त हो जाते हैं कि उन्हें गैर कानूनी काम करने में भी अधिक संकोच नहीं होता है परिणाम यह होता है कि मात्र निर्धन ही नहीं प्रत्युत धनी लोग भी अपराधों में संलग्न पाये जाते हैं।

सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति आज आर्थिक दृष्टि से अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है और जब वह यह देखता है कि आज की दुनिया में अनैतिक कार्य का पुरस्कार वास्तव में आकर्षक होता है तथा जब वह देखता है कि व्यापार में बेईमानी करने वाला, राजनैतिक भ्रष्टाचार करने वाला, घूस लेने वाला, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला आज की दुनिया में मौज उड़ा रहा है। साथ ही विलासी जीवन व्यतीत करते हुए उच्च प्रस्थिति पा रहा है और 'सर्वेगुणा

काञ्चनमाश्रयंति' की उक्ति को चरितार्थ कर रहा है तो उसमें भी कानून के प्रति आस्था कम हो जाती है और वह भी सन्तोषप्रद आर्थिक जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिऐ लालच में पड़कर अपराध के रास्ते में पदार्पण करने लगता है।

अमेरिकी समाजशास्त्री आल्विन टॉफलर कहते हैं – "आज विकासशील दुनिया के देशों की प्रमुख समस्या आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक इस मायने में कि इस आर्थिक समस्या का बनाये रखने में इच्छाओं का समाजशास्त्र किसी उत्प्रेरक तत्व की भूमिका निभाता है। पूँजीवाद के लक्ष्यहीन उत्पादन ने इच्छा जागरण का जो विज्ञापनी समाजशास्त्र पैदा किया है, वह किसी हिप्नोटिज्म (सम्मोहन) की तरह आज पूरी दुनिया में हावी है। यह इच्छाओं का हिप्नोटिज्म एक बार जब युवाओं के दिलो–दिमाग पर कब्जा करता है तो उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ भी कर गुजरते हैं।

अपराध करने के जिन सम्भावित कारकों की व्याख्या समाजवैज्ञानिकों ने की है उन्हें ही आधार मानते हुए प्रस्तुत शोध में जिन विचाराधीन बन्दियों का अध्ययन किया गया है अथवा चयन किया गया है उन कारकों की खोजबीन करने का प्रयास भी किया जाना आवश्यक हो जाता है जिनके कारण विचाराधीन बन्दी अपराध कर सकते हैं। इसके लिए समस्त बन्दियों (विचाराधीन) से सूचनाएं एकत्र की गयीं

उन्हें तीन प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत करके विश्लेषित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है –

(अ) विचाराधीन बन्दियों की प्राणिशास्त्रीय स्थितियों का विश्लेषण :

किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनाने या अपराध करने हेतु प्रेरक के रूप में कतिपय प्राणिशास्त्रीय कारक भी विशेष उत्तरदायी माने जाते हैं। इस संदर्भ में सभी विचाराधीन बन्दियों से तथ्य संकलित किये गये जिन्हें तालिका संख्या ६.१ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ६.१

विचाराधीन बन्दियों की प्राणिशास्त्रीय स्थितियों का विश्लेषण

क्र० सं०	प्राणिशास्त्रीय कारक या स्थितियाँ	सूचनादाताओं के विचार		योग/ प्रतिशत
		स्वीकृति प्रतिशत	अस्वीकृति प्रतिशत	
१.	शारीरिक दोष या रोग	६०(२०%)	२४०(८०%)	३००(१००%)
२.	वंशानुसंक्रमण	५४(१८%)	२४६(८२%)	३००(१००%)
३.	मानसिक दुर्बलता	६६(२२%)	२३४(७८%)	३००(१००%)
४.	संवेगात्मक अस्थिरता	२०४(६८%)	९६(३२%)	३००(१००%)
५.	नशाखोरी	२५५(८५%)	४५(१५%)	३००(१००%)

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ८५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि उनमें नशाखोरी की आदत है जो कभी कभी उन्हें विचलित कर देती हैं, ६८ प्रतिशत बन्दी यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें गुस्सा या दया जैसी संवेगात्मक अस्थिरता का शिकार होना पड़ता है जिससे वे कभी कभी असन्तुलित से हो जाते हैं। २० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी शारीरिक रूप से अपने को निर्बल या दोषी मानते हैं जबकि २२ प्रतिशत सामान्य मानसिक स्थिति से अपनी मानसिक स्थिति को कमजोर मानते हैं इसके साथ–साथ मात्र १८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी अपराध का कारण वंशानुसंक्रमण ही स्वीकार करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विचाराधीन बन्दियों के संदर्भ में नशाखोरी एवं संवेगात्मक अस्थिरता ही वे प्राणिशास्त्रीय कारक हैं जिनके कारण इन्हें कारागार में निरूद्ध होना पड़ता है।

(ब) विचाराधीन बन्दियों की आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण :

समाजशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक सम्पन्नता या विपन्नता भी व्यक्ति को अपराध की ओर अग्रसर करती हैं। अतः विचाराधीन बन्दियों से किये गये प्रश्नों के आधार पर तथ्य प्राप्त किये गये जिन्हें तालिका संख्या ६.२ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ६.२

विचाराधीन बन्दियों की आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण

क्र० सं०	आर्थिक कारक या स्थितियाँ	विचाराधीन बन्दियों के विचार		योग/ प्रतिशत
		सहमत प्रतिशत	असहमत प्रतिशत	
१.	आर्थिक विपन्नता	१३५(४५%)	१६५(५५%)	३००(१००%)
२.	आर्थिक सम्पन्नता	४५(१५%)	२५५(८५%)	३००(१००%)
३.	बेरोजगारी	२२५(७५%)	७५(२५%)	३००(१००%)
४.	व्यापार चक्र का संकट	१६५(५५%)	१३५(४५%)	३००(१००%)

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ७५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी किसी सरकारी नौकरी में न होने के कारण बेरोजगार हैं तथा ४५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी आर्थिक रूप से इतने अधिक गरीब हैं कि वे अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह ५५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि विगत वर्षों में उन्हें अपने व्यापार (निजी कार्य) में घाटा उठाना पड़ा है जिससे वे परेशान रहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बेरोजगारी, व्यापार चक्र का संकट एवं आर्थिक विपन्नता वे आर्थिक कारक हैं जिनके कारण कतिपय विचाराधीन बन्दी कारागार में निरूद्ध हैं।

(स) विचाराधीन बन्दी एंव पारिवारिक कारक :

व्यक्ति के जीवन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार का कठोर अनुशासन, अपराधी प्रवृत्ति के परिवारजन, पारिवारिक संघर्ष, विखण्डित परिवार, वैवाहिक, असमंजन आदि कुछ ऐसे प्रमुख पारिवारिक कारक हैं जिनके प्रभाव से प्रायः व्यक्ति असन्तुलित, विघटित या विचलित होकर जाने–अनजाने अपराध कर बैठता है। अतः विचाराधीन बन्दियों से इन कारकों के विषय में तथ्य संकलित किये गये जिन्हें तालिका संख्या ६.३ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ६.३

विचाराधीन बन्दियों के पारिवारिक कारकों का विश्लेषण

क्र० सं०	पारिवारिक कारक या स्थितियाँ	विचाराधीन बन्दियों के विचार		योग/ प्रतिशत
		सहमत प्रतिशत	असहमत प्रतिशत	
१.	अनुशासन की कठोरता	६६(२२%)	२३४(७८%)	३००(१००%)
२.	अपराधी परिवार	३६(१२%)	२६४(८८%)	३००(१००%)
३.	पारिवारिक संघर्ष	१२०(४०%)	१८०(६०%)	३००(१००%)
४.	विखण्डित परिवार	९०(३०%)	२१०(७०%)	३००(१००%)
५.	वैवाहिक असमंजन	५४(१८%)	२४६(८२%)	३००(१००%)

तालिका संख्या ६.३ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र ४० प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में संघर्ष की स्थितियाँ रहती हैं, ३०

प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों ने स्वीकार किया है कि उनके परिवार विखण्डित प्रकृति के हैं, २२ प्रतिशत सूचनादाता यह स्पष्ट करते हैं कि उनके परिवारों में अपेक्षाकृत कठोर अनुशासन रहता है, १८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी वैवाहिक असमंजन की पुष्टि करते हैं जबकि मात्र १२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि उनके परिवार का वातावरण अपराधी प्रकृति का रहता है। अतः कहा जा सकता है कि मात्र पारिवारिक संघर्ष ही एक ऐसा पारिवारिक कारक है जिसके कारण विचाराधीन बन्दी कारागार में निरूद्ध हुए हैं।

प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बन्दियों द्वारा प्रदत्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नशाखोरी, संवेगात्मक अस्थिरता, बेरोजगारी, व्यापार चक्र का संकट आदि ही वे कारक हैं जिनके कारण विचाराधीन बन्दी कारागार में निरूद्ध हैं या अपराध जगत में प्रवेश कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

१. इलियट एम.ए. एवं मेरिल एफ.ई – सोसल डिगआर्गनाजेशन, हार्पस एण्ड ब्रास, न्यूयार्क १६५०.

२. रिचार्ड डुगडेल – द जूक्स : ए स्टडी इन क्राइम पैनपेरिज्म एण्ड हियरडिटी पटनम, न्यूयार्क १८७७.

३. इस्ताब्रुक, ए. एच. – द जूक्स इन १६१५, वाशिंगटन १६१६.

४. चार्ल्स गोरिंग – द इंगलिश कन्विक्ट, लन्दन १६१३.

५. ई.ए. हूटन – क्राइम एण्ड द मैन, हरवार्ड यूनीवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज १६३७.

६. मैक्स, ए. स्क्लैप एवं एडवार्ड एच. स्मिथ – द निउ क्रिमिनालार्ज बोनी एण्ड लिवराइट, न्यूयार्क १६२८.

७. हेनरी एच. गोडार्ड – जुवेनाइल डेलिक्वेन्सी, डाड मीड एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क १६२१.

८. हरमन एम. एडलर – द स्कोप ऑफ द प्रोब्लेम ऑफ डेलिन्क्वेंसी एण्ड क्राइम ऐस रिलेटेड टू मेन्टल फिफिसिएन्सी, जनरल ऑफ साइको – एसथेंनिक्स भाग–३०, १६२५.

६. साइमन एच. टुलवन्विन – इन्टेलीजेन्स एण्ड क्राइम, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, प्रेस, १६३६.

१०. विलियम ए. व्हाइट – क्राइम्स एण्ड क्रिमिनल्स, रिनहार्ट एण्ड कम्पनी न्यूयार्क, १६३३.

११. सिरिक वर्ट – द यंग डेलिक्वेन्ट, यूनीवर्सिटी ऑफ लन्दन प्रेस, लन्दन, १६४४.

१२. ग्लुएक एण्ड ग्लुएक – अनरेविंग जुवेनाइल डेलिन्क्वेंसी, द कॉमन वैल्थ फण्ड, न्यूयार्क, १९५०.

१३. हेनरी इ. वार्न्स – सोसाइटी इन ट्रान्जीशन, प्रेन्टिस हाल, न्यूयार्क, १९३९.

१४. पाल डब्लू टप्पन – जुवेनाइल डेलिन्क्वेन्सी एम.सी.–ग्रा. हिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क, १९४९.

१५. बेकर हावर्ड – सोशल प्रोब्लम्स : ए माडर्न एप्रोच, जॉन विले एण्ड सन्स, न्यूयार्क, १९६६.

१६. मेर्टन आर. के. – सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, दि फ्री प्रेस, न्यूयार्क, १९६८.

१७. सदरलैण्ड ई. एच. एण्ड क्रेसी डी. आर. – प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलोजी (छठा सं०), दि टाइम्स ऑफ इण्डिया प्रेस, बम्बई, १९६५.

अध्याय-७

कारागारों का वर्तमान परिवेश एवम् विभिन्न विचाराधीन बन्दियों पर पड़ने वाले प्रभाव

कारागारों का वर्तमान परिवेश एवं विभिन्न विचाराधीन बन्दियों पर पड़ने वाले प्रभाव

विश्व का ऐसा कोई भी भूखण्ड नहीं है और इतिहास का ऐसा कोई भी समय नहीं है जब किसी न किसी रूप में अपराध का अस्तित्व न रहा हो। चूँकि समाज व्यवस्थापन की दृष्टि से यह प्रक्रिया हानिकर है। अतः प्रत्येक समाज में अपराध की प्रकृति के अनुसार अपराध निरोध के प्रयास भी किये जाते हैं। अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी के रूप में दण्डनीय है किन्तु अपराधी भी एक मानव ही है और मानव से गलती होना नितान्त स्वाभाविक है। मानव समाज की यह मौलिक जिम्मेदारी है कि गलती करने वाले अपराधी की उन परिस्थितियों का अध्ययन करके अपराधी की दिशा निर्देशन, सुधार एवं नियमन किया जाय जिससे वह पुनः भविष्य में अपराध न करे। इस प्रकार अपराधी को अस्वस्थ वातावरण से अलग करके उसके पूर्ण सुधार हेतु जिस संस्था को विकसित किया गया है। उसी को बन्दीगृह या कारागार कहते हैं।

बन्दीगृहों का सैद्धान्तिक (सुधारात्मक) पक्ष जितना श्रेष्ठ है, व्यावहारिक पक्ष उतना ही विचारणीय है। कारागार जीवन में आज जितने ही अधिक सुधार हुए हैं अपराधियों की संख्या में निरन्तर उतनी ही वृद्धि हो रही है। इसका आशय यह नहीं है कि जेल की योजनाएं गलत हैं बल्कि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जिससे जेलों

का वर्तमान परिवेश बन्दियों पर अस्वस्थ प्रभाव डाल रहा है। कारागारों के वर्तमान परिवेश में जो कमियाँ हैं उन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है –

१. प्रायः यह देखा जाता है कि जेलों में सभी प्रकार के अपराधियों को एक साथ रखा जाता है जिसके दुष्परिणाम से प्रथम अपराधी भी प्रायः भयंकर अपराधी बनने की प्रेरणा एवं तकनीकें सीख लेते हैं। इस प्रकार वर्गीकरण अभाव अपराधियों का सुधार करने की अपेक्षा उन्हें भयंकर अपराधी बनाने में मदद करता है।

२. जेल जीवन भी दूषित एंव विरोधी दशाओं का केन्द्र होता है ये बन्दी शारीरिक एवं मानसिक रूप से पंगु होकर पशुवत् एक स्थान पर ही बंधे रहते हैं, भविष्य की अनिश्चितता इन्हें पुनः इसी प्रक्रिया में वापस कर देती है साथ ही कैदियों के साथ जो अभद्र व अमानवीय व्यवहार किया जाता है वह भी उनके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

३. बन्दी एंव बन्दीगृह के प्रति जनदृष्टिकोंण का दूषित होना भी इसमें सहायक हैं यदि कोई व्यक्ति निर्दोष होने पर भी मात्र शंका के आधार पर एक बार जेल चला जाय तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को शंकालु भावना से मूल्यांकित कर उससे घृणा की जाती है और जेल से निर्दोष छूटने पर भी उसका सामाजिक सामन्जस्य नहीं हो पाता है। और उसके दुबारा से अपराधी बनने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं।

४. सामान्यतः गरीब, अशिक्षित एवं असहाय व्यक्ति जेल भेज दिये जाते हैं चूँकि बन्दी सरकार द्वारा दण्डित, समाज द्वारा तिरस्कृत एवं भाग्य द्वारा उपेक्षित व्यक्ति होता है। अतः उसका सब तरह से शोषण होता रहता है इसमें कारागार तन्त्र, पुलिस प्रशासन, न्यायालय तन्त्र एवं पुराने अभ्यस्त बन्दी सम्मिलित रूप से उसका शोषण करते हैं।

५. प्रायः जेलकर्मी अप्रशिक्षित जैसे ही होते हैं जो बन्दियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जेल कर्मचारी अपराधियों के सुधारक माने जाते हैं लेकिन जब वे बीमार (अनैतिक) होंगे तो फिर दूसरों का इलाज कैसे करेंगे।

६. विभिन्न जेल सुधार समितियाँ सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिशें करती रहती हैं। परन्तु जेल जीवन में सामान्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में बन्दियों का जीवन नर्क तुल्य रहता है।

उपरोक्त प्रतिकूल कारागार–परिवेश के कारण प्रायः बन्दियों में सुधार की अपेक्षा उनके अपराधी बनने की सम्भावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। प्रस्तुत अध्याय में विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक, पारिवारिक व वैयक्तिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण उनसे प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है।

(१) कारागार में निरूद्ध होते समय विचाराधीन बन्दियों की मनःस्थिति का विश्लेषण :

प्रायः पेशेवर अपराधी इतने नियोजित तरीके से अपराध करते हैं कि वे सामान्य परिस्थिति में पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाते हैं और पुलिस कागजी खानापूरी करने के लिए सीधे–सरल व्यक्तियों को पकड़कर बन्द कर देती है या पेशेवर अपराधी जिस व्यक्ति की मुखबिरी से पकड़े जाते हैं उनकी उस व्यक्ति के प्रति बदला लेने की भावना होती है। इसके साथ–साथ विरोधी व्यक्ति पुरानी रंजिश के कारण बदला लेने की भावना से निरपराधी व्यक्ति को भी नामजद करके उसके नाम रिपोर्ट कर देती है। जिसे पुलिस विवश होकर सम्बन्धित व्यक्ति को पकड़कर बन्द कर देती है। बिना कारण के जब व्यक्ति पकड़कर कारागार में बन्द कर दिये जाते हैं तो उनमें प्रतिशोध एवं विरोध की भावना प्रबल होती है। इसी प्रकार के अन्य कई संदर्भ हो सकते हैं जिनके कारण पकड़े गये बन्दियों के मन में बदले की भावना उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बन्दियों से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि जेल में निरूद्ध होते समय इस संदर्भ में उनकी समनः स्थिति कैसी रही। प्राप्त समस्त तथ्यों को तालिका संख्या ७.१ में प्रस्तुत किया गया है –
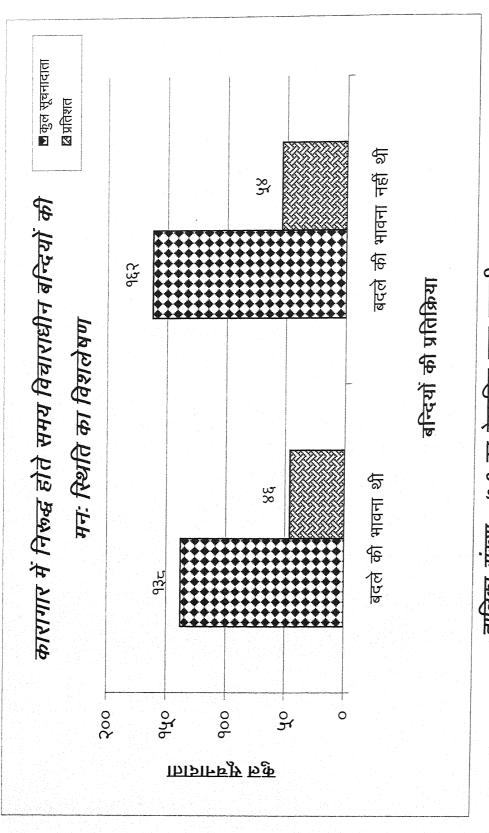
तालिका संख्या - ७.१ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ७.१

कारागार मे निरूद्ध होते समय विचाराधीन बन्दियों की मनः स्थिति का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों की प्रतिक्रिया	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बदले की भावना थी	१३८	४६%
२.	बदले की भावना नहीं थी	१६२	५४%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ५४ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों में बदले की भावना नहीं थी अर्थात् वे जानते थे कि किसी न किसी रूप में उनकी संलग्नता अपराध विशेष में रही हैं या वे इतने निर्बल हैं कि बदला ले ही नहीं सकते किन्तु इसके विपरीत ४६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों में बदले की भावना थी अर्थात् या तो इन्हें निर्दोष फंसाया गया है या ये अधिक शक्तिशाली अथवा पेशेवर अपराधी हैं कि बदला लेना इनकी शक्ति सीमा में आता है।

(२) बन्दियों द्वारा प्रकट बदले की भावना के पक्ष :

जिन ४६ प्रतिशत बन्दियों में बदले की भावना थी उनके यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है कि किसके प्रति उनकी यह
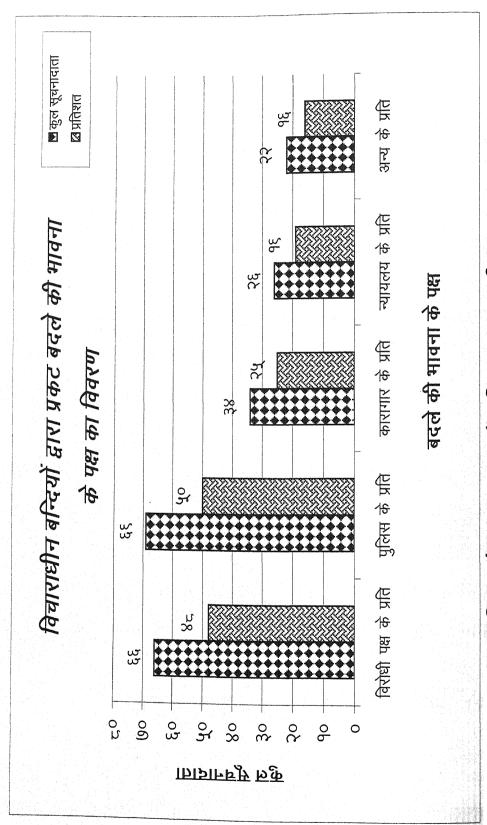
तालिका संख्या - ७.२ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

(३) विचाराधीन बन्दियों के जेल में रहने के उपरान्त प्रतिशोध की स्थिति :

मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रारम्भ में उत्पन्न हुयी क्रोध की भावना धीरे–धीरे कालान्तर में कम या शान्त हो जाती है किन्तु यदि सबकुछ अस्त–व्यस्त हो गया तो यह भावना और अधिक बढ़ जाती है। अतः जिन बन्दियों में बदले की भावना पायी गयी थी उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि कारागार में इतना समय व्यतीत कर लेने के पश्चात् भी क्या यह भावना है? इस संदर्भ में प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण की दृष्टि से तालिका संख्या ७.३ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ७.३

जेल में रहने के उपरान्त बन्दियों में प्रतिशोध की स्थिति

क्र० सं०	प्रतिशोध की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बदले की भावना थी	१०८	७८%
२.	बदले की भावना अब नहीं थी	३०	२२%
योग –		१३८	१००%

उपरोक्त तालिका इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि ७८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों में अभी भी बदले की भावना है क्योंकि वे यह अनुभव करते हैं कि एक बार कारागार आने पर उनका सबकुछ अस्त–व्यस्त हो गया जिसे वे कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते हैं जबकि २२ प्रतिशत

विचाराधीन बन्दी अब शान्त हो चुके हैं अर्थात वे बदला लेना नहीं चाहते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दियों में अभी भी प्रतिशोध की भावना है।

(४) **विचाराधीन बन्दियों को याद आने वाले व्यक्ति :**

व्यक्ति आपत्ति के अवसर पर अपने सगे सम्बन्धियों को याद करता है तथा उनके द्वारा प्रदत्त उस सहयोग की अपेक्षा करता है जहाँ तक विचाराधीन बन्दियों का संदर्भ है प्रायः ये लोग अपना परिवार, वृद्ध माता–पिता, छोटे–छोटे बच्चे, अविवाहित भाई–बहन, पत्नी आदि को याद करते हैं क्योंकि इनमें यह भय रहता है कि जेल आने के परिणामस्वरूप मेरी गृहस्थी एवं पारिवारिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। अतः इस संवेदनशील तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से यह प्रश्न किया गया कि आपने जेल में आने के बाद सबसे अधिक किसे याद किया। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें विश्लेषण योग्य बनाने के लिये तालिका संख्या ७.४ में रखा गया है –
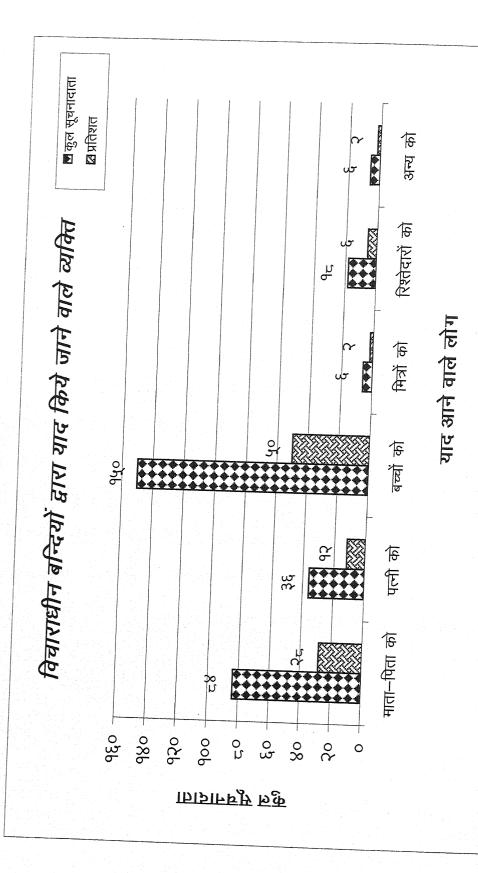
तालिका संख्या - ७.४ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ७.४

<u>विचाराधीन बन्दियों द्वारा याद किये जाने वाले व्यक्ति</u>

क्र० सं०	याद आने वाले लोग	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	माता–पिता को	८४	२८%
२.	पत्नी को	३६	१२%
३.	बच्चों को	१५०	५०%
४.	मित्रों को	०६	०२%
५.	रिश्तेदारों को	१८	०६%
६.	अन्य को	०६	०२%
	योग –	३००	१००%

उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ५० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी जेल के दौरान अपने छोटे–छोटे बच्चों को अधिक याद करते हैं। २८ प्रतिशत सूचनादाता अपने माता–पिता की याद करते हैं क्योंकि इन्हें भय रहता है कि उनकी पारिवारिक परम्परागत प्रतिष्ठा गिर गयी जिससे वे बहुत अधिक दुखी होंगे। १२ प्रतिशत सूचनादाता कारागार में आने के बाद अपनी स्त्री को याद करते हैं और मात्र २ प्रतिशत बन्दियों ने मित्रों को एवं ६ प्रतिशत बन्दियों ने रिश्तेदारों को याद करना स्वीकार किया है। क्योंकि आज के जमाने में दोनों पक्षों से वास्तविक एवं निःस्वार्थ सहयोग मिलना कठिन है। शेष २ प्रतिशत बन्दी या तो किसी को याद नहीं करते या

फिर ईश्वर को याद करना स्वीकार किया है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी कारागृह में निरूद्ध रहने के दौरान माता–पिता एवं बच्चों को सबसे अधिक याद करते हैं क्योंकि पिता एवं पुत्र ही उनको संबल दे सकते हैं।

(५) **कारागार के दौरान विचाराधीन बन्दियों की चिन्ता के सम्बन्ध में :**

कारागार में निरूद्ध व्यक्ति पिंजड़े के पक्षी की तरह असहाय हो जाता है वह अपने परिवार, बच्चों, व्यवसाय, शिक्षा आदि से सम्बद्ध उत्तरदायित्वों का निर्वाह न कर पाने के कारण अनिश्चित भविष्य लिये हुए चिन्तातुर दिखाई देता है एक ओर उसे वकील के माध्यम से अपनी जमानत कराकर जेल से बाहर निकलने की चिन्ता होती है तो दूसरी ओर खोई हुयी पारिवारिक प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिस्थापित करने की। अतः बन्दियों से उनके अन्दर समाहित चिन्ता की स्थिति का पता लगाने के लिये उनसे प्रश्न किया गया कि जेल में आपको सबसे अधिक चिन्ता किसकी रहती है? इस संदर्भ में प्राप्त तथ्यों को विश्लेषित करने के उद्देश्य से तालिका संख्या ७.५ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ७.५

<u>कारागार के दौरान विचाराधीन बन्दियों की चिन्ता के पक्ष</u>

क्र० सं०	चिन्ता के पक्ष	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	परिवार की चिन्ता	११४	३८%
२.	जीविका की चिन्ता	३६	१२%
३.	भविष्य की चिन्ता	१२६	४२%
४.	जमानत की चिन्ता	१५	०५%
५.	अन्य पक्षों की चिन्ता	०६	०३%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ४२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों को कारागार में निरूद्ध रहने के दौरान भविष्य की चिन्ता रहती है क्योंकि बन्दी के मस्तक पर लगा हुआ कलंक उसके भविष्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित तो करता ही है, उसके बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित करता है। ३८ प्रतिशत बन्दी अपने परिवार के विषय में चिन्तित रहते हैं। क्योंकि माता–पिता व परिवारजनों की विरोधी पक्ष से सुरक्षा, बच्चों का लालन–पालन, शादी को सम्पन्न करते सम्बन्धी उत्तरदायित्व, मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक साधनों को जुटाने की परेशानियां आदि चिन्ता के मुख्य कारण रहते हैं। १२ प्रतिशत सूचनादाताओं को अपनी जीविका की चिन्ता रहती है क्योंकि कारागार में रहने के कारण नौकरी, व्यवसाय, उद्योग–धन्धा व कृषि आदि सब कुछ

अनिश्चित व अव्यवस्थित हो जाता है। मात्र ०५ प्रतिशत बन्दियों को अपनी जमानत की चिन्ता रहती है। ३ प्रतिशत ऐसे भी बन्दीगण हैं जिन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी की चिन्ता नहीं है क्योंकि जेल आना–जाना व अपराध करना उनका व्यवसाय–सा है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि अधिक विचाराधीन बन्दी अपने भविष्य एवं परिवार के विविध पक्षों के प्रति चिन्तित रहते हैं।

(६) **विचाराधीन बन्दियों द्वारा किये गये पश्चाताप की मनः स्थिति :**

व्यक्ति क्रोध की अवस्था में या अज्ञानतावश कोई न कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए तथा जिसके कारण उसे कारागार में निरूद्ध होना पड़े। कारागार में आने के उपरान्त विचाराधीन बन्दियों द्वारा भावावेश में किये गये अपराधी कार्यों के प्रति पश्चाताप किया जाता है। प्रायः बन्दियों द्वारा यह कहते हुए सुना जाता है कि क्या बताएं उस समय यदि थोड़ा सा आगा–पीछा सोच लेते या संयम से काम लेते तो यह नौबत नहीं आती । इसी प्रायश्चित की मनःस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बन्दियों से यह पूछा गया कि जेल में आकर क्या आपने अपने किसी काम पर जिसके कारण आपको यहाँ आना पड़ा, पश्चाताप किया है? इस विषय में उत्तरदाताओं से जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उन्हें विश्लेषण हेतु से तालिका संख्या ७.६ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ७.६

बन्दियों द्वारा किये गये प्रायश्चित की मनः स्थिति का विश्लेषण

क्र० सं०	किये गये प्रायश्चित की स्थिति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	किये गये कार्यो के प्रति प्रायश्चित किया है	७५	२५%
२.	किये गये कार्यो के प्रति प्रायश्चित नहीं किया है	२२५	७५%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ७५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों द्वारा किये गये कार्यो के प्रति प्रायश्चित करना स्वीकार नहीं किया गया है। इसके प्रमाण में यही कहा जा सकता है कि या तो विचाराधीन बन्दियों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके कारण उन्हें यहाँ लाया गया। अतः वे अपने को निर्दोष मानते हैं फिर प्रायश्चित किस कार्य के प्रति करें अथवा वे पेशेवर बन्दी अपराधी प्रकृति के हैं जिन्होंने जानबूझकर उन कार्यो को किया है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। अतः स्वयं की इच्छा से किये गये कार्यो के विषय में प्रायश्यित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। २५ प्रतिशत सूचनादाता स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अज्ञानतावश या भावावेश में आकर किये गये अपराधी कार्यो के प्रति प्रायश्चित कर रहे हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों द्वारा किये गये कार्यो के प्रति प्रायश्चित नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने अपराधी कार्य किये ही नहीं हैं।

(७) विचाराधीन बन्दियों द्वारा भविष्य में अपराध न करने का निर्णय :

प्रथम बार अपराधी के कारागार में आने पर जो वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक क्षति होती है उससे घबराकर प्रायः बन्दीगण यह निर्णय ले लेते हैं कि एक बार जो हुआ लेकिन अब भविष्य में कभी भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा। इस मनःस्थिति का मूल्यांकन करने के लिये प्रतिचयित सभी विचाराधीन बन्दियों से यह पूछा गया कि जेल के दौरान क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि अब मैं भविष्य में कोई भी गलत काम नहीं करूँगा? इस प्रश्न से सम्बन्धित उत्तरों को तालिका संख्या ७.७ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ७.७

बन्दियों द्वारा भविष्य में अपराध न करने का निर्णय

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	अपराध न करने का निर्णय लिया है	१३५	४५%
२.	अपराध न करने का निर्णय नहीं लिया है	१६५	५५%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ७.७ में प्रदर्शित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ५५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों द्वारा जेल से मुक्त होने के पश्चात् भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करने सम्बन्धी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि भविष्य में कब कैसी स्थिति आ जाय कुछ कहा नहीं जा सकता। जबकि ४५ प्रतिशत बन्दी सरल भाव से यह प्रकट करते हैं कि मैं भविष्य में अपराध नहीं करूँगा। अतः यह स्पष्ट है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों ने भविष्य में अपराध न करने का निर्णय नहीं लिया है क्योंकि इसमें बहुत कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है।

(८) जेल के दौरान विचाराधीन बन्दियों द्वारा परिवार के उत्थान के लिये बनायी गयी योजनाओं का विवरण :

मानव स्वभाव इतना जटिल एवं गतिशील है कि जब तक व्यक्ति आपत्तियों एवं संघर्षों का सामना नहीं करता हैं तब तक वह लोचपूर्ण जीवन निर्वाह करने में विश्वास करता है लेकिन ठोकर खाने के बाद प्रायः व्यक्ति सम्भलकर चलने का प्रयास करता है। इसी तथ्य की जाँच करने के लिये विचाराधीन बन्दियों से यह प्रश्न किया गया कि जेल में रहते हुए आपने अपने परिवार की उन्नति के लिये क्या कोई कार्य योजना तैयार की है। इस सन्दर्भ में जो तथ्य मिले उन्हें एकत्र कर तालिका संख्या ७.८ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ७.८

जेल के दौरान बन्दियों द्वारा परिवार की उन्नति हेतु बनायी गयी योजनाओं का विवरण

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	योजना बनाई है	६०	२०%
२.	योजना नहीं बनाई है	२४०	८०%
	योग –	३००	१००%

तालिका के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि ८० प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि जेल के दौरान उन्होंने अपने पारिवारिक उत्थान हेतु किसी भी योजना को नहीं बनाया है जबकि २० प्रतिशत सूचनादाता यह स्वीकार करते हैं कि परिवार की सुरक्षा, प्रतिष्ठा व उज्जवल भविष्य के प्रति गम्भीरता से विचार किया है जिसका क्रियान्वयन जेल निष्कासन के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जेल के दौरान अधिकांश पीड़ित व व्यथित बन्दियों ने अपने पारिवारिक उत्थान के लिये किसी निश्चित कार्य योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(६) **जेल के दौरान विचाराधीन बन्दियों से मिलने वाले व्यक्ति :**

किसी व्यक्ति के कारागार में निरूद्ध हो जाने के उपरान्त उसके दुख में हिस्सा बंटाने, उसे धैर्य बंधाने एंव अपराध से सम्बन्धित
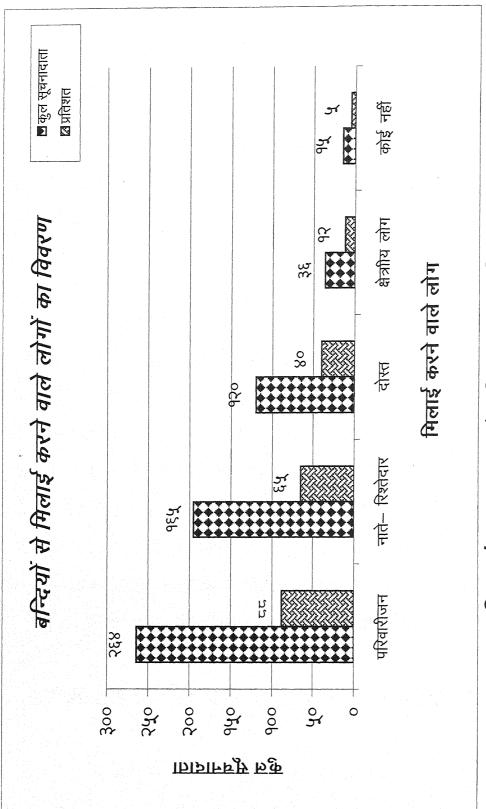
तालिका संख्या - ७.६ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

विभिन्न पक्षों की सही जानकारी करके जमानत आदि की व्यवस्था करने हेतु परिवारीजन, रिश्तेदार, मित्रगण, विपक्षी वर्ग या अन्य लोग बन्दी से मिलने आया करते हैं। जिससे मिलने के लिये अधिक लोग आते हैं वह बन्दी या तो प्रतिष्ठित परिवार का होता है या सरल स्वभाव का निर्दोष व्यक्ति होता है। अतः बन्दी के स्वभाव व प्रतिष्ठा का मूल्यांकन मिलाई करने के लिये आने वाले लोगों की प्रस्थिति से किया जाता है। इसी तथ्य की जाँच करने के लिये प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से पूछा गया कि आपसे जेल में कौन लोग मिलने आते हैं। बन्दियों द्वारा जो सूचनाएं दी गयीं उन्हें तालिका संख्या ७.६ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ७.६

बन्दियों से मिलाई करने वाले लोगों का विवरण

क्र० सं०	मिलाई करने वाले लोग	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	परिवारीजन	२६४	८८%
२.	नाते–रिश्तेदार	१६५	६५%
३.	दोस्त	१२०	४०%
४.	क्षेत्रीय लोग	३६	१२%
५.	कोई नहीं	१५	०५%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ८८ प्रतिशत बन्दियों से मिलाई करने उनके परिवार के सदस्य आते हैं जबकि ६५ प्रतिशत बन्दी यह स्पष्ट करते हैं उनके रिश्तेदार भी उनसे मिलने आते रहते हैं। ४० प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि मित्रगण भी मिलाई करने आते हैं। १२ प्रतिशत ऐसे बन्दी भी हैं जिनसे क्षेत्रीय लोग जनसेवी नागरिक भी उनकी समस्याएं सुनने आया करते हैं जबकि ५ प्रतिशत ऐसे भी दुर्भायशाली बन्दी हैं जिनसे मिलाई करने वाला कोई भी नहीं है। उनका जीवन भगवान के सहारे है। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिकतर विचाराधीन बन्दियों से मिलाई करने उनके परिवारीजन, रिश्तेदार एवं मित्रगण आते रहते हैं।

(१०) **विरोधी पक्ष द्वारा विचाराधीन बन्दियों से मिलने की स्थिति :**

चतुर एवं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति भोले–भाले या सबल अपराधियों को अपने विश्वास में लेने के उद्देश्य से पहले उन्हें फंसाकर जेल में निरूद्ध कराते हैं और बाद में उनसे मिलकर उनकी जमानत आदि कराते हैं इसी तरह कुछ लोग अपने विरोधी को फंसाकर उससे जेल में मिलने मात्र उसकी मनःस्थिति का मूल्यांकन करने या उसे चिढ़ाने के लिये आते हैं ताकि उसे पुनः फंसाने का षड़यन्त्र रचा जा सके। अतः इन स्थितियों का संज्ञान करने के लिये बन्दियों से प्रश्न किया गया कि क्या आपसे कभी वे लोग भी मिलने आये जिनके कारण आप जेल में हैं? इस संदर्भ में संकलित तथ्यों को तालिका संख्या ७.१० में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ७.१०

विरोधी पक्ष द्वारा बन्दियों से मिलने की स्थिति का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	विरोधी पक्ष मिलने आता है	८४	२८%
२.	विरोधी पक्ष मिलने नहीं आता है	२१६	७२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ७२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों से वे लोग मिलने नहीं आते हैं जिनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास से ये लोग कारागार में निरूद्ध हैं जबकि शेष २८ प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि विपक्षी पक्ष के सदस्य भी जेल में मिलने आते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दियों से विपक्ष के लोग मिलाई करने नहीं आते हैं।

(११) कारागार से छूटने के बाद विपक्षी लोगों की विचाराधीन बन्दियों से व्यवहार की प्रकृति :

आमतौर पर यह देखा गया है कि जब बन्दी कारागार से जमानत पर छोड़ दिये जाते हैं या सजा काटने के उपरान्त वापस अपने घर पहुंचते हैं तो विपक्ष के लोग पूर्व जैसा व्यवहार नहीं करते। कुछ विपक्षी लोग इसे पुनः फंसाने का प्रयास करने लगते हैं इनके लिये संघर्ष करना या
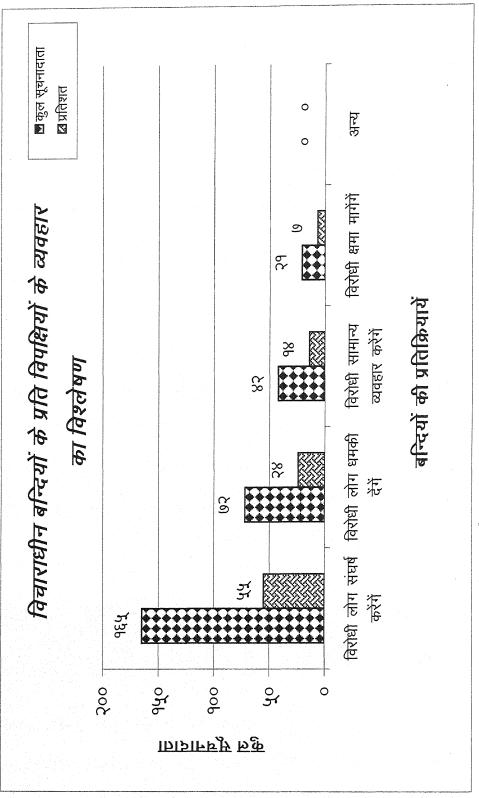
तालिका संख्या - ७.११ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

धमकी देना आम बात है साथ ही सशक्त बन्दी से भयातुर होने की स्थिति में विपक्षी लोग क्षमा याचना करने में विश्वास करते हैं या फिर विपक्षी वर्ग सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। अतः इस पक्ष का मूल्यांकन करने के लिये प्रतिचयित बन्दियों से यह मालूम करने का प्रयास किया गया कि विपक्षी वर्ग का आपके प्रति कैसा व्यवहार हो सकता है बन्दियों द्वारा प्राप्त विचारों को तालिका संख्या ७.११ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ७.११

विचाराधीन बन्दियों के प्रति विपक्षियों के व्यवहार का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों की प्रतिक्रियायें	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	विरोधी लोग संघर्ष करेंगें	१६५	५५%
२.	विरोधी लोग धमकी देंगे	७२	२४%
३.	विरोधी सामान्य व्यवहार करेंगे	४२	१४%
४.	विरोधी क्षमा मांगेंगे	२१	०७%
५.	अन्य	–	–
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से संकेत मिलते हैं कि ५५ प्रतिशत यह स्वीकार करते हैं कि जेल से मुक्त होने के उपरान्त विपक्ष के लोग संघर्ष कर सकते हैं जबकि २४ प्रतिशत सूचनादाता यह संदेह व्यक्त करते हैं कि

विरोधी पक्ष अनेक प्रकार की धमकियाँ दे सकता है जो पुनः अपराध करने में सहायक होंगी। इसके विपरीत १४ प्रतिशत बन्दी यह विश्वास करते हैं कि अब विरोधी भी सामान्य व्यवहार करेंगें जबकि ०७ प्रतिशत बन्दियों की यह भी धारणा है कि जब वे जेल से छूटकर घर जायेंगे तो विपक्ष वर्ग उनसे क्षमा मांगेगा क्योंकि उन्होंने इसे झूठा ही फंसा दिया था। अधिकांश विचाराधीन बन्दी यह शंका रखते हैं कि उनके जेल से मुक्त होकर घर पहुंचने पर विपक्षी लोग धमकियां देंगे एवं संघर्ष करेंगे।

(१२) **विचाराधीन बन्दियों द्वारा परिवारजनों की आर्थिक तंगी के प्रति व्यक्त विचार :**

जब परिवार का कोई सदस्य अपराधी प्रक्रिया में सम्बद्ध होकर जेल में निरूद्ध होता है तब उसे अपराधी कार्य से बचाने, जमानत पर जेल से मुक्त कराने, मुकद्मा लड़ने एवं परिवार चलाने आदि मे परिवार भयंकर आर्थिक तंगी का सामना करने लगता है। अतः इस पारिवारिक तंगी के प्रति बन्दियों की मनःस्थिति का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया तथा उनसे प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या ७.१२ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ७.१२

परिवारीजनों की आर्थिक तंगी के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	परिवारीजन आर्थिक तंगी में होंगे	२४०	८०%
२.	परिवारीजन आर्थिक तंगी में नहीं होंगे	६०	२०%
	योग —	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ८० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि उनके जेल में निरूद्ध होने के कारण उनके परिवारीजन आर्थिक तंगी में होंगे। इसके विपरीत २० प्रतिशत इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वे घर के मुखिया नहीं हैं। अतः उनके परिवारीजनों का आर्थिक संकट में होना असम्भव है। यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के जेल में निरूद्ध रहने के कारण उनके परिवारीजन संकट का सामना कर रहे होंगे।

(१३) परिवारीजनों की मनःस्थिति के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार:

जिस परिवार का व्यक्ति किसी कारण से यदि जेल में निरूद्ध हो जाता है तो उस परिवार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है। जीवन के विविध पक्षों में परिवार के सदस्यों को अपमान का सामना करना पड़ता है। लोग उनके विश्वास व उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं। अतः परिवार के सदस्य निर्दोष होने पर भी मात्र एक व्यक्ति जेल में निरूद्ध होने के कारण शर्मिन्दा होते रहते हैं। इस तथ्य की जाँच करने के लिये प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से उनके परिवारीजनों की मनःस्थिति के संदर्भ में विचार संकलित किये गये। प्राप्त समस्त विचारों को दो विरोधी वर्गों मे विभक्त कर तालिका संख्या ७.१३ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ७.१३

परिवारीजनों की मनःस्थिति के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	परिवारीजन शर्मिन्दगी का सामना कर रहे होंगे	२३४	७८%
२.	परिवारीजन शर्मिन्दगी का सामना नहीं कर रहे होंगे	६६	२२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ७८ प्रतिशत बन्दीगण यह स्वीकार करते हैं कि उनके कारागार में निरूद्ध होने के कारण उनके परिवारीजन शर्मिन्दगी का सामना कर रहे होंगे जबकि शेष २२ प्रतिशत बन्दीजन यह विश्वास व्यक्त करते हैं कि उनके परिवारीजन शर्मिन्दा नहीं होंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के परिवारीजन शर्मिन्दगी का सामना कर रहे हैं।

(१४) जेल से छूटने के पश्चात् विचाराधीन बन्दियों की भूमिकाएं :

जिन ७८ प्रतिशत बन्दियों ने यह व्यक्त किया कि उनके कारागार में निरूद्ध होने के कारण उनके परिवारीजन शर्मिन्दा होंगे। उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि भविष्य में वे इस कलंक, अपमान या शर्मिन्दगी को हटाने के लिये कैसी मनःस्थिति बना रहे हैं। प्रायः लोग जेल से छूटने के बाद एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवनयापन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें निर्दोष फंसाया गया था वे वास्तव में दोषी नहीं थे। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्षतिपूर्ति हेतु बदले की भावना से काम करने का प्रयास करते हैं ताकि जो उनकी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक व पारिवारिक हानि हुई है वैसी ही दूसरों की भी हो। अतः इन दोनों सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिये प्रतिचयित बन्दियों से विचार आमन्त्रित किये गये। प्राप्त विचारों को विश्लेषण के लिये तालिका संख्या ७.१४ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ७.१४

<u>जेल से छूटने के पश्चात् बन्दियों की भूमिकाओं का विवरण</u>

क्र० सं०	बन्दियों की प्रतिक्रियाएं	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	सामान्य जीवन यापन करेंगे (अच्छा नागरिक बनना)	१३१	५६%
२.	विपक्षियों से बदला लेंगे (अपराधी बनना)	१०३	४४%
	योग –	२३४	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ५६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी कारागार से मुक्त होने के उपरान्त सामान्य जीवन यापन करना चाहते हैं अर्थात् वे एक आदर्श नागरिक की भूमिका का निर्वाह करने के पक्षधर हैं जबकि ४४ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी अपने विरोधी लोगों से बदला लेने के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हैं। अर्थात वे पुनः अपराधी बनने के पक्षधर हैं

(१५) **जेल में आने से पूर्व विचाराधीन बन्दियों के आर्थिक संकट की स्थिति :**

व्यक्ति गरीब हो या अमीर उसके जीवन में यदा कदा आर्थिक संकट की स्थिति आ ही जाती है। विचाराधीन बन्दियों से पूछा गया कि क्या

जेल में आने से पहले कभी आपने आर्थिक संकट का सामना किया है ? इस संदर्भ में प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या ७.१५ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ७.१५

जेल में आने से पूर्व विचाराधीन बन्दियों के आर्थिक संकट की स्थिति

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	आर्थिक संकट का सामना किया है	२७०	९०%
२.	आर्थिक संकट का सामना नहीं किया है	३०	१०%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका को देखने से विदित होता है कि ९० प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों ने अपने जेल जीवन से पूर्व जीवन में प्रायः आर्थिक संकट का सामना करते रहे हैं जबकि शेष मात्र १० प्रतिशत बन्दी यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं किया है। अर्थात् अधिकांश बन्दियों ने जेल में आने से पहले आर्थिक संकट का सामना किया है।
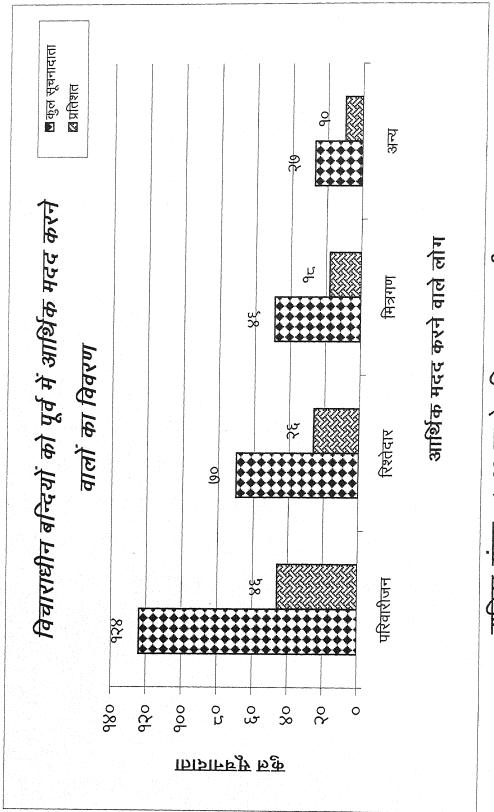
तालिका संख्या - ७.१६ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

(१६) विचाराधीन बन्दियों को पूर्व में आर्थिक मदद करने वाले लोग :

प्रायः लोग उसी व्यक्ति की मदद करते हैं जिसके आचरण के विषय में जरा भी संदेह नहीं होता है। जहाँ तक बन्दियों के जेल जीवन से पूर्व के जीवन में आर्थिक सहायता करने की स्थिति का प्रश्न है यह माना जायेगा कि जो अपराधी नहीं थे उनकी मदद तो कोई भी कर सकता है किन्तु जो अपराधी थे उनकी मदद विशिष्ट परिस्थिति में ही सम्भव होती है। फिर भी मदद भी परिचित लोग ही करते हैं। इस तथ्य को जानने के लिये उन विचाराधीन बन्दियों से प्रश्न पूछा गया कि जिन्होंने आर्थिक संकट का सामना किया था कि इस आर्थिक संकट में आपकी मदद किन लोगों ने की थी इस संदर्भ में जो तथ्य एकत्र हुए उन्हें तालिका संख्या ७.१६ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ७.१६

विचाराधीन बन्दियों को पूर्व में आर्थिक मदद करने वालों का विवरण

क्र० सं०	आर्थिक मदद करने वाले लोग	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	परिवारीजन	१२४	४६%
२.	रिश्तेदार	७०	२६%
३.	मित्रगण	४६	१८%
४.	अन्य	२७	१०%
	योग –	२७०	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ४६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों की आर्थिक सहायता उनके अपने परिवार के लोगों द्वारा ही गयी जबकि २६ प्रतिशत सहायता अपने रिश्तेदारों ने की। १८ प्रतिशत बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि आर्थिक संकट की स्थिति में उनकी मदद करने वाले उनके मित्रगण थे शेष १० प्रतिशत बन्दियों को अन्य लोगों ने मदद की। इनमें ब्याज पर कर्ज देने वाले सेठ, महाजन हैं या बैंक से मिलने वाले कर्ज आदि हैं। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश बन्दियों को आर्थिक सहायता उनके परिवारीजनों एवं नाते रिश्तेदारों द्वारा ही मिलती रही है।

(१७) <u>जेल से मुक्त होने पर विचाराधीन बन्दियों की विश्वसनीयता :</u>

जेल में निरूद्ध होने के बाद व्यक्ति की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जेल से मुक्त होने पर जब बन्दीगण पुनः अपने पूर्व परिवेश में जायेंगे और आर्थिक संकट आयेंगे तो क्या उनकी वे लोग उसी तरह आर्थिक सहायता करेंगे जिस तरह उन्होंने जेल में निरूद्ध होने से पहले की थी? इस प्रश्न का उत्तर विचाराधीन बन्दियों से प्राप्त करने का प्रयास किया गया। बन्दियों द्वारा दिये गये उत्तरों को दो विरोधी वर्गों में निबद्ध कर तालिका संख्या ७.१७ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ७.१७

<u>जेल से मुक्त होने पर विचाराधीन बन्दियों की विश्वसनीयता की स्थिति</u>

क्र० सं०	बन्दियों की प्रतिक्रियाएं	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	पूर्व की तरह लोग आर्थिक सहायता नहीं करेंगे	२०२	७५%
२.	पूर्व की तरह लोग आर्थिक मदद करेंगे	६८	२५%
	योग –	२७०	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ७५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह मानते हैं कि जेल जीवन व्यतीत करने के दुष्परिणाम से उनकी विश्वसनीयता में जो कमी आयेगी उससे लोग आर्थिक मदद नहीं कर पायेंगे जिस विश्वास के साथ पहले करते रहे हैं। जबकि २५ प्रतिशत सूचनादाता यह विश्वास रखते हैं कि जेल में निरूद्ध हो गये तो क्या हुआ चूंकि हम निर्दोष हैं अतः लोग हमारी उसी तरह आर्थिक सहायता करेंगे जैसे पहले करते थे। अधिकांश विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि कारागार में निरूद्ध होने के कारण उनकी विश्वसनीयता कम हो जायेगी।

(१८) पारिवारिक प्रतिष्ठा के विषय में विचाराधीन बन्दियों के विचार :

साधारणतः जब कोई व्यक्ति एक अपराधी के रूप में कारागार में निरूद्ध किया जाता है तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा विपरीत रूप से प्रभावित होती है। परिवारीगणों का सामाजिक जीवन एवं लोगों के साथ पूर्ववत् सामन्जस्य नहीं रह पाता है जहाँ एक ओर परिवार के सदस्यों में हीन भावना होती है वहीं समाज के लोगों का घृणित दृष्टिकोंण भी दिखाई देने लगता है। इस संदर्भ में समस्त प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि क्या कारागार में निरूद्ध होने पर उनके परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी? इस विषय में बन्दियों से जो उत्तर प्राप्त हुए उन्हें तालिका संख्या ७.१८ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ७.१८

पारिवारिक प्रतिष्ठा के प्रभावित होने के संदर्भ में विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी	२३४	७८%
२.	परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगी	६६	२२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचाराधीन बन्दियों में ७८ प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि उनके कारागार निरूद्ध होने के परिणामस्वरूप उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी जबकि इसके विपरीत २२ प्रतिशत बन्दी यह मानते हैं कि उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आयेगी। अधिकांश विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि उनके कारागार में निरूद्ध होने से उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा निश्चय ही प्रभावित होगी।

(१६) बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार :

सामान्य परिस्थिति में जब परिवार का कोई सदस्य कारागार में निरूद्ध हो जाता है तो परिवार के छोटे–छोटे बच्चे बहुत दुखी होते हैं उनके कोमल मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है क्योंकि अन्य बच्चों के साथ इन बच्चों का स्वस्थ समायोजन नहीं हो पाता है। आर्थिक संकट के कारण भी बच्चों की पढ़ाई–लिखाई बाधित हो जाती है। एकांकी परिवार के कुछ बच्चे घर के काम–काज में हाथ बंटाने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। अतः इस पक्ष से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रतिचयित बन्दियों से प्रश्न किया गया कि क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आपके बच्चों का शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन भी प्रभावित होगा? इस संदर्भ मे जो तथ्य प्राप्त हुए उन्हें विश्लेषण योग्य बनाने के लिये तालिका संख्या ७.१६ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ७.१६

बच्चों के शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों की प्रतिक्रिया	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बच्चों का शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन प्रभावित होगा	२५५	८५%
२.	बच्चों का शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन प्रभावित नहीं होगा	४५	१५%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ८५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि उनके कारागार में निरूद्ध होने के कारण उनके बच्चों का शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन प्रभावित होगा जबकि १५ प्रतिशत बन्दी मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दियों के निजी व पारिवारिक बच्चों का शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन कुप्रभावित होगा।

(२०) **बच्चों की नौकरी पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण :**

जब लोगों को नौकरी मिलती है तो उनके एवं उनके परिवार की चारित्रिक श्रेष्ठता की जानकारी क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन से की जाती है। पुलिस रजिस्टर में एक बार नाम अंकित हो जाने से सम्बन्धित व्यक्ति

'हिस्ट्रीशीटर' अर्थात् पेशेवर अपराधी के रूप में माना जाता है। अतः बच्चों के नौकरी करने या नौकरी मिलने में भी दण्ड भोगी बन्दी के कारण विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत सामान्य नौकरी में, यदि अभ्यर्थी प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं है तो, कोई परेशानी नहीं आती है। अतः कारागार जीवन के इस कुप्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये विचाराधीन बन्दियों से पूछा गया कि क्या आप यह सोचते हैं कि आपके बच्चों को नौकरी मिलने या करने पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? इस संदर्भ में प्राप्त तथ्यों को विश्लेषण के उद्देश्य से तालिका संख्या ७.२० में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ७.२०

बच्चों की नौकरी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बच्चों की नौकरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा	१६५	५५%
२.	बच्चों की नौकरी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा	१३५	४५%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ५५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह मानते हैं कि उनके जेल में निरूद्ध होने के कारण उनके बच्चों की नौकरी प्रभावित होगी, जबकि ४५ प्रतिशत बन्दी यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा।

(२१) विचाराधीन बन्दियों के दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण :

कभी कभी आपत्तियों के आगमन से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। निर्धनता व्यक्ति को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है, अतः आर्थिक रूप से सबल व्यक्ति प्रायः बन्दी के दाम्पत्य जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इसके साथ–साथ बन्दी के प्रति उत्पन्न अविश्वास एवं बन्दी की गलत आदतों से परिवार में प्रायः लड़ाई–झगड़ा एवं अस्वस्थ दाम्पत्य जीवन ही अस्तित्व में रहता है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिये विचाराधीन बन्दियों से जानकारी प्राप्त की गई, प्राप्त सूचनाओं को तालिका संख्या ७.२१ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ७.२१

विचाराधीन बन्दियों के दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा	१०६	६५%
२.	दाम्पत्य जीवन प्रभावित नहीं होगा	५६	३५%
	योग –	१६८	१००%

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ६५ प्रतिशत विचाराधीन विवाहित बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि जेल में निरूद्ध होने के परिणामस्वरूप उनका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा जबकि ३५ प्रतिशत बन्दी यह मानते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन अप्रभावित रहेगा। अधिकांश बन्दियों का दाम्पत्य जीवन, कारागार में रहने के कारण प्रभावित होगा।

(२२) बच्चों के विवाह पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार :

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्रतिचयित ३०० विचाराधीन बन्दियों में १८६ बन्दी विवाहित हैं जिनमें १७६ के बच्चे हैं जबकि ७ बन्दी निःसन्तान हैं, अतः १७६ बन्दियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे यह मानते हैं कि उनके जेल में निरूद्ध होने के कारण उनके बच्चों के विवाह आदि पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा। उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाओं को संकलित कर विश्लेषण के लिये तालिका संख्या ७.२२ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ७.२२

विचाराधीन बन्दियों के बच्चों के विवाह पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बच्चों के विवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा	९८	५५%
२.	बच्चों के विवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा	८१	४५%
	योग –	१७९	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ५५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि उनके जेल में बन्द होने से जो पारिवारिक एंव सामाजिक क्षति हुयी है। उसके दुष्परिणाम से उनके बच्चों (पुत्र या पुत्री) के विवाह आदि के सम्पन्न करने में परेशानियाँ निश्चित ही आ सकती हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराधी प्रक्रिया से सम्बद्ध परिवारों में शादी नहीं करना चाहते हैं। इसके विपरीत ४५ प्रतिशत सूचनादाता यह स्वीकार करते हैं कि उनके बच्चों के विवाह सम्पन्न करने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी, अपराध मैंने किया है बच्चों से क्या मतलब। अर्थात् निष्कर्ष यही निकलता है कि अधिकांश बन्दी यह मानते हैं कि उनके बच्चों के विवाह पर कुप्रभाव पड़ेगा ही चाहे जिस रूप में पड़े।

(२३) लोगों द्वारा मिलने वाले स्नेह के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार:

यदि व्यक्ति जाने अनजाने में कारागार की सजा प्राप्त कर लेता है तो उसे अपराधी माना जाता है और जेल से छूटने के बाद व्यक्ति उसे शंका, उपेक्षा या घृणा से देखने लगते हैं जिससे वह उन लोगों से पहले जैसा स्नेह पाने में असमर्थ हो जाता है। अतः इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बन्दियों से जानकारी प्राप्त की गयी तथा प्राप्त प्रतिक्रियाओं को तालिका संख्या ७.२३ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ७.२३

लोगों द्वारा मिलने वाले स्नेह के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	जेल से छूटने पर लोगों द्वारा पहले जैसा स्नेह नहीं मिलेगा	२०४	६८%
२.	जेल से छूटने पर लोगों द्वारा पहले जैसा स्नेह मिलेगा	९६	३२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ६८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह सम्भावना व्यक्त करते हैं कि जेल से छूटने के पश्चात उन्हें पहले की तरह लोगों का स्नेह नहीं मिलेगा क्योंकि उनके ऊपर अपराधी बनने का कलंक लग चुका है लेकिन ३२ प्रतिशत बन्दी अभी भी यही मानते हैं कि उन्हें लोगों का स्नेह पहले की तरह ही प्राप्त होगा। लेकिन वास्तविकता का पता तो तभी चलेगा जब ये लोग जेल से मुक्त होकर वापस अपने निवास स्थान पहुंचेंगे और लोगों से अन्तः क्रियाएं करेंगे। अधिकांश विचाराधीन बन्दी यह मानते हैं कि उन्हें पहले जैसा स्नेह नहीं मिल पायेगा।

(२४) विचाराधीन बन्दियों के स्वास्थ्य पर जेल जीवन का प्रभाव :

जेल में निरूद्ध होने तथा प्रताड़ना मिलने के कारण बन्दियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ बन्दियों को किसी भी स्थिति में हों कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता हैं, जबकि कुछ पेशेवर अपराधी कारागार कर्मचारियों से सांठ–गाँठ करके अधिक सुख–सुविधाएं प्राप्त करते रहते हैं जिससे वे पहले से अधिक स्वस्थ हो जाते हैं। अतः प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों के स्वास्थ्य पर जेल जीवन का पड़ने वाला प्रभाव कैसा है? यह जानने के लिये बन्दियों से प्रतिक्रियाएं आमन्त्रित की गयीं। प्राप्त तथ्यों को विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ७.२४ में प्रस्तुत किया गया है –
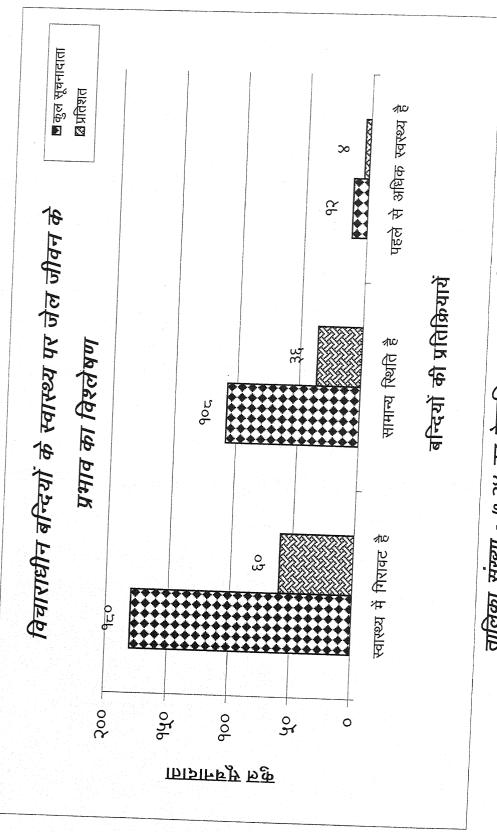
तालिका संख्या - ७.२४ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ७.२४

विचाराधीन बन्दियों के स्वास्थ्य पर जेल जीवन के प्रभाव का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों की प्रतिक्रियाएं	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	स्वास्थ्य में गिरावट है	१८०	६०%
२.	सामान्य स्थिति है	१०८	३६%
३.	पहले से अधिक स्वस्थ हैं	१२	०४%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका इस तथ्य का उद्घाटन करती है कि ६० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह मानते हैं कि जेल जीवन के प्रभाव से उनके स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट आ रही है। जबकि ३६ प्रतिशत बन्दी यह मानते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उनका स्वास्थ्य सामान्य है। इसके विपरीत ०४ प्रतिशत बन्दी यह मानते हैं कि वे अपने को पहले से अधिक स्वस्थ मान रहे हैं।

(२५) विचाराधीन बन्दियों की क्षति के क्षेत्रों का विश्लेषण :

किसी भी व्यक्ति के कारागार में निरूद्ध होने से जो क्षति होती है वह किसी एक ही संदर्भ में नहीं होती है बल्कि अनेक पक्षों में होती है

जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि प्रमुख हैं। अतः विचाराधीन बन्दियों से पूछा गया है कि जेल में आने के कारण आप किस क्षेत्र में सबसे अधिक क्षति का अनुमान लगा रहे हैं? उनके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं को एकत्र कर तालिका संख्या ७.२५ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ७.२५

विचाराधीन बन्दियों द्वारा अनुमानित क्षति–क्षेत्रों का विश्लेषण

क्र० सं०	क्षति–क्षेत्रों की प्रकृति	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	पारिवारिक क्षेत्र में क्षति	१२०	४०%
२.	सामाजिक जीवन में क्षति	८४	२८%
३.	मानसिक स्थिति में क्षति	४५	१५%
४.	शारीरिक स्थिति में क्षति	१५	०५%
५.	आर्थिक स्थिति में क्षति	३६	१२%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ७.२५ के अवलोकन से विदित होता है कि ४० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी जेल में निरूद्ध होने के कारण पारिवारिक क्षेत्र में सबसे अधिक क्षति का अनुमान लगा रहे हैं। २८ प्रतिशत बन्दी यह मानते हैं कि उनका सामाजिक जीवन अधिक अस्त–व्यस्त हो जायेगा। १५ प्रतिशत बन्दी मानसिक रूप से अपने को क्षतिग्रस्त मानते हैं जबकि १२ प्रतिशत बन्दी आर्थिक क्षति को प्रमुख मानते हैं केवल ५ प्रतिशत बन्दी शारीरिक दुर्बलता की क्षति का अनुमान लगा रहे हैं। अतः अधिकांश बन्दी पारिवारिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अधिकतम क्षति का अनुमान लगाते हैं।
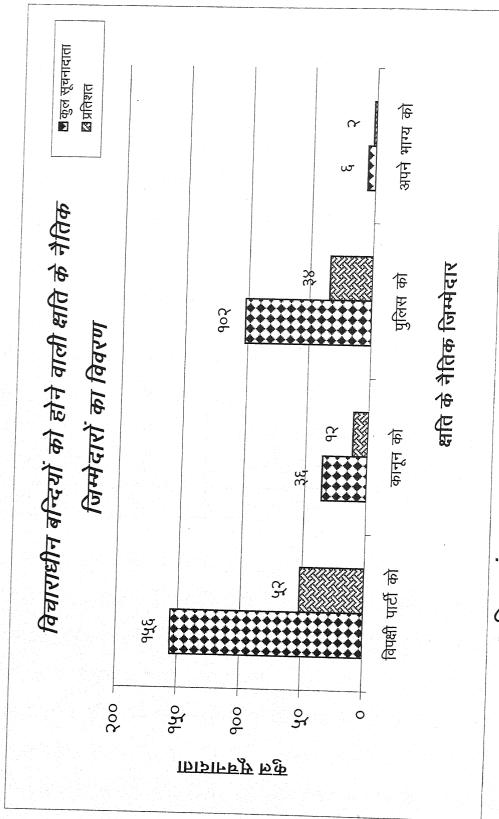
तालिका संख्या - ७.२६ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

(२६) विचाराधीन बन्दियों को हुई क्षति की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में बन्दियों के विचार :

विचाराधीन बन्दी दोष मुक्त होने पर या सिद्ध हो जाने पर बिना सजा या दण्ड के जेल से मुक्त कर दिये जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सबकुछ भूलकर सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन करेंगे। लेकिन जेल जीवन में कुछ दिन गुजारने में जो पीड़ा या वेदना उन्हें विभिन्न पक्षों से मिली है उसका नैतिक जिम्मेदार कौन होगा? यह एक विचारणीय पक्ष है। अतः प्रस्तुत पक्ष का उचित हल प्राप्त करने के लिये विचाराधीन बन्दियों से जानकारी प्राप्त की गयी। इस प्रकार जो भी तथ्य संकलित हुए उन्हें तालिका संख्या ७.२६ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ७.२६

विचाराधीन बन्दियों को होने वाली क्षति के नैतिक जिम्मेदारों का विवरण

क्र० सं०	क्षति के नैतिक जिम्मेदार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	विपक्षी पार्टी को	१५६	५२%
२.	कानून को	३६	१२%
३.	पुलिस को	१०२	३४%
४.	अपने भाग्य को	०६	०२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ५२ प्रतिशत बन्दीगण जेल–जीवन व्यतीत करने के कारण होने वाली क्षति के लिये विपक्षी पार्टी को ही नैतिक जिम्मेदार मानते हैं जबकि ३४ प्रतिशत बन्दी पुलिस को नैतिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं। १२ प्रतिशत बन्दी कानून को एवं ०२ प्रतिशत व्यक्ति अपने भाग्य को ही नैतिक जिम्मेदार मानते हैं। अतः कहा जा सकता है कि बन्दियों को होने वाली क्षति के नैतिक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के लोग एवं पुलिसकर्मी ही हैं जिन्होंने झूठा दोष लगाकर शक के आधार पर निर्दोष लोगों को जेल में निरूद्ध कराने में अमह् भूमिका अदा की थी।

(२७) **क्षति-पूर्ति हेतु विचाराधीन बन्दियों के विचारों का विश्लेषण :**

निर्दोष व्यक्तियों को अकारण अपराधी के रूप में पकड़कर कारागार में निरूद्ध करने के परिणाम से जो पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आदि के रूप में क्षति होती है उसकी पूर्ति होनी चाहिये या नहीं और यदि पूर्ति होनी है तो किस रूप में की जाय? इस तथ्य को जानने के लिये विचाराधीन बन्दियों से प्रश्न पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि इस क्षति की पूर्ति अर्थ (धन) द्वारा की जानी चाहिए? इस पक्ष में जो सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं उन्हें तालिका संख्या ७.२७ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ७.२७

<u>क्षतिपूर्ति हेतु विचाराधीन बन्दियों के विचारों का विश्लेषण</u>

क्रम सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	धन द्वारा क्षतिपूर्ति हो	४५	१५%
२.	धन द्वारा क्षतिपूर्ति न हो	२५५	८५%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ८५ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा जेल में निरूद्ध रहने से जो क्षति हुयी है उसकी पूर्ति धन द्वारा सम्भव नहीं है। अतः धन द्वारा क्षतिपूर्ति करने का कोई फायदा नहीं है। जबकि १५ प्रतिशत बन्दी धन द्वारा क्षतिपूर्ति के पक्ष में सहमति व्यक्त करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी धन द्वारा क्षतिपूर्ति को अनुपयोगी मानते हैं।

अध्याय-८

विचाराधीन बन्दियों के दृष्टिकोण - कारागार प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवम् न्यायपालिका के प्रति

विचाराधीन बन्दियों के विचार एवं दृष्टिकोण - कारागार प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं न्यायपालिका के प्रति

सामान्य व्यक्ति को अपराधी बनाने या अपराधियों को सुधारने में कारागार प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसी व्यक्ति को जब किसी घटना विशेष के सन्दर्भ में पकड़ कर लाते हैं और उससे गहन पूछ–ताछ की जाती है और निर्दोष होने पर भी उसे जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में निरूद्ध कर दिया जाता है। कारागार के अस्वस्थ एवं अभावग्रस्त वातावरण में व्यक्ति पूर्ण रूप से टूट जाता है। इसके बाद न्यायालयों की दुरूह प्रक्रिया, वकीलों की व्यस्तता एवं लापरवाही उसे दिन भर न्यायालय के अंधियारे गलियारों तथा सीलन भरी कोठरी में रहने के बाद कारागार की बैरिकों में लम्बी व काली रातों को काटने के लिये छोड़ जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैंसले में लिखा है कि–न्यायालयों में विचारण की प्रतीक्षा कर रहे बहुत बड़ी संख्या के पुरूष, महिलायें और बच्चे कई वर्षों से जेलों में है। जिनमें से कुछ पर मामूली आरोप है और यदि यह सिद्ध भी हो जाये तो उन्हें कुछ महीनों या सम्भवतः एक या दो वर्षों से अधिक कैद की सजा नहीं हो सकती है और तब भी ये दुर्भाग्यपूर्ण अज्ञात मानव संतानें जेलों में है। क्या हम अज्ञात व्यक्तियों को मानवीय अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे हैं जो अपराध के लिये वर्षो से जेल में दुःख के दिन काटते जा रहे हैं और शायद जो अन्ततः वास्तव में अपराधी न पाये जायें? क्या हम उन तिरस्कृत तथा असहाय व्यक्तियों से

मौलिक स्वतन्त्रता की जिन्दगी नहीं छीन रहे हैं। जिन्हें कई वर्षो तक कारागार की जिंदगी तथा दीनता की जिंदगी काटने के लिये विवश कर दिया है? क्या शीघ्र विचारण एवं बंदीगृह से मुक्ति, मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रता का अंग नहीं है?

"यह न्याय की एक विडम्बना है कि छोटे से आरोप के लिये बहुत से भारतीय गरीब अभियुक्त जेलों में जीवन काटने को मजबूर किये जाते हैं क्योंकि जमानत की प्रक्रिया उनकी मामूली आय से बाहर है जिससे उनका विचारण शुरू ही नहीं होता और यदि शुरू हुआ भी तो कभी समाप्त नहीं होता"

"ऐसी प्रक्रिया जो लम्बी अवधि तक बिना विचारण के इतने अधिक लोगों को जेल में रहने को मजबूर करती है उपयुक्त, उचित और अच्छी नहीं कही जा सकती है कि वह उस अनुच्छेद (भारत के संविधान के अनुच्छेद–२१) की उपेक्षाओं के अनुरूप हो"

ऐसे अभियुक्त रिहा न हो सकने के कारण तब तक कारागारों में ही रहते हैं जब तक न्यायालय उनके मामलों को विचारण हेतु नहीं लेता जिसके गंभीर परिणाम होते हैं अर्थात १. यद्यपि वे निर्दोष रहते हैं तो भी उन्हें मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक रूप से जेल का अलगाव एवं अभावपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। २. वे अपने बचाव की तैयारी के लिये कोई योगदान नहीं कर सकते हैं। ३. और वे अपनी नौकरी खो बैठते हैं। यदि वे

नौकरी करते हैं और इस प्रकार वे अपने परिवार के सदस्यों के भरण–पोषण में अवसर से वंचित कर दिये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके जेल में रहने का भार उनके परिवार में निर्दोष सदस्यों पर पड़ता है। यही कारण है कि सम्प्रति कारागार प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाते हैं। विचाराधीन बन्दी प्रत्यक्ष रूप से इन तीनों पक्षों के सम्पर्क में रहते हैं तथा इनकी कार्यशैली को प्रत्यक्ष रूप से देखते ही नहीं प्रत्युत सहन भी करते हैं। अतः प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों के इस बारे में क्या दृष्टिकोण एवं विचार हैं उनको उजागर करने का प्रयास प्रस्तुत अध्याय में किया जा रहा है।

(१) कारागार में मिलने वाली सुविधाओं के विषय में बन्दियों के विचार :

कारागार में निरूद्ध बन्दियों को कारागार नियमों के अनुसार क्या–क्या सुविधायें मिलनी चाहिये इस तथ्य का ज्ञान हो जाये तो वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के प्रति जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि आपेक्षित सुविधाओं के अभाव में बन्दी का जीवन नर्क समान हो जाता है। समय–समय पर होने वाली कारागार सुधार सम्बन्धी गोष्ठियों में यही सिफारिश की जाती रही है कि कारागार में कैद बन्दियों को और अधिक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें लेकिन व्यावहारिक जीवन में प्रायः बन्दी यह नही जानते कि उन्हें कारागार में क्या–क्या सुविधायें मिलनी चाहिये, जिससे कारागार कर्मचारियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। अतः समस्त प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से यह प्रश्न किया गया कि क्या आपको
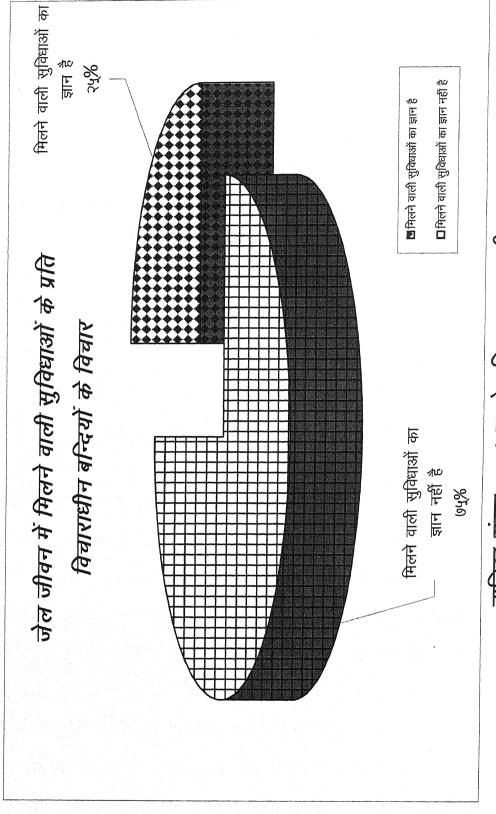
तालिका संख्या - ८.१ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

मालूम है कि कारागार नियमों के अनुसार बन्दियों को क्या–क्या सुविधायें मिलनी चाहिये। इस सन्दर्भ में प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ८.१ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ८.१

जेल जीवन में मिलने वाली सुविधाओं के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	मिलने वाली सुविधाओं का ज्ञान है	७५	२५%
२.	मिलने वाली सुविधाओं का ज्ञान नहीं है	२२५	७५%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ८.१ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ७५ प्रतिशत बन्दीगण यह नहीं जानते हैं कि कारागार नियमों के अनुसार उन्हें क्या–क्या सुविधायें मिलनी चाहिये जबकि शेष २५ प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि सुविधाओं के विषय में उन्हें ज्ञान है। अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दियों को यह ज्ञान नहीं है कि उन्हें नियमानुसार क्या–क्या सुविधायें मिलनी चाहिये।

(२) **<u>जेल में मिलने वाली सुविधाओं के स्तर के विषय में विचाराधीन बन्दियों के विचार :</u>**

चूकिं अधिकांश बन्दियों को सुविधाओं का ज्ञान नहीं होता है इसलिये जेल के दौरान बन्दियों को दी जाने वाली सुविधायें निम्नस्तरीय होती हैं। अतः वे सब कुछ सहन करते रहते हैं। जैसे आवास, शौचालय एवं जल के दूषित होने से क़ैदी बीमार भी हो जाते हैं और भोजन में घटिया किस्म की वस्तुओं का प्रयोग भी घातक हो जाता है। अतः विचाराधीन बन्दियों से पूछा गया कि क्या आपको जेल में मिलने वाली सुविधाओं के स्तर के बारे में ज्ञान है? इस बारे में जो विचार व्यक्त किये उन्हें तालिका संख्या ८.२ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ८.२

<u>जेल में प्राप्त सुविधाओं के स्तर के विषय में बन्दियों के विचार</u>

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	प्रदत्त सुविधओं के स्तर का ज्ञान है	६६	२२%
२.	प्रदत्त सुविधओं के स्तर का ज्ञान नहीं है	२३४	७८%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ८.२ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ७८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों को जेल में प्रदत्त सुविधाओं के स्तर का ज्ञान

नहीं है जबकि २२ प्रतिशत बन्दी यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें जेल जीवन में मिलने वाली सुविधाओं के स्तर का ज्ञान है लेकिन वह स्वयं की परेशानी के कारण इस दिशा के कोई सुधारात्मक प्रयास नहीं कर पाते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दी जेल में मिलने वाली सुविधाओं के स्तर से अपरिचित हैं।

(३) **जेल में होने वाली असुविधाओं के प्रति बन्दियों के विचार :**

कारागार असुविधाओं का केन्द्र माना जाता है ना कि सुविधाओं का। अतः विचाराधीन बन्दियों को असुविधायें होना स्वाभाविक है। बन्दीगण अलग–अलग परिवेशों से आते हैं जिनकी अपनी तरह की जिन्दगी होती है अतः उनके हिसाब से समस्त सुविधायें प्रदत्त नहीं की जा सकती हैं। प्रायः बन्दियों को भोजन, आवास, शौचालय, मनोरंजन, स्नान, पठन–पाठन आदि की असुविधा हो सकती है। अतः प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें किन–किन असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ मे जो तथ्य प्राप्त हुये हैं उन्हें तालिका संख्या ८.३ में दर्शाया गया है –
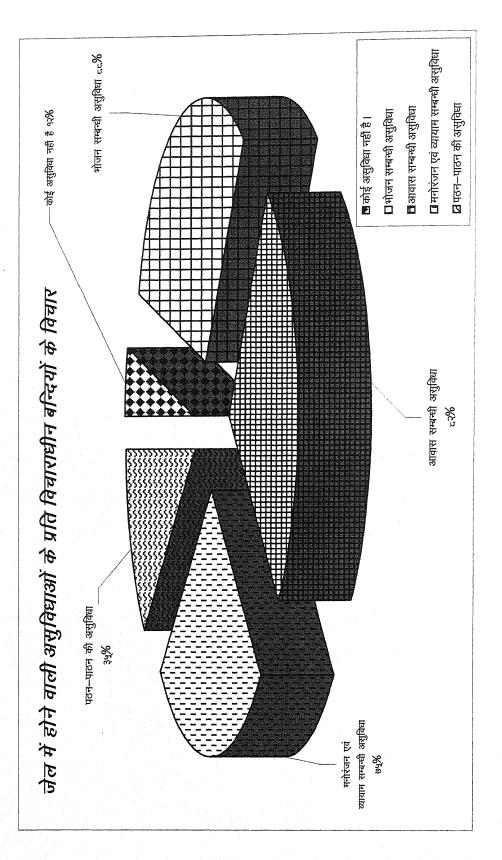
तालिका संख्या - ८.३ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ८.३

जेल में होने वाली असुविधाओं के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों की प्रतिक्रियाएं	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	कोई असुविधा नहीं है	३६	१२%
२.	भोजन सम्बन्धी असुविधा	२६४	८८%
३.	आवास सम्बन्धी असुविधा	२४६	८२%
४.	मनोरंजन एवं व्यायाम सम्बन्धी असुविधा	२२५	७५%
५.	पठन–पाठन की असुविधा	१०५	३५%

उपरोक्त तालिका से यह संकेत मिलता है कि ८८ प्रतिशत बन्दियों को भोजन सम्बन्धी असुविधा मिल रही है तथा ८२ प्रतिशत बन्दियों को आवास (शयनकक्ष, प्रकाश, शुद्ध वायु, स्नानगृह, शौचालय आदि) सम्बन्धी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ७५ प्रतिशत बन्दीगण मनोरंजन एवं व्यायाम सम्बन्धी असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। ३५ प्रतिशत सूचनादाता पठन–पाठन की सुविधा से ग्रस्त हैं जबकि १२ प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार में भोजन, आवास, मनोरंजन एवं व्यायाम सम्बन्धी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

(४) कारागार में मिलने वाले भोजन के प्रति बन्दियों के विचार :

भोजन व्यक्ति की प्रथम एवं अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। अगर व्यक्ति को उचित मात्रा में भर पेट भोजन भी नहीं मिले तो उसका जीवन व्यर्थ है। कारागार में बन्दियों को मात्र जीने हेतु भोजन दिया जाता है। तथा भोजन की गुणवत्ता में भी कमी होती है। अतः इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिये विचाराधीन बन्दियों से पूछा गया कि क्या उन्हें भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यों को विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ८.४ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ८.४

जेल में प्रदत्त भोजन की मात्रा के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है।	३०	१०%
२.	पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है।	२७०	९०%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ८.४ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ९० प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों की यह मान्यता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। जबकि शेष १० प्रतिशत बन्दी यह मानते हैं कि उनकी आवश्यकता के अनुकूल पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है। अतः

निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार में अपर्याप्त मात्रा में भोजन दिया जाता है।

(५) बाहर से भोजन मंगवाने सम्बन्धी सुविधा के प्रति बन्दियों के विचार :

कुछ विचाराधीन बन्दी कारागार के बाहर से भोजन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसके लिये या तो होटल से या अपने सगे सम्बन्धी के घर से ही भोजन सुलभ हो सकता है। लेकिन इसके लिये माध्यम एवं धन की आवश्यकता होती है। अतः कुछ बन्दी कारागार कर्मियों से साँठ–गाँठ करके इस सुविधा का लाभ लेकर बाहर का भोजन मंगाकर खाते रहते हैं कभी–कभी मिलाई करने वाले भी भोजन ले आते हैं, लेकिन जेल कर्मियों की इच्छा के बिना यह कार्य सम्भव नहीं हो सकता है। अतः इस विषय में विचाराधीन बन्दियों से यह जानकारी प्राप्त की गयी तथा प्राप्त समंकों को तालिका संख्या ८.५ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ८.५

बाहर से भोजन प्राप्त करने की सुविधा के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बाहर से भोजन मंगाने की सुविधा सुलभ है।	३६	१२%
२.	बाहर से भोजन मंगाने की सुविधा सुलभ नहीं है।	२६४	८८%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ८८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्पष्ट करते हैं कि बाहर से भोजन प्राप्त की सुविधा नहीं है। कारण यह भी है कि यदि यह सुविधा दे दी जाये तो अपराधी कोई भी सामान बाहर से लाकर किसी भी गम्भीर समस्या को जन्म दे सकते हैं। जबकि १२ प्रतिशत बन्दी बाहर से भोजन आदि प्राप्त कर लेते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कारागार परम्परा के अनुसार बाहर से भोजन आदि सुलभ कराना व्यावहारिक एवं उपयोगी नहीं है।

(६) **कारागार में धूम्रपान आदि की सुविधा के प्रति बन्दियों के विचार :**

वे व्यक्ति जिन्हें किसी न किसी नशे की आदत पड़ जाती है, वे नशे के अभाव में जीवित नहीं रह सकते। अतः नशा करना उनके लिये अनिवार्य हो जाता है। कारागार मे नशीले पदार्थों का वितरण पूर्ण रूप से
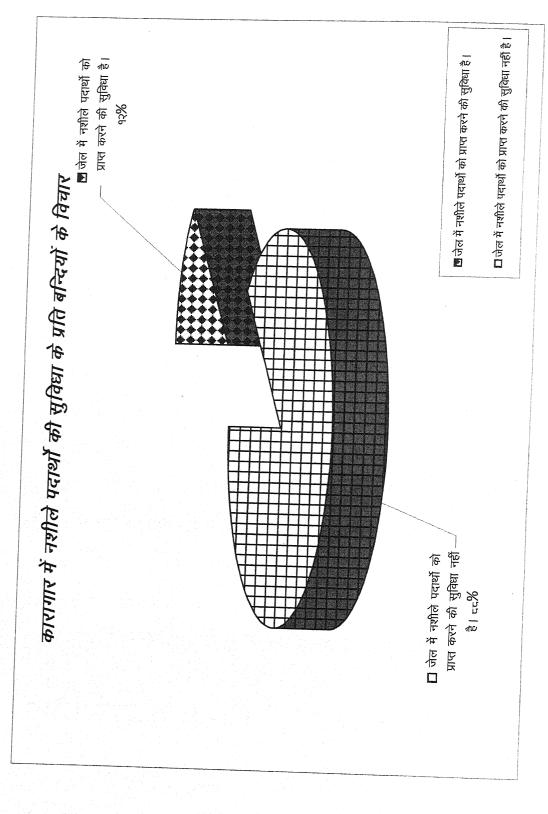
तालिका संख्या - ८.६ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

अवैध है। किन्तु बन्दियों को ऐसा करने से पूर्णतः रोका भी नहीं जा सकता है। जेल तन्त्र द्वारा बन्दियों को किसी न किसी रूप में धूम्रपान की सुविधा सुलभ करा दी जाती है। अतः इस सन्दर्भ में प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से यह प्रश्न किया गया कि क्या आपको जेल में नशीले पदार्थों के सेवन की सुविधा उपलब्ध है? इसके जो भी उत्तर बन्दियों द्वारा प्राप्त हुए उन्हें विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ८.६ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ८.६

कारागार में नशीले पदार्थों की सुविधा के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	जेल में नशीले पदार्थों को प्राप्त करने की सुविधा है	३६	१२%
२.	जेल में नशीले पदार्थों को प्राप्त करने की सुविधा नहीं है	२६४	८८%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ८.६ के तथ्यों से विदित होता है कि ८८ प्रतिशत बन्दीगण यह मानते हैं कि उन्हें जेल में नशीले पदार्थों के प्राप्त होने की सुविधा नहीं है। शेष १२ प्रतिशत बन्दी इसके विपरीत अपनी सहमति व्यक्त करते हैं क्योंकि वे किसी न किसी तरह नशीले पदार्थों की व्यवस्था कर लेते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कारागार में बन्दियों को नशीले पदार्थों की खुली सुविधा सुलभ नहीं है।

(७) बाहर से कुछ मंगाने की व्यवस्था के प्रति बन्दियों के विचार :

जेल परिधि के बाहर से वस्तुएं मंगाने के लिये सामान्यतः जेल में कोई नियमित व्यवस्था नहीं रहती है। फिर भी कारागार–तन्त्र बन्दियों की जरूरत की वस्तुएं अतिरिक्त धन लेकर सुलभ कराने का खतरा उठाते रहते हैं। इस सन्दर्भ में विचाराधीन बन्दियों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि यदि आप बाहर से कुछ मंगाना चाहें तो वस्तु के मूल्य के अतिरिक्त भी कुछ व्यय करना पड़ता है। इस सन्दर्भ में जो सूचनायें प्राप्त हुई उन्हें विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ८.७ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ८.७

बाहर से कुछ मंगाने की व्यवस्था के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बाहर से वस्तुएं मंगाने के लिये जेल–तन्त्र को कुछ अतिरिक्त देना पड़ता है।	२९४	९८%
२.	बाहर से वस्तुएं मंगाने के लिये जेल–तन्त्र को कुछ अतिरिक्त नहीं देना पड़ता है।	०६	०२%
	योग –	३००	१००%

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ९८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि यदि उन्हें कोई वस्तु जेल के बाहर से मंगानी है तो कारागार–तन्त्र को अतिरिक्त धन देना पड़ता है। जबकि मात्र २ प्रतिशत बन्दी ऐसा कुछ व्यक्त नहीं करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि अधिकांश बन्दियों को कारागार से बाहर की वस्तुएं मंगाने के लिये कुछ न कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है।

(८) कारागार द्वारा औषधियों को उपलब्ध कराने के प्रति बन्दियों के विचारः

कारागार में निरूद्ध बन्दी आम नागरिकों की तरह कभी न कभी छोटी मोटी बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। जिसके लिये उन्हें कारागार तन्त्र की ओर से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये, लेकिन कारागार में इन बन्दियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई नहीं होता है। कारागार–तन्त्र के लोग धन के लालच में बाहर से दवाईयाँ लाकर सुलभ करा सकते हैं। लेकिन यदि पास में धन नहीं हे तो दवाईयाँ सुलभ नहीं होती हैं। अतः जेल कर्मचारियों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिये विचाराधीन बन्दियों से यह पूछा गया कि यदि आप किसी बीमारी या अस्वस्थता की स्थिति में कुछ वस्तु, दवा आदि चाहें तो क्या उन्हें जेल कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है? इस सन्दर्भ में उन्हें तालिका संख्या ८.८ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ८.८

कारागार द्वारा दवाईयां आदि उपलब्ध कराने के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाती हैं।	१२	४%
२.	दवाईयाँ उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं।	२८८	९६%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ८.८ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ९६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों को उनकी शारीरिक अस्वस्थता के समय कारागार तन्त्र द्वारा दवाईयों आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तथा शेष ४ प्रतिशत बन्दी यह मानते हैं कि उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अतः निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार तन्त्र की ओर से दवाईयों आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। जो एक चिन्ता का विषय है।

(९) जेल में साफ कपड़े उपलब्ध होने के प्रति बन्दियों के विचार :

कारागार के कर्मचारियों का व्यवहार जानने के लिये बन्दियों को मिलने वाली सुविधाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है। अतः कारागार

में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों से यह पूछा गया कि क्या उन्हें कारागार में स्वच्छ कपड़े पहनने को दिये जाते हैं या गन्दे। इस प्रश्न में बन्दियों ने जो विचार व्यक्त किये उन्हें अवलोकन हेतु तालिका संख्या ८.६ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ८.६

जेल में स्वच्छ वस्त्र उपलब्ध होने के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	कारागार में स्वच्छ वस्त्र पहनने को मिलते हैं।	२४	०८%
२.	कारागार में स्वच्छ वस्त्र पहनने को नहीं मिलते हैं।	२७६	९२%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ८.६ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ९२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों को कारागार तन्त्र द्वारा स्वच्छ कपड़े पहनने हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। जबकि मात्र ८ प्रतिशत बन्दी इसके विपरीत अपने विचार व्यक्त करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार में स्वच्छ कपड़े पहनने हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।

तालिका संख्या - ८.१० का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

(१०) **बन्दियों की स्वच्छता हेतु मिलने वाले साधनों के प्रति बन्दियों के विचार :**

यदि कारागार–तन्त्र की ओर से बन्दियों को नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन आदि नियमित रूप से सुलभ करा दिया जाये तो वे अपने शरीर एवं वस्त्रों की सफाई कर सकते हैं। अतः विचाराधीन बन्दियों से यह प्रश्न किया गया कि क्या आपको नहाने एवं कपड़े धोने के लिये जेल से साबुन आदि मिलता है। इससे सम्बन्धित जो उत्तर प्राप्त हुए उन्हें तालिका संख्या ८.१० में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ८.१०

स्वच्छता हेतु मिलने वाली सुविधाओं के प्रति बन्दियों के विचार
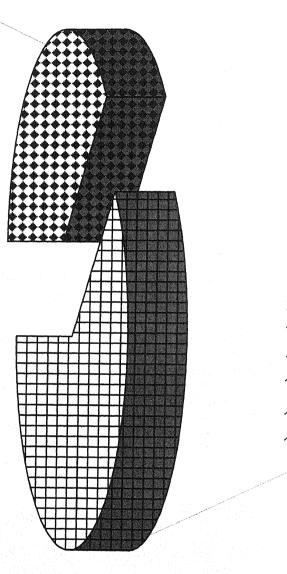
क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	जेल से नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन मिलता है	११४	३८%
२.	जेल से नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन नहीं मिलता है	१८६	६२%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ८.१० के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ६२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों को जेल–तन्त्र की ओर से नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जबकि मात्र ३८ प्रतिशत बन्दी यह विचार व्यक्त करते हैं कि उन्हें कारागार से नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन उपलब्ध हो जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार की ओर से नहाने एवं कपड़े धोने के साबुन की सुविधा नहीं है।

(११) कारागार के स्नानगृहों की स्थिति के प्रति बन्दियों के विचार :

सामान्यतया एक कारागार में ५५० से लेकर ८५० तक विचाराधीन बन्दी निरूद्ध रहते हैं। इतने लोगों के समुचित स्नान एवं स्वच्छता आदि के हिसाब से अनेक स्नानगृहों की आवश्यकता होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में स्नानगृह सुलभ नहीं हैं तथा जो भी हैं उनकी देख–रेख भी बन्दियों को ही करनी पड़ती है। जिससे वे गन्दे ही बने रहते हैं अतः बन्दीजन खुले आसमान में ही नहा लेते हैं या फिर कई कई दिन तक नहाते ही नहीं हैं। अतः उपलब्ध स्नानगृहों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से विचार आमन्त्रित किये गये। प्राप्त विचारों को विश्लेषित करने के उद्देश्य से तालिका संख्या ८.११ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ८.११

कारागार के स्नानगृहों की स्थिति के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	स्नानगृह स्वच्छ रहते हैं	३०	१०%
२.	स्नानगृह गन्दे रहते हैं	२७०	९०%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ९० प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों के विचार से कारागार के स्नानगृह इस योग्य नहीं रहते जिनमें नहाया जा सके। जबकि १० प्रतिशत यह स्वीकार करते हैं कि कारागार में जो भी स्नानस्थल है वे स्वच्छ स्थिति में रहते हैं क्योंकि स्वयं साफ करने पड़ते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार में स्नान कक्ष जैसी कोई सुविधा स्नान करने हेतु सुलभ नहीं है।

(१२) पानी की उपलब्धता के प्रति बन्दियों के विचार :

नहाने, कपड़े धोने या अन्य कार्यों हेतु पानी की उपलब्धता आवश्यक है। जेल में बन्दियों के जीवन में पल पल पर अभाव पैदा करना मानो बन्दियों के अपराधी व्यवहार पर अंकुश लगाने की तकनीक है। अतः नहाने या अन्य कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी सुलभ होना कम से कम

कारागार मे तो दुर्लभ हो ही सकता है। इसी सम्भावना की जाँच के लिए प्रतिचयित बन्दियों से विचार आमन्त्रित किये गये। प्राप्त विचारों को संकलित कर विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ८.१२ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ८.१२

कारागार में पानी की उपलब्धता के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है	४५	१५%
२.	पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता है	२५५	८५%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ८५ प्रतिशत प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है जबकि १५ प्रतिशत बन्दीजन यह स्पष्ट करते हैं कि जेल में उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है। अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जेल में अधिकांश बन्दियों को पानी भी पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं है।

(१३) **जेल में मानसिक विकास हेतु मिलने वाली सुविधाओं के प्रति बन्दियों के विचार :**

समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से व्यक्ति देश–विदेश के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है जिससे वह अपने चारों तरफ के वातावरण से परिचय प्राप्त करता है। कारागार में इन साधनों के उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है किन्तु जेलतन्त्र की उदासीनता से बन्दियों को ये सुविधायें कम ही मिल पाती हैं। इस तथ्य की पुष्टि हेतु विचाराधीन बन्दियों से जानकारी प्राप्त की गयी एवं उपलब्ध तथ्यों को विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ८.१३ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ८.१३

मानसिक विकास हेतु प्राप्त सुविधाओं के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	मिलने वाली सुविधाएं	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	समाचार पत्र उपलब्ध हैं	६०	२०%
२.	पत्रिकाएं उपलब्ध हैं	००	००%
३.	टेलीविजन उपलब्ध हैं	००	००%
४.	रेडियो आदि उपलब्ध हैं	००	००%
५.	कुछ नहीं उपलब्ध हैं	२४०	८०%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ८० प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों को मानसिक विकास हेतु कोई भी साधन यथा – समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टी० वी०, रेडियो आदि उपलब्ध नहीं हैं जबकि २० प्रतिशत बन्दीजन यह व्यक्त करते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह अखबार पढ़ने को मिल जाते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मानसिक विकास के नाम पर बन्दियों को कुछ भी साधन सुलभ नहीं कराये जाते हैं।

(१४) **<u>मनोरंजन की व्यवस्था के प्रति बन्दियों के विचार :</u>**

व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास हेतु मनोरंजन का विशेष महत्व है। खेल जहाँ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं वहीं मानसिक चिन्ता या तनाव दूर करने में भी विशेष सहायक हैं। अतः कारागारों में खेल इत्यादि की सुलभता के प्रति भी सरकार द्वारा प्रयास किये जाते हैं। किन्तु बन्दियों की संख्या की अधिकता के कारण कारागार कर्मी सुचारू रूप से खेलों आदि की व्यवस्था कर नहीं पाते हैं। इसी तथ्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये बन्दियों से आग्रह किया गया कि वे अपने विचार प्रस्तुत करें। इस तरह प्राप्त सूचनाओं को एकत्र कर तालिका संख्या ८.१४ में प्रदर्शित किया गया है –

मनोरंजन की व्यवस्था के प्रति बन्दियों के विचार

मनोरंजन हेतु खेलों की व्यवस्था है । ८%

मनोरंजन हेतु खेलों की व्यवस्था नहीं है। ९२%

तालिका संख्या - ८.१४ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

तालिका संख्या - ८.१४

मनोरंजन की व्यवस्था के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	मनोरंजन हेतु खेलों की व्यवस्था है	२४	०८%
२.	मनोरंजन हेतु खेलों की व्यवस्था नहीं है	२७६	९२%
	योग –	३००	१००%

तालिका संख्या ८.१४ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ९२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह विचार व्यक्त करते हैं कि जेल जीवन में मनोरंजन हेतु खेलों आदि की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि मात्र ०८ प्रतिशत बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि जेल में मनोरंजन हेतु खेलों की व्यवस्था है। अतः स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के लिये जेल जीवन में मनोरंजन हेतु खेलों की व्यवस्था नहीं है।

(१५) **बीमारी की स्थिति में प्राप्त सुविधाओं के प्रति बन्दियों के विचार :**

जेल जीवन तो विचाराधीन बन्दियों के लिये नर्क का घर है। अतः वहाँ इनका बीमार होना स्वाभाविक ही है तथा बीमारी की दशा में योग्य चिकित्सकों से उनकी देख–रेख कराने की जिम्मेदारी जेल कर्मियों की ही होती है। अतः इस सुविधा के प्रति विचाराधीन बन्दीजनों से अपने विचार

प्रकट करने को कहा गया। साक्षात्कार के दौरान जो समंक प्राप्त हुए उन्हें संकलित कर विश्लेषण योग्य बनाने के लिये तालिका संख्या ८.१५ में प्रदर्शित किया गया है। तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ९० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि बीमार हो जाने पर कारागार की ओर से किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। बल्कि व्यक्तिगत प्रयास करके किसी तरह चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जबकि शेष १० प्रतिशत बन्दियों का यह कहना है कि बीमार होने पर विशेष परिस्थिति में जेल कर्मियों द्वारा किसी न किसी तरह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।

तालिका संख्या - ८.१५

चिकित्सा सुविधाओं के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बीमार होने पर कारागार में चिकित्सा सुविधा मिलती है	३०	१०%
२.	बीमार होने पर कारागार में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है	२७०	९०%
	योग –	३००	१००%

(१६) बन्दियों के मध्य किये जाने वाले भेदभाव की स्थिति :

कारागार में निरूद्ध बन्दी प्रायः दो प्रकार के होते हैं – प्रथम विचाराधीन बन्दी एवं दूसरे सिद्धदोष बन्दी। इन दोनों प्रकार के बन्दियों की प्रकृति अलग–अलग होती है इनमें भी उच्च प्रस्थिति एवं निम्न प्रस्थिति वाले बन्दी होते हैं। ऐसी स्थिति में कारागार कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन सभी बन्दियों के साथ पक्षपातरहित समतावादी व्यवहार करें जिससे अनावश्यक भेदभाव उत्पन्न न हो। अतः इस तथ्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से यह प्रश्न किया गया कि क्या कारागार में निरूद्ध विभिन्न प्रकार के कैदियों के मध्य प्रदत्त सुविधाओं के संदर्भ में भेदभाव किया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में जो भी विचार बन्दियों ने दिये उन्हें संकलित कर तालिका संख्या ८.१६ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ८.१६

जेल कर्मियों द्वारा बन्दियों के मध्य किये गये भेदभाव के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों की प्रतिक्रियाएं	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बन्दियों के साथ भेदभाव किया जाता है	२१६	७२%
२.	बन्दियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है	८४	२८%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि ७२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह अनुभव करते हैं कि कारागार में निरूद्ध विभिन्न बन्दियों के मध्य कारागार कर्मियों द्वारा भेदभाव किया जाता है। जिन बन्दियों की जेल कर्मियों से सांठ–गांठ हो जाती है उन्हें प्रायः जेल में समस्त सुविधाएं प्रदत्त होती हैं। और अन्य बन्दियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है जबकि २८ प्रतिशत बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि कारागार में बन्दियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है बल्कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के साथ कारागार तंत्र द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

(१७) **आवासीय सुविधा के प्रति बन्दियों के विचार :**

कारागार में निरूद्ध बन्दियों की संख्या में होने वाली वृद्धि के अनुरूप कारागार में उनके ठहरने की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता है अतः एक कमरे में सीमा से अधिक बन्दियों को रहना पड़ता है। जिससे उनकी घुटनभरी जिन्दगी व्यतीत होती है साथ ही शुद्ध हवा एवं प्रकाश की भी कमी रहती है। अतः प्रतिचयित बन्दियों से आवासीय व्यवस्था से सम्बन्धित मिलने वाली हवा एवं प्रकाश जैसी सुविधाओं की स्थिति के प्रति विचार आमन्त्रित किये गये। प्राप्त समस्त तथ्यों को एकत्र कर विश्लेषण योग्य बनाने के उद्देश्य से तालिका संख्या ८.१७ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ८.१७

कारागार में प्रदत्त आवासीय सुविधा के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	आवास में हवा एवं प्रकाश की पर्याप्त सुविधा है	९६	३२%
२.	आवास में हवा एवं प्रकाश की पर्याप्त सुविधा नहीं है	२०४	६८%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ६८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि उन्हें कारागार में जिस स्थान में ठहरना या विश्राम करना पड़ता है, वहाँ पर प्रकाश एवं हवा की समुचित व्यवस्था नहीं है जबकि ३२ प्रतिशत बन्दीजन यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्रकाश एवं हवादार आवास सुलभ हैं फिर जेल तो जेल (दण्ड) है कोई घर तो नहीं है जहाँ इच्छित सुविधाएं मिल जाती हैं। अतः निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को आवासीय सुविधा के नाम पर प्रकाश एवं वायु प्रचुर मात्रा में सुलभ नहीं हैं।

किये गये श्रम के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचारों का विश्लेषण

कारागार मे परिश्रम का कार्य नहीं करना पड़ता है। ०८%

कारागार मे परिश्रम का कार्य भी करना पड़ता है। ९२%

कारागार मे परिश्रम का कार्य भी करना पड़ता है।

कारागार मे परिश्रम का कार्य नहीं करना पड़ता है।

तालिका संख्या - ८.१८ का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

(१८) कारागार में किये गये श्रम की स्थिति के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार :

कारागार की दैनिक जिन्दगी में बन्दियों के श्रम का विशेष योगदान रहता है। यह काम तो सिद्धदोष बन्दियों से ही लिया जाता है। उसमें भी उत्पादन सम्बन्धी कार्य का कुछ अंश दण्ड के रूप में एवं शेष प्रोत्साहन मूल्य के रूप में। विचाराधीन बन्दी अस्थायी प्रकृति के बन्दी होते हैं। अतः उनसे काम लेना नियम के विरूद्ध है उन्हें तो प्रेरणा प्राप्त करने के लिये या काम सीखने के लिये ही सिद्धदोष बन्दियों को सहायता देनी होती है। इस संदर्भ में विचाराधीन बन्दियों से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या उनसे भी परिश्रम सम्बन्धी काम कराया जाता है। इस प्रकार बन्दियों ने जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं उन्हें एकत्र कर तालिका संख्या ८.१८ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ८.१८

किये गये श्रम के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचारों का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	कारागार में परिश्रम का कार्य भी करना पड़ता है	२७६	९२%
२.	कारागार में परिश्रम का कार्य नहीं करना पड़ता है	२४	०८%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ९२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों को कारागार में निरूद्ध होने के स्थिति में सिद्धदोष बन्दियों की तरह ही कठिन परिश्रम का काम करना पड़ता है अन्यथा उनकी सुविधाओं में कटौती की जाती है। जबकि मात्र ०८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि उन्हें कारागार मे श्रम सम्बन्धी कार्य नहीं करना पड़ता है। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को सिद्धदोष बन्दियों की तरह कठोर श्रम करना पड़ता है।

(१६) **बन्दियों द्वारा जेल में बिताये गये क्षणों का विवरण :**

प्रत्येक व्यक्ति को दैनिक दिनचर्या में कुछ न कुछ समय ऐसा मिलता है जिसे विश्राम के क्षण या खाली समय कहा जा सकता है। आखिर विचाराधीन बन्दी इन खाली क्षणों को कैसे व्यतीत करते हैं यह जानना भी आवश्यक है। जेल जीवन में प्रायः बन्दी एक दूसरे से अपरिचित होते हैं किन्तु अपराध एवं पीड़ा की दृष्टि से एक जैसी प्रकृति के हो सकते हैं। अतः वे आपस में एक दूसरे का सुख–दुख जानकर या एकान्त में अपने परिवार के सदस्यों की याद करके या समाचार पत्र पढ़कर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए विचाराधीन बन्दियों से पूछा गया कि कारागार में आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? बन्दियों द्वारा दिये गये तथ्यों का संकलित कर विश्लेषित करने हेतु तालिका संख्या ८.१६ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ८.१६

<u>जेल में बन्दियों द्वारा बिताये गये खाली समय का विवरण</u>

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	बन्दियों के साथ बातचीत करके	२४०	८०%
२.	घर वालों की याद करके	१८६	६२%
३.	समाचार पत्र पढ़के	६०	२०%
४.	अन्य	६६	२२%

तालिका संख्या ८.१६ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ८० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी अन्य बन्दियों के साथ बातचीत करके अपने खाली समय का सदुपयोग करते हैं जबकि ६२ प्रतिशत बन्दी खाली समय में अपने घरवालों की याद करते रहते हैं। २० प्रतिशत बन्दी ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि वे समाचार पत्र पढ़कर खाली समय व्यतीत कर लेते हैं, इसके साथ–साथ २२ प्रतिशत बन्दी अन्य तरीकों से खाली समय का सदुपयोग करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी अपने खाली समय का प्रयोग अन्य बन्दियों से बातचीत करके एवं घरवालों की याद ही करते हैं।
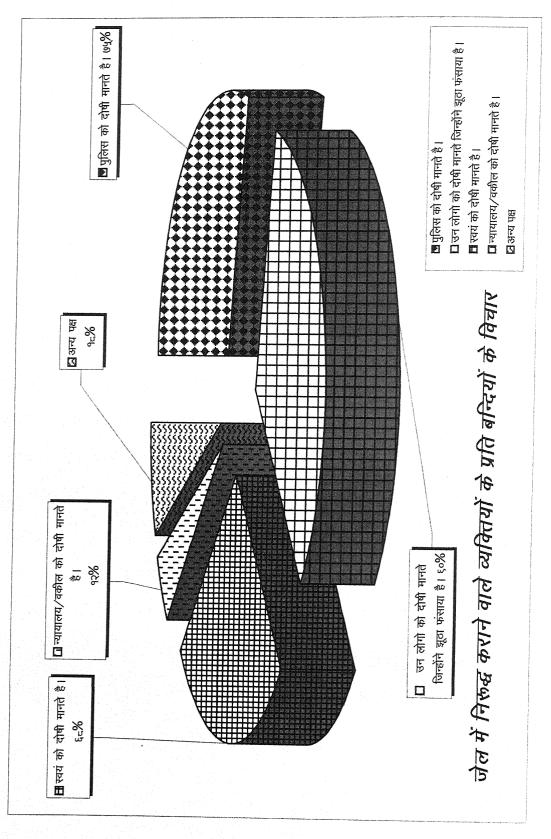
तालिका संख्या - ८.२० का रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुतीकरण

(२०) बन्दियों को जेल में निरूद्ध करने वाले लोगों के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार :

किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के कारण अपराधी के रूप में जेल में निरूद्ध करने का काम पुलिस कर्मचारी ही करते हैं। लेकिन इसके लिये विरोधी पक्ष द्वारा लिखाई गई एफ० आई० आर० ही प्रमुख आधार बनती है या फिर पुलिस मात्र शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में बन्द कर सकती है। प्रतिचयित बन्दियों ने जेल में निरूद्ध होने के लिये किसे दोषी माना है इसकी जानकारी करना भी आवश्यक है। अतः बन्दियों से इस संदर्भ में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उन्हें तालिका संख्या ८.२० में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ८.२०

जेल में निरूद्ध कराने वाले व्यक्तियों के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों को जेल में बन्द कराने वाले लोग	कुल बन्दी	प्रतिशत
१.	पुलिस को दोषी मानते हैं	२२५	७५%
२.	उन लोगों को दोषी मानते हैं जिन्होंने झूठा फंसाया है	२७०	९०%
३.	स्वयं को दोषी मानते हैं	२०४	६८%
४.	न्यायालय/वकील को दोषी मानते हैं	३६	१२%
५.	अन्य पक्ष	५४	१८%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ६० प्रतिशत विचाराधीन बन्दी जेल में निरूद्ध होने के लिये उन लोगों को दोषी मानते हैं, जिन्होंने इनको झूठा फंसाया है मात्र अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिये। ७५ प्रतिशत बन्दीजन पुलिस को दोषी मानते हैं जिन्होंने उन्हें किसी न किसी तरह पकड़कर जेल में निरूद्ध कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी। ६८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी अपने आपको ही दोषी सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहभागिता किसी न किसी अपराधी कार्य में जरूर रही है। १८ प्रतिशत बन्दी इनके अतिरिक्त अन्य पक्षों को दोषी मानते हैं। मात्र १२ प्रतिशत बन्दी न्यायालय एवं वकीलों के अविवेकपूर्ण तर्क–वितर्क को ही कारागार की दीवारों में निरूद्ध होने हेतु दोषी मानते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी विपक्षी पार्टी को, पुलिस कर्मचारियों को एवं स्वयं को ही दोषी मानते हैं।

(२१) **कारागार कर्मियों के व्यवहार के प्रति बन्दियों के विचार :**

बन्दियों की एवं कारागार कर्मियों की अपनी अपनी संस्कृति होती है जो एक दूसरे की विरोधी ही होती है। कारागार कर्मियों द्वारा यदि बन्दियों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता है तो बन्दी, नियमों का उल्लंघन कर विशेष सुविधा भोगी बनकर जेल व्यवस्था को पंगु बनाना चाहते हैं और यदि बन्दियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है तो वे नियंत्रण में तो रहते हैं किन्तु जेल कर्मियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं।

अतः प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों के साथ कारागार कर्मियों द्वारा किये जा रहे व्यवहार को जानने के लिये बन्दियों से सूचनाएं प्राप्त की गयीं। जिन्हें विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ८.२१ में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका संख्या - ८.२१

जेल तंत्र के व्यवहार के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है	१२	०४%
२.	सामान्य व्यवहार है	२४	०८%
३.	तानाशाहीपूर्ण व्यवहार है	२४६	८२%
४.	कठोर व्यवहार है	२४०	८०%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से विदित होता है कि ८२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों के दृष्टिकोण से कारागार कर्मियों का व्यवहार अत्यन्त तानाशाहपूर्ण है। ८० प्रतिशत बन्दीजन यह स्पष्ट करते हैं कि जेल तंत्र का व्यवहार बहुत ही कठोर है। मात्र ८ प्रतिशत बन्दी जेल कर्मचारियों के व्यवहार को सामान्य एवं ४ प्रतिशत सूचनादाता जेल कर्मियों के व्यवहार को कुछ सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति का मानते हैं। अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों की नज़र में कारागार कर्मियों का व्यवहार तानाशाहपूर्ण एवं कठोर प्रकृति का ही है।

(२२) पुलिस के प्रति बन्दियों के दृष्टिकोण का विश्लेषण :

पुलिस एवं अपराधी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं जेल कर्मियों की तरह पुलिस तंत्र की भी अपनी एक अलग संस्कृति एवं पहचान (साख) होती है। अपराधियों को पकड़ने, उन्हें दण्ड दिलाने एवं पकड़े गये अपराधियों से सम्पूर्ण घटनाक्रम को सम्बद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिये पुलिस को विशेष प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति अपराधी होते हुए भी सामान्य व्यवहार से कभी भी अपना अपराध कबूल नहीं करते। साथ ही पुलिस की गिरफ्त से छूटकर भागने का प्रयास भी करते हैं जिससे पुलिस को काफी परेशानी होती है। अतः पुलिस के व्यवहार के प्रति बन्दियों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने हेतु उनसे प्रश्न पूछा गया। इस संदर्भ में विचाराधीन बन्दियों ने जो तथ्य प्रस्तुत किये उन्हें तालिका संख्या ८.२२ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ८.२२

पुलिस के प्रति बन्दियों के दृष्टिकोण का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों का दृष्टिकोण	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	पुलिस जनता की सहायक है	२१	०७%
२.	पुलिस रिश्वतखोर है	२५५	८५%
३.	पुलिस कर्मी भ्रष्ट हैं	२७०	६०%
४.	ऊपरी दबाव में काम करती है	१६५	५५%
५.	जनता की उत्पीड़क है	२१०	७०%
६.	अपने कार्य से अपरिचित है	३६	१२%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ६० प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों के दृष्टिकोण से पुलिस भ्रष्ट है इसके प्रमाण में ८५ प्रतिशत बन्दीजन यह व्यक्त करते हैं कि पुंलिस रिश्वतखोर है। ७० प्रतिशत बन्दीगण यह मानते हैं कि पुलिस तो जनता की उत्पीड़क हैं। ५५ प्रतिशत सूचनादाता यह स्पष्ट करते हैं कि प्रायः पुलिस ऊपरी दबाव में कार्य करती है। १२ प्रतिशत बन्दी यह भी स्वीकार करते हैं कि पुलिस कर्मी यह नहीं जानते कि नियमतः उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मात्र ७ प्रतिशत बन्दीजनों की नज़र में पुलिस का व्यवहार जनता के लिये अच्छा है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विचाराधीन बन्दियों का दृष्टिकोण पुलिस के प्रति अच्छा नहीं है।

(२३) न्यायालय के प्रति बन्दियों के दृष्टिकोण का विश्लेषण :

न्यायालय न्याय के पावन मन्दिर माने जाते हैं जहाँ अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों के विवेकी अभ्यास द्वारा दोषियों को उचित सजा मिलती है तथा निर्दोषी साफ छूट जाते हैं। अनेक कारणों से अब इन न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। विचाराधीन बन्दियों का भविष्य एवं कारागार जीवन से मुक्त होने की स्थिति बहुत कुछ न्यायालयों पर निर्भर है। अतः न्यायालयों के प्रति विचाराधीन बन्दियों ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किये उन्हें संकलित कर तालिका संख्या ८.२३ में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका संख्या - ८.२३

न्यायालय के प्रति बन्दियों के दृष्टिकोण का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों का दृष्टिकोण	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	अच्छा	१२	०४%
२.	तटस्थ	४८	१६%
३.	खराब	२४०	८०%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ८० प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों का न्यायालय के प्रति दृष्टिकोण खराब प्रकृति का है जिसके प्रमाण में बन्दियों ने बहुत–कुछ व्यक्त किया है कि न्यायालय में न्याय बेचा और खरीदा जाता है। गरीबों एवं निर्दोषों की कोई नहीं सुनता है। न्यायालय के लोग राजनीतिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय लोगों के प्रभाव में आकर काम करते हैं आदि। १६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी इस विषय पर तटस्थ हैं क्योंकि वे अभी न्यायालय प्रक्रिया से अपरिचित से हैं शेष ४ प्रतिशत बन्दी न्यायालय के प्रति अच्छा दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दीजन न्यायालय के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखते हैं।

(२४) सिद्धदोष बन्दियों से अलग रखने के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार :

सामान्यतः कारागार में विचाराधीन बन्दियों एवं सिद्धदोष बन्दियों को अलग–अलग रखना चाहिए क्योंकि सिद्ध दोष बन्दी अपने प्रभाव एवं तरीकों से विचाराधीन बन्दियों को अपराधी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं, साथ ही भय द्वारा विचाराधीन बन्दियों का शोषण भी करते हैं। व्यावहारिक तौर पर कारागार में सभी प्रकार के बन्दी एक ही जगह रखे जाते हैं एवं दोनों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जिससे प्रायः विचाराधीन बन्दियों को अनेक कठिनाइयाँ मिलती हैं। अतः इस तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों से प्रश्न

किया गया कि क्या आप चाहते हैं कि आपको सिद्ध दोष बन्दियों के मध्य न रखा जाय? इस प्रश्न के उत्तर में जो तथ्य मिले उन्हें संकलित कर विश्लेषण करने के लिये तालिका संख्या ८.२४ में प्रदर्शित किया गया है –

तालिका संख्या - ८.२४

सिद्धदोष बन्दियों से अलग रखने के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	सिद्ध दोष बन्दियों से विचाराधीन बन्दियों को अलग रखा जाय	२७६	९२%
२.	दोनों को साथ–साथ रखा जाय	२४	०८%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ९२ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी इस पक्ष में है कि उन्हें सिद्ध दोष बन्दियों (अपराधियों) से अलग रखा जाय क्योंकि उनका अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है जबकि शेष ८ प्रतिशत बन्दीजन यह व्यक्त करते हैं कि दोनों प्रकार के बन्दियों को साथ–साथ रखा जाय। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी अपने को सिद्धदोष अपराधियों से अलग रखना चाहते हैं।

(२५) कारागार जीवन के प्रति बन्दियों के विचार :

व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, वह कैसा भी हो, व्यक्ति उस परिवेश से भी कुछ न कुछ अच्छी बात सीख सकता है। इसी तरह कारागार का वातावरण सामान्य जीवन के वातावरण से अच्छा नहीं होता है फिर भी हो सकता है कि जेल जीवन के किसी सन्दर्भ में विचाराधीन बन्दी कुछ शिक्षा पा जाते हों। अतः समस्त प्रतिचयित बन्दियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि उन्हें जेल में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इस सन्दर्भ में जो विचार व्यक्त किये उन्हें एकत्र कर विश्लेषण हेतु तालिका संख्या ८.२५ में दर्शाया गया है –

तालिका संख्या - ८.२५

जेल जीवन से प्राप्त करने वाली शिक्षा के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	नियमित दिनचर्या शिक्षाप्रद रही	२२८	७६%
२.	किसी भी तरह धन कमाना अच्छा है	५४	१८%
३.	जुर्म सहन करना कायरता है	१२	०४%
४.	विरोधी से बदला लेना जरूरी है	०६	०२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ७६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों के लिये जेल जीवन की नियमित दिनचर्या सबसे अच्छी एवं शिक्षाप्रद रही क्योंकि उनकी जीवनचर्या अव्यवस्थित रहती रही है जबकि १८ प्रतिशत बन्दीजन नकारात्मक पक्ष से प्रभावित होकर यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी तरीके से हो पैसा कमाना ही श्रेष्ठ है क्योंकि निर्धनता की स्थिति में व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है। ४ प्रतिशत बन्दियों ने जेल जीवन से यह शिक्षा प्राप्त की कि जुल्म सहन करना कायरता है। अतः जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। मात्र दो प्रतिशत बन्दी यह सीख रहे हैं कि विरोधी से बदला लेना अनिवार्य है अन्यथा सदा के लिये समाज में उनकी इज्जत गिरी रहेगी। अतः निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी कारागार जीवन की नियमित दिनचर्या से प्रभावित हैं और वे जेल से मुक्त होने के उपरान्त नियमित जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे।

(२६) बन्दियों के जीवन को प्रभावित करने वाले पक्ष का विश्लेषण :

विचाराधीन बन्दी जितने समय तक कारागार में निरूद्ध रहे उतने समय में कारागार व्यवस्था, कारागार कर्मचारियों एवं अन्य विचाराधीन एवं सिद्ध दोष बन्दियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्पर्क में रहें। जेल जीवन के इस वातावरण का उनके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? यह जानना भी जरूरी है। क्योंकि जब बन्दीजन जेल से छूटकर अपने आवास को वापस जाते हैं तो अपने लोग जेल जीवन के अनुभव, अच्छाई या बुराई जानने के

उत्सुक रहते हैं। अतः बन्दीजनों पर जेल का प्रभाव कैसा रहा यह जानने का प्रयास किया गया और प्राप्त तथ्यों को तालिका संख्या ८.२६ में रखा गया है–

तालिका संख्या - ८.२६

बन्दियों को प्रभावित करने वाले जेल जीवन के प्रति बन्दियों के विचार

क्र० सं०	बन्दियों का दृष्टिकोण	कुल बन्दी	प्रतिशत
१.	अच्छा प्रभाव पड़ा	१८	०६%
२.	तटस्थ	५४	१८%
२.	खराब प्रभाव पड़ा	२२८	७६%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ७६ प्रतिशत विचाराधीन बन्दियों पर जेल जीवन का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा तथा मात्र ६ प्रतिशत बन्दियों पर जेल जीवन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ–साथ १८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह नहीं समझ पाये हैं कि उन्हें जेल जीवन ने किस तरह प्रभावित किया है क्योंकि वे तटस्थावस्था में पाये गये। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दियों पर जेल जीवन का प्रभाव अच्छा नहीं रहा।

(२७) **अपराध रूपी कलंक को धोने के लिये बन्दियों द्वारा सोची गयी भावी योजना का विश्लेषण :**

विचाराधीन बन्दियों में अधिकांश बन्दी निर्दोष होते हैं कुछ बन्दी भावावेश में प्रथम बार अपराध करने के कारण जेल में निरूद्ध होते हैं जबकि कुछ बन्दी पूर्व में फंसाने वाले विरोधी पक्ष से बदला लेने के कारण पुनः कारागार में निरूद्ध हो जाते हैं। अतः सभी प्रकार के समस्त प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों द्वारा इस संदर्भ में जो भावी योजनायें बनायी गयी हैं उनकी जानकारी करना इसलिये आवश्यक है कि इससे उनके पुनः अपराधी बने सम्बन्धी सम्भावनाओं का पता लग जायेगा। विचाराधीन बन्दियों ने इस संदर्भ में जो तथ्य प्रस्तुत किये उन्हें संकलित कर तालिका संख्या ८.२७ में रखा गया है –

तालिका संख्या - ८.२७

विचाराधीन बन्दियों द्वारा सोची गयी भावी योजना का विश्लेषण

क्र० सं०	बन्दियों के विचार	कुल सूचनादाता	प्रतिशत
१.	अच्छा व्यवहार करेंगे	६०	३०%
२.	विरोधी लोगों से बदला लेंगे	१७४	५८%
३.	सामान्य जीवन यापन करेंगे	३०	१०%
४.	अन्य	०६	०२%
	योग –	३००	१००%

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ५८ प्रतिशत विचाराधीन बन्दी यह स्वीकार करते हैं कि जेल में निरूद्ध होने के कारण जो कलंक उन पर लगा है उसे तब तक नहीं धोया जा सकता है। जब तक विरोधी पक्ष से बदला न लिया जायेगा क्योंकि उन लोगों ने गलत फंसाया है। जबकि ३० प्रतिशत बन्दीजन कारागार से मुक्त होने पर अच्छा व्यवहार करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि निर्दोष होने पर अच्छा व्यवहार ही यह सिद्ध कर सकता है कि अमुक व्यक्ति निर्दोष था। १० प्रतिशत बन्दी जो जीवन से निराश हो चुके हैं उनका मानना है कि वे भविष्य में सामान्य जीवन यापन करने का प्रयास करेंगे। शेष २ प्रतिशत बन्दी अन्य प्रकार की योजनाएं बनाते प्रतीत होते हैं अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जेल से मुक्त होने के पश्चात् भी विचाराधीन बन्दियों में निर्दोष सिद्ध होने के लिये विपक्षी लोगों से बदला लेने की भावना प्रबल है, जिससे उनके पुनः अपराधी बनने का संकेत मिलता है।

अध्याय-६

कारागार कर्मचारियों एवम् अधिकारियों के कार्य की दशा तथा उपलब्ध सुविधाएँ

कारागार कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्य की दशा तथा उपलब्ध सुविधायें

शासन स्तर पर कारागार विभाग का कार्य मुख्य सचिव/सचिव (कारागार) के अधीन हैं। विभाग का अध्यक्ष महानिरीक्षक कारागार होता है जो प्रायः विभागीय संवर्ग का न होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। उनकी सहायता के लिए मुख्यालय पर तीन अपर महानिरीक्षक, एक उप महानिरीक्षक, एक उद्योग निदेशक, एक वित्त नियंत्रक, एक अधिशासी अभियन्ता आदि अधिकारी होते हैं।

जिला स्तर पर जिला कारागार में कारागार का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अधीक्षक कारागार होता है जिसकी सहायता के लिए कारापाल, उप कारापाल, प्रधान बन्दी रक्षक तथा बन्दी रक्षक होते हैं।

इसके अतिरिक्त बन्दियों की चिकित्सा हेतु चिकित्साधिकारी एवं पैरामेडीकल कर्मचारी होते हैं। बन्दियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अम्बर प्रशिक्षक हैं। कार्यालय के कार्य हेतु मंत्रालियक कर्मचारी भी हैं।

समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यों का निर्धारण उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अन्तर्गत होता है। उक्त अधिनियम सौ वर्षों से भी अधिक पुराना है। इन सौ वर्षों में दण्ड एवं कारावास की धारणा में बहुत तेजी से बदलाव आया है। समाज की संरचना, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों मे भी परिवर्तन आये हैं, परन्तु कारागार के नियमों में कोई विशेष परिवर्तन न होने के कारण कारागार कर्मियों के कार्य की दशा एवं मानसिकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

महात्मा गाँधी ने वर्ष १६२४ में अपनी पत्रिका "यंग इण्डिया" में "मेरे जेल के अनुभव" लेख के अन्तर्गत लिखा था कि –

"मैं जानता हूँ कि मेरे सुझावों के अनुसार बन्दियों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को सुधारने का अर्थ होगा, सम्पूर्ण कारागार व्यवस्था में क्रान्ति। निस्सन्देह इसमें बहुत खर्चा आयेगा और इसे क्रियान्वित करने के लिए नई व्यवस्था और नये प्रकार के कर्मियों की आवश्यकता होगी। किन्तु यह अतिरिक्त खर्चा लम्बे समय में चलकर मितव्ययता सिद्ध होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रस्तावित क्रान्ति का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बन्दियों का सुधार होगा और अपराधों में कमी आयेगी। तब जेलें वास्तव में सुधारगृह बन जायेंगी और तब वे अपराधियों को सुधार कर समाज में सम्मानपूर्ण सदस्यों की भाँति पुनः

प्रस्तुत करेंगी। हो सकता है कि यह दूर भविष्य में ही संभव हो। किन्तु हम यदि अपनी परम्परागत मानसिकता से बंधे न रहें तो हमारी जेलों को सुधार गृहों का रूप देना कोई कठिन कार्य नहीं होगा।''

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने ''इण्डिया एण्ड दि वर्ल्ड'' पत्रिका में अपने एक लेख ''प्रिजन लैण्ड'' में १६३४ में लिखा था कि –

''यह नहीं सोचा जाना चाहिये कि इन परिवर्तनों पर बहुत धन व्यय होगा। यदि कारागृहों को आधुनिक व्यावसायिक प्रणाली पर चलाया जाए तो वे न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं बल्कि वे बन्दियों के लिए सुझाई गयी अतिरिक्त सुविधायें जुटाने के पश्चात, लाभ भी कमा सकते हैं। प्रस्तावित सुधारों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है सिवाय इसके कि इस कार्य के लिए एक ऐसे कर्मचारी वर्ग की नितान्त आवश्यकता होगी जो मानवीय विचारधारा वाले हों और जो नये दृष्टिकोण के समझने और क्रियान्वित करने के उत्सुक हों।''

लेकिन वर्ष १६८०–८३ में न्यायमूर्ति आनन्द नारायण मुल्ला (से० नि०) की अध्यक्षता में बनी अखिल भारतीय जेल सुधार समिति की रिपोर्ट में भी कारागार कर्मियों के विषय में अपनी प्रस्तावना में समिति ने

यह लिखा कि – "अधिकांश कारागृहों में भ्रष्टाचार एक जीवनचर्या बन गया है और बन्दी यह सोचने के लिये मजबूर हैं कि भ्रष्ट आचरण के तरीके अपनाये बिना कारागृहों के अन्दर और बाहर फैल रहे वातावरण से निपटा नहीं जा सकता। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जहाँ ऐसा वातावरण हो वहाँ बन्दियों की सुधार प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती। यह सच है कि कारागृहों में व्याप्त भ्रष्टाचार न केवल सारी व्यवस्था को नष्ट कर रहा है बल्कि एक ऐसे हासोन्मुख पर्यावरण को जन्म दे रहा है जिसका बन्दियों की विचारधारा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कोई भी कारागार व्यवस्था तब तक बन्दियों को अमानवीय अनुभवों से नहीं बचा सकती और समाज में उनका पुनर्स्थापन नहीं कर सकती जब तक कि यह स्वच्छ और उद्‌देश्यपूर्ण न हो। अतः प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को कारागार प्रशासन के उन क्षेत्रों की पहचान करने की तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए जिनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस बुराई को समाप्त करने के प्रयास करने चाहिये।"

इस प्रकार विद्वानों, सामाजिक वैज्ञानिकों की राय में कारागार कर्मी अप्रशिक्षित और सहानुभूतिहीन हैं। बन्दियों को सुधारने की भावना जेल अधिकारियों के मन में होती ही नहीं। निर्धारित अनुशासन में किसी न किसी प्रकार बन्दियों की गिनती पूरी रखे रहना और औपचारिक कार्यों को पूर्ण करना मात्र ही कारागार कर्मी अपना कर्तव्य समझते हैं। कारागार में बन्दी भी मशीन की तरह रहते हैं और

वहाँ के कर्मचारी भी अनुशासन और नियन्त्रण की व्यवस्था के जिम्मेदार कारागार कर्मी ही अनुशासन और नियन्त्रण को शिथिल और भंग करने के मुख्य साधन होते हैं।

यद्यपि यह निर्विवाद सत्य है कि कारागार सेवायें बड़ी जटिल हैं और कारागार कर्मियों को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियाँ वहन करनी पड़ती हैं तथा भिन्न–भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, फिर भी आधुनिक प्रबन्ध–व्यवस्था के सिद्धान्तों को कारागार प्रशासन पर लागू नहीं किया गया है। कारागारों को भी अभी भी पुराने, घिसे–पिटे तरीकों से चलाया जा रहा है। अतः हम यह प्रवंचना करते हैं कि प्रबन्ध व्यवस्था विशेषज्ञों द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक कारागार संस्था एवं सम्पूर्ण कारागार व्यवस्था का अध्ययन किया जाना चाहिये और महानिरीक्षक कारागार के कार्यालय से लेकर सुदूर स्थित उन कारागृहों तक के सम्पूर्ण कारागार प्रशासन में प्रबन्ध व्यवस्था के नियम लागू करने हेतु एक योजना बनानी चाहिए।

यद्यपि कारागार कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों के लिये नियम निर्धारित करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर कई बार विचार–विमर्श किया गया है। भारतीय जेल समिति ने १६२० में कहा था कि – "यह अनिवार्य है कि अपराधियों की देखभाल उन व्यक्तियों को

सौंपी जाये जिन्होंने दण्ड विज्ञान प्रणालियों में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है।" इसी प्रकार की सिफारिशें संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ डॉ० डब्लू० सी० केक्लैस ने भी वर्ष १९५१–५२ में की थी, परन्तु आज भी कारागार कार्मिकों के सम्बन्ध मे अपर्याप्त वेतन, असंगत वेतनमानों, सुविधा, अधिक कार्य, बहुत कम पदोन्नति के अवसर तथा कर्मचारी कल्याण योजनाओं की कमी की शिकायत निरन्तर बनी रहती है।

कारागार कर्मियों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो इस समस्या के कुछ ठोस कारण नजर आते हैं। कारागार कर्मियों की कमी के कारण कर्मियों को अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है जो उनकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही कारागार कर्मियों के चयन की प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था न होने के कारण कारागार कार्मिकों का विकास उचित एवं आवश्यक दिशा में नहीं हो पाया है। कर्मचारियों में अपराधियों की देखभाल और व्यवहार जैसे नाजुक विषय से निपटने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण का अभाव है।

इन कारणों के अतिरिक्त एक अन्य कारण जिसका कारागार कर्मियों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वह है रिहायशी क्वार्टरों की कमी तथा उनका खराब रखरखाव। इस कारण से बन्दीरक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को मजबूरन शहर के उन क्षेत्रों में

रहना पड़ता है जहाँ असामाजिक तत्व भी अधिक मात्रा में होते हैं तथा अपराधियों के रहने के ठिकाने भी। समाज में इस प्रकार के अपराधियों के रहने के साथ बन्दीरक्षक एवं अन्य कर्मी थोड़े से लाभ अथवा अपने एवं परिवारजनों की सुरक्षा के खतरों के कारण कारागार कर्मी अपराधियों के साथ निहित स्वार्थों के कारण सहानुभूतिपूर्ण सम्बन्ध बना लेते हैं।

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में कारागार कर्मियों के कार्य की दशा एवं उनको उपलब्ध सुविधायें न तो समाज के दृष्टिकोंण से न ही उनके स्वयं की दृष्टि में संतोषजनक है जिसका दुष्परिणाम बन्दियों को सहना होता है। विचाराधीन बन्दियों के मामले में तो यह स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है क्योंकि उनसे हुई समस्याओं के कारण कारागार में पहले ही उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है।

कारागार कर्मियों द्वारा एक अन्य प्रमुख शिकायत यह है कि उच्च पदों पर अन्य सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उदाहरणतः विभाग का विभागाध्यक्ष विभागीय अधिकारी न होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का अधिकारी हैं, जो कुछ समय के लिये प्रति नियुक्ति पर आते हैं, किसी भी बाहरी सेवा के व्यक्ति को कारागार सेवा में अपेक्षित व्यावसायिक योग्यता, अनुभव एवम् प्रशिक्षण का पूर्ण अभाव है। बाहर से आये अधिकारियों की नियुक्ति कभी–कभी तो इतने

कम समय के लिये होती है कि जब तक वे विभाग के कार्य–कलापों के बारे में प्रारम्भिक जानकारी करते हैं तब तक उनका स्थानान्तरण किसी अन्य पद पर हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि कारागार सेवा में उन पदो को छोड़कर जहाँ विशेषज्ञ सेवाओं की आवश्यकता हो शेष सभी पदों पर विभाग के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिये।

कारागारों में कर्मचारियों की तुलना में विचाराधीन बन्दियों की संख्या अधिक होने के कारण उनके बार–बार प्रवेश, उनकी रिहाई और उनको न्यायालय में प्रस्तुत करना और वहाँ से ले जाना, ये सभी बातें जहाँ एक ओर कारागार के कर्मचारियों के लिये प्रशासनिक समस्याएं पैदा करते हैं वहीं दूसरी ओर इन कार्यों में व्यस्तता के कारण विचाराधीन बन्दियों के सम्बन्ध में अन्य कोई सुधारात्मक कार्यक्रम के लिये कारागार कर्मियों के पास न समय होता है न उत्साह।

कारागार विभाग के बन्दी रक्षक को नित्य चार–चार घंटों की दो शिफ्टों में आठ घंटे कार्य करना होता है शेष कर्मचारियों की समय अवधि निर्धारित नहीं है लेकिन कार्य की प्रकृति के अनुसार कर्मचारी सुबह लगभग पाँच बजे कारागार खुलने से लेकर रात्रि सात बजे कारागार बन्द होने तक अधिकांश समय ड्यूटी पर रहते हैं। यहाँ तक कि साप्ताहिक छुट्टी से भी वंचित रहते हैं यद्यपि इसके बदले वे एक माह का अतिरिक्त वेतन पाते हैं परन्तु अवकाश परिणामस्वरूप

मिलने वाले शारीरिक एवं मानसिक आराम से वंचित है।

कारागार कर्मियों की गलतियों एवं भूलों को दण्डित करने के लिये कई प्रावधान हैं और उनकी उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय सेवाओं के लिये पदक एवं पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था भी है।

अतः यदि वास्तव में जिला कारागार को बन्दी सुधार गृह बनाना है। तो कर्मचारियों के कल्याण हेतु भी कुछ ठोस कार्य किया जाना आवश्यक है, यह तब ही हो सकेगा जब कारागार अधिकारियों व कर्मचारियों को एक ठीक–ठाक जीवन जीने लायक आर्थिक, पारिश्रमिक और नैतिक साहस मुहैया किया जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

१. मेरे जेल के अनुभव – यंग इण्डिया – मो० क० गाँधी, १६२४.

२. इण्डिया एण्ड दि वर्ल्ड – जवाहर लाल नेहरू, १६३४.

३. अखिल भारतीय जेल सुधार समिति की रिपोर्ट (१६८०–८३)।

४. उत्तर प्रदेश सरकार – कारागार विभाग के कार्यों का प्रतिवेदन १६६४–६५.

अध्याय-१०

निष्कर्ष एवम् सुझाव

सामान्यीकरण : निष्कर्ष एवम् सुझाव

भारतीय समाज गतिशील, जटिल एवं परम्परागत प्रकृति का है प्रत्येक समाज मानव के असामाजिक, अनियंत्रित, विचलित या अपराधी व्यवहार को सामाजिक, नियंत्रित, सन्तुलित एवं गैर अपराधी में परिणत करने हेतु औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों की प्रतिस्थापना करता रहता है। जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का एक वह स्वरूप है जो समाज विशेष की प्रथाओं, परम्पराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप सामान्य प्रकृति का है, दूसरा पक्ष वह है जो मानव की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति, सामाजिक मान्यताओं के प्रतिकूल तथा स्थान विशेष के कानूनों का उल्लंघन एवं अत्यन्त जटिल प्रकृति का है। यह जटिल व्यवहार किसी न किसी रूप में व्यक्ति के अपराधी होने का संकेत देता है।

मानव विकास का एक लम्बा इतिहास अपराध, अपराधी एवं सुधार सम्बन्धी विविध पक्षों का परिदृश्य प्रस्तुत करता है। जिसके आधार पर अनेक सिद्धान्त, मान्यताएं, प्रत्यय एवं मानक प्रतिस्थापित किये गये हैं। निष्कर्षतः यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक प्रदूषण ही मानव को अपराधी बनाने में सहायक होता है तथा दण्ड की अपेक्षा

पुरस्कार या सुधारात्मक दृष्टिकोण अपराधी को सुधारने में अधिक सहायक सिद्ध होता है। यदि सामाजिक परिस्थितियाँ व्यक्ति को बिगाड़ सकती हैं तो उसे सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना भी समाज की ही प्रकृति में समाहित होना चाहिये। इसी आशय से अनेक सुधारात्मक संस्थाओं का विकास हुआ है।

अध्ययन विषय का निरूपण :

अपराध निवारण हेतु पुलिस, न्यायालयों एवं बन्दीगृहों की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। किसी क्षेत्र में अपराध की सूचना मिलने पर वहाँ की पुलिस स्वविवेक से, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अथवा सम्बन्धित पक्ष द्वारा लिखाई गयी प्राथमिकी के आधार पर शंकायुक्त हो कुछ व्यक्तियों को पकड़कर जेल में निरूद्ध कर देती है। इससे दो प्रकार के व्यक्ति निरूद्ध होते हैं प्रथम प्रकार के व्यक्ति जो निर्दोष हैं और दूसरे वे जो दोषी हैं। दोनों प्रकार के व्यक्ति न्यायालय द्वारा ही दोषी या निर्दोष सिद्ध हो पाते हैं तब तक उन्हें कारागार में विचाराधीन कैदियों के रूप में रहना पड़ता है। अतः जेल के अन्दर सिद्धदोष बन्दी एवं विचाराधीन बन्दी रखे जाते हैं। मैंने अपना अध्ययन विचाराधीन बन्दियों को केन्द्र मानकार परिसीमित किया है। जिसका शीर्षक निम्नलिखित है –

''उत्तर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक परिवेश एवं कारावास का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन : जिला कारागार - झाँसी के विशेष सन्दर्भ में''

<u>प्रयुक्त पद्धतिशास्त्र :</u>

प्रस्तुत अध्ययन में दैव निदर्शन प्रणाली के आधार पर जनपद झाँसी (उ० प्र०) के जिला कारागार में पंजीकृत ३०० विचाराधीन बन्दियों का प्रतिचयन इस तरह किया गया है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व करें। यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन ३०० विचाराधीन बन्दियों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं अर्थात् प्राथमिक समंकों पर ही आधारित है फिर भी यथा–सम्भव द्वितीयक समंकों का सहारा लिया गया है। अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली, समंक प्राप्त करने की प्रमुख पद्धतियां नहीं हैं। विचाराधीन बन्दियों से सूचनाएं प्राप्त करने की अवधि सन् २००४–२००५ तक रही है। समंकों की विश्वसनीयता एवं वैद्यता के लिये कुछ विचाराधीन बन्दियों से दो बार प्रश्नावली भरवायी गयी तथा साक्षात्कार भी किया गया।

विचाराधीन बन्दियों एवं जेल जीवन की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। किसी भी बन्दी से शोध छात्रा द्वारा कुछ भी तथ्य प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है। क्योंकि उनमें भय रहता है कि न जाने कौन सी सूचना उनके जीवन (भविष्य) को किस रूप में प्रभावित करे। अतः सामान्य परिस्थिति में कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। चूंकि शोध छात्रा के पिता का कारागार कर्मचारी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रहा है अतः विचाराधीन बन्दियों से अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करने में वह सफल हो सकी है।

प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बन्दियों के विषय में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है जैसे पारिवारिक प्रकृति, कारागार में व्यतीय किये गये क्षणों की अवधि एवं अपराध की प्रकृति। इस संदर्भ में प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं –

(अ) <u>पारिवारिक प्रकृति के आधार पर :</u>

१. प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बन्दी पुरूष हैं।
२. प्रतिचयित बन्दियों में सबसे अधिक हिन्दू धर्म के मानने वाले लोग हैं, इसके बाद मुस्लिम और सिख लोग हैं।

३. अधिकांश विचाराधीन बन्दी युवावस्था के ही हैं।

४. उच्च एवं पिछड़ी जाति के लोग विचाराधीन बन्दियों के रूप में अधिक संख्या में हैं।

५. अविवाहित व्यक्तियों की तुलना में विवाहित कैदियों की संख्या अधिक हैं।

६. अधिकांश विचाराधीन बन्दी (जो विवाहित है) नव विवाहित ही हैं। विवाह की अधिक अवधि के बन्दियों की संख्या बहुत कम है।

७. अधिकांश कैदियों के (१–४) बच्चे ही हैं।

८. अधिकांश विचाराधीन बन्दी संयुक्त परिवारों के हैं।

६. अधिकांश परिवारों का आकार (१–८ सदस्य) संयुक्त परिवार जैसा है।

१०. अशिक्षित एवं पूर्ण शिक्षित बन्दियों की संख्या सर्वाधिक है।

११. विचाराधीन बन्दी सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं।

१२. विचाराधीन बन्दियों के परिवारों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है।

१३. मिश्रित प्रकृति के परिवार अधिक हैं।

१४. प्रतिचयित सूचनादाता अधिकांशतः जो निम्नवर्गीय आर्थिक स्थिति वाले हैं।

१५. अधिकांश परिवारों की मासिक आय २०००–६००० रू० तक ही है।

१६. अधिकांश बन्दियों की आवासीय प्रकृति पक्का घर है।

१७. अधिक से अधिक बन्दी मकान मालिक के रूप में हैं।

१८. पैतृक आवासों की संख्या सर्वाधिक है।

(ब) <u>जेल में व्यतीत किये गये समय के आधार पर :</u>

१. सामान्य प्रकृति वाले कैदी डेढ़ माह से कम की अवधि के हैं एवं संगीन अपराधी ५ माह से अधिक समयावधि से कारागार में अवरूद्ध हैं।

२. सामान्यतया विचाराधीन बन्दी प्रथम बार ही कारागार में निरूद्ध किये गये हैं फिर भी कुछ विचाराधीन बन्दी कई बार जेल आ चुके हैं।

३. जो बन्दी बार–बार कारागार में आते हैं वे अधिकांशतः अभ्यस्त अपराधी ही होते हैं।

(स) <u>अपराध की प्रकृति के आधार पर :</u>

१. अधिकांश विचाराधीन बन्दी विरोधी द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट के आधार पर ही कारागार में निरूद्ध किये गये हैं।

२. प्रायः निर्दोष व्यक्तियों की संख्या विचाराधीन बन्दियों के रूप में अधिक होती है।

उपरोक्त अध्ययन निष्कर्षों से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अशिक्षित एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या विचाराधीन बन्दी के रूप में अधिक है। जनसंख्या में हिन्दुओं का प्रतिशत अधिक होने से हिन्दुओं का विचाराधीन कैदी के रूप में अधिक संख्या में होना स्वाभाविक है। प्रायः विचाराधीन बन्दी निम्न आर्थिक स्थिति वाले सवर्ण एवं पिछ़ड़ी जाति के लोग हैं जो संयुक्त परिवारों के ही सदस्य हैं। वे पैतृक आवासों में रहते हैं तथा कई बार कारागार में निरूद्ध हो चुके हैं। प्रायः अधिकांश विचाराधीन बन्दियों ने अपने को निर्दोष माना है तथा यह स्पष्ट किया है कि विरोधियों द्वारा झूठी प्राथमिकी रिपोर्ट लिखाने के कारण या पुलिस के उपेक्षित दृष्टिकोण के कारण उन्हें यह यातना मिली हैं।

<u>प्रतिचयित समस्त विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है -</u>

१. अधिकांश विचाराधीन बन्दी ग्रामीण परिवेश के होने के कारण विवाहोपरान्त नारी शिक्षा को अनुमति नहीं देते हैं।
२. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में अब नारी स्वतन्त्रता के प्रति सहमति रहती है।

३. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में आज भी प्रेम विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है जो परम्परावादी कट्टरता का प्रतीक है।

४. अधिकांश बन्दियों के परिवारों में अन्तर्जातीय या अन्तर्धर्मीय विवाह व्यावहारिक तौर पर सम्पन्न नहीं किये गये हैं।

५. व्यावहारिक तौर पर विचाराधीन बन्दियों के परिवारों का परिवेश प्रेम विवाह के प्रतिकूल स्थिति का है।

६. अधिकांश विचाराधीन बन्दी सामान्य स्थिति के धार्मिक परिवेश वाले हैं।

७. अधिकांश विचाराधीन बन्दी धार्मिक क्रिया–कलापों पर होने वाले व्यय को उपयोगी मानते हैं जिससे उनके परिवार के धार्मिक परिवेश की पुष्टि होती है।

८. अधिकांश विचाराधीन बन्दी परिवार स्तर पर आयोजित हाने वाले धार्मिक क्रिया–कलापों में पूर्ण मनोयोग से सहभागी होते हैं।

६. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के परिवेश सामाजिक प्रकृति के प्रतीत होते हैं।

१०. अधिकांश विचाराधीन बन्दीजन अपने से निम्न जाति के सदस्यों के यहाँ भोजन नहीं करते हैं।

११. आज के समय में अस्पृश्यता के प्रयोग को सिद्धान्तः अधिकांश बन्दीजन अनुचित तो मानते हैं परन्तु व्यवहार रूप में अपने से

निम्न जाति के सदस्यों के यहाँ भोजन करना स्वीकार नहीं करते हैं।

१२. प्रायः बन्दियों के घरों में विद्युत सुविधा नहीं है।

१३. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के आवासों में स्नानकक्ष एवं शौचालय जैसी सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

१४. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के घरों में वैद्य शस्त्र नहीं हैं।

१५. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के यहाँ पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प की सुविधा उपलब्ध है।

१६. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के घरों में मात्र ट्रान्जिस्टर्स एवं टेप रिकॉर्ड्स जैसे मनोरंजन के साधनों की ही व्यवस्था है जो निर्बल आर्थिक वर्ग का प्रतीक माना जाता है।

१७. अधिकांश सूचनादाताओं के घरों में साइकिल की ही सुविधा है।

१८. अधिकांश रूप में मिट्टी के चूल्हे ही प्रचलन में हैं, किन्तु गैस चूल्हों को भी नकारा नहीं जा सकता है।

१६. अधिकांश विचाराधीन बन्दी घूमने–फिरने के लिये परिवार के मुखिया से ही धन प्राप्त करते हैं।

२०. अधिकांश विचाराधीन बन्दी कम से कम महीने में एक बार अवश्य ही अपना घर छोड़कर पर्यटन/घूमने फिरने हेतु किसी कस्बे, नगर या तीर्थ स्थल में जाते रहते हैं।

२१. अधिकांश विचाराधीन बन्दी घर गृहस्थी के उपयोग का सामान खरीदने एवं व्यापारिक कार्यों से ही घर के बाहर घूमने–फिरने जाते हैं।

२२. अधिकांश विचाराधीन बन्दी नशीले पदार्थों के सेवन के अभ्यस्त हो गये हैं। जिसके कारण वे सभी के सम्मुख इन पदार्थों का सेवन करते हैं।

२३. अधिकांश विचाराधीन बन्दी प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने ही शराब पीते हैं।

२४. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के नशीले पदार्थों के सेवन का कारण उनके इष्ट मित्र एवं परिवारीजन ही हैं।

२५. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के विचार से मादक पदार्थों का सेवन खराब है फिर भी वे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं।क्योंकि वे बिना नशा के सामान्य हालत में रह नहीं सकते हैं।

प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश के विषय में प्राप्त निष्कर्ष इस मान्यता को प्रतिपादित करते हैं कि यद्यपि विचाराधीन बन्दियों के परिवारों में नारी स्वतन्त्रता, नारी शिक्षा, प्रेम–विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, अन्तर्धर्मीय विवाह, अस्पृश्यता से सम्बद्ध परम्परावादी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया जाता है किन्तु

यह मात्र सैद्धान्तिक आदर्श तक ही परिसीमित प्रतीत होता है क्योंकि व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में इसे किसी ने स्वीकार नहीं किया है। सामान्य जीवन विधि परम्परावादी ही है। फिर भी आधुनिकता का प्रवेश लक्षित होता है। आवासीय संसाधन, अन्य भौतिक संसाधन एवं सामाजिक प्रस्थिति की श्रेष्ठता हेतु आधुनिकता व विज्ञान तथा तकनीकी के प्रयोग की ओर आकर्षण बढ़ने लगा है।

विचारणीय तथ्य यह है कि अधिकांश विचाराधीन बन्दी सामान्य सामाजिक एवं निम्न आर्थिक परिवेश के होने पर भी किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना स्वीकार करते हैं। यह बुरी आदत उन्हें उनके विरोधियों या दुश्मनों से नहीं मिली बल्कि उनके अपने निकट (अभिन्न) लोगों से मिली है। यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि नशे का अभ्यासी या आदी व्यक्ति अपना संवेगात्मक संतुलन खोकर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भावावेश में कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं और उसे अपराधी के रूप में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोकर नारकीय जीवन यापन करने हेतु मजबूर कर देते हैं। प्रतिचयित अधिकांश विचाराधीन बन्दी नशा सेवन के बिना नहीं रह सकते हैं और नशा व अपराध में धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है। अतः इनका अपराधी जगत की ओर अग्रसर होना स्वाभाविक ही है। यह विषम स्थिति उन्हें एवं उनके परिवारों का दयनीय स्थिति की ओर ले जाती है।

प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों के अपराध करने अथवा कारागार में निरूद्ध होने के सम्भावित कारकों की व्याख्या, सम्बन्धित अध्ययन निष्कर्षों के आधार पर की गयी, जिनका सार-संक्षेप निम्नलिखित है -

१. बेरोजगारी, व्यापार चक्र का संकट एवं आर्थिक विपन्नता वे आर्थिक कारक प्रकट हुए हैं जिनके कारण विचाराधीन बन्दी कारागार में निरूद्ध हैं।

२. नशाखोरी एवं संवेगात्मक अस्थिरता ही वे प्राणिशास्त्रीय कारक रहे हैं जिनके कारण इन विचाराधीन बन्दियों को कारागार में निरूद्ध होना पड़ा है।

३. पारिवारिक संघर्ष ही एक ऐसा प्रबल कारक प्रतिबिम्बित हुआ है जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचाराधीन बन्दियों को अपराधी जगत की ओर अग्रसर किया ।

नशीले पदार्थों का सेवन अनेक समस्याओं को जन्म देता है इससे संवेगात्मक अस्थिरता, आर्थिक संकट एवं पारिवारिक संघर्ष जैसी विषम स्थितियाँ जन्म लेकर व्यक्ति को अपराधी बनाने में सहायक होती हैं। इस मान्यता की पुष्टि कारागार में निरूद्ध होने के सम्भावित कारकों से होती है जो भी विचाराधीन प्रतिचयित बन्दी किसी न किसी रूप में

कारागार में निरूद्ध हुए हैं वे नशाखोरी एवं संवेगात्मक अस्थिरता, जैसे प्राणिशास्त्रीय कारकों के आधार पर, आर्थिक संकट से सम्बद्ध विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण एवं पारिवारिक प्रदूषण (संघर्ष, तनाव, कलह, विघटन आदि) के दुष्परिणाम से ही कारागार में निरूद्ध हो विभिन्न यातनाओं का शिकार हो रहे हैं। कारागार परिवेश स्वयं में अस्वस्थ प्रकृति का होने के कारण इन पीड़ित विचाराधीन बन्दियों पर अपना कुप्रभाव डालता है जिससे उन व्यक्तियों को सबसे अधिक क्षति होती है जो निर्दोष होते हैं जिन पर पारिवारिक बोझ या उत्तरदायित्व अधिक होता है या जिनकी छवि प्रतिष्ठित होती रही है।

कारागार परिवेश के विभिन्न विचाराधीन बन्दियों पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन निष्कर्ष निम्नलिखित हैं -

१. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों में बदले की भावना नहीं थी।

२. जिन बन्दियों में बदले की भावना थी उनमें से अधिकांश बन्दियों में अभी भी बदले की भावना है।

३. विचाराधीन बन्दियों में विरोधी पक्ष एवं पुलिस के प्रति ही प्रतिशोध की भावना थी।

४. अधिकांश विचाराधीन बन्दी कारागार में निरूद्ध रहने के दौरान माता–पिता एवं बच्चों को सबसे अधिक याद करते हैं क्योंकि दोनों को ही अपने पुत्र या पिता की सर्वाधिक आवश्यकता है।

५. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों द्वारा किये गये कार्यों के प्रति प्रायश्चित नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने अपराधी कार्य किये ही नहीं हैं ऐसी उनकी मान्यता है।

६. अधिकांश बन्दियों ने भविष्य में अपराध न करने का निर्णय लिया है परन्तु इसमें बहुत कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है।

७. अधिकाधिक विचाराधीन बन्दी अपने भविष्य एवं परिवार के विविध पक्षों के प्रति चिन्तित रहते हैं।

८. जेल के दौरान अधिकांश पीड़ित व व्यथित बन्दियों ने अपने पारिवारिक उत्थान के लिए किसी निश्चित कार्य योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

९. अधिकांश बन्दियों से विपक्ष के लोग मिलाई करने नहीं आते हैं।

१०. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों से मिलाई करने उनके परिवारीजन, रिश्तेदार एवं मित्रगण आते रहते हैं।

११. अधिकांश विचाराधीन बन्दी यह शंका रखते हैं कि उनके जेल से मुक्त होकर घर पहुंचने पर विपक्षी लोग धमकियां देंगे एवं संघर्ष करेंगें।

१२. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के परिवारीजन शर्मिन्दगी का सामना कर रहे होंगे।

१३. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के जेल में निरूद्ध रहने के कारण उनके परिवारीजन आर्थिक संकट का सामना कर रहे होंगे।

१४. अधिकांश विचाराधीन बन्दी कारागार से मुक्त होने के उपरान्त अच्छा नागरिक भी बन सकते हैं अथवा अपराधी जगत की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं।

१५. अधिकांश बन्दियों ने जेल में आने से पहले आर्थिक संकट का सामना किया है।

१६. अधिकांश बन्दियों को आर्थिक सहायता उनके परिवारीजनों एवं नाते रिश्तेदारों द्वारा ही मिलती रही है।

१७. अधिकांश विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि उनके कारागार में निरूद्ध होने से उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा निश्चय ही प्रभावित होगी।

१८. अधिकांश विचाराधीन बन्दी यह व्यक्त करते हैं कि कारागार में निरूद्ध होने के कारण उनकी विश्वसनीयता कम हो जायेगी।

१६. बन्दियों के कारागार में आने के कारण उनके बच्चों की नौकरी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

२०. अधिकांश बन्दियों के निजी व पारिवारिक बच्चों का शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन कुप्रभावित होगा।

२१. अधिकांश बन्दियों का दाम्पत्य जीवन, कारागार में रहने के कारण प्रभावित होगा।

२२. अधिकांश बन्दी यह मानते हैं कि उन्हें पहले जैसा स्नेह नहीं मिल पायेगा।

२३. अधिकांश बन्दी यह मानते हैं कि उनके बच्चों के विवाह पर कुप्रभाव पड़ेगा ही चाहे जिस रूप में पड़े।

२४. अधिकांश बन्दियों के स्वास्थ्य में गिरावट आयी है।

२५. अधिकांश बन्दी पारिवारिक एंव सामाजिक क्षेत्रों में अधिकतम क्षति का अनुमान लगाते हैं।

२६. अधिकांश विचाराधीन बन्दी धन द्वारा क्षतिपूर्ति अनुपयोगी मानते हैं।

२७. बन्दियों को होने क्षति के नैतिक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के लोग एवं पुलिस कर्मी ही हैं। जिन्होंने झूठा दोष लगाकर शक के आधार पर निर्दोष लोगों को जेल में निरूद्ध कराने में अहम् भूमिका अदा की थी।

अतः प्रतिचयित विचाराधीन बन्दी विरोधी पक्ष एवं पुलिस के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं कारागार में निरूद्ध रहने के दौरान अधिकांश विचाराधीन बन्दी चिन्तित एवं दुखी रहते हैं उन्हें परिवारीजनों विशेषकर माता–पिता एवं बच्चों के भविष्य की चिन्ता रहती है। कारागार में निरूद्ध होने के कारण ये लोग परिवार के उज्जवल भविष्य के लिये किसी निश्चित कार्य योजना को भी नहीं सोच पाते हैं वे यह नहीं मानते हैं कि उनके द्वारा भविष्य में अपराध न किया जायेगा। इन बन्दियों से मिलाई करने इनके सगे सम्बन्धी आते रहते हैं किन्तु विपक्ष के लोग नहीं

आते हैं जिससे इन्हें शंका है कि जेल से छूटने पर विपक्षियों से संघर्ष हो सकता है।

अधिकांश विचाराधीन बन्दी यह प्रकट करते हैं कि जेल में निरूद्ध होने के कारण उनके परिवार की प्रतिष्ठा गिर गयी है। जिससे उनके परिवारीजन शर्मिन्दा हैं और वे आर्थिक संकट का सामना करने लगे हैं उनके प्रति लोगों का पहले जैसा विश्वास नहीं रहा जिससे उनके बच्चों का विवाह, आर्थिक सहायता एवं अन्य जन सहयोग पहले जैसा नहीं मिल पायेगा, उनके बच्चों की शिक्षा–दीक्षा तथा नौकरी आदि भी प्रभावित होगी। यही सब सोच कर अधिकतर विचाराधीन बन्दी पहले की अपेक्षा अस्वस्थ हो जाते हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में होने वाली अप्रत्याशित क्षति का अनुमान लगाना तो कठिन है ही साथ ही इसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। जो अत्यन्त दुखद प्रतीत होता है। पुलिस का लापरवाहीपूर्ण कृत्य एवं विपक्ष द्वारा झूठा फंसाने का इतना भयंकर दण्ड विचाराधीन बन्दियों के निर्दोष होने पर भी मिलना स्वयं में विचारणीय बिन्दु है जिसकी पीड़ा मात्र विचाराधीन निर्दोष बन्दी ही समझ सकता है और सब तरफ से त्याज्य होने की स्थिति में एक क्षण ऐसा भी आता है जो उसे अपराधी बनने को बाध्य कर देता है।

कारागार प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं न्यायपालिका के प्रति प्रस्तुत प्रतिचयित विचाराधीन बन्दियों के विचार एवं दृष्टिकोणों के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं -

१. अधिकांश बन्दियों को यह ज्ञान नहीं है कि नियमानुसार उन्हें जेल में क्या–क्या सुविधाएं मिलनी चाहिये।

२. अधिकांश विचाराधीन बन्दी जेल के अन्दर मिलने वाली सुविधाओं के स्तर से अपरिचित हैं।

३. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार में भोजन, आवास एवं मनोरंजन व व्यायाम सम्बन्धी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

४. सभी बन्दियों को भोजन की तरह नाश्ता भी नियमित रूप से मिलता है।

५. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार में जो भोजन दिया जाता है। उसकी मात्रा अपर्याप्त होती है, जिससे बन्दी मात्र जीवित रह सकते हैं।

६. कारागार परम्परा के अनुसार बाहर से भोजन आदि सुलभ कराना व्यावहारिक एवं उपयोगी नहीं है।

७. अधिकांश बन्दियों को जेल से बाहर की वस्तुएं मंगाने के लिये कुछ न कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है।

८. कारागार में बन्दियों को नशीले पदार्थों की खुली सुविधा सुलभ नहीं है।

९. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार की ओर से दवाईयाँ आदि उपलब्ध कराने की कोई भी व्यवस्था नहीं है जो स्वयं में चिन्ता का विषय है।

१०. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को जेल की ओर से नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

११. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार कर्मचारी तन्त्र द्वारा स्वच्छ कपड़े पहनने हेतु उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।

१२. अधिकांश विचाराधीन बन्दियां को कारागार में स्नान कक्ष जैसी कोई सुविधा स्नान करने हेतु सुलभ नहीं है।

१३. जेल में अधिकांश बन्दियों को पानी भी पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं है।

१४. अधिकांश विचाराधीन के लिये जेल जीवन में मनोरंजन हेतु खेलों की व्यवस्था नहीं है।

१५. मानसिक विकास के नाम पर बन्दियों को कुछ भी साधन सुलभ नहीं कराये जाते हैं।

१६. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों के साथ कारागार तन्त्र द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

१७. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को आवासीय सुविधा के नाम पर प्रकाश एवं वायु प्रचुर मात्रा में सुलभ नहीं है।

१८. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को कारागार में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।

१९. अधिकांश विचाराधीन बन्दी अपने खाली समय का प्रयोग अन्य बन्दियों से बात करके एवं घर वालो की याद करके ही करते हैं।

२०. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को सिद्धदोष बन्दियों की तरह कठोर श्रम करना पड़ता है।

२१. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों की नजर में कारागार कर्मियों का व्यवहार तानाशाहीपूर्ण एंव कठोर प्रकृति का ही हैं

२२. अधिकांश विचाराधीन बन्दी विपक्षी पार्टी को, पुलिस कर्मचारियों को एवं स्वयं को ही दोषी मानते हैं।

२३. विचाराधीन बन्दियों का दृष्टिकोण पुलिस के प्रति अच्छा नहीं है।

२४. अधिकांश विचाराधीन बन्दीजन न्यायालय के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखते हैं।

२५. अधिकांश विचाराधीन बन्दी अपने को सिद्धदोष अपराधियों से अलग रखना चाहते हैं।

२६. अधिकांश विचाराधीन बन्दी कारागार जीवन की नियमित दिनचर्या से प्रभावित हैं और वे जेल से मुक्त होने के उपरान्त नियमित जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे।

२७. अधिकांश विचाराधीन बन्दियों पर जेल जीवन का प्रभाव अच्छा नहीं रहा।

२८. जेल से मुक्त होने के पश्चात् भी विचाराधीन बन्दियों में निर्दोष सिद्ध होने के लिये विपक्षी लोगों से बदला लेने की भावना प्रबल है, जिससे उनके पुनः अपराधी बनने का संकेत मिलता है।

अपराधियों को सुधारने एवं अपराधों में अपेक्षाकृत कमी लाने में पुलिस प्रशासन, कारागार प्रशासन एवं न्यायपालिका की अहं भूमिका होती है। पुलिस द्वारा अपराधियों के रूप में व्यक्तियों को पकड़ना, उन्हें कारागार में निरूद्ध करना एवं उनके आचरण के विषय में विवेचना करना न्यायालय का काम होता है अर्थात जेल वह मध्य की स्थिति है जहाँ विचाराधीन बन्दी को रखकर उसके दोषी या निर्दोषी होने का निर्णय होता है। यदि वह न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होता है और वास्तव में दोषी होता भी है तब तो उसे विशेष दुःख नही होना चाहिये लेकिन यदि वह न्यायालय द्वारा निर्दोष सिद्ध हो जाता है और निर्दोषी है भी तो जितने दिन जेल में रहता है वह नारकीय जीवन उसे अत्यन्त पीड़ाप्रद होता है।

अध्ययन निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि विचाराधीन बन्दियों को जेल मे भोजन एवं नाश्ता नियमित मिलता है किन्तु उसकी

गुणवत्ता में कमी कैदियों के कष्ट को बढ़ाने का काम करती हैं। बाहर से कोई भी वस्तु मंगाकर खाना नियमानुसार वर्जित है फिर भी जेल के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत आदि द्वारा बाहर से भोजन, नशीले पदार्थ एंव अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराना स्वयं में शोषण का परिचायक है। ज्ञानार्जन, मनोरंजन, चिकित्सा, जल, रोशनी, वस्त्र, शयन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की असुलभता भी कष्ट पहुंचाने में सहायक है। कारागार कर्मियों का कठोर एवं तानाशाहीपूर्ण व्यवहार तथा पुलिस और न्यायालय की पक्षपातपूर्ण भूमिकाएं विचाराधीन बन्दियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। यही कारण है कि विचाराधीन बन्दी कारागार, न्यायालय एवं पुलिस के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। परिणाम यह होता है कि विचाराधीन बन्दी स्वयं में इतना टूट जाता है कि वह पुनः पूर्व जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता है।

प्राक्कल्पना का सत्यापन :

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से प्रस्तावित प्राक्कल्पना के अधिकाधिक पक्ष स्वंय सत्यापित हो जाते हैं।

कतिपय सुझाव :

विचाराधीन बन्दियों को शोषण से सुरक्षित रखने हेतु एवं उन्हें जेल जीवन के कुप्रभाव से बचाने हेतु निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं –

१. कारागार में विचाराधीन बन्दियों एवं सिद्धदोष बन्दियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए अन्यथा सिद्धदोष बन्दी विचाराधीन निर्दोष बन्दियों को भी अपराधी बनने हेतु प्रेरित करते हैं।

२ पुलिस कर्मचारियों को, अपराध विशेष के संदर्भ में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को पकड़ते समय, अत्यन्त विवेक से काम लेना चाहिए एवं स्थानीय स्तर पर छानबीन कर लेनी चाहिए निर्दोष व्यक्ति न पकड़े जायें एवं दोषी छूटने न पायें।

३. विचाराधीन बन्दियों को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने में अपनायी जाने वाली न्यायालय प्रक्रिया में यथासम्भव विलम्ब नहीं होना चाहिए जितनी जल्दी निर्णय होगा निर्दोष बन्दी का उतना ही कम शोषण होगा।

४. जहाँ तक हो सके कारागार कर्मियों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए तथा आवश्यक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

५. यदि विचाराधीन बन्दी वास्तव में निर्दोष हैं और न्यायालय भी उसे निर्दोष सिद्ध कर देता है तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये जिन्होंने जानबूझकर इसे झूठा फंसाया था। जिससे पुनः किसी को झूठा न फंसाया जायेगा।

६. जेल में निरूद्ध होने की अवधि में विचाराधीन बन्दियों के परिवारीजनों को पूर्ण सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए ताकि अन्य लोग उनका शोषण न कर सकें।

७. जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि विचाराधीन बन्दी की रिहाई समाज की सुरक्षा के लिये बहुत ही खतरनाक हो सकती है तब तक विचाराधीन बन्दी को अधिकार के रूप में जमानत प्रदान कर देनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि कारागारों में विचाराधीन बन्दियों की भीड़–भाड़ के सम्बन्धों मे विधि आयोग ने अपनी ७७वीं और ७८वीं रिपोर्टों में यह अनुशंसा की थी कि विचाराधीन बन्दियों के मामलों का निपटारा तीव्र गति से हो जिसके लिये ट्रायल मजिस्ट्रेटों के अधिकार में अधिक वृद्धि करने, आन्दोलनों के समय गिरफ्तार व्यक्तियों को कारागार में न रखने तथा उनकी जमानत पर तुरन्त विचार करने, जो व्यक्ति जमानत के साथ बन्ध पत्र भरने में सक्षम न हो उसके लिए इसमें छूट प्रदान करने, जाँच से सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को कानून व्यवस्था बनाये रखने के कार्य से अलग रखने, यदि निश्चित समय अवधि के दौरान जाँच

पूर्ण न हो तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने, जमानत योग्य अपराधों की सूची में विस्तार करने, बन्ध पत्र की राशि बहुत अधिक न रखने तथा यदि बन्ध पत्र देने में व्यक्ति असमर्थ है तो निश्चित अवधि के बाद इसमें छूट दिये जाने की अनुशंसा की थी।

८. विचाराधीन बन्दियों द्वारा जेल में जाँच एवम् विचारण के दौरान बिताये गये समय को बन्दी तथा समाज दोनों के लाभ के लिये उपयोग किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह किया जा सकता है कि स्वैच्छिक रूप से काम करने वाले विचाराधीन बन्दियों को उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रोत्साहन देकर कारागार के कार्यो पर नियुक्त किया जाये तथा कार्य इस प्रकार के हों जिसमें सीखने की अवधि कम हो तथा बाहर समाज में जाने पर भी उक्त कार्यों के आधार पर वह अपनी रोजी–रोटी का प्रबन्ध कर सके। साथ ही इस प्रकार की सेवाओं में भी विचाराधीन बन्दियों को लगाया जा सकता है जो कारागार के रखरखाव सम्बन्धी हों तथा जिसके लिए उन्हें वांछित दर पर मजदूरी दी जा सके।

९. विचाराधीन बन्दियों को प्रतिदिन रचनात्मक कार्य यथा प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा के साथ–साथ मनोरंजन कार्य–कलापों से जोड़ा जाना चाहिये।

१०. दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाना चाहिये कि जैसे ही विचाराधीन बन्दी दोषसिद्ध हाने पर उसे दिये जाने वाला कारावास के दण्ड की अधिकतम अवधि की आधी के बराबर कारावास पूरी कर ले, उसे तत्काल बिना शर्त मुक्त कर दिया जाये।

११. विचाराधीन बन्दियों को कानूनी सामग्री, कानूनी परामर्श तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की समस्त सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो समस्त जिला कारागारों पर एक विधि अधिकारी के पद की स्थापना इस प्रयोजन के लिए की जा सकती है।

१२. राज्य एवं जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं कारागार अधिकारियों की एक सम्मिलित समिति विचाराधीन बन्दियों के मामले में उनके वादों पर विचारण करने हेतु गठित की जानी चाहिये।

परिशिष्ट

१. प्रश्नावली प्रारूप
२. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

''उत्तर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के सामाजिक परिवेश एवं कारावास का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (जिला कारागार - झाँसी के विशेष सन्दर्भ में)''

''प्रश्नावली - प्रारूप''

नोट :-

इस प्रश्नावली का किसी भी व्यक्ति के मुकदमे अथवा पुलिस, न्यायालय आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग मात्र वर्तमान अध्ययन के लिये किया जायेगा तथा समस्त सूचनायें गुप्त रखी जायेंगी।

अतः आप से प्रार्थना है कि समस्त प्रश्नों का उत्तर सोच समझकर गम्भीरतापूर्वक दें। समस्त प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है।

इस प्रश्नावली से प्राप्त उत्तरों के निष्कर्ष के माध्यम से भारतीय कारागार व्यवस्था एवम् विचाराधीन बन्दियों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित किये जायेंगे।

(मोना तिवारी)

शोधकर्ती

विचाराधीन बन्दियों का वर्गीकरण -

१. लिंग –

२. धर्म –

३. जाति –

४. आयु –

५. वैवाहिक स्थिति – विवाहित / अविवाहित / विधुर / तलाकशुदा

६. यदि विवाहित है तो कितने वर्षों से –

७. यदि विवाहित है तो कितने बच्चे हैं –

८. आपकी पारिवारिक स्थिति – संयुक्त /एकाकी

९. परिवार में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या

१०. आप कहाँ के निवासी हैं – नगर/कस्बा/गाँव

११. आपकी शैक्षिक योग्यता –

१२. आपके परिवारीजनों की शैक्षिक स्थिति – शिक्षित/अशिक्षित/मिश्रित

१३. आपकी आय का मुख्य स्रोत–खेती/व्यापार/नौकरी/श्रम/अन्य

१४. आपकी कुल मासिक आय –

१५. परिवार की कुल मासिक आय –

१६. आपकी आवासीय स्थिति – पक्का/कच्चा/मिश्रित

१७. आपका मकान – पैतृक है / स्वयं बनवाया है /दूसरे का है

१८. आप स्वयं – मकान मालिक हैं/किरायेदार है/परिवारी सदस्य हैं

१९. आपको कारागार में कितना समय हो गया है –

२०. क्या आप पहली बार कारागार में आये हैं – हाँ/नहीं

२१. यदि नहीं तो पहले कितनी बार आप कारागार में आ चुके हैं –

२२. इसके पहले कारागार में आपकी क्या स्थिति थी–

विचाराधीन/सिद्धदोष

२३. इस बार आप जेल में किस अपराध के संदेह में आये हैं –

२४. क्या आप यह मानते हैं कि आपने अपराध किया है – हाँ / नहीं

२५. अपराध की किस प्रकृति के कारण आप कारागार में निरूद्ध किये गये हैं

विचाराधीन बन्दियों का सामाजिक एवम् आर्थिक परिवेश -

१. क्या परिवार में अविवाहित लड़कियों को नौकरी या व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता है ? हाँ/नहीं

२. क्या परिवार में विवाहित महिलाओं को कॉलेज/स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्वतन्त्रता है? हाँ/नहीं

३. क्या आपके परिवार में किसी अन्तर्जातीय या अन्तर्धर्मीय विवाह को उचित माना जाता है? हाँ/नहीं

४. यदि हाँ तो क्या आपके परिवार में किसी दूसरे धर्म या जाति की कन्या को वधू के रूप में वैसे ही स्वीकार किया गया है जैसे अपनी ही जातीय कन्या को? हाँ/नहीं

५. क्या आपके परिवार में प्रेम विवाह को उचित माना जाता है? हाँ/नहीं

६. यदि हाँ तो क्या परिवार में इस प्रकार का कोई विवाह हुआ है? हाँ/नहीं

७. आप अपने को धार्मिक आस्थाओं के संदर्भ में किस स्थिति में रखते हैं? कट्टरवारी/नास्तिक/सामान्य

८. क्या आप अपने परिवार द्वारा आयोजित धार्मिक आयोजनों में पूर्ण मनोयोग से सहभागी होते हैं? हाँ/नहीं

९. धार्मिक कार्यों पर किये गये व्यय को आप किस श्रेणी में रखते हैं? उपयोगी/अनुपयोगी

१०. क्या आप सार्वजनिक उत्सवों के आयोजन में सहभागी होते हैं? हाँ/नहीं

११. क्या आप जातीय ऊँच–नीच में अस्पृश्यता प्रयोग को उचित मानते हैं? हाँ/नहीं

१२. यदि नहीं तो क्या आप अपने से नीची जाति के सदस्य के घर में बेहिचक भोजन करते हैं? हाँ/नहीं

१३. क्या आपके घर में स्नानघर एवं शौचालय की सुविधा है? हाँ/नहीं

१४. क्या आपके मकान में बिजली की सुविधा है? हाँ/नहीं

१५. आपके मकान में पीने के पानी की व्यवस्था है?

चुंगी का नल/हैण्डपम्प/ कुँआ/अन्य

१६. आपके परिवार में कुल कितने लाइसेंस वाले हथियार हैं –

१७. आपके घर पर रेडियो, टेपरिकॉर्ड एवं टेलीविजन में से क्या–क्या है?

१८. आपके परिवार में साइकिल, स्कूटर, जीप, मोटर साइकिल ट्रैक्टर में से क्या–क्या है?

१६. आपके परिवार में खाना पकाने हेतु कौन से साधन प्रयोग में लाये जातेहैं? हीटर/स्टोव/गैस/चूल्हा/अंगीठी

२०. आप एक वर्ष में कितनी बार घर से बाहर जाते हैं? कस्बा/नगर/तीर्थ/आदि में

२१. उपरोक्त स्थल पर जाने हेतु किया गया व्यय आप कहाँ से लाते हैं?

स्वयं से/घर के मुखिया से/पत्नी से/माँ से/अन्य

२२. आप कस्बा/नगर/तीर्थ आदि में किस उद्देश्य से जाते हैं?

२३. क्या आप सिगरेट/बीड़ी/तम्बाकू/भांग/गांजा जैसे नशीले पदार्थो का सेवन करते हैं? हाँ/नहीं

२४. यदि हाँ तो सेवन करने की प्रकृति क्या है?

सबके सामने/सबसे छिपकर

२५. क्या आप मदिरा का सेवन करते हैं? हाँ/नहीं

२६. यदि हाँ तो सेवन करने की प्रकृति क्या है?

सबके सामने/सबसे छिपकर

२७. आपने इन मादक पदार्थों का सेवन कैसे सीखा?

मित्रों से/परिवारीजनों से/रिश्तेदारों से/स्वयं इच्छा से

२८. मादक पदार्थों के प्रयोग को कैसा मानते हैं? अच्छा/खराब/पता नहीं

अपराध करने अथवा कारागार में आने के सम्मानित कारकों की व्याख्या -

१. क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आप में कोई शारीरिक दोष या रोग है? हाँ/नहीं

२. क्या आपके माता–पिता भी कभी अपराधी ठहराये गये हैं? हाँ/नहीं

३. क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आप बौद्धिक दृष्टि से अन्य सदस्यों की तुलना में कमजोर हैं? हाँ/नहीं

४. क्या आपको गुस्सा या दया जल्दी ही आ जाती है? हाँ/नहीं

५. क्या आप यह मानते हैं कि निर्धनता के कारण आपकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है? हाँ/नहीं

६. क्या आप अपने को अमीर मानते हैं? हाँ/नहीं

७. क्या आप बेरोजगार हैं? हाँ/नहीं

८. क्या विगत वर्षों में आपका उद्योग–धंधा घाटे पर रहा है? हाँ/नहीं

९. क्या आपके परिवार में अन्य सदस्यों ने भी कभी ऐसा काम किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है? हाँ/नहीं

१०. क्या आपके परिवार में प्रायः संघर्ष या तनाव का माहौल रहता है? हाँ/नहीं

११. क्या आपके परिवार में लोग इतने स्वतन्त्र हैं कि वे पारिवारिक नियमों का उल्लंघन भी करते रहते हैं? हाँ/नहीं

१२. क्या आपका वैवाहिक जीवन स्वस्थ रहता है? हाँ/नहीं

कारागारों का वर्तमान परिवेश एवम् विभिन्न विचाराधीन बन्दियों पर पड़ने वाला प्रभाव -

१. जब आपको हिरासत में लिया गया तथा कारागार में निरूद्ध रखने के आदेश दिये गये तब आपकी मन:स्थिति क्या थी?

बदले की भावना थी/बदले की भावना नहीं थी

२. यदि बदले की भावना थी तो किसके प्रति थी?

विरोधी पक्ष/पुलिस/कारागार/न्यायपालिका

३. इतना समय कारागार में व्यतीत हो जाने के पश्चात् अब आपके बदले की भावना की स्थिति क्या है?

अब नहीं है/अभी भी है।

४. आपने जेल में आने के बाद सबसे अधिक किसे याद किया?

मित्रों को/बच्चों को/पत्नी को/माता–पिता को/अन्य

५. जेल में आपको सबसे अधिक चिन्ता किसकी रहती है?

नौकरी की / व्यवसाय की / परिवार की / अन्य

६. जेल में आकर क्या आपने अपने किसी ऐसे काम पर जिसके कारण आपको यहाँ आना पड़ा, पश्चाताप किया है? हाँ/नहीं

७. क्या जेल में रहते हुए आपने अपने परिवार की उन्नति के लिये कोई कार्य योजना तैयार की है? हाँ/नहीं

८. आप से जेल में कौन–कौन लोग मिलने आते हैं?

मित्रगण/परिवारीगण/रिश्तेदार/अन्य

६. क्या आपसे कभी वे लोग भी मिलने आये जिनके कारण आप जेल में हैं? हाँ/नहीं

१०. उन लोगों का आपके प्रति कैसा व्यवहार हो सकता है?

क्षमा मांगेंगे/धमकी देंगें/सामान्य व्यवहार करेंगे/अन्य

११. क्या आपके जेल में रहने के कारण आपके परिवारीजन/अन्य आर्थिक तंगी में होंगे? हाँ/नहीं

१२. क्या आप यह अनुभव कर रहे हैं कि आपके जेल में निरूद्ध होने के परिणामस्वरूप आपके परिवारीजनों को शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ रहा होगा? हाँ/नहीं

१३. यदि हाँ तो भविष्य में आपकी मनःस्थिति कैसी होगी?

बदला लेना/अच्छा नागरिक बनना

१४. क्या जेल में आने से पहले कभी आपने आर्थिक संकट का सामना किया था? हाँ/नहीं

१५. यदि हाँ तो किन लोगों ने सबसे अधिक मदद की थी?

घरवाले/रिश्तेदार/मित्रगण/अन्य

१६. क्या जेल से छूटने के बाद भी वे लोग
आपकी उसी रूप में मदद करेंगे? हाँ/नहीं

१७. क्या कारागार में आने पर आपके परिवार की
प्रतिष्ठा प्रभावित होगी? हाँ/नहीं

१८. क्या आप यह अनुभव करते हैं कि परिवार के बच्चों
का शैक्षिक एवं सामाजिक जीवन भी प्रभावित होगा? हाँ/नहीं

१६. क्या आप यह सोचते हैं कि आपके बच्चों की नौकरी
मिलने या करने पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? हाँ/नहीं

२०. क्या आप यह अनुभव करते हैं कि इस कारण से
आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा? हाँ/नहीं

२१. क्या आप सोचते हैं कि इस आधार पर आपके बच्चों
के विवाह आदि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ/नहीं

२२. क्या आप यह मानते हैं कि जेल से छूटने के पश्चात्
आप सभी लोगों से पहले जैसा स्नेह प्राप्त करेंगे? हाँ/नहीं

२३. जेल में आने के पश्चात् आप अपने स्वास्थ्य के प्रति
कैसा अनुभव कर रहे हैं?

स्वास्थ्य में गिरावट/स्वस्थ होना/सामान्य स्थिति

२४. जेल में आने के कारण आप किस क्षेत्र में सबसे
अधिक क्षति का अनुमान लगा रहे हैं?

पारिवारिक/सामाजिक/शारीरिक/मानसिक/आर्थिक

२५. यदि दोषमुक्त पाये जाने पर आपको छोड़ दिया जाता है तो इस दौरान होने वाली क्षति का नैतिक जिम्मेदार किसे माना जाय?

१ – विपक्षी पार्टी को

२ – कानून को

३ – पुलिस को

४ – मेरे भाग्य को

२६. क्या आप चाहते हैं कि इस क्षति की पूर्ति धन द्वारा की जानी चाहिये? हाँ/नहीं

कारागार प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं न्यायपालिका के प्रति विचाराधीन बन्दियों के विचार एवम् दृष्टिकोण -

१. क्या आपको मालूम है कि जेल के अनुसार विचाराधीन बन्दियों को क्या–क्या सुविधायें मिलनी चाहिये? हाँ/नहीं

२. क्या जेल नियमों के अनुसार आपको कारागारों में मिलने वाली सुविधाओं के स्तर के बारे में ज्ञान है? हाँ/नहीं

३. आपको कारागार में क्या–क्या असुविधायें महसूस हो रही हैं?

स्नानगृह/शौचालय/पानी/रहने का स्थान/अन्य

४. क्या आपको मिलने वाले भोजन की मात्रा आपके अनुसार पर्याप्त है? हाँ/नहीं

५. दो समय के भोजन के अतिरिक्त आपको खाने हेतु क्या–क्या मिलता है? चना/दलिया/चाय/गुड़

६. क्या आपको अपने घर या होटल से नित्य भोजन मंगवाने की सुविधा उपलब्ध है? हाँ/नहीं

७. क्या आपको जेल में नशीले पदार्थों के सेवन की सुविधा उपलब्ध है? हाँ/नहीं

८. यदि आप बाहर से कुछ मंगाना चाहें तो वस्तु के मूल्य के अलावा भी आपको अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है? हाँ/नहीं

९. यदि आप मामूली बीमारी या अस्वस्थता की स्थिति में कुछ इच्छित वस्तु खाना–पीना चाहें तो क्या जेल के कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है? हाँ/नहीं

१०. क्या आपको जेल में पहनने के लिये साफ वस्त्र मिलते हैं? हाँ/नहीं

११. क्या नहाने या कपड़े धोने के लिये आपको जेल से साबुन मिलता है हाँ/नहीं

१२. क्या स्नानगृह साफ रहते हैं? हाँ/नहीं

१३. क्या नहाने के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है? हाँ/नहीं

१४. आपको जेल में निम्न में से कौन–कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं? समाचार पत्र/पत्रिकायें/रेडियो/टी०वी०

१५. क्या मनोरंजन हेतु कुछ खेलों इत्यादि की व्यवस्था है? हाँ/नहीं

१६. क्या बीमार पड़ने पर डॉक्टर द्वारा उचित देखभाल एवं दवाईयाँ उपलब्ध करायी जाती हैं हाँ/नहीं

१७. क्या कारागार में निरूद्ध विभिन्न प्रकार के कैदियों के मध्य प्रदत्त सुविधाओं के संदर्भ में भेदभाव किया जाता है? हाँ/नहीं

१८. क्या आपके कमरे में हवा एवं रोशनी की समुचित व्यवस्था रहती है? हाँ/नहीं

१६. क्या आपसे कोई परिश्रम का कार्य कराया जाता है? हाँ/नहीं

२०. कारागार में आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं?

१ – बन्दियों से बातचीत करके

२ – घर वालों की याद में

३ – समाचार पत्र पढ़कर

४ – अन्य

२१. आपको जेल में रखने के लिये आप किसे दोषी मानते हैं?

पुलिस/न्यायालय/वकील/विपक्ष

२२. आपके प्रति कारागार कर्मियों का व्यवहार कैसा है?

सहानुभूतिपूर्ण/सामान्य/कठोर/तानाशाही

२३. अब आपका पुलिस के प्रति दृष्टिकोण कैसा है?

१ – जनता की सहायक

२ – भ्रष्टाचारी

३ – रिश्वतखोर

४ – जनता की उत्पीड़क

५ – ऊपरी दबाव में काम करने वाली

६ – अपने कर्तव्य को न जानने वाली

२४. न्यायालय के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है?

अच्छा / खराब / तटस्थ

२५. क्या आप चाहते हैं कि आपको सिद्धदोष अपराधियों के मध्य न रखा जाये? हाँ/नहीं

२६. यहाँ जेल में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी?

नियमित दिनचर्या / आराम से बैठकर खाना

२७. जेल व्यवस्था, कर्मचारियों तथा अन्य बन्दियों का आप पर क्या प्रभाव पड़ा ? अच्छा / खराब / तटस्थ।

२८. जेल से मुक्त होने पर आप इस कलंक को धाने के लिये क्या करना चाहेंगे?

१ – अच्छा व्यवहार करेंगे

२ – विपक्षी वर्ग से बदला लेंगे

३ – सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

१. अखिल भारतीय जेल सुधार समिति रिपोर्ट (१६८०–८३)।

२. अब्राहम सेन, डेविड (१६४५) – क्राइम एण्ड द ह्यूमन माइण्ड,
कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस,
न्यूयार्क।

३. झाँसी पत्रिका (२००५)– झाँसी : भौगालिक, ऐतिहासिक,
सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिचय,
जिला सूचना एवं सम्पर्क कार्यालय,
झाँसी (उ० प्र०)।

४. अग्रवाल आर० एस० –क्राइम एण्ड पनिशमेण्ट इन न्यू पर्सपेक्टिव,
डी० के० प्रकाशन, नयी दिल्ली।

५. अलेक्जेण्ड म्राइल, ई० (१६५७) – जेल एडमिनिस्ट्रेशन,
थॉमस : स्प्रिंग फील्ड।

६. अलेक्जेण्डर, फ्रेंज (१६५६) – द क्रिमिनल, द जज एण्ड द पब्लिक,
द फ्री प्रेस, ग्लेन्को।

७. इस्ताब्रुक, ए० एच० (१६१६) – द जूक्स इन १६१५, वॉशिंगटन।

८. आरफील्ड लेस्टर, बी० (१६४७) – क्रिमिनल प्रोसीज़र फॉम अरेस्ट टू ट्रायल, न्यूयार्क यूनीवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।

६. कपूर एच० एल० – पुलिस, क्राइम एण्ड सोसाइटी, डी० के० प्रकाशन, नई दिल्ली।

१०. इलियट, एम० ए० एण्ड मेरिड, एफ० ई० (१६५१) – सोसल डिस ऑर्गनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रास, न्यूयार्क।

११. १६६१ – कारागार विभाग के कार्यो का प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

१२. २००५ – क्राइम इन इण्डिया, नेशनल क्राइम रिकॉड्र्स ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली।

१३. कोहेन एडबर्ट, के० (१६५५) – डेलिन्क्वेन्ट ब्वाइज : द कल्चर ऑफ गैन्ग, द फ्री प्रेस, ग्लेन्को।

१४. क्लिनार्ड, मार्शल बी० (१६५२) – द ब्लैक मार्केट : रिनहार्ट, न्यूयार्क।

१५. १६८५ – गृह कारागार विभाग की वार्षिक प्रशासन व प्रबन्ध रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

१६. गौर के० जी० – क्रिमिनल लॉ क्रिमिनोलॉजी एण्ड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, डी० के० प्रकाशन, नई दिल्ली।

१७. गुडे, डब्लू० जी० एण्ड हाट, पी० के० (१६५२) – मेथड्स इन सोसल रिसर्च, न्यूयार्क।

१८. ग्लुएक एण्ड ग्लुएक (१६५०) – अनरेविंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, द कॉमन वेल्थ फण्ड, न्यूयार्क।

१६. चैपिन स्टुअर्ट (१६४७) – एक्सपेरीमेन्टल डिजाइन्स इन सोसियोलॉजिकल रिसर्च, न्यूयार्क।

२०. चार्ल्स गोरिंग (१६१३) – द इंगलिश कन्विक्ट, लन्दन।

२१. चड्ढा, कुमकुम – द इण्डियन जेल : ए क्न्टेम्पोरिली डॉक्यूमेन्ट।

२२. चतुर्वेदी, एस० के० – पुलिस एण्ड इमर्जिंग चैलेन्जेज,
डी० के० प्रकाशन, नई दिल्ली।

२३. देवसिया, बी०बी० – क्रिमिनोलॉजी विक्टिमालॉजी एण्ड करेक्संस,
डी० के० प्रकाशन, नई दिल्ली।

२४. दुबे सरला (१६८५) – अपराध शास्त्र एवं अपराध का समाजशास्त्र
सरल प्रकाशन, बरेली।

२५. टॉलकट पारसन्स (१६४६) – स्ट्रक्चर ऑफ सोसल एक्शन,
द फ्री प्रेस, न्यूयार्क।

२६. जॉन मेज (१६६५) – द टूल्स ऑफ सोसल साइन्स, लन्दन।

२७. फ्रीड लैण्डर, के० (१६४४) – द साइको एनालिटिक एप्रोच टू
जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इण्टरनेशनल
यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।

२८. पिगन हेलेन डी० (१६४२)–प्रोबेशन एण्ड पैरोल इन थ्योरी एण्ड
प्रैक्टिस : नेशनल प्रोबेशन एसोसिएशन
न्यूयार्क।

२६. पाल, डब्लू टप्पन (१६४६) – जुवेनाइल डेलिन्क्वेंसी,
एम० सी० ग्रा हिल बुल कम्पनी,
न्यूयार्क।

३०. पामर, वी० पी० (१६२८) – फील्ड स्टडीज इन सोसियोलॉजी,
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस,
शिकागो।

३१. मेहरा के० ए० – पुलिस इन चेन्जिंग इण्डिया,
डी० के० प्रकाशन, नई दिल्ली।

३२. मर्टन आर० के० (१६६२) – सोसल थ्योरी एण्ड सोसल स्ट्रक्चर,
द फ्री प्रेस, ग्लेन्को।

३३. भटनागर एस० सी० (१६८५) – आधुनिक भारत में पुलिस की
भूमिका और संगठन,
लॉयर्स होम, इन्दौर।

३४. ब्लॉच हरबर्ट, ए० (१६५६) – डेलिक्वेंसी ; रेण्डम हाउस, न्यूयार्क।

३५. बेयर्ड बी० बी० (१६३६) – जुवेनाइल प्रोबेशन ; अमेरिकल बुक, न्यूयार्क।

३६. यंग पी० वी० (१६५२) – सोसल ट्रीटमेन्ट इन प्रोबेशन एण्ड डेलिक्वेंसी, एम–सी ग्रा० हिल बुक, न्यूयार्क।

३७. यंग पी० वी० (१६४६)–साइंटिफिक सोसल सर्वेज़ एण्ड रिसर्च, न्यूयार्क।

३८. मोरिस टेरेन्स (१६५७) – द क्रिमिनल एरिया, रचलेस एण्ड केगनपाल, लन्दन।

३६. मैक्स ए० स्क्लैप एण्ड एडवार्ड एच० स्मिथ (१६२८) – द निउ क्रिमिनोलॉजी, बोनी एण्ड लिवराइट, न्यूयार्क।

४०. लवानिया जे० (१६८८) – भारतीय पुलिस : संगठन एवं प्रशिक्षण, प्रगल्भ प्रकाशन, हाथरस (उ० प्र०)।

४१. रोविन्सन एल०एन० (१९३१)–शुड प्रिजनर्स वर्क?
विन्टन फिलेडेल्फिया।

४२. रिचार्ड डुगडेल (१८७७) – द जूक्स : ए स्टडी इन क्राइम
पैनपेरिज्म एण्ड हियरडिटी,
पटनम, न्यूयार्क।

४३. राम अहूजा (१९७०) – द प्रिज़न सिस्टम, मीनाक्षी प्रकाशन,
नई दिल्ली।

४४. राव एस० बी० – क्रिमिनल जस्टिस : प्रोब्लेम्स एण्ड पर्सपेक्टिव्स
इन इण्डिया, डी० के० प्रकाशन, नई दिल्ली।

४५. लवानिया, जे० (१९९२) – भारतीय पुलिस : अतीत एवं सम्प्रति
समाज, प्रगल्भ प्रकाशन,
हाथरस (उ० प्र०)।

४६. लुण्डवर्ग जी० ए० (१९४२) – सोसल रिसर्च, लांगमैन एण्ड ग्रीन
कम्पनी, न्यूयार्क।

४७. सिंह, आई० जे० (१६७६) – इण्डियन प्रिजन :ए सोसियोलॉजिकल इन्क्वायरी, कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, दिल्ली।

४८. शर्मा पी० डी० (१६७७) – पुलिस एण्ड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, डी० के० प्रकाशन, नई दिल्ली।

– इण्डियन पुलिस : रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोसल साइन्सेज, नई दिल्ली।

४६. वर्मा परिपूर्णानन्द (१६४८) – भारतीय पुलिस : विश्व विद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।

५०. लोटर, एस० एफ० (१६४२) – टेन्शन थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहैवियर, अमेरिकन सोसियोलोजिकल रिव्यू।

५१. विलियम ए० व्हाइट (१६३३) – क्राइम्स एण्ड क्रिमिनिल, रिनहार्ट एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क।

५२. साइमन एच० टुलचचिन (१६३६) – इन्टेलीजेन्स एण्ड क्राइम, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।

५३. श्रीवास्तव एस० पी० – भारत में अपराध, दण्ड एवं सुधार, विजय प्रकाशन, वाराणसी।

५४. सिंह एम० पी० – पुलिस प्रोब्लम्स एण्ड डालिमास इन इण्डिया, डी० के० प्रकाशन, नई दिल्ली।

५५. सिरिक वर्ट (१६४४) – द यंग डेलिक्वेंट, यूनीवर्सिटी ऑफ लन्दन प्रेस, लंदन।

५६. हेनरी, इ० वार्न्स (१६३६) – सोसाइटी इन ट्रान्जीशन, प्रेन्टिस हॉल, न्यूयार्क।

५७. हेनरी एय० गोडार्ड (१६२१) – जुवेनाइल डेलिक्वेंसी : डाड मीड एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क।

५८. हूटन, ई० ए० (१६३६) – क्राइम एण्ड द मैन, हरवार्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।

५६. हरवर्ट स्पेन्सर – द प्रिन्सिपिल्स आफ सोसियोलॉजी, भाग–१,
द एप्लिटन एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क।

६०. हरमन एम० एडलर (१६२५) – द स्कोप ऑफ द प्राब्लम आ
डेलिन्क्वेंसी एण्ड क्राइम ऐज
रिलेटेड टू मेन्टल
डिफिसिएन्सी ;जनरल ऑफ साइको – एसथेनिक्स, भाग–३०

६१. सैल्टिज सी० एम० एवं जहोदा एम० डी० (१६६५) –
रिसर्च मेथड्स इन सोसल रिलेशन्स,
यू० एस०।